(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्ठम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का पन्द्रहवाँ दिवस [संख्या 10

मंगलवार,
दिनांक 20 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र जाट, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न० ।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत :

उदयपुर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता

263. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान महिला मंडल, उदयपुर, विद्या भवन, राजस्थान महिला परिषद्, आदर्श विद्या मन्दिर, उदयपुर को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं के द्वारा आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया?

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) इन संस्थाओं को निम्न प्रकार आर्थिक सहायता दी गई:—

क्र. सं.	नाम संस्था	1675-76	1976-77
1.	महिला मण्डल, उदयपुर	1,36,125	2,67,536
2.	विद्या भवन	15.27,124	15,22,225
3.	राजस्थान महिला परिषद्	1,20,000	1,20,000
4.	आदर्श विद्या मंदिर	2,550	निल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) इनमें से आदर्श विद्या मन्दिर में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। इस संस्था को 1976-77 में कोई अनुदान नहीं दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान महिला परिषद् की भूतपूर्व संस्थापिका को पिछली सरकार के समय में अनियमितताओं के आरोप में जेल जाना पड़ा था? क्या उसको अनुदान देने के बाद वह संस्था वापस सौंप दी जायगी?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान महिला परिषद् में जून 72 से प्रशासक कार्य कर रहा है, इसलिए इनको सौंपने का सवाल ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्या भवन सोसायटी को लाखों रुपयों का अनुदान दिया जाता है फिर भी वहां पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको तीन-चार महीने से वेतन नहीं मिला है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, मुझे इस प्रकार की जानकारी देंगे और विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, विद्या भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्या भवन कला संस्थान, विद्या भवन बेसिक स्कूल, विद्या भवन सोसायटी केन्द्रीय कार्यालय के खिलाफ यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आई कि चार-चार महीनों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल शिक्षा विभाग की डिमाण्ड पर भी निवेदन किया था कि एक प्राध्यापक के मामले में घोटाले हैं, क्या आप उसकी जांच करायेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा आपने कहा, उसकी जानकारी देंगे तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या अनुदान की राशि नियमानुसार दी जाती है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निश्चित रूप से नियमानुसार दी जाती है।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : सहायता प्राप्त संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है उसका क्या मापदण्ड है? किस आधार पर उनको कम या ज्यादा अनुदान दिया जाता है? यह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ये शिक्षण संस्थाएं विद्या के मंदिर हैं। आप केवल अनियमितता के आधार पर ही अनुदान देना बन्द कर दें और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करें, कोई कार्यवाही करें उससे पहले ही अनुदान बन्द कर दें, क्या इस पर आपका ध्यान गया है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जांच करने के बाद और अनियमितता पाई जाने के बाद ही अनुदान बन्द किया जाता है ।

श्री कल्याण सिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या राजनैतिक आधार पर कम या ज्यादा अनुदान दिया जाता है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे अभी इनके कैटेगराइजेशन के बारे में जानकारी नहीं है । जानकारी प्राप्त करने के बाद में इस विषय में निवेदन कर सकूंगा ।

प्रश्न संख्या 264

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गंगाराम चौधरी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ।

झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों की विद्युतीकरण की योजना

265. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में किस-किस पंचायत समिति के कितने-कितने गांव विद्युतीकरण योजना के तहत लिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) मनोहरथाना पंचायत समिति में कुओं, नदियों, पानी देहों की अधिकता होते हुए भी उपेक्षा क्यों की गई ?

(3) उक्त जिले की सर्वे रिपोर्ट क्या है ?

(4) जिन स्थानों का सर्वे नहीं हुआ है, राज्य सरकार उनका सर्वे कब तक पूर्ण करा लेगी एवं नवीन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समिति के गांवों में समान रूप से विद्युतीकरण कब करेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) झालावाड़ जिले की बकानी व झालरापाटन पंचायत समिति के क्रमशः 80 व 78 ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना स्वीकृत है । इन योजनाओं के तहत जिन गांवों का विद्युतीकरण होना था उनकी सूची 'ए' व 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) मनोहरथाना क्षेत्र के उच्च प्रसारण लाइनों से बहुत दूर होने के कारण इस पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाना अभी संभव नहीं है ।

(3) जिले के सम्पूर्ण गांवों की सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है ।

(4) प्रत्येक पंचायत समिति के गांवों के समान रूप से विद्युतीकरण के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । ग्रामों का विद्युतीकरण तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता, भू-जल व धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करती है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह मान लिया जाय कि मनोहरथाना पंचायत समिति में विद्युतीकरण नहीं किया जायगा ? जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया, उसके आधार पर इसकी घोषणा कर दी कि वहां विद्युतीकरण नहीं होगा ।

दूसरी बात झालावाड़ जिले की छः पंचायत समितियों में से केवल दो का विद्युतीकरण किया गया है । चार पंचायत समितियों की उपेक्षा करने का क्या कारण है ?, क्या वहां पर जनता नहीं बसती है ? क्या वहां पर पानी की कमी है ? कौनसे कारण हैं ?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय ने सूची सदन के पटल पर रखी है, उसके अन्दर पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र के एक भी गांव में विद्युतीकरण की योजना नहीं है । जो स्कीम पुरानी सरकार ने लागू की थी, क्या आप भी उसी को आंख मींचकर लागू करेंगे या उसको रिवाइज करेंगे ?

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, जो भी योजना एक दफा तैयार होकर बन जाती है, उसमें राज्य सरकार कोई भी परिवर्तन करे यह संभव नहीं है, न होगा । जहां तक इस जिले के इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, कुछ गांव लाइन से काफी दूर हैं वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना अभी संभव नहीं है। अब सवाल है कि छठी योजना में 132 के० वी० लाइन का स्टेशन बने तो वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है ।

दूसरी बात, इन गांवों के पास ही एक सीमेन्ट फैक्ट्री चलाने की भी पॉसिबिलिटी है । वह लाइन आ जाती है तो जल्दी ही बिजली मिलने की संभावना है ।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, यह रॉग है । झालावाड़ जिला लाइन से दूर नहीं है । जब आप सवाई माधोपुर और जयपुर को बिजली दे सकते हैं तो झालावाड़ तो 60 मील ही पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आरग्यू नहीं करें । प्रश्न के रूप में पूछें ।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि वहां पर ट्रान्सफार्मर भी नहीं हैं, कोई और साधन नहीं है ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : सीमेन्ट फैक्ट्री वहां नहीं है, मंत्री महोदय सीमेन्ट फैक्ट्री तो मोडक में लगी हुई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिड़ावा के पास ट्रान्सफार्मर है ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र : पिड़ावा क्षेत्र के 80 गांव हैं जहां से बिजली गई हुई है । वहां ट्रांसफार्मर मौजूद है, लाइन मौजूद है, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि लाइन दूर है । समझ में नहीं आता । मंत्री महोदय खुद देख लें, यहां टेबल पर बैठे बैठे सही जवाब नहीं दे सकते ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रश्न में जो सूचना चाही गई है, उसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

Page No. 5

(5)

श्री ईश्वरचन्द्र : झालावाड़ जिले लिये प्रश्न पूछा हूं ।

श्री सम्पतराम : झालावाड़ जिले के बारे में जवाब नहीं दे सकता । स्पेसिफिक सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है, झालावाड़ जिले में किस-किस पंचायत समिति के कितने-कितने गांव विद्युतीकरण योजना के तहत लिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

आप तो काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, कांग्रेस में भी मंत्री रह चुके हैं, आपको तो सही जवाब देना चाहिये ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गांवों को इन्क्लूड करने की बात है, लाइन जब दूर होती हैं तो टेक्निकली सम्भव नहीं होता है किसी गांव को जोड़ना, इसलिये वह रह जाता है । सीमेन्ट फैक्ट्री वहां पर लगाने के 90 प्रतिशत चांसेज हैं, 132 के. वी. लाइन वहां पर चली जायेगी, तो उस एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आसान हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से सप्लीमेन्ट्रीज पूछे जा चुके हैं । नेक्स्ट ।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : झालरापाटन पंचायत समिति में ....

श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर) : ग्रामीण पंचायती योजना का खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में 1973 में आपका सर्वे हो चुका है और पूरी योजना तैयार है । जो स्वीकृति के लिये पेन्डिंग है, इसके बारे में आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : इसके बारे में जवाब देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री निर्मल कुमार : मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह फील करता हूं ...

श्री निर्मल कुमार : मेरे क्षेत्र से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी सप्लीमेन्ट्रीज़ हो चुके हैं ।

श्री निर्मल कुमार : प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सभी एक साथ ही पूछेंगे क्या ? इसका क्या उपाय है ? इसका उपाय यह है कि कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछे जायें ।

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

एक प्रश्न पर पांच से अधिक सप्लीमेन्ट्रीज़ नहीं हो सकते । No more supplementaries.

(व्यवधान)

अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं मेरा और सदन का तो आप करिये । पांच से ज्यादा सप्लीमेन्ट्रीज हो चुके हैं । अब मैं कोई सप्लीमेन्ट्री अलाउ नहीं करूंगा ।

Page No. 6

(6)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : यह किसानों से संबंध रखता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं । आप विवाद करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा । I am helpless

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टालने वाली बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री निर्मल कुमार : झालरापाटन मेरा कार्य क्षेत्र है ।

श्री सम्पतराम : अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि झालावाड़ के कौन-से गांवों में बिजली गई है ....

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुझाव की बात नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : औद्योगीकरण को गांवों के विद्युतीकरण के साथ जोड़ना गांव के निवासियों के साथ बिल्कुल अन्याय है । मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि किसानों के बारे में जब भी कोई प्रश्न श्रीमान के सामने आता है तो टालमटोल की जाती है । मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली की मांग है, इस पर सप्लीमेन्ट्री अलाउ करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहें कि सारा समय इस प्रश्न पर ही नष्ट किया जाये, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आधा भी नहीं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : किसानों के बारे में समस्याएं सदन के सामने नहीं रखें ?

श्री उपाध्यक्ष : मगर यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आर. ई. सी. के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : मैं आपसे निवेदन करूं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आप बिराजिये ।

श्री रतन लाल वर्मा : आज किसान परेशान हैं । यह क्या बात हुई ?

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : मैं माननीय विद्युत् मंत्री से एक जानकारी चाहूंगा । बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं यह जानकारी चाहता हूं कि विद्युत् के सम्बन्ध में बजट पेश होता है और उस पर चर्चा होती है । वह कब पेश होगा ? यह इस सदन की परम्परा रही है कि विद्युत् मंडल का बजट अलग से रखा जाता है और उस पर चर्चा होती है । हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि विद्युत मण्डल का बजट कब रख रहे हैं, ताकि हम उस पर वाद-विवाद कर सकें और अपनी समस्याएं रख सकें ।

एक माननीय सदस्य : असेम्बली के प्रारम्भ होने से पहले रखना चाहिये ।

श्री सम्पत राम : मेजर फतहसिंह जी ने जो जानकारी चाही है, वह मैं देखकर बता दूंगा ।

(श्री सम्पत राम)

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, विद्युत् एक बहुत जरूरी चीज है। इसके बिना किसानों को परेशानी होती है। सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं।

जहां तक रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की बात है और योजना का संबंध है, तो काम तो योजनाबद्ध तरीके से ही होगा। जहां लाइन जा सकती है वहां ही जायेगी। मैं टैक्निकल डिपार्टमेन्ट से पूछ कर ही सही जवाब दे सकता हूं, वह मैंने दिया। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान में सभी जगह समान रूप से बिजली नहीं गई है। माननीय सदस्यों से इस बात पर विचार-विमर्श करने का मैं स्वागत करूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कौन से सप्लीमेन्ट्री का उत्तर दे रहे हैं? हम जब सप्लीमेन्ट्री पूछते हैं, तो माननीय उपाध्यक्ष जी, आप मना कर देते हैं। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमें सप्लीमेन्ट्रीज़ अलाउ करें।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप शार्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री निर्मल कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में . . . .

(व्यवधान)

छः माह से बिजली के कनेक्शन पैन्डिंग हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सारे प्रश्न रह जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मैं निवेदन करता हूं कि आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार : झालावाड़ जिले में बिजली के कनेक्शन छः माह से पैन्डिंग हैं। किसानों को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका उत्तर नहीं दें। जब मैं किसी प्रश्न के लिये इजाजत नहीं दूं, तो मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दें।

श्री निर्मल कुमार : मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये।

नैक्स्ट। श्री अब्दुल अजीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं आपको एक भी सप्लीमेन्ट्री नहीं करने दूंगा। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि एक प्रश्न एक घन्टे में भी समाप्त नहीं होगा। आप एक ही प्रश्न पर अड़े हुए हैं आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, बैठिये।

वर्माजी, आप स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट प्रश्न 266। श्री अब्दुल अजीज।

मनणाणा ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

266. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मननाणा ग्राम पंचायत के सरपंच ने जानवरों के चरने की फीस ली है?

(2) क्या कानून में इस प्रकार का प्रावधान है? यदि नहीं, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) :--

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं समझा नहीं आपने क्या जवाब दिया ? आपने क्या एडमिट किया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में तो स्वीकार किया है । दूसरे खण्ड में मैंने यह कहा कि इसके लिये सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अब्दुल अजीज : आप जांच करा रहे हैं, वह तो ठीक है पर उस सरपंच को आप निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं ? आपको पता लग गया है कि उक्त सरपंच ने चराई के पैसे लिये हैं जो कि गैर कानूनी है तो उसको आप सस्पैन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसके अलावा उस सरपंच ने चराई के पैसे लिये तो पैसे वह खुद खा गया है या आधे पैसे जमा करा दिये हैं या नहीं ? अगर पैसे जमा कराये हैं, तो कहां कराये हैं ? इसके लिये मेरा निवेदन है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप सजेशन मत दीजिये, आप तो जो सूचना चाहते हैं वह बता दें ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरपंच लोग गांवों में जानवरों की चराई के पैसे अक्सर ले लिया करते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं । कोई मेरे यहां पर ही सरपंच ने ऐसा किया हो, वह बात नहीं है ।

आज हमारे कई माननीय सदस्यों के क्षेत्रों के सरपंच इस तरह की कार्यवाहियां करते हैं । यह तो सभी की कठिनाई है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उस सरपंच को तुरन्त सस्पेन्ड किया जाकर उसके खिलाफ में कार्यवाही की जाय ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उस सरपंच ने पैसे जानवरों की चराई के लिये हैं ? और लिये हैं तो किस कानून के तहत व वह पैसे उसने कहां जमा कराये ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया उस सरपंच ने चराई के पैसे लिये । जो व्यक्ति अपने जानवरों को चराता था उसने ही इस सारे झगड़े को निपटाने के लिये स्वयं ने पैसे दिये थे । अब सरपंच ने पैसे जमा कहां कराये, यह सूचना मेरे पास नहीं आयी है । कितने पैसे सरपंच ने लिये, यह भी सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने तो खुद ने इस प्रश्न की ग्रेविटी को देखते हुए अपने उत्तर में कहा कि उक्त सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । मैंने इसको गम्भीरता से लिया है । जो भी सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दी है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, उक्त सरपंच के खिलाफ में राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी, तो मेरा निवेदन यह है कि यह मामला आपके

(श्री मूलचन्द डागा)
सामने कब आया कि उक्त सरपंच ने जानवरों के चराने के लिये पैसे लिये ? लिये तो कब और कितने लिये ? और, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल मेरे सामने तब आया था जबकि इस प्रश्न का विधान सभा में उत्तर देने का सवाल आया । मुझे इसकी पहले कोई जानकारी नहीं थी । इस कारण थोड़े से समय मे जितनी भी सूचना आ सकती थी वह मैंने उपलब्ध करा दी । बाकी उसने कितने पैसे लिये और कब लिये और वह रुपये उसने कहां जमा कराये, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : जब यह सही है कि सरपंच ने नियमों के विरुद्ध जानवरों की चराई के पैसे लिये हैं और आप मानते हैं तो फिर आप उसे निलंबित करने में डर क्यों रहे हैं ? He should be suspended.

एक माननीय सदस्य : क्या उस सरपंच ने यह फीस ली है या टैक्स लिया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति ने जानवरों को चराया था उसने मिटिगेटिंग सरकम्सटान्सेज में ऐसा प्रस्तुत किया, उसने खुद ने आगे होकर कहा कि आप मेरे से इसके लिये पैसे ले लें ।

कई माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो सूचना मैंने दी है वह गलत नहीं है । मैंने निवेदन किया कि मिटिगेटिंग सरकम्सटान्सेज में उसने ऐसा किया है । वैसे मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसकी मैं विस्तार से जांच कराऊंगा ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मालूम हो गया है कि उक्त सरपंच ने जानवरों की चराई के लिये पैसे लिये, जो नियमानुकूल नहीं है, यह वह खुद मंजूर करते हैं । जब केस प्राइमा फैसी उस सरपंच के खिलाफ में बन गया है तो आपको उस सरपंच को सस्पेंड करके उसके विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17(4) के अंतर्गत कार्यवाही करने में क्या तकलीफ है ? उसने कानून की अवहेलना की है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम जनता पार्टी के सदस्यों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से दोषी सरपंचों के खिलाफ में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि उक्त सरपंच जनता पार्टी का समर्थक है, इसलिये आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं । यही कारण है कि उसको सस्पेन्ड नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये । बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) : यह बिलकुल गलत आरोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं कि वह जनता पार्टी का समर्थक है,

Page No. 10

(10)

(श्री एच० एन० शर्मा)
इसलिये सरकार उसको बचा रही है। आप लोग झूठे इल्जाम चिल्ला चिल्ला कर लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रतनलाल शर्मा : यह कांग्रेस वाले पंचायत कानून को जानते नहीं हैं। पहले इनको कहें कि पंचायत एक्ट को पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। शान्त रहिये। अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो आगे की कार्यवाही कैसे होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Not to be recorded [XXX]

श्री मदनसिंह दांता : जब कानून की अवहेलना उस सरपंच ने की है और उसके खिलाफ में सही चार्जेज आपको मालूम हो गये हैं तो आपको उसे सस्पेन्ड करने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको उसे तुरन्त सस्पेन्ड करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जब सदन में प्रश्न पूछा जाये तो उसके लिये आप पूरी सूचना के साथ आया कीजिये। अधूरी सूचना देने से अच्छा है कि आप उस प्रश्न को स्थगित करा लीजिये ताकि जब भी उसका जवाब आये तो पूरा आये। इसका पूरा जवाब आना चाहिये था कि सरपंच ने कब पैसे लिये, कितने पैसे लिये और कहां जमा कराये या नहीं कराये। पूरा उत्तर भविष्य में आना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : किसी ने पैसे दिये तो उसने पैसे क्यों लिये जब कि नियमों में पैसे लेने का प्रावधान ही नहीं है? आपको इन्साफ करना चाहिये। पार्टीबाजी से....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये। सदन में पूरे फेक्ट्स देने चाहिये। फेक्ट्स को छुपाना नहीं चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास जो भी सूचना आयी वह मैंने दी। उत्तर देने के बाद भी विपक्ष के सदस्य यह आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। मैंने पिछले दस सालों की फाइलों को देखा है कि यहां पर किस तरह से सरपंचों के लिये कार्यवाही होती थी, जब कि मैंने स्पष्ट यह कहा कि जिस व्यक्ति ने जानवरों को चराया था उसने स्वयं ने मिटिगेटिंग सरकम्सटान्सेज में पैसे दिये थे। अब कितने पैसे दिये, यह सूचना मेरे पास नहीं आ सकी। जब हमें यह मालूम हुआ कि उसने पैसे लिये तो उसके लिये मैंने कह दिया कि हम उस सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17(4) के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि उसकी

XXX उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

जांच की जावेगी । मैं यहां स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ में विस्तार से जांच की जावेगी । वैसे आप चाहें तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें । मैं पूरी जानकारी प्राप्त करके सदन के सामने इस प्रश्न का पूरा जवाब दे दूंगा । मेरे ऊपर यह गलत आरोप लगा रहे हैं कि मैं उसे बचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर कोई दोषी है तो मैं किसी को भी बचाने के पक्ष में नहीं हूं । मुझे किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है । किसी को बचाने की मेरी कोई नीयत नहीं है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चाहे जनता पार्टी का आदमी हो या कांग्रेस का, वह अपराधी है तो सरकार से वह नहीं बच पायेगा और उसको सजा भुगतनी होगी ।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : प्राइमाफेसी भ्रष्टाचार मान लिया है फिर भी आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं; इससे लगता है कि बात दबाई जा रही है ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री महोदय यहां सदन में जवाब देने के लिये खड़े होते हैं तो उनकी ओर से स्पष्ट जवाब आना चाहिये । सप्लीमेन्ट्री प्रश्नों के उत्तर में वे सारी बातें नहीं कहते हैं और सदन के अन्दर अधूरा जवाब देते हैं । इसलिये मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा, आप मंत्री महोदय को यह आज्ञा दें कि जब कभी प्रश्न का उत्तर दिया जाय तो पूरी जानकारी सदन के सामने रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपने विचार मंत्री महोदय को बता दिये हैं । मुझे आशा है कि भविष्य में इस ओर ध्यान देंगे ।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

करनपुर सब तहसील में घाटी कटाई का कार्य

267. **श्री रंगजी** (करनपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करनपुर सब तहसील में घाटी कटाई का कार्य कई वर्ष पहले शुरू हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि डेढ़ लाख रुपये व्यय करने के बाद अपूर्ण कार्य बंद कर दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इस घाटी के बनने से डकैती समस्या के हल होने में काफी सहायता मिलेगी ? यदि हां, तो इसका कार्य पुनः कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, वर्ष 1972-73 में यह कार्य शुरू हुआ था ।

(2) धनाभाव के कारण अपूर्ण कार्य 48,000 रु० व्यय करके बन्द करवाना पड़ा ।

(3) जी हां । कैलादेवी करनपुर सड़क को, जिसमें यह कार्य शामिल है,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
आरम्भ कराये जाने हेतु 16.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर दो सप्लीमेन्ट्री हैं । एक तो यह है, क्या यह सत्य है कि यह काम पूरा न होने से करनपुर सब तहसील में आये दिन डकैतियां होती रहती हैं ? तीन चार रोज पहले ही डकैती हुई थी । डकैत घाटी में छिप जाते हैं । दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान भर के डकैत उस एरिया में जाकर शरण लेते हैं । क्या सरकार इस काम को पूरा कराना आवश्यक नहीं समझती और जो काम हुआ है उसी को पर्याप्त समझती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या सप्लीमेन्ट्री पूछ रहे हैं ? आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : घाटी में कई शरण लेते हैं, सब के सब शरण लेते हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रुपयों का प्रावधान कर दिया गया है । सड़क बनाने के लिये प्राथमिकता इसलिये दे रहे हैं कि वह डकैतों का क्षेत्र बन गया है । सड़क बनाने के सम्बन्ध में मैंने आपको पूरा उत्तर दे दिया है ।

श्री रंगजी : इस घाटी की कटाई की जो स्कीम थी उस पर आप ११। लाख रुपया खर्च कर चुके हैं । 1971-72 में काम कराया गया था । फिर उसको बंद कर दिया । राज्य सरकार इसका क्यों नहीं उत्तर देती है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले काम किया गया था और बाद में बन्द किया गया था, इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता । आवश्यकता को देखते हुए काम को प्राथमिकता दी जावेगी । पहले सड़क बनायी जायेगी ताकि जनता को डाकुओं की ओर से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके ।

श्री रंगजी : सड़क के बारे में . . . सड़क पूरी हो जावेगी ? मेहरबानी करके यह बताइये, जो धनराशि मंजूर की है उससे यह सड़क पूरी हो जावेगी या नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ।

श्री माधोसिंह : जब कि इतने प्रश्न होते हैं, दो मिनट से अधिक समय एक माननीय सदस्य ले लेते हैं । इससे दूसरे माननीय सदस्यों को न तो बोलने का चान्स मिलता है और न ही उनके प्रश्न लिये जा सकते हैं । बार बार निवेदन कर चुका हूं । इससे बहुत असंतोष है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको देखेंगे ।

श्री रंगजी : सड़क के बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष : No. Next question. No supplementaries.

नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया । अब कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं होगा । आपको जानकारी दे दी गयी है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ब्यावर का विस्तार

268. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद चिकित्सालय, ब्यावर के भवन के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । यदि है, तो इसकी कब तक स्वीकृति मिलने की आशा है ?

(श्री उगम राज मेहता)

(2) आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ब्यावर में वर्तमान में कितनी रोगी शैयायें स्वीकृत हैं ? क्या इनमें वृद्धि की मांग विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो सकेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार ब्यावर आयुर्वेदिक चिकित्सालय को शल्य चिकित्सक, पेथालोजिकल लेबोरेटरी, प्रसूति के उपकरण आदि प्रदान करने के लिये निर्णय लेने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां । निर्णय शीघ्र होने की आशा है ।

(2) आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ब्यावर में वर्तमान में 15 रोगी शैयाएं स्वीकृत हैं । बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर रोगी शैयाओं में वृद्धि हेतु विचार किया जावेगा ।

(3) जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या 269

श्री हरलाल सिंह खर्रा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री किशनसिंह भाटी ।

जैसलमेर जिले में क्लस्टर ट्यूब वेल खुदवाने की योजना

270. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या मंत्री भू-जल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में फ्लोराइड युक्त, क्लोराइड युक्त खारे पानी तथा मानव स्वास्थ्य को हानिकारक जल वाले कितने कुए हैं ?

(2) क्या सरकार के पास ऐसे जल वाले गांवों की आबादी को स्वच्छ एवं शुद्ध जल प्रदाय की निश्चित अवधि वाली कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जैसलमेर जिले में क्लस्टर ट्यूब वेल खुदवाने की योजना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जैसलमेर जिले में, जहां कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सर्वे के लिये भू-जल विभाग का सीनियर हाइड्रोज्योलोजिस्ट का कार्यालय खोलने की कोई योजना है ? यदि नहीं है, तो क्यों ? सख्त पत्थर तोड़ने के लिये जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में ब्लास्टिंग की कितनी कम्प्रेसर इकाइयां कार्यरत हैं ? यदि एक भी नहीं है तो क्यों ? इस बाबत तुरन्त कार्यवाही में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(5) पेय जल की सर्वाधिक कमी वाले जैसलमेर जिले में इस वर्ष डी०पी० ए० पी० के अंतर्गत कोई बजट का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) अन्य जिलों में यह प्रावधान रखने का आधार क्या था ?

राज्य मंत्री, भू-जल विभाग (श्री महबूब अली) : (1) यह जानकारी विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण होने पर ही ज्ञात हो सकेगी । यह सर्वेक्षण अक्टूबर, 1977 में शुरू होगा जिसके परिणाम वर्ष 1981 में प्राप्त हो सकेंगे ।

(2) जी नहीं ।

(15)

(श्री महबूब अली)

(3) जी नहीं । जैसलमेर जिले में क्लस्टर नलकूप योजना इसलिये तैयार नहीं की गयी है, क्योंकि पानी की सतह भूमि से काफी नीचे होने के कारण नलकूप बनाने की लागत तथा नलकूप को चलाने का खर्चा बहुत अधिक आता है जो कि एक सामान्य कृषक की आर्थिक क्षमता से अधिक होता है।

(4) जी हां । जैसलमेर जिले में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण योजना लागू किये जाने हेतु भू-जल विभाग द्वारा एक वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक का कार्यालय खोलने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में वर्तमान में ब्लास्टिंग की कोई भी कम्प्रेसर इकाई कार्यरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्लास्टिंग के कार्य हेतु पिछले दो वर्षों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(5) जी हां ।

(6) अन्य जिलों में भी यह प्रावधान रखने का आधार वहां पर पेय जल एवं सिंचाई के लिये भू-जल स्त्रोतों को ज्ञात कराना था ।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरी चाही गई इन्फोर्मेशन तो नहीं आयी है । मैंने अन्य जिलों के प्रावधान के बारे में पूछा था । यह पानी का बजट प्रोवाइड करते समय जहां ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है, और डेजर्ट एरिया होता है वहां प्रावधान करते हैं या इन्डिस्क्रिमिनेट करते है ? What is the basis ?

श्री महबूब अली : आपने जैसलमेर जिले के लिये डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत बजट प्रावधान के लिये पूछा उसके जवाब में मैंने 'जी हां' कहा । दूसरे जिलों के लिये पूछा तो मैंने कहा, अवेलेबिलिटी आफ वाटर और उस नल कूप में कितना जल है उसके आधार पर प्रावधान रखा जाता है ।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या जैसलमेर में भू-जल की उपलब्धि नहीं है इसलिए बजट में प्रावधान नहीं रखा गया ?

श्री महबूब अली : यह बात नहीं है । उसका जो वाटर लेवल है वह बहुत नीचा है । वहां ट्यूब वेल बनाने के ऊपर खर्चा आता है वह बहुत आता है । ओर्डिनरिली 40-50 हजार में ट्यूब वेल बन जाता है । लेकिन जैसलमेर में बनाने के लिये लाख-सवा लाख का खर्चा आता है । पानी जितना गहरा होता है उतना ही खर्चा अधिक होता है ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह कथन आपका सही नहीं है । जैसलमेर के ट्यूब वेल भी उतने ही गहरे होते हैं, करीब 250 फीट। उस पर खर्चा 70 हजार पड़ता है न कि सवा लाख रुपये । आपको तथ्य की जानकारी नहीं है । आपने जानबूझ कर मेरे इस प्रश्न को टाला है ।

प्रश्न संख्या 271

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री दिग्विजय सिंह ।

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कार्यवाही

272. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

Page No. 15

(15)

(श्री दिग्विजय सिंह)
पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी पंच, सरपंच को मोरल टरपीट्यूड के दोषी होने पर पृथक कर सकती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने मोरल टरपीट्यूड. को डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से कदम इस परिभाषा में आते हैं ?

(3) भारतीय दण्ड संहिता की कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत यदि कोई पंच या सरपच दण्डित होता है तो उसे राज्य सरकार मोरल टरपीट्यूड की परिधि में समझती है ?

(4) क्या किसी पंच, सरपंच को अदालत से यदि इस आरोप से छोड़ दिया जाता है कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उसे सच्चरित्र एवं सद्व्यवहारी रहने हेतु 1000) रु० 1000) रु० के व्यक्ति प्रतिभूति पर छोड़ा जाता है, क्या यह राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अंतर्गत आता है या नहीं ? राज्य सरकार मौरल टरपीट्यूड की इससे ज्यादा और क्या परिभाषा मानती है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) नैतिक पतनयुक्त दुराचरण के अपराध में संबंधित धाराओं में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसके गुणावगुणों को ध्यान में रख राज्य सरकार नैतिक पतनयुक्त दुराचरण में सम्मिलित करती है ।

(4) न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के उपलब्ध होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति की जानकारी की जा सकती है ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने पूछा कि वह कौन कौनसी धारायें हैं जिनको आप शामिल करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह लीगल क्वेश्चन है । आप होई कोर्ट की रूलिंग देख लीजिए इस संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

प्रश्न संख्या 273

श्री गोपाल सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामेश्वर प्रसाद

विराटनगर तहसील में बीलवाड़ी से मेड रोड

274. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमुवा-रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विराट नगर तहसील में बीलवाड़ी से मेड रोड कौन से गैंग व ओवरसीयर की देखरेख में है ?

(2) क्या इस रोड के दोनों तरफ पेड़ है ? यदि हां, तो किस किस के कितने कितने हैं ?

(3) उक्त मार्ग पर वार्षिक क्या खर्च किया जाता है ?

(4) उक्त मार्ग के पेड़ों से वार्षिक आय (लोंग पत्ती व पातड़ी बळे से) क्या होती है ? इसकी 1973 से 1977 तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) इस सड़क पर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
एक ही गेंग काम करती है और यह उप अभियन्ता श्री केदारनाथ शर्मा की देखरेख में हैं ।

(2) जी हां ।

1.	बबूल	132
2.	नीम	2
3.	आम	1
4.	पीपल	6
5.	बोर	1
6.	रोज	4
7.	पापड़	1
8.	खेजड़ा	1
9.	बड़	3

(3) रख-रखाव हेतु वार्षिक व्यय लगभग 25,000) रुपया किया जाता है ।

(4) पेड़ विभाग के अधीन नहीं होने के कारण वार्षिक आय का प्रश्न ही नहीं उठता । पेड़ काश्तकारों के कब्जे में ही हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल 1973 से आज तक 600 रुपये की नीलामी में यह दिये जाते हैं । वहां के स्थानीय लोग बकरी चराने वाले ही खरीदते हैं । आप मौके पर जाकर देख लें कि कटे हुए पेड़ मौजूद हैं, 2400 रुपये की बोली हो चुकी है । जो ओवरसीयर केदार है वह भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक श्री हनुमान सहाय से मिला हुआ है । उसके खिलाफ कई प्रकार की कम्पलेन्ट्स हैं । मैं आज भी मौजूदा दिखा सकता हूं । इस भ्रष्ट अधिकारी ने 7 पेड़ मौजूदा स्थिति में कटवाये हैं । मैं आपको दिखा सकता हूं आज की तारीख में । उत्तर में कतई झूठ बोला गया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पेड़ डिपार्टमेन्ट के नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री नवरंग सिंह ।

आर० ए० एस० (इमर्जेन्सी) परीक्षा

275. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-7-77 को प्रातः 9 बजे होने वाला आर० ए० एस० (इमर्जेन्सी) परीक्षा का सामान्य हिन्दी का प्रश्न-पत्र बनी पार्क बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर, केन्द्र पर निर्धारित समय पर नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या उक्त केन्द्र के परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा ली गई ? यदि हां, तो किस तिथि एवं समय पर ?

(3) इसके लिये क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या परीक्षार्थियों को वही प्रश्न-पत्र दिया गया या अन्य दूसरा ? यदि अन्य दूसरा प्रश्न-पत्र दिया गया तो क्या उससे परीक्षा मापदण्ड में अंतर नहीं आया ?

Page No. 17

(17)

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : जी हां, परीक्षा निर्धारित दिनांक 31-7-77 को नहीं हुई। उसी केन्द्र पर इस प्रश्न-पत्र की पुनः परीक्षा 1-8-77 (दूसरे ही दिन) को प्रातः 9 बजे ली गई। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक परीक्षार्थी द्वारा रिट की हुई है। अतः इस मामले में कुछ और कहना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री ईश्वरचन्द्र : किस की गलती से से यह हुआ ?

श्री महबूब अली : इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकता।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब-जुडिस है लेकिन किस की गलती से यह हुआ, इसका उत्तर तो दिया जा सकता है।

श्री महबूब अली : मैंने रिट को देखा नहीं है कि कितना मामला सब-जुडिस है।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप इस प्रश्न को स्थगित करा लीजिए।

श्री महबूब अली : रिट तो आपने भी नहीं देखी होगी कि कितना मामला सब-जुडिस है और कितना नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : स्थगित करा लीजिए तो।

श्री उपाध्यक्ष : सब-जुडिस मामला है।

श्री मथूरादास माथुर (डीडवाना) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस इम्तिहान के अन्दर जो पर्चा दिया गया है उसके अन्दर हिन्दी के सवाल थे और अंग्रेजी के थे या दोनों जुदा थे ?

श्री महबूब अली : इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकता।

श्री मथूरादास माथुर : क्या यह सही है कि इस तरह के आवेदन पत्र राजस्थान सरकार को मिले हैं।

श्री नवरंग सिंह : मेरा मूल प्रश्न है मुझे पूछ लेने दीजिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो रिट हुई है वह तो ठीक है कानून की बात है लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ? क्या दूसरा पेपर दिया गया था ? और अगर दिया गया है तो क्या कोई मापदण्ड में फर्क आया है ? कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है। कोर्ट में तो दूसरे मामले में रिट है।

श्री महबूब अली : पहले दिन तो परीक्षा नहीं हो पाई। दूसरे दिन जो परीक्षा हुई दूसरा प्रश्न-पत्र निश्चित रूप से दिया गया। इससे मापदण्ड में क्या असर पड़ा है इस संबंध में मैं कोई बात अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। दूसरे दिन परीक्षा हुई इसलिए दूसरा प्रश्न-पत्र दिया गया है, यह बात तो निश्चित है।

श्री नवरंग सिंह : आप यह मानते हैं कि दूसरा पेपर हुआ है तो इससे अन्तर तो पड़ा ही होगा। आप बतायें कि कोई मापदण्ड में अन्तर पड़ा या नहीं ? मंत्री महोदय के विचार में अन्तर पड़ा या नहीं ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : क्या 1976 में आर० ए० एस० के इम्तिहान हुए उसमें भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री हरिदेव जी जोशी की पुत्रवधू श्रीमती वीरबाला जोशी अपीयर हुई थीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न रेलेवेन्ट नहीं है ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : रेलेवेन्ट नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं मानता ।

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट में रिट हुई है उसके बावजूद क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को लोगों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं कि इस तरह से हिन्दी और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र में अलग अलग प्रश्न थे ? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है इसके ऊपर राज्य सरकार विचार करके कोई कदम उठाने वाली है ?

विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला सब-जुडिस है । माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला देगी उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता । वह किसी की गलती या किसी की लापरवाही की तरफ संकेत करेगा तो राज्य सरकार उसके अनुरूप ही कार्यवाही करेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न दूसरा है । जो आफेन्डर है उसको सजा देने की बात तो बाद में होगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि एक दिन पर्चा नहीं दिया गया और दूसरे दिन दूसरा पर्चा दिया गया, यह आप खुद मन्जूर करते हैं । मैंने प्रश्न उठाया उसके बारे में जानकारी करने के लिए क्या आप तैयार हैं ? सब-जुडिस का मतलब यह नहीं कि सरकार हाई कोर्ट में ही जवाब देगी । आप खुद मानते हैं । वे रिट वापस ले लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे ? क्यों आप सरकारी नौकरों को बाध्य करते हैं हाई कोर्ट में जाने के लिए ? आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए । जब आपके एक्शन से सेटिस्फाइ नहीं होंगे तो हाई कोर्ट में जायेंगे ही ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष, माथुर साहब ने कहा मैं उनकी बात को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि जब कोई मामला उच्च न्यायालय में चला जाता है तो जो गलती हुई होगी उसके ऊपर अदालत फैसला करेगी । उसके बाद जो नतीजा आता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है । इसके बावजूद आपका आग्रह है तो बिना किसी बात को कमिट किये हुए यह जानने की कोशिश की जायेगी कि क्या गलती हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 276

श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री समरथलाल ।

ग्राम पंचायत रेणी (अलवर) में पशु मेला

277. **श्री समरथलाल** (राजगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रेणी, पंचायत समिति रेणी (अलवर) में प्रति वर्ष पशु मेला लगता है ? यदि हां, तो इस मेले से ग्राम पंचायत को कितनी आमदनी पिछले 12 वर्षों में हुई है तथा यह धन किन कार्यों में खर्च हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत एक बार पशु मेले की आमद का चोरी होना बताया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह चोरी का आरोप स्वयं वहां के सरपंच पर ही

(श्री समरथलाल)

था ? यदि हां, तो क्या वहां के सरपंच को निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो उसको बहाल क्यों कर दिया है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । मेले से हुई आय व व्यय के विवरण के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(2) जी हां ।

(3) सरपंच द्वारा चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई जो पुलिस की तफतीश से अदम बकुआ पाया गया । पंचायत की राशि का दुरुपयोग करने के आरोप में राज्य सरकार के आदेश संख्या 7139-42, दिनांक 25-10-71 के द्वारा श्री सच्चिदानन्द, सरपंच को निलम्बित किया गया । सरपंच द्वारा राशि जमा करा देने से उन्हें विभागीय आदेश क्रमांक 4569-74, दिनांक 11-8-73 द्वारा बहाल किया गया । पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में उन्हें विभागीय आदेश संख्या 4912-15, दिनांक 21-7-75 द्वारा दण्डनीय ब्याज वसूल किये जाने के आदेश दिये गये ।

सरपंच द्वारा दण्डनीय ब्याज जमा न कराये जाने एवं आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में उन्हें विभागीय आदेश संख्या 6411-16, दिनांक 30-9-76 द्वारा निलम्बित किया गया । सरपंच द्वारा दण्डनीय ब्याज जमा करा दिये जाने से उन्हें विभागीय आदेश संख्या 2799-2804, दिनांक 30-3-77 द्वारा बहाल किया गया ।

श्री समरथलाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरपंच द्वारा जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, क्या तफतीश से यह मालूम पड़ा कि वह चोरी नहीं हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : तफतीश से यही सामने आया कि चोरी नहीं हुई थी इसलिए सरपंच से वह दण्डनीय ब्याज वसूली की गयी ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : चोरी के अपराध में क्या हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अदम पता अदम बकुवा ।

श्री माणकलाल (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गबन करने के बाद सरपंच को निलम्बित न कर, क्या सरकार की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की योजना है ? गबन के आरोप पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? और उसके खिलाफ....

श्री उपाध्यक्ष : गबन का प्रश्न नहीं है । चोरी नहीं पाई गई ।

श्री माणकलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी नहीं की, रकम में खयानत की उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ? क्यों दबाया गया ? उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इनका मतलब है कि मिसएप्रोप्रियेशन आफ फण्ड्स का मुकदमा चलाया जाना चाहिये ।

श्री माणकलाल : पंचायत मंत्री का आश्वासन था....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री माणकलाल : गबन की कार्यवाही को किसी तरह से छिपायेंगे नहीं । क्या मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को....

Page No. 20

(20)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दीजिये ।

प्रश्न संख्या 278

नैक्स्ट । श्री शिवचरण ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 279

श्री खेत सिंह राठौड़ ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती मदन कौर : इसका जवाब आप दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष : जब चोरी नहीं हुई तो गबन कैसे हुआ ?

श्री समरथलाल : यह सही है कि रिपोर्ट दर्ज हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री मथुरादास माथुर : इस सदन की यह परम्परा रही है कि क्वेश्चन नम्बर पुकारा जाता है वरना कन्फ्यूजन हो जाता है । इस तरह की इस सदन की परम्परा रही है कि नम्बर पुकारें । क्वेश्चन न० 279 ।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में नाम पुकारे जाने की व्यवस्था है ।

श्री मूलचंद सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में मिनिस्टरों को डिफेन्ड करके जवाब देने से रोकने पर सदस्यगणों को जानकारी कम मिलती है । कम से कम इन्टरफियरेन्स हो, तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें डिफेन्ड करने की कोई बात नहीं है । माननीय सदस्यों को जानकारी दी है, कानून की क्या मन्शा है, क्या इम्प्लीकेशन्स हैं ।

नैक्स्ट । श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

जयपुर नगर की गटर लाइनों में ड्रेनेज की व्यवस्था

280. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्पूर्ण जयपुर नगर में ऐसी कितनी चौकड़ियां हैं जहां गटर लाइन नहीं डाली गई है और पानी के निकास के लिये ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

(2) यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

श्रीमती मदन कौर : प्रश्न संख्या 279 का आप जवाब दिलवा दीजिये । हम सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, उन्होंने कोई आथेरिटी नहीं दी है तो उनका नम्बर खत्म हो जायेगा ।

श्रीमती मदन कौर : यह परम्परा रही है कि सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : यह उस टाइम कह सकती थीं ।

श्रीमती मदन कौर : उस वक्त भी कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको देख लूंगा ।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) सभी चौकड़ियों में पानी के निकास एवं गटर लाइनों की पुरानी व्यवस्था है ।

(2) वर्ष 1975-76 में स्वीकृत उत्तरी क्षेत्र की सीवरेज योजना के तहत चौकड़ी पुरानी बस्ती, सरहद गंगापोल,

(श्री महबूब अली)
रामचन्द्रजा घाट एवं तोपखाना हजूरी में पाइप लाइन डाली जा रही हैं। शेष चौकाड़यों के लिये धनराशि को उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न यह है, जयपुर नगर में ऐसी कितनी चौकड़ियां हैं जहां गटर लाइन नहीं डाली गई हैं। माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, जहां डाली गई हैं। आगे प्रश्न है, गटर लाइन और पीने के पानी की लाइन कब तक डाल दी जायेगी? प्रश्न के बिलकुल विपरीत उत्तर दिये हैं अर्थाभाव की बात कोई नई बात नहीं है। कब तक यह काम पूरा कर देंगे, यह बताइये?

श्री महबूब अली : इसकी निश्चित रूप से तिथि नहीं दे सकता लेकिन शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किन किन चौकड़ियों में गटर लाइन नहीं डाली गई है? इसके बारे में क्या आपने कोई योजना बनाई है या नहीं? कब तक पूरा हो जायेगा? शीघ्र पूरा हो जायेगा इस बात से तसल्ली नहीं होती।

श्री महबूब अली : चौकड़ी पुरानी बस्ती, सरहद गंगापोल, रामचन्द्रजी घाट, तोपखाना हजूरी में पाइप लाइन डाल दी गई है, बाकी में नहीं डाली गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न है अन्य जो चौकड़ियां हैं उनमें गटर लाइन वाटर लाइन डालने की कोई योजना है या नहीं? सर्वे किया गया या नहीं? मेरा सीधा प्रश्न है।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : चौकड़ी चौकड़ी अधिक नहीं करें। मंत्री महोदय कहीं चौकड़ी न भूल जायें।

विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : मैं मानता हूं वाटर लाइन की कमी है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती है। अभी बजट छः महीने का पेश हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने भी एक नीति संबंधी स्टेटमेन्ट दिया है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को लेकर विचार करना चाहिये। कुछ न कुछ इस दिशा में काम करेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय, इस तरह से 10 वर्षों में पानी की व्यवस्था हो पायेगी।

श्री सुरेशकुमार : मैंने एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा के लिये प्रश्न उठाया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन जिन चौकड़ियों के नाम लिये हैं वहां कार्य पूरा होगा या नहीं, उनके संबंध में मेरा प्रश्न नहीं है। मैंने पूरे जयपुर के लिये पूछा है। विधि मंत्री महोदय पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। जहां डाली गई वहां काम पूरा हुआ कि नहीं? मेरी बात का स्पष्ट उत्तर दीजिये, माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न साफ है इसका उत्तर तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(व्यवधान)

One at a time.

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूरे नहीं होते हैं। कल भी 35-36 प्रश्न थे और आज 44। कई लोगों के प्रश्न रह जाते हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता नहीं है। कृपया इसकी कोई व्यवस्था करें। प्रश्न हिसाब से रखे जायं जिससे सभी सदस्यों के प्रश्नों का जवाब मिल जाय। एक प्रश्न

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

के लिये दो मिनट का समय रखा जाना चाहिये, इससे अधिक नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में मैं ध्यान रखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मैं निवेदन करूंगा 30 प्रश्न रखे जायं ।

(व्यवधान)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना

264. **श्री गंगाराम चौधरी** (गूढ़ा-मालानी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर में कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी में फ्लोराइड है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन गांवों के निवासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ? और उसकी स्वीकृति कब तक कर दी जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की राज्य सरकार की नीति है ?

(4) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के निकटतम जालौर जिला के 'मोरसीम के गोलियां ग्राम के राजकीय नलकूप में स्वच्छ जल उपलब्ध है ?

(5) क्या उपरोक्त क्षेत्र के ग्राम लूणवा एवं भिड़ावा को मोरसीम के गोलिया के नलकूप से जोड़ा जा सकता है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब कार्य आरम्भ होगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ये ग्राम जिला बाड़मेर के लिये बताये गये मास्टर प्लान में सम्मिलित हैं एवं इनकी जलप्रदाय योजनायें धनराशि की उपलब्धि के अनुसार एवं पर्याप्त जल स्रोत मिलने के उपरान्त स्वीकृत की जा सकेगी ।

(3) बगैर जल स्रोत वाले एवं अत्यधिक खारे जल वाले ग्रामों के साथ अधिक फ्लोराइड ग्रस्त ग्रामों को भी प्राथमिकता देने की राज्य सरकार की नीति है ।

(4) जी हां ।

(5) इसके विषय में विस्तार से जांच की जानी होगी । नई योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार एवं धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

अलवर में परियोजना निदेशक का पद

269. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर में परियोजना निदेशक के पद पर किसको किस योग्यता के आधार पर लगाया गया है ?

(नगर आयोजना मन्त्री)

उत्तर

श्री आर० के० शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक को अस्थाई रूप से परियोजना निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें नगर नियोजन कार्य में भिज्ञ होने के कारण उक्त पद पर लगाया गया है।

271. **श्री श्योपत सिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्रों में पटवारी लोग किसानों को फसलों की पर्चियां नहीं देते जिससे किसानों में भयंकर असन्तोष है।

(2) यदि हां, तो कोई पटवारी किसान फसल की पर्ची नहीं देता तो उसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कभी कार्यवाही की जाती है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

273. **श्री गोपाल सिंह** (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई नहर तख्तगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली नवाखेड़ा माइनर नहर के नीचे आहोर पंचायत समिति के कितने गांवों में सिंचाई होनी चाहिये? आज दिन तक उन गांवों का कितना कितना रकबा आबपाश हुआ है? अगर बिलकुल ही सिंचाई नहीं हो पायी है तो उसका क्या कारण है?

(2) आज तक टेल पर इस नहर से सुचारू रूप से सिंचाई नहीं हो पायी है इसके लिये अब सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार इन टेल्स को सीमेन्ट से पक्का करवायेगी।

(3) क्या माही परियोजना के चालू हो जाने से जवाई बांध के नीचे आहोर क्षेत्र जालौर) व पाली क्षेत्र का सिंचित एरिया बढ़ाया जायेगा?

उत्तर

(1) जवाई नहर की तख्तगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से नवाखेड़ा माइनर नाम की कोई नहर नहीं निकलती है प्रश्न में अंकित आहोर पंचायत समिति क्षेत्र हेतु तखतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से तखतगढ़ माइनर नाम की नहर निकलती है। इस नहर पर आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के पांच ग्रामों की भूमि स्थित हैं। इन ग्रामों का सिंचाई योग्य क्षेत्र एवं वर्षवार निर्धारित सिंचित क्षेत्र एवं वास्तविक सिंचाई का विवरण संलग्न है।

जवाई बांध में पानी की उपलब्धि अस्थिर होने के कारण समस्त कमाण्ड क्षेत्र विशेष कर टेलों के क्षेत्रों को सिंचाई का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता है।

(2) कमाण्ड क्षेत्र से संबंधित जल वितरण समिति द्वारा सिंचाई का कार्यक्रम व पानी का उपलब्धि के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है समस्त निर्धारित क्षेत्रफल को पानी उपलब्ध कराने हेतु मोगों की बाराबंदी तय की जाती है। बारावंदी के उल्लंघन पर राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 के नियम 10 (एफ) के अंतर्गत कार्यवाही कर टेल के क्षेत्रों में समुचित जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। सिंचाई विभाग में नहरों को पक्का कराने हेतु क्रमबद्ध योजना

(सिंचाई मन्त्री)

बनाकर आवश्यक धनराशि उपलब्धि के अनुसार नहरें पक्की करवाई जाती हैं ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें) ।

राज्य डेयरी विकास निगम के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य-क्षेत्र

276. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुन्झुनू) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य डेयरी विकास निगम का कृत्रिम गर्भाधान का कार्य क्षेत्र देहात एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के पशुओं तक सीमित है ? यदि हां, तो फिर शहरी क्षेत्रों के पशु प्रजनन केन्द्र बन्द किये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में अजमेर शहर एवं जयपुर शहर के उन्नत पशुपालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? न तो उन्हें सामयिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है और न ही कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

बयाना से ताल छिड़ी तक सड़क

278. **श्री शिवचरण** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बयाना (जिला भरतपुर) से ताल छिड़ी तक की सड़क कौन सी योजना में स्वीकृत हुई है और उस पर अब तक, कब कब कितना कितना रुपया व्यय हुआ है?

(2) आदमी व वाहनों के चलने लायक यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष की अतिवृष्टि से यह सड़क व इस पर बनी कुछ पुलिया पूर्ण नष्ट हो गई है ? इस खराब काम की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी । इस पर व्यय की गई धनराशि का (वर्षवार) व्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) कुल 29 किलोमीटर सड़क में से 25.5 किलोमीटर उपयोग काबिल है बाकी सड़क धनाभाव के कारण अभी सम्पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) जी नहीं । अतिवृष्टि के कारण एक पुलिया का फर्श एवं 6 मीटर लम्बाई की विंगवाल क्षतिग्रस्त हुई है । जांच करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

राज्य के दो हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में आयुर्वेद दवाखाना की स्थापना

279. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के जिस गांव में आयुर्वेद दवाखाना और एलोपैथी सफाखाना दोनों ही हैं, वहां से आयुर्वेद दवाखाना हटाकर किसी दूसरे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

गांव में यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार कोई निर्णय ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस प्रकार के कितने गांव राज्य में हैं जहां दोनों चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि राज्य से दो हजार से अधिक आबादी वाले कई गांव ऐसे हैं जहां इन सुविधाओं में से एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो कुल कितने ऐसे गांव हैं ?

(4) राज्य के जिस गांव की जनता भवन व वैद्य के रहने का मकान देने को तैयार हो, तो ऐसे स्थानों में आयुर्वेद दवाखाना स्थापित करने के आदेश देने को क्या राज्य सरकार तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देशी चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) एवं एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के औषधालय जहां पर संचालित हैं उनमें से एक सुविधा को हटाकर दूसरे ग्राम में सुविधा देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(2) दोनों चिकित्सा सुविधायें 742 ग्रामों में उपलब्ध हैं । जिलेवार सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । गंगानगर जिले को छोड़कर 399 ग्राम हैं ।

(4) बजट प्रावधान, जनसंख्या, समीपवर्ती क्षेत्र में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति एवं निःशुल्क भवन की व्यवस्था ग्रामवासियों द्वारा करने पर औषधालय खोला जा सकता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 131 रूल के तहत मैंने एक काल अटेन्शन मोशन चित्तौड़ के बारे में दिया था. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पहले उन्हें बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार : . . .उसकी जांच के लिये मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्री महोदय ने फाइल दे दी है और वह फाइल वापस पहुंचा दी है । युनानिमसली आपको लिखा था । वहां इस तरह का वातावरण हो रहा है कि मार दिया जाय या छोड़ दिया जाय । माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उस फाइल की जांच हुई कि नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, आप विराजिये. . . .

श्री हरीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है ।

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; शिकायत की पूरी की पूरी फाइल जब अधिकारियों के पास चली जाती है तो उस कर्मचारी का क्या होगा जिसने शिकायत की है । यह तो बिलकुल गलत बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये ।

श्री हरीश कुमार : कृपया इसके बारे में आप व्यवस्था दें ।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जानकारी चाहूंगा । कल भी आपसे निवेदन किया था । वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को उठाने के लिये मैंने निवेदन किया था । उस पर आपकी क्या व्यवस्था है, मैं यह जानना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उस पर जानकारी चाही गई है । पहले भी नियमानुसार मैंने आपको निवेदन कर दिया था कि जानकारी चाही गई है । अभी सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे नियमों की पालना की गई है । दो अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं । नियम 127 के अन्तर्गत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है । मैं यह चाहूंगा कि जानकारी आ जाय तब . . . .

श्री सुरेश कुमार : तब तक तो भरतपुर का जिला डूब जायगा । तीन हजार क्युसेक पानी छोड़ा जा रहा है । बरनाला साहब की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी । मैं भी उसमें उपस्थित था । 400 क्युसेक का तय हुआ था लेकिन तीन हजार क्युसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिससे गांव डूब रहे हैं और सारे जानवर बह गये हैं । वहां के रहने वालों की स्थिति बहुत खराब है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा तभी होगी जब राज्य सरकार के पास से जानकारी आ जायगी ।

श्री सुरेश कुमार : तब तक तो जिला डूब जायगा ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ : 10-5 दिन बाद कार्यवाही करेंगे तो क्या फायदा होगा । जो आज पानी बह रहा है, उससे तो सारा जिला डूब जायगा तब कार्यवाही करने से फायदा भी क्या होने वाला है । इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : क्या राज्य सरकार भरतपुर की रक्षा नहीं कर सकती हैं ?

(व्यवधान)

हमारी रक्षा नहीं हो रही है । . . .

श्री ताराचंद : उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के पूर्वी भाग में पानी भर जाता है । बाणगंगा और रूपारेल नदियों से सारा पानी उस क्षेत्र में भर जाता है । बाढ़ के कारण भरतपुर नष्ट होता जा रहा है । सड़कें टूट चुकी हैं । आज जो पानी आ रहा है वह यू० पी० से आ रहा है । भरतपुर जिले की दशा दयनीय है, वहां गांव इस तरह घिरे हुये हैं कि गांव वालों को खाने के लिये सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है । न टट्टी फिरने की कोई जगह है । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर अविलंब कार्यवाही होनी चाहिये । जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे भरतपुर की स्थिति खराब होती जा रही है । यू० पी० से भी इसका प्रबंध कराना है । जो गोरधन केनाल है जिससे पानी छोड़ा जा रहा है . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, जानकारी की जा रही है ।

श्री मदन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर मामला है तो भरतपुर के वयोवृद्ध मंत्री जी यहां विराजमान हैं, वे भरतपुर की स्थिति के बारे में ज्यादा जानते हैं । मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि कृपया मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें ।

श्री काशीनाथ गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आज लाखों लोग भरतपुर में पानी से घिरे हुये हैं फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । ऐसी स्थिति में कोई सहायता नहीं पहुचाई जा रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसके ऊपर अविलंब चर्चा होनी चाहिये । वहां इतनी बड़ी हानि हो रही है, लाखों पशु मर रहे है, लोगों के खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है । गांवों में पानी भर गया है । भरतपुर जिले की आवादी दूर दूर तक चली गई । लोगों के जीवन की रक्षा का सवाल है, इस ओर अविलंब ध्यान दीजिये । कोई वहां पहुंच नहीं पा रहा है, गांवों का पता नहीं है कि वे बचे भी या नहीं बचे । करुआ एक गांव है, उसका अभी तक पता नहीं लग रहा है, वहां के लोगों को कोई ठिकाना भी नहीं मिल रहा है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें । इससे कोई समाधान नहीं होगा। अखबारों में इस तरह के सामाचार आ चुके हैं और सबको पता है ।

श्री राम किशन दास : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ आ गई और हजारों लोग वह गये, इसका कोई प्रबंध राज्य सरकार नहीं कर सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है । माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इसके बारे में मैं बता दूंगा । थोड़ा धीरज रखें ।

श्री रतन लाल वर्मा : वह जिला पूरा का पूरा डूब चुका है . . .

श्री उपाध्यक्ष : सुन चुका हूं, माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री रतन लाल वर्मा : हम तो यह निवेदन करेंगे, स्थिति से वाकिफ हैं तो सदन को अवगत करा दिया जाय कि क्या स्थिति है ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ गुप्ता : तीन महीने होने को आ गए लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तो बिना पानी के ही पानी लग रहा है ।

श्री काशीनाथ गुप्ता : सीपेज की वजह से सारी फसलें बरबाद हो रही हैं। कोई भी देख नहीं रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये । आप काफी बुजुर्ग हैं और मैंने आपको बहुत शांति से सुना है। आपने काफी कह दिया है, अब आप विराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को आदेश दीजिए कि वे उत्तर दें ।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य को चिंता है कि भरतपुर जिला डूब जाएगा

(श्री शंकरलाल)
और मंत्रियों को चिंता है कि सरकार ही नहीं डूब जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर जिले में सीमेन्ट की कमी है जिसके संबंध में . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिएगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मुझे मालूम नहीं कि क्या उत्तर दे रहे हैं। कोई जानकारी होगी वह बताना चाहते होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार : मेरे प्रस्ताव पर वे जानकारी करके जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपकी सेवा में करीब दस दिन पूर्व काल अटेन्शन मोशन दिया था। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने फर्माया था कि सरकार से जानकारी की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : किस तारीख को ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन शुरू हुआ उसके दूसरे रोज शायद दिया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जानकारी सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी। सीमेन्ट की कमी के संबंध में मेरे पास टेलीग्राम आए हैं . .

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में मेरे पास जानकारी है। आप चेम्बर में मिल लें आपको बता दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण काश्तकार बरबाद हो रहे हैं। रबी की फसल के उत्पादन पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। यही महीना है जब कि काश्तकारों को सीमेन्ट चाहिए। इसका प्रबंध तुरन्त करना चाहिए। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। राज्य सरकार को इसके बारे में तुरन्त जवाब देना चाहिए कि क्या व्यवस्था कर रही है . . .

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है और जो मैंने व्यवस्था दी है मेरे चेम्बर में आकर आप पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय ने सूचना भेज दी है तो वह सदन की जानकारी में आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला रखना चाहता हूं . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेन्ट की कमी का मामला सदन के सामने आना चाहिए। जानबूझ कर इस मामले को टाला जा रहा है। पन्द्रह दिन पूर्व मैंने आपको सूचना दी थी। आपके मार्फत मैं जिले की स्थिति सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। यह लोकमहत्व का सवाल है, पूरा जिला इससे इफैक्टेड है इस बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जब तक आसन से व्यवस्था नहीं हो जाय आप चर्चा सदन में नहीं कर सकते हैं। जो जानकारी आप चाहते हैं, मेरे पास राज्य सरकार से जानकारी आ चुकी है। उसके बारे में जो निर्णय किया गया है जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में चेम्बर में आकर चर्चा कर लें। अगर आप इस तरह से यहां पर चर्चा करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अनुमति इम्पलाइड है, डिस्कशन करने की इजाजत दे दी गई है। मैं माननीय सदस्य को सदन में वक्तव्य देने की अभी इजाजत नहीं दे सकता। मैंने माननीय सदस्य के प्रस्ताव को जानकारी के लिए भेज दिया था, जानकारी आ चुकी है। उसके आधार पर निर्णय लिया है। आप मिल लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके जरिये यह सूचना सदन के सामने आनी चाहिए कि राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है। जब मोशन एडमिट कर लिया, जानकारी के लिए भेज दिया और अध्यक्ष महोदय ने भी यह व्यवस्था दी थी कि सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो सूचना क्या आई यह सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना अलग से दी जा सकती है, सदन में आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय इसके बारे में बतायें कि क्या कर रहे हैं। सदन में चर्चा करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से कह दिया है कि जानकारी आपको भेजनी हो वह भेज दें सचिव आपके पास सूचना भेज देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन तो तीस तारीख को स्थगित हो जाएगा। यह काफी लोकमहत्व का सवाल है। अगर इस पर चर्चा नहीं होती है तो यह प्रस्ताव देना ही फिजूल हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट एक आवश्यक वस्तु है। आने वाली रबी की फसल के लिए नालियां बनाने के लिए, कुए ठीक करने के लिए किसानों को पर्याप्त सीमेन्ट उपलब्ध नहीं कराने से कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है। जैसी की कल आपसे बात हुई थी चेम्बर में, राज्य सरकार बढ़ती हुई मंहगाई और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि पर कल वक्तव्य देने का विचार रख रही है। इसलिए आप राज्य सरकार को यह निर्देश दें कि जब वह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के संबंध में वक्तव्य दें तो जालौर जिले में और राजस्थान के जिन क्षेत्रों में सीमेन्ट की कमी है उस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उस कमी की किस प्रकार से पूर्ति की जायेगी, यह भी बतायें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, तारीख 16 सितम्बर के रोज चित्तौड़गढ़ के अन्दर . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं । आपने जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में क्या व्यवस्था की है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं ।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्री मूलचन्द डागा, रामलाल, रतनाराम चौधरी व माधव सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 16 सितम्बर को चित्तौड़गढ़ में हुए दंगों व तोड़-फोड़ की घटना के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, 16 तारीख की घटना के अन्दर कई मुसलमानों के चोटें आई हैं । अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने मुसलमानों के सिर इस तरह से तोड़े हैं कि मानो अपना रोष निकाला हो . . . .

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : इस तरह की बात कहना कि मुसलमानों के चोटें आई हैं . . .

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल, वहां पर मुसलमानों पर हमला हुआ है, उनकी ईदगाह और मजारों को तोड़ा गया है . .

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : इसमें संघ का सवाल नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : उस समय वहां के कलेक्टर हवन पर बैठे थे । बाहर नहीं आए । कलेक्टर ने जान बूझ कर . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है . . .

श्री मूलचन्द सामरिया : डागाजी ने जिस तरह की कटुता फैलाने वाली बात कही है उसके द्वारा अल्पसंख्यकों को भड़काना चाहते हैं । ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मुसलमानों पर अत्याचार हुए, हरिजनों पर अत्याचार हुए . . . .

श्री उपाध्यक्ष : सामरियाजी, आप विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सामरियाजी, आप विराजिये । बैठ जाइये । माननीय सदस्य उत्तर देना चाहते हैं सामरियाजी, आप विराजिये । मैं खुद कह दूंगा जो कुछ कहना होगा ।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह तो एक तरह से साम्प्रदायिकता फैलाने वाली बात है । इनके शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : उस दिन जुम्मे का रोज था । मुसलमान ईदगाह के अन्दर थे . . . .

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कम से कम बोलने दीजिए, आपकी बहुत सी समस्यायें हल कर दूंगा । एक आदमी बोलना चाहे, जो रेलेवेन्ट है उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले उनको बोलने दें ।

श्री नवनीत पालीवाल : एक सवाल है, साहब ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरी आपत्ति यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी आपत्ति सुन ली है, आप बिराजिये ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कोई तरीका है कि किसी को बोलने ही नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने तो दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं एक मिनट में निवेदन कर देता हूं...

श्री मूलचन्द डागा : मैं बोल रहा हूं । आप बीच में बोलने लग गए ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत मैंने जो मोशन दिया है, उस पर व्यवस्था आपने नहीं दी है । यह बहुत ही अहमियत का प्रश्न है । इसको इस तरह से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : I am in possession of the House.

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री रतनलाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मुझे कह लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सदस्य आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं । और आप हम से यह चाहते हैं कि हम सहयोग करें । यह शिक्षा देने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । मेरी बात सुन लीजिए । मैं यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कोई बात सदन के अन्दर माननीय सदस्य द्वारा कही जा रही हो उस के बीच में ही माननीय सदस्य बोलने लग जाएं तो यह आप अच्छी परम्परा नहीं बना रहे हैं । इसको मैं खेदजनक ही कहूंगा । जो उत्तर मुझे देना है, उसके लिए कृपया आप कोई सुझाव न दें । जो उत्तर मुझे देना है, वह मैं दूंगा । कोई भी माननीय सदस्य इधर

(श्री उपाध्यक्ष)

से या उधर से सुझाव देने की कोशिश न करें । जो समस्या है, उसका मैं ही निराकरण करूंगा । कोई भी माननीय सदस्य इस बीच में कृपा कर के सुझाव न दें ।

माननीय सदस्य श्री डागा ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह अहमियत का प्रश्न है । यहां उन्होंने एक आवश्यक प्रश्न उठाया है । किन्तु जो मोशन उन्होंने रखा है, वह कल शाम को साढ़े पांच या छ: बजे दिया गया है । यह 16 तारीख की घटना के बारे में है । 19 तारीख को इसकी जानकारी चाही गयी है । मैंने तत्काल, उसी समय, जैसे ही आज चेम्बर में आया, जैसा मैंने बताया; मैंने सूचना की जानकारी चाहने के लिए गृह मंत्री से सम्पर्क करना चाहा परन्तु पता लगा, वे नहीं है और आज सदन में भी नहीं हैं । अत: जो अपेक्षा मुझ से हो सकती थी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने की, वह मैंने पूरी की है । आप यह चाहते हैं कि गृह मंत्री की ओर से फौरन इसका उत्तर आ जाए, तो उतना समय मुझे नहीं मिला है । मोशन पहले दे दिया होता तो इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मैं एक बात चाहता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले कृपा करके यह भी देख लें कि वहां के कलेक्टर महोदय को जब यह मालूम हुआ कि रास्ता नहीं है तो उनको मौके पर जाना चाहिए था । उन्होंने धारा 145, 146 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की । वे स्थान पर बैठे रहे । बाहर नहीं निकले । लोगों पर लाठियों का प्रहार किया गया । संगमरमर की जो मजार थी, उसको तोड़ दिया गया । यह सारा कांड वहां पर हुआ . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं कि जो मोशन आपने दिया है, उसकी प्रतिलिपि सरकार को दे रहा हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा की है आपने ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 131 के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव दिया है । वहां पर क्या गुजर रही है, उसकी जानकारी सदन को दी जावे । परन्तु उसका कोई जिक्र आपने नहीं किया है । पहले भी एक तकरीर मैंने यहां पर की थी कि ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो जनता पार्टी बदनाम हो जाएगी । किसी किस्म की गलती कहीं भी हुई हो, उसकी सारी जानकारी सदन को आनी चाहिए . . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह सब जानकारी आ जाएगी ।

श्री अब्दुल अजीज : इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । यह एक अहम मसला है । लोगों को लाठी से पीटा गया, इसकी जांच की जानी चाहिए । यह महत्वपूर्ण मसला है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत कह चुके हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सेन्सटिव प्रश्न है । माननीय सदस्य जो विचार यहां पर प्रकट करें वे उत्तेजक न हों ताकि समस्या उलझे नहीं बल्कि सुलझे । यह चिन्ता-जनक विषय है हमारे लिए भी और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ के बन्धे की चादर चलने के उपरांत भी जयपुर की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

13. (अधीनस्थ अभियंताओं द्वारा नीची रेट के पम्पिंग सैट्स क्रय किये जाने की सिफारिश करने के बावजूद मुख्य अभियंता द्वारा ग्रीव्ज काटन फर्म के ही ऊंची रेट के टेन्डर पास किये जाने से हुई हानि पर चर्चा के लिये) ।

14. (पेयजल हेतु क्रय किये गये पम्पिंग सैट्स में तीस लाख रुपये के घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

15. (पम्पिंग सैट की अधिकतर खरीददारी केवल एक ही फर्म ग्रीव्ज काटन लिमिटेड से ही किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

16. (साहवा योजना से केवल तारा नगर व सरदार शहर को ही पेयजल उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

17. (साहवा योजना में बिना आवश्यकता 20 पम्पिंग स्टेशन महज पम्पिंग सैट खरीद कर किसी खास फर्म को लाभ पहुंचाने हेतु स्थापित करने से हुई राज कोष की हानि पर चर्चा के लिये) ।

18. (100 किलो मीटर लम्बी साहवा योजना के बीच में पड़ने वाले गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से एवं लोहे के प्रेशर पाइप के स्थान पर सीमेन्ट के पाइप खरीदने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये) ।

19. (बीकानेर डिवीजन के लिये बनी 22 करोड़ की पेयजल योजना में से केवल 2.13 करोड़ की साहवा योजना भारत सरकार द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

20. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रावासों की हालत सुधारने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

श्री औंकारलाल चौहान (अटरू) :

21. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय संबंधी विषमताओं को दूर करने हेतु चर्चा के लिये) ।

22. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा संचालित एवं अनुदानित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति छात्रावासों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की तीन वर्षों से पहिले स्वीकृत ग्रामीण जल प्रदाय योजना नीबला से जाटूड के लिये इस वर्ष पर्याप्त प्रावधान न होने और क्रियान्वन में भी ढिलाई बरतने पर ग्रामीण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 34

ऊप

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की संशोधित पेय-जल योजना के क्रियांवन करने में ढिलाई बरतने के कारण नगर की जनता में तीव्र असंतोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की भीमड़ा, बायतू ग्रामीण जल प्रदाय योजना के द्वारा गांवों में सप्ताह में एक बार पानी पहुंचाया जा रहा है और कुछ गांवों में एक माह में एक बार ही पानी पहुंचाया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण जनता में भयंकर असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले की निम्नलिखित ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वन करने में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ढिलाई बरतने के कारण ग्रामीण जनता में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये—(1) ऊंडू-पनाउड़ा-आकदड़ा और खींवसर, (2) भाड-खाम्देरासर योजना में ग्राम गडीसर, वोला एवं देरासर, (3) तडवी-खडीन योजना में ग्राम माचवार एवं खडीन, (4) नींबला-मंगा योजना में ग्राम मंगा, (5) नींबला-जायड़, (6) भाडखा-रोडली]।

27. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित चौहटन से पड़ारीया ग्रामीण जल प्रदाय योजना की इसी वर्ष स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिला आयोजना समिति की बैठक में भीमड़ा-सिणधरी ग्रामीण जल प्रदाय योजना प्रस्तावित है जो बहुत ही बड़ी योजना है जिसे भीमड़ा-नौसर ग्रामीण जल प्रदाय योजना का रूप देकर नरसाली नाडी (कोलू) बायतू चिमनजी का हैमजी का तला, बायतू भोपजी के भादासरतली एवं जोगासरतली, ग्राम सोमेसरा, भोजासर, रोवनिपाली, बोड़वा, खरटीया एवं नौसर ग्रामों एवं बस्तियों को सम्मिलित करते हुये योजना का सर्वे कर स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

29. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के राजकीय अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास, बाड़मेर नगर में छात्रों के प्रवेश की संख्या 25 से बढ़ा कर 50 करने में विभाग द्वारा उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन करने में ढिलाई बरतने पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये)।

(श्री उपाध्यक्ष)

उन्हें कार्यवाही से विलोपित किया जाय । इस प्रश्न पर सभापति महोदय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और संबंधित प्रोसीडिंग देखने के बाद ही इस पर अपना निर्णय देने के लिए कहा था ।

मैंने दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को प्रोसीडिंग का अवलोकन किया । स्टेट गैराज राज्य मंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे निम्न प्रकार हैं :—

"पिछली सरकार की गाड़ियों में कुत्ते भी बैठते थे ।"

इन शब्दों को एक्सपंज करने के लिए श्री प्रद्युम्न सिंह ने उसी समय आग्रह किया था । उनकी आपत्ति पर मैंने दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को अपना आब्जर्वेशन दिया जो निम्न प्रकार था :—

"सप्लीमेन्ट्रीज पूछने में और उनके रिप्लाई देने में संयम रखना चाहिए वह नहीं बरता जा रहा है । वे मंत्री महोदय हों चाहे कोई भी, प्रश्न के उत्तर देने में शिष्टाचार बरतना चाहिए ।"

मैं समझता हूं कि मेरा यह आवजर्वेशन पर्याप्त है और जिन शब्दों के बारे में आपत्ति की गई है उनको एक्सपंज करने की आवश्यकता नजर नहीं आती ।

श्री मदन सिंह दांता : माथुर साहब ने फर्माया था विद्या शिक्षा के नाम पर व्यभिचार हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब जो चीज हो चुकी है, जाने दीजिए ।

मांग संख्या 32 (समाज कल्याण) व 27 (लोक स्वास्थ्य) की प्रस्तुती

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32-समाज कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,08,91,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-लोक स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,26,71,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 32 व 27 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक – लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के मुख्य बाजारों में तो बड़ी लाइन डाल दी गई है किन्तु रास्तों में पेयजल हेतु पुरानी छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक– लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100

Page No. 36

36

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में सहकारी समितियों को भूमि में पानी के कनेक्शन देने में विभाग द्वारा लगाई गई रोक पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में बढ़ रहे जल एवं वायु प्रदूषण का सर्वेक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की पेयजल समस्या को स्थायी तौर पर हल करने के लिये बनास योजना की शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा उचित ऋण उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देने के उपरांत भी वांछित परिणाम प्राप्त न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समितियों द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जातियों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में विफलता के कारण इन समितियों को विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में विभाग द्वारा संचालित पोषाहार केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

9. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों के कड़वे एवं कसैले पानी को स्वच्छ कर पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास योजना को लागू कर जयपुर की आबादी की पेयजल समस्या का समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में चौकड़ी रामचन्द्रजी में पेयजल के प्रेशर कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100

श्री माणकलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि माननीय सदस्य जो भी स्थगन प्रस्ताव देते हैं उसके बारे में आसन के द्वारा बताया जाता है कि प्रस्ताव सरकार के पास जानकारी के लिए भेज दिया गया है अथवा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा करेंगे तो मजबूर करेंगे कि रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए कहा जाय...

(व्यवधान)

कुछ भी नहीं लिखा जाय ।

श्री माणकलाल : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आपसे निवेदन है कि सदन में व्यवस्था रखी जानी चाहिए। आप कोई जानकारी चाहते हैं तो चेम्बर में मिल लीजिये, मैं आपका स्वागत करूंगा ।

श्री माणकलाल : मैं इस मामले में जानकारी करने चेम्बर में आऊंगा । मैं आसन का सम्मान करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा ।

माननीय मंत्रीजी निम्न मांगों के लिए प्रस्ताव रखेंगे—

मांग संख्या 27 लोक स्वास्थ्य

मांग संख्या 32 समाज कल्याण

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे वाद-विवाद में भाग लेंगे ।

XXX उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर । मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रिविलेज मोशन के संबंध में 14 दिन से मैं निवेदन कर रहा हूं । बार बार कहा जा रहा...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उसके लिए विशेष प्रयास हो रहा है । कल 11 बजे तक मैं सदन में रहा, समय नहीं मिला । सेक्रेटरी से मैंने कहा था कि डागाजी से कह देना कि चेम्बर में आ जायं ।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में लकड़ी लाना

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर रूल 269 के सब-रूल (13) में यह है कि "Rules to be observed by members while present in House—Whilst the House is sitting, a member shall not bring arms, stick or umbrella inside the House;"

मैं कह रहा हूं, श्रीमन्...

श्री उपाध्यक्ष : आपने कौनसा रूल कोट किया ?

श्री मूलचन्द डागा : रूल 269 का सब-रूल (13) ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह, श्रीमन् रतनलालजी का डन्डा कोट कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने आज देखा कि भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य काफी स्वस्थ हैं, शरीर से भी मजबूत हैं और पैरों से भी तंदरुस्त हैं । वे डन्डा

(श्री मूलचन्द डागा)
लेकर सदन में आते हैं उनको वाच एन्ड वार्ड वालों ने रोका नहीं वे डन्डे को बाहर रखें । मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसको बाहर निकलवाया जाय । कल कोई और चीज लेकर आयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह देख लूंगा कि डन्डा है या क्या है ?

श्री मदनसिंह दांता : डन्डा मौजूद है ।

श्री मूलचन्द डागा : मौजूद है यहां पर . . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज डन्डा लेकर आये हैं, कल तलवार लायेंगे और कोई शस्त्र लायेंगे । यह हाउस की परम्परा के विरुद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे भी तो बोलने दीजिये । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी संबंधित नियम हैं, शायद उनके पास भी होंगे, हिन्दी में भी होंगे । उन्होंने भी इनको पढ़ा होगा । मैं समझता हूं उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री रतनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे घुटने में दर्द है मेरी बात भी सुन लीजिये । यह जो लकड़ी है वही अन्त तक साथ जायेगी । और कोई साथ जाने वाला नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको जनता ने चुनकर भेजा है . . .

श्री मूलचन्द डागा : लकड़ी तो जल जायगी, यह साथ नहीं जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष . यह स्पष्ट है, इसमें कोई वाद-विवाद का सवाल नहीं है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 269 के सब-रूल (13) में यह लिखा हुआ है कि जब सदन की बैठक हो रही हो तो कोई भी सदस्य सदन में हथियार, लकड़ी अथवा छाता नहीं लायेंगे । आप कहते हैं कि नियमों की परिपालना करते हैं तो मैं समझता हूं आपको दुबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आप स्वयं लेकर जा सकते हैं बाहर ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : डागाजी को अब डन्डे का भय चला गया, ये और जोर से बोलेंगे . . .

(व्यवधान)

व्यवस्था

14 सितम्बर, 1977 को राज्य मंत्री, मोटर गैराज द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अपलोपन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को जब शिक्षा विभाग की मांग पर सदन में विचार हो रहा था तब सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई एवं प्रद्युम्न सिंह ने इस आशय का एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य मंत्री स्टेट गैराज, श्री विज्ञान मोदी ने दिनांक 14 सितम्बर, 1977, को अपने विभाग से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते समय जिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया था

[redacted]

39

(श्री नवनीत पालीवाल)
आपके लिए भी, किसी भी दल के लिए मुसलमानों को आर० एस० एस० के लोगों ने पीटा, यह गलत है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इसकी पूरी जानकारी न आवे, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है. . . .

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप वहां जाकर के देख आइये . . .

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा : यहां पर इस तरह टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री अब्दुल अजीज : आपके गृह मंत्री, मुख्य मंत्री को वहां पर जाना चाहिए था । सारी स्थिति को देखना चाहिए था . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से हमारे ये विधायक 8 रोज से आर० एस० एस० को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने में लगे हुए हैं । ये योजनाबद्ध तरीके से आरोप लगा रहे हैं और सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं . . .

(व्यवधान)

ये आर० एस० एस० पर आरोप लगाते हैं । जहां कहीं पर दंगा होता है, आर० एस० एस० का नाम लेते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : इस प्रकार यहां पर उत्तेजना फैला रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कोई तरीका नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक पार्टी यह कहती है कि आर० एस० एस० ने मुसलमानों को पीटा तो क्यों नहीं इसकी जांच करवाते हैं ताकि सही तथ्य सामने आ सके कि यह आर० एस० एस० ने किया है या दूसरे ने किया है। जिसने किया है, वह सामने आएगा । जांच करने के बाद ही मालूम होगा । इस मसले को टाल कर हिन्दू मुसलमानों को नहीं दबा सकते । यह जो घटना हुई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को भड़का रही है पिछले 30 वर्षों में इसने ऐसा ही किया है—फूट डालो और राज्य करो । अब यह दूसरा तरीका अपना रही है । यह गलत तरीका है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मेरी प्रोसिडिंग निकालिए, मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये . . .

(व्यवधान)

मैं देख रहा हूं, इस तरह से सदन की कार्यवाही का संचालन ठीक तरह से नहीं हो सकता । एक व्यवस्था होनी चाहिए । 5-6 सदस्य एक साथ खड़े

(श्री उपाध्यक्ष)
होकर बोलने लग जाते हैं इससे न तो वे अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं और न अपनी भावनाएं सही तौर से सदन के समक्ष रख सकते हैं । इससे सदन का समय भी व्यर्थ होता है । जो भावनाएं सदस्य व्यक्त करना चाहते हैं वे सही तौर पर व्यक्त नहीं हो पाती हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इतनी चिंता है तो वे स्वयं ही वहां पर पहुंच जाते, क्यों मुख्य मंत्री या गृह मंत्री का इन्तजार करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपनी बात खुद ही कह दूंगा । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साबित करूंगा कि किस किस की गलती है . . .

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आर० एस० एस० को दबाने के लिये आपने क्या नहीं किया ? आपने तो उसे दबाने की बहुत कोशिश की है ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अंकित नहीं की जाए . . .

X X X

XXX उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

आप कृपया बिराजिये, लड्ढा जी। ऐसा है कि जब मूलचन्दजी ने यह प्रस्ताव रखा है और इस पर मैंने जानकारी चाही है तो और सदस्यों को उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत आरोप लगाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब और चर्चा बढ़ाना ठीक नहीं है । इस प्रकार से जो भी माननीय सदस्य व्यवहार कर रहे हैं, मैं उचित नहीं समझता हूं ।

अब जो एजेन्डा का नेक्स्ट कार्यक्रम है ।

श्री माणकलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 15-9-77 को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि एक 19 वर्षीय महिला के साथ अत्याचार हुआ है और वह आत्महत्या करने को बाध्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में आप चेम्बर में मिल लीजिये । आप विराजिये ।

श्री माणकलाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह आपके पास पहुंचा है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं दूंगा । आप चेम्बर में मिल लीजिये ।

श्री माणकलाल : मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि वह आपके पास पहुंचा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा । आप कृपया चेम्बर में मिल सकते हैं । इस तरह से हरएक माननीय सदस्य पूछने लगेंगे कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रवृत्तियों के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर के मजदूर व गरीब क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं के द्वारा पनघट कलब का खात्मा हो जाने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गावों – खांडो, खुटाणो, सोनाई, चेंडा आदि में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के दर्जनों गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

54. (पाली जिले में पेयजल के प्रदूषण को रोकने हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

55. (जवाई नहर से जो नहर जोधपुर को जाती है उस पानी के प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

56. (फैक्ट्रियों का गन्दा जल जो पाली तालाब में गिरता है उसमें प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

57. (पाली तहसील के गांव खुटानी, पांचपदरिया लांबड़ा दिवान्दी खोड़ी साजी, डूंगरपुर सोनाईलाखा में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

58. (फालना–जल प्रदाय विभाग में कर्मचारियों द्वारा सहायक इंजीनियर व कोषाध्यक्ष आदि की पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

59. (विभाग में ग्रेड I कीटरों को पदावनत कर सैकेन्ड ग्रेड में कर दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

60. (जल प्रदाय विभाग में जनता पार्टी की यूनियन को प्रोत्साहन देने के लिये कर्मचारियों द्वारा गलत गलत काम करने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बच्चों को अपराधी होने से रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राज्य में भिक्षावृत्ति को नहीं रोक सकने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

(42)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड़ पालड़ीपुर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में कई अन्य ग्राम जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिलअचलपुर जल प्रदाय योजना में कई अन्य ग्राम और जोड़कर रिवाइज्ड योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाछीवाड सूरवा-दुग्वा क्षेत्रीय जल योजना की क्रियान्विति की चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरी सेसावा वगैरह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिवड़ा क्षेत्रीय नल योजना द्वारा कई टंकियों में नियमित रूप से पानी की सप्लाई किये जाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर नगरीय क्षेत्र में हरिजन मोहल्ले में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर नगरीय जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालौर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के वृद्धों एवं अपंगों को पेन्शन मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने में घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावास भवन की मरम्मत नहीं कराने एवं छात्रावास की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता तथा सांचोर में पूर्ण छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में समाज कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में समाज कल्याण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रवृत्तियों के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर के मजदूर व गरीब क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं के द्वारा पनघट क्लब का खात्मा हो जाने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गावों – खांडो, खुटाणो, सोनाई, चेंडा आदि में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के दर्जनों गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

54. (पाली जिले में पेयजल के प्रदूषण को रोकने हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

55. (जवाई नहर से जो नहर जोधपुर को जाती है उस पानी के प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

56. (फैक्ट्रियों का गन्दा जल जो पाली तालाब में गिरता है उसमें प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

57. (पाली तहसील के गांव खुटानी, पांचपदरिया लांबड़ा दिवान्दी खोड़ी साजी, डूंगरपुर सोनाईलाखा में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

58. (फालना–जल प्रदाय विभाग में कर्मचारियों द्वारा सहायक इंजीनियर व कोषाध्यक्ष आदि की पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

59. (विभाग में ग्रेड I कीटरों को पदावनत कर सैकेन्ड ग्रेड में कर दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

60. (जल प्रदाय विभाग में जनता पार्टी की यूनियन को प्रोत्साहन देने के लिये कर्मचारियों द्वारा गलत गलत काम करने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बच्चों को अपराधी होने से रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राज्य में भिक्षावृत्ति को नहीं रोक सकने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड़ पालड़ीपुर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में कई अन्य ग्राम जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिलअचलपुर जल प्रदाय योजना में कई अन्य ग्राम और जोड़कर रिवाइज्ड योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाछीवाड सूरवा-दुग्वा क्षेत्रीय जल योजना की क्रियान्विति की चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरी सेसावा वगैरह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवड़ा क्षेत्रीय नल योजना द्वारा कई टंकियों में नियमित रूप से पानी की सप्लाई किये जाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर नगरीय क्षेत्र में हरिजन मोहल्ले में पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर नगरीय जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालौर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के वृद्धों एवं अपंगों को पेन्शन एवं मुक्त कानूनी सहायता दिलाने में घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावास भवन की मरम्मत नहीं कराने एवं छात्रावास की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता तथा सांचोर में पूर्ण छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में समाज कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में समाज कल्याण

Page No. 45

(५५)

(श्री कौशल किशोर जैन)

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेसर्स हनुत सेल्स कार्पोरेशन से खरीदी गई पेनल्स में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वीच बोर्ड पेनल्स का नमूना डाईरेक्टर आफ इन्सपेक्शन से बिना पास कराये ही आर्डर देने से हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पानी की दरों में गांवों में तथा शहरों में असमानता को दूर करने हेतु चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजा डेम से भीलवाड़ा को जल प्रदाय योजना के पाइप लाइन द्वारा जुड़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वनस्पति प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा का गन्दा पानी भीलवाड़ा तालाब में जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वनस्पति प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा का गन्दा पानी भीलवाड़ा तालाब में जाता है उससे उत्पन्न लोक स्वास्थ्य के खतरे को रोकने में असफलता के कारण राजस्थान राज्य दूषित जल नियंत्रण और बचाव मंडल को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

104. (जल प्रदाय योजना के मास्टर प्लान में पशुधन के लिए पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं, इसके विषय में चर्चा के लिये)।

105. (राजस्थान के सभी गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन चक्की का विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोषाहार कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परेशान करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा मनमानी तौर पर स्थानान्तरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 46

(५६)

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर क्षेत्र में जल प्रदाय व दुषित जल समस्या को सुधार कर पेय जल समस्या के निराकारण की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा लिये) ।

88. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जोधपुर शहर में पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों (Sources) का सर्वे कराने हेतु एवं पानी की कमी और उनके निराकरण के उपायों पर चर्चा के लिये] ।

88. [खार पानी व ब्रिकिश पानी को आदमी व जानवर के पीने युक्त बनाने के अनुसंधान (रिसर्च) पर चर्चा के लिये] ।

89. (खुली नालियां व अन्डर-ग्राउन्ड सीवेज के पानी को बिना केयर किये काम में लाने बाबत चर्चा के लिये) ।

90. रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड के गठन हेतु सरकारी नीति पर चर्चा के लिये) ।

91. (उद्योगीकरण से हवा व पानी प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

92. (अन्डर-ग्राउन्ड सीवेज बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिये) ।

93. (अर्बन वाटर सप्लाई बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिये) ।

94. (डीडवाना तहसील में खारा पानी वाले गांवों के लिये नल योजना बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

95. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा क्षेत्र में जल प्रदाय योजना पूर्ण कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

96. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना मनोहरथाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल व्यवस्था के निराकरण हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

97. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुचित ढंग से क्रय की गई पेनल्स से राज कोष को हुए नुकसान पर चर्चा के लिये) ।

(श्री कौशल किशोर जैन)

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैसर्स हनुत सेल्स कार्पोरेशन से खरीदी गई पैनल्स में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वीच बोर्ड पैनल्स का नमूना डाईरेक्टर आफ इन्सपेक्शन से बिना पास कराये ही आर्डर देने से हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पानी की दरों में गांवों में तथा शहरों में असमानता को दूर करने हेतु चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेजा डेम से भीलवाड़ा को जल प्रदाय योजना के पाइप लाइन द्वारा जुड़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वनस्पति प्रोजेक्ट, भीलवाडा का गन्दा पानी भीलवाडा तालाब में जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वनस्पति प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा का गन्दा पानी भीलवाड़ा तालाब में जाता है उससे उत्पन्न लोक स्वास्थ्य के खतरे को रोकने में असफलता के कारण राजस्थान राज्य दूषित जल नियंत्रण और बचाव मंडल को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

104. (जल प्रदाय योजना के मास्टर प्लान में पशुधन के लिए पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं, इसके विषय में चर्चा के लिये)।

105. (राजस्थान के सभी गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन चक्की का विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोषाहार कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परेशान करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा मनमानी तौर पर स्थानान्तरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर क्षेत्र में जल प्रदाय व दूषित जल समस्या को सुधार कर पेय जल समस्या के निराकारण की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा लिये)।

88. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जोधपुर शहर में पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों (Sources) का सर्वे कराने हेतु एवं पानी की कमी और उनके निराकरण के उपायों पर चर्चा के लिये]।

88. [खारा पानी व ब्रिकिश पानी को आदमी व जानवर के पीने युक्त बनाने के अनुसंधान (रिसर्च) पर चर्चा के लिये]।

89. (खुली नालियां व अन्डर-ग्राउन्ड सीवेज के पानी को बिना केयर किये काम में लाने बाबत चर्चा के लिये)।

90. रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड के गठन हेतु सरकारी नीति पर चर्चा के लिये)।

91. (उद्योगीकरण से हवा व पानी प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

92. (अन्डर-ग्राउन्ड सीवेज बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिये)।

93. (अर्बन वाटर सप्लाई बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिये)।

94. (डीडवाना तहसील में खारा पानी वाले गांवों के लिये नल योजना बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

95. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा क्षेत्र में जल प्रदाय योजना पूर्ण कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

96. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना मनोहरथाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल व्यवस्था के निराकरण हेतु चर्चा के लिये)।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

97. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुचित ढंग से क्रय की गई पेनेल्स से राज कोष को हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

(श्री नवरंग सिंह)
(ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या के समाधान हेतु पेय जल कुआ पर पंप लगाकर निश्चित समय पर ग्रामवासियों को जल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के खारे और कसैले पेय जल के स्थान पर स्वच्छ व मीठे जल की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों की खेती की जमीनों पर हुए अतिक्रमणों व निशुल्क कृषि सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा झुन्झुनू जिले की हरिजन बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की दयनीय दशा एवं पिछड़ी जाति के बालकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की प्रक्रया को सरल बनाने हेतु चर्चा के लिय)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

124. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां जहां भी जल योजना चालू हो वहां नालियों की पहले व्यवस्था की जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण तब ही सम्भव हो सकेगा जब ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाये तथा इनके अलग से छात्रावास न रखे जायें, इस पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति क्षेत्रों में जब तक शराब बन्द नहीं होगी इनके कल्याण के लिये खर्च की जाने वाली रकम का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

127. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेरा, कीलपुर, खेड़ा, जेरोल तहसील राजगढ़ अलवर में पेय जल व्यवस्था की जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़, रैणी, गढ़ीसाईराम, अलवर के अनुसूचित जन-जाति छात्रावासों में संख्या बढ़ाई जाने, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No. 50

50

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर जिले के ग्रामों में पेय जल उपलब्ध कराने की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु विभाग द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों के लिये होस्टल की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

132. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में पानी की टंकी का निर्माण आज तक न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिये समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हरिजनों को सिर पर मैला ढोने की मजबूरी से मुक्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

135. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में उत्पन्न पेय जल समस्या पर चर्चा करने हेतु)।

श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) :

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र के 55 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में एक भी नल योजना या हैन्ड पम्प लगाने का प्रस्ताव नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा कस्बे में हरिजनों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री ईश्वर चन्द)

139. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक– समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण का कोई छात्रावास या (निशुल्क आवास व्यवस्था झालावाड़ में नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

140. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक– लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर, पोकरण नगरों एवं ग्रामों में शुद्ध पेय जल की समुचित व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक– समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने एवं पोकरण और जैसलमेर नगरों के छात्रावासों में वर्तमान संख्या से दुगने छात्रों की सुविधा की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

142. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक– लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इटावा, पीपल्दा, गैंता, सुमेरगंज मंडी, खातौली ग्रामों में नल योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक– समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पोषाहार कार्यक्रम लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक– समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पोषाहार कार्यक्रम लागू करने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक– समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल में समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने हेतु एवं स्कूलों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) :

146. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक– लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में पानी के टैंकों की कमी तथा समय पर पीने का पानी नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-- समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेंशन दर में वृद्धि की जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) :

148. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक – लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन की पानी की टंकी के

Page No. 52

52

(श्री निर्मलकुमार)
संबंध में एवं पानी कम देने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेन्शन की दर में वृद्धि की जावे तथा नवीन समाज कल्याण की योजनाएं लागू कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

150. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर पानी सप्लाई नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

151. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेय जल की समुचित व्यवस्था करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

153. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था और गड़बड़ी के कारण गलत सर्वेक्षण कर राजनैतिक आधार पर योजनाएं स्वीकृत करना एवं वास्तविक उपेक्षित क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

154. (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व शिथिलता के कारण हो रहे धन के दुरुपयोग व प्राथमिकता के आधार पर कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु अपनायी गई नीति के कार्यरूप में परिणित नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) :

156. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर आदि में तालाबों में डाले जाने वाले मलवे से होने वाले खराब पानी के प्रयोग में लाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुंभलगढ़):

157. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुम्भलगढ़ तहसील के ग्राम भीलवाड़ा व मजेरा में पेय जल की कमी तथा नल व्यवस्था के अभाव में नारू बीमारी से मुक्ति हेतु चर्चा के लिये) ।

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)

158. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर तहसील के आगरिया ग्राम में पेय जल की कमी तथा नलों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

159. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील आमेर व कुम्भलगढ़ में पौषाहार केन्द्रों पर की गई सप्लाई की अनियमितता तथा इन्सपेक्शन में ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामेश्वर दयाल (चौमू) :

160. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू विधान सभा क्षेत्र में पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र के कालाडेरा में इस विभाग की ओर से कोई छात्रावास नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री माधोसिंह कछवाह (गंगदारपुरा)

162. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में जल संकट की भावी संभावनाओं के लिए अग्रिम कदम उठाने पर चर्चा के लिये) ।

163. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में अनियमितता और संबंधित अधिकारियों की देखरेख के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

164. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय तहसील में चालू पेय जल व्यवस्था से जन असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा परिवार एवं बाल कल्याण योजना, सिकराय की पी० आई० सी० का गठन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) :

166. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र के रथका, नौराबास, कोलाना, रानपुर, माडल्या, कसार, नया गांव, काल्या, खेड़ी, खीमच, फाटारकेड़ा में अर्थात् लाडपुरा पंचायत समिति के क्षेत्र में पीने के पानी का पूरा अभाव है, इस चर्चा के लिये) ।

श्री हरीशकुमार शर्मा)

167. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावासों में भारी अव्यवस्था, तथा सरकार के अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

168. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक हजार तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में पेय जल हेतु शीघ्र व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सांभर झील के समीपवर्ती ग्रामों में खारे पानी के फलस्वरूप ग्रामीणों को पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा ग्रामों में पेय जल व्यवस्था को धीमी गति से लागू करने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ क्षेत्र में ग्रामों में लगाये गये नलकूपों के खराब होने व ग्रामवासियों को कोई खास सुविधा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कल्याण हेतु कोई ठोस रचनात्मक कार्यक्रम न चलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को बिना जांच व निरीक्षण के अनुदान राशि देने से राज्य के धन का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक--समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनियां को अनुचित लाभ देने हेतु कई वर्षों से दी जा रही धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

175. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण नल योजना बावेर मारसोप में चालू कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

Page No. 55

55

श्री हजारीमल (सरदार शहर) :

176. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में खारे पानी के गांवों को मीठा पानी सुलभ कराने में प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) :

177. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पेय जल के लिये पाली जिले में की गई अनियमितताओं के निराकरण व उचित प्रबंध करने बाबत चर्चा के लिये)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

178. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका में जो नल योजना चल रही है वह ग्राम को पूरा समय पानी नहीं देती है, जिस पर चर्चा के लिये) ।

179. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जन स्वास्थ्य ने विधान सभा में एक आश्वासन दिया था कि उनियारा में पानी के सप्लाई हेतु टन्की बनवाई जावेगी, उस पर अमल नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोप ककोड, फूलेता और नगर ग्रामों के अनुदान जमा होते हुए भी अभी तक वहां पर नल योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हुई है, उस पर चर्चा के लिये) ।

181. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना में पेय जल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

182. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाटर वर्क्स विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा परचेजिंग में की गई घोर अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

183. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, झुन्झुनू (वाटर वर्क्स) द्वारा की गई घोर अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये]।

184. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक--लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाटर वर्क्स विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं के कारण धन की भारी क्षति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

56

(श्री रघुवीर सिंह)

185. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के बारां के होस्टल की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के कार्यकलापों के सुधार के विषय में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [अपहृत महिला आश्रम (नारी शाला) में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

188. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा संचालित होस्टल्स में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर):

189. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की जल पूर्ति अपर्याप्त होने व सार्वजनिक नलों की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावासों की अव्यवस्था, बाल मन्दिर व पोषाहार आदि में अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर):

191. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय विभाग में व्याप्त धांधली, भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं मनमानेपन पर चर्चा के लिये)।

193. (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर):

194. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में पेय जल पूर्ति हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

195. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [भीलवाड़ा में पानी की टंकी (भोपालगंज में) लगभग 2 लाख रुपयों की लागत से बनाई गई है किन्तु उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसको शीघ्र उपयोग में लाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

196. (नल योजनाओं के साथ साथ मल विकास योजनाएं भी बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

197. (जल सप्लाई का निश्चित समय निर्धारित करने और कम से कम 2 घन्टे सुबह व शाम पानी की पूर्ति करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

Page No. 57

(57)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

198. (खारे पानी या अस्वास्थ्यकर पानी वाले स्थानों पर मीठा पानी सप्लाई करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

199. (ज्ञानगढ़, चीताम्बा क्षेत्रों में जहां पानी की भारी कमी है, जल आपूर्ति योजना प्रारम्भ करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

200. (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की दरें एक समान रखने और न्यूनतम दरों में और कमी करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

201. (जहां नल योजनाएं लागू हैं वहां सभी मोहल्लों में जल पूर्ति करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

202. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा भीलवाड़ा में संचालित छात्रावास में भोजन व्यवस्था में सुधार करने बाबत चर्चा के लिये)।

203. (समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन निजी संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है, उनके कार्यकलापों और प्रगति की विधान सभा सदस्यों के जांच दल द्वारा व्यापक जांच करवाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

204. (आदिवासी व अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षण व व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजनाएं प्रारम्भ करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

205. (उदयपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की अब तक की प्रगति की व्यापक जांच करवाने और इस संस्थान का आदिम जाति क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु उपयोग करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

206. (राज्य के विभिन्न जिलों में महिला समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

207. (चित्तौड़गढ़ स्थित गाड़िया लोहार छात्रावास पर कुछ प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार होने और इस संस्था के कार्य-कलापों की व्यापक जांच करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

208. (उदयपुर स्थित इंस्टीट्यूट चिल्ड्रन्स होम नामक संस्था के कार्यकलापों की व्यापक जांच करवाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

209. (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति क्षेत्रों में पीने के पानी की अविलम्ब व्यवस्था कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।)

श्री माधव सिंह (सोजत) :

210. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में लोगों को पीने के पानी की तकलीफ दूर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावासों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलने की चर्चा के लिये)।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

212. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होस्टल में दी गई सुविधाओं का बालकों को समुचित लाभ नहीं मिलता है एवं उनका दुरुपयोग हो रहा है, इस बाबत चर्चा के लिये)।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) :

213. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण का अध्यक्ष केवल अनुसूचित जाति या जन-जाति का ही होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये) ।

डा० गंगा सहाय (कठूमर) :

214. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की उपेक्षा व उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

215. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के समाज कल्याण विभाग में एवं संस्थाओं, छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

216. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति गढ़ी में बाल विकास योजना में कार्यरत आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं में व्याप्त करप्शन एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

217. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग को केवल एस० सी० और एस० टी० के छात्रों के अतिरिक्त अन्य गरीब व्यक्तियों के बच्चों को भी सुविधा उपलब्ध करवाने के क्रम में चर्चा के लिये) ।

श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

218. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रवृत्ति, छात्रावास व्यवस्था, अनुदानित छात्रावास, विभागीय कर्मचारियों की चयन नीति, आवासीय अनुदान में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री टीकम चन्द कान्त (जालोर) :

219. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक कल्याण की भावना एवं सरकार के कर्त्तव्य के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

220. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजनाओं के साथ ड्रेनेज सिस्टम लागू कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

221. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पानी के मीटरों के अभाव व जलदाय विभाग के अधिकारियों के मनमाने तरीकों से जनता को तंग कर नाजायज बिल भेजने व वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

222. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जलदाय योजनाओं को बनाने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहरीले पानी वाले गांवों को पास की जलदाय योजनाओं से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारणावास ग्राम का पानी कुबड़ा कर देने वाला पानी है, अतः इस ग्राम को अविलम्ब कितलसर जलदाय योजना से पानी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन गांवों को जलदाय योजना का स्रोत बनाया है, उन गांवों को पानी प्राथमिकता से देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलदाय योजना के तहत बनाए गए हौजों का पानी ग्रामवासियों के लिए अपर्याप्त रहता है, अतः वहां के सार्वजनिक कुओं के हौजों से उन्हें जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलदाय योजना के तहत छोटे कर्मचारियों की गफलत से ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध नहीं होता, इस पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षावृत्ति रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

229. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर एवं बाड़मेर के गांवों के लोगों के पेयजल की समस्याओं के निराकरण नहीं किये जने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों के लिये जाति के आधार पर विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

231. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौहटन क्षेत्र, जिला बाड़मेर में जलप्रदाय योजनाएं बनाने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

232. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने का पानी खारा है उन गामों में पेयजल व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता व छात्र होस्टलर्स की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

234. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में पीने के पानी को उपलब्ध करवाने हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग पर किये जाने वाले व्यय के अनुपात में, विभागीय निष्क्रियता के कारण, लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

236. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मगलूणां एवं लाडनूं से सुजानगढ़ तहसील के खारे पानी के गांवों में मीठा पानी पहुंचाने की जलप्रदाय योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये नये छात्रावास तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रूरल एवं अर्बन एरिया में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आवासीय भू-खण्ड दिलाने के सम्बन्ध में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के कालेज छात्रों को भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 40) रु० माहवार छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसे बन्द कर दिया गया, उसे पुनः चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

240. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालयों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की विभाग की नीति होते हुए भी उचित व्यवस्था नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

241. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में पीने के पानी की

(श्रीमती मदनकौर)
भयंकर कमी और इस समस्या के निवारण हेतु सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

242. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दीगोद विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है; जिससे अनेक गांवों के लोग 3-3 मील पैदल चलकर पानी लाकर प्यास बुझाते हैं अतः पेयजल का उचित प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र दीगोद के ग्राम कनवास एवं सांगोद के हरिजनों की बस्तियां, जो आज भी कच्ची बस्ती के रूप में विद्यमान हैं, को शीघ्र पक्का करवाया जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (आहोर) :

244. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में क्लस्टर ट्यूब वैल स्कीम को लागू करवाने पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आहोर क्षेत्र, जिला जालोर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

246. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पानी की खराबियों को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

247. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह (फुलेरा):

249. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र की चार पंचायत समितियों में खारे पानी के स्थान पर मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मणिराम (तारानगर):

250. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल से तहसील तारानगर, राजगढ़ के गांवों को मीठा पानी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम):

251. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की समस्या के उचित समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं):

253. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले के फ्लोराइड तत्व से युक्त पानी के कारण, कासिमपुरा में एवं लालपुर में मीठे स्वास्थ्य-प्रद पानी की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

254. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के खारे, अस्वच्छ, अस्वास्थ्यकर एवं हानिकारक तत्वों से युक्त पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिये) ।

255. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर सरकारी छात्रावासों में कम से कम 100 सीट किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

256. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अनुदान पर आश्रित छात्रावासों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

257. (ग्राम जान्दवा, जिला चूरू के हरिजनों एवं हरिजन औरत के साथ भूतपूर्व जागीरदार द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।)

258. (हरिजनों पर निरन्तर बढ़ती ज्यादतियों एवं जुल्मों पर चर्चा के लिये ।)

श्री सुखलाल संणचा (रायपुर):

259. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाँवों में जल योजनाओं के पानी से मार्गों पर गन्दगी व बीमारी फैलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

260. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण बोर्ड के पुनः गठन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

261. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे सेन्टरों पर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के के लिये) ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत):

262. मांग संख्या 27. मुख्य शीर्षक लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में पेयजल का मनुष्यों व जानवरों दोनों के लिये अभाव और बीकानेर शहर के लिए शुद्ध व स्वास्थ्यप्रद जल साधन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की बाबत चर्चा के लिये)।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

264. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ढाणी जोरावर-सिंह, जिला सीकर में पीने के पानी का कुआ गहरा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भारनी, जिला सीकर में पीने के पानी के लिये नल-जल योजना चालू करने बाबत चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (100 फीट से गहरे कुए के गांवों में पीने के पानी के लिये नल-जल योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर, रींगस, झाडली, जिला सीकर की नल-जल योजनाओं द्वारा पर्याप्त पीने का पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाल कल्याण योजना, श्रीमाधोपुर (सीकर) को पर्याप्त धन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

269. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं में पानी की उपलब्धि के सम्बन्ध में की गई सर्वे अधूरी होने तथा दुबारा सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावास अधीक्षक, समाज कल्याण व आदिवासी छात्रावास, झालावाड़ के खिलाफ चल रही कार्यवाहियों को विभाग द्वारा दबा देने पर चर्चा के लिये)।

271. (विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रावासों में किये जा रहे गबन, घोटालों पर चर्चा के लिये।)

272. (विभाग द्वारा लाडनूं में चलाये जा रहे छात्रावास में की गई अनियमितताएं तथा गबन पर चर्चा के लिये।)

Page No. 64

(६५)

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) :

273. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जसेला, लम्बोलिया, गड़ा-वादर कालोनी (मेरतिया) छोटा गड़ा, नेनमावा, रामसोर, कटारापाग के ग्रामों के पेयजल से उत्पन्न नारू बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मीठा व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये]।

274. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक–समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसेलागगु, गरियास, ओबरी, वितरी में आदिवासी छात्रों के लिये छात्रावास खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

275. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग छात्रों के रहने के लिये छात्रावास भवन उपलब्ध कराने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

276. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में सैकड़ों वृद्धावस्था पेंशन के मामलों के न निपटाये जाने पर चर्चा के लिए)।

277. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने में वृद्धों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना):

278. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित करौली व भरतपुर के छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती विद्या कुमारी सेंगर (कपासन):

279. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाओं को उन्हें प्राप्त भत्ते पुरुषों से भिन्न क्यों रखे गये, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीमकाथाना):

280. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छुआछूत मिटाने के निमित्त व्यापक रूप से मंत्रियों व विधायकों के आचरण में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

सुश्री पुष्पा (आमेर):

281. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक-समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (आमेर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग व हरिजनों के उत्थान की ओर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32 व 27 पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनकी पूरी सूची मेरे पास आ चुकी है और कुल 38 माननीय सदस्य बोलना

(श्री उपाध्यक्ष)
चाहते हैं। जो समय की सीमा है, सभी की जानकारी में है। भाषण देते समय निश्चित नहीं रहें। जब मंत्री महोदय भाषण देते हैं तो निश्चित नहीं रह सकते और कहते हैं कि भाषण जल्दी समाप्त किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपने विचार रखें, संक्षेप में रखें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्षजी, इस प्रकार से सदन में काम हो रहा है कि केवल 5-5 मिनट दिए जाते हैं, 8-8 कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये। मंत्रीजी रात को 11 बजे के बाद जवाब देते हैं। इससे हम अपने कार्य के प्रति न्याय नहीं कर पाते। यहां सुबह आयें और रात को 12 बजे घर जायं और रोटी नहीं मिले....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये लोग कभी रात को नहीं बैठते।

श्री मूलचन्द डागा : हम बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले की प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं। कभी-कभी तो ऐसे अवसर आए हैं कि 4-4 मांगें एक दिन में वाद-विवाद करके पारित की गई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह रोज का मामला है। मुख्य सचेतक बैठे हैं, हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशन्स हैं। यह तो डेली अकरेंस है। 27 तारीख तक रात को 11 बजे तक हम बैठे रहें, यह कठिन है। तो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया जाए। मैं नहीं चाहता कि सदस्य अर्ली मार्निंग तक बैठकर भाषण करें। लेकिन रोज 11 बजे रात को बैठने और फिर सुबह आकर अपने को तैयार करने से आपके स्वास्थ्य को भी खतरा है। कहीं आप भी बीमार न पड़ जायें और हम भी कहीं बीमार न पड़ जायं, इसलिये मैं सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि हम 7 बजे तक बैठ सकते हैं, यह नहीं हो सकता कि हम रोज 11 बजे तक बैठें।

श्री उपाध्यक्ष : चेम्बर में आकर बात कर ली जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बजट के समय जब विचार हुआ था तो वाद विवाद का जवाब सुबह को दिया गया था। कई जगह ऐसी परम्परा है कि डिबेट रात को बंद हो जाए और दूसरे दिन प्रश्न काल के बाद मंत्रीजी जवाब दे दें। मांग मंजूर होने के बाद फिर डिबेट शुरू हो जाती है। रात के समय मंत्रीजी का उत्तर सभी सदस्य नहीं सुन पाते हैं, अपने कटौती प्रस्तावों के बारे में। इस नई व्यवस्था से सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी आपके सुझाव हैं, चेम्बर में आकर दे दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य सचेतक को मान लेना चाहिए, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो कटौती प्रस्ताव रखते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य सुझाव देना चाहें, चेम्बर में कन्वीनियंट टाइम पर आ जायं। मुख्य सचेतक भी आ जायेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नियमों के अन्तर्गत समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : दूसरे दिन मंत्री महोदय जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : चेम्बर में सुझाव दे दें। सदन का समय क्यों खराब करते हैं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : इतना अच्छा सुझाव आया है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य दूसरे दिन सदन में मंत्री को सुन सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में बात कर लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि मेरे मंत्रित्व काल में राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहेगी। अभी तक वर्षा जारी है, विशेषतः राजस्थान का जल जो अन्य राज्यों से होकर बह जाता है, उस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे जल के जो स्रोत हैं उन सबका हम अपने ही राज्य में उपयोग यदि कर सकें तो बढ़िया होगा।

जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या है। चाहे सरकार कुछ भी कहे, पर समस्या का स्थाई हल अभी तक नहीं किया गया है। प्रातः हर चौकड़ी में शहर के भीतर प्रेशर के साथ पानी नहीं आता है, 7 बजे ही पानी आना बंद हो जाता है। सायंकाल भी यही समस्या है। पिछली सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा था कि जयपुर शहर में पानी की स्थाई व्यवस्था करने के लिये बनास योजना है। राज्य सरकार द्वारा इसके सर्वे पर खर्च किया गया। सरकार ने कहा, नलकूप बनेंगे, लेकिन उससे स्थाई हल होने वाला नहीं है। रामपुरा योजना में जो नल बनाए गए हैं, उसमें आस-पास के खेत थे उनको पीने का पानी नहीं मिला।

इसलिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार आज यह सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि जयपुर में पीने के पानी की समस्या के हल के लिये राज्य सरकार बनास योजना को क्रियान्वित कर रही है। जैसा कि पहले यहां पर हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने कई बार इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था, अगर यह बनास योजना चालू हो जाती है तो जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में न केवल पीने के पानी की समस्या का ही हल होगा बल्कि वहां उस बनास योजना से सिंचाई भी हो सकेगी। जब तक यह योजना चालू नहीं हो जाय तब तक मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि हमारे जयपुर में बान्डी नदी और ढूंढ नदी पर एक बान्ध बनाया जाय, उससे विकल्प के रूप में अस्थायी हल होगा। इससे पूरे बारह महीने तक तो पानी की समस्या का हल नहीं होगा लेकिन अस्थायी हल जरूर निकलेगा। इसका कारण यह है कि यह बान्डी और ढूंढ नदी बारह मास तक नहीं बहती है इसलिये मैंने कहा कि उससे अस्थायी हल होगा। चूंकि जयपुर में पीने के पानी की दिक्कत है इसलिये इस समस्या का तुरन्त हल निकलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर के अन्दर पीने के पानी में कीड़े बहुत हैं जिससे तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में जितनी कीड़ों की दवा बनती है उसमें से 90 प्रतिशत दवा जयपुर में बिकती है। इसका कारण यह है कि जयपुर में गटर लाइन जो है उसी के साथ-साथ में

Page No. 67

(67)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
पानी की लाइन चलती है। वह गटर की लाइन बीच में टूटी हुई होने के कारण मल-मूत्र का पानी उस पानी की लाइन में घुस जाता है। इस प्रकार से हम जयपुर में रहने वाले लोगों को मल-मूत्र का पानी पीना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि ग्राज जो हमारी पीने के पानी की लाइन है उसको बड़ा किया जाय तथा गटर लाइन, जो कि जगह-जगह टूट गयी है, को भी ठीक किया जाय ताकि हमारे यहां ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार हो जाय।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर संजय गान्धी ग्राये थे तो उनके द्वारा यहां पर ट्रीटमेंट प्लान्ट योजना का उद्घाटन कराया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, संजय गान्धी के स्वागत के लिये यहां की सरकार ने 60 हजार रुपये खर्च किये थे जिसमें तम्बू लगाने वगैरह के काम हुए थे। जब ग्राप संजय गान्धी का सिर्फ स्वागत करने के लिये 60 हजार रुपये का खर्चा कर सकते हैं ग्रौर उनको एक पांच हजार रुपये की एल्यूमिनियम की टन्की भी भेंट की गयी थी तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से यह ट्रीटमेंट प्लान्ट योजना शुरू करेगी जिससे कि जयपुर की जनता को जो पानी की खराबी की वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है वह बन्द हो। इसके ग्रलावा थोड़ा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहां पर गटर लाइन जगह-जगह टूटी हुई है जिससे गलियों में गंदगी बहुत फैलती है। मेरा निवेदन है कि गटर लाइन को ग्राप जरा ठीक करा कर सीमेन्टेड करा दें इसमें कोई ज्यादा करोड़ों का खर्चा नहीं है पर थोड़े से लाख रुपये का खर्च है। इससे मैं समझता हूं कि हालत ठीक हो जायेगी। इससे ट्रीटमेंट प्लान्ट को भी मदद मिलेगी। इसी के साथ-साथ मैं गन्दगी के हटाने के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रगर राज्य सरकार 300-300 रुपये यहां लोगों को फ्लस तहारत बनाने के लिये ग्रनुदान के रूप में दे दे तो मैं समझता हूं ग्राज जो गन्दगी है वह ठीक हो जायेगी। यहां पर जो नालियां हैं वह भी पक्की बन जायें तो ग्राज जयपुर इतना सुन्दर होते हुए भी गन्दगी के लिये बदनाम है वह बदनामी समाप्त हो जायेगी। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जरूर ट्रीटमेंट प्लान्ट शुरू करेगी।

इसके ग्रलावा एक बात मैं ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां समाज कल्याण विभाग है वह सभी हरिजनों ग्रौर कमजोर वर्ग से संबंधित काम करता है। मेरा इसमें निवेदन है कि दूसरे स्टेट्स में ग्रलग-ग्रलग डाइरेक्टोरेट बने हुए हैं उसी तरह यहां पर भी डाइरेक्टोरेट ग्रलग खोला जाय जिससे कि इन लोगों का ज्यादा भला हो सके। इसी के साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये ग्रलग से कुए बनवाये जाने चाहियें क्योंकि राज्य सरकार की इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहां की जनता हरिजनों को कुग्रों से पानी नहीं भरने देती है। इससे जो बहुत झगड़े होते हैं, ग्राये दिन केसेज होते हैं उनमें भी कमी ग्रायेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को इनके लिये ग्रलग से सैल बनाना चाहिये। इसके लिये मैं समझता हूं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी मदद करेगा। राज्य सरकार को भी तुरन्त यहां पर सैल खोलना चाहिये जो कि हरिजनों के बारे में देखे। ग्राज हमारे राजस्थान में 45 लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स के ग्रौर 35 लाख शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। ग्रापने जो बजट रखा है उसका ग्रनुपात ग्रगर देखा जाय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तो प्रति व्यक्ति सिर्फ 6 रुपये प्रति वर्ष पड़ता है। तो छः रुपये में आप क्या इनका उत्थान करेंगे ? तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इसके ऊपर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

इसी के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर 14 लाख लोगों के लिये एक क्षेत्रीय योजना भी बनायी गयी है जिसमें कि राज्य सरकार उन लोगों के विकास के लिये साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च करने का विचार करती है। इसमें 21 लाख लोग एक हैं और 45 लाख लोग एक हैं कुल 66 लाख लोगों को इस क्षेत्रीय योजना से फायदा होगा। मैं समझता हूं कि आप इन साढ़े सात करोड़ रुपये से इन लोगों का विकास तो नहीं कर पायेंगे। तो यह भी राज्य सरकार के देखने की बात है। जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया कि इन लोगों के लिये जिस तरह दूसरे राज्यों में अलग अलग डाइरेक्टोरेट बने हुए हैं उसी तरह अलग डाइरेक्टोरेट बनाये जायं। अभी जो आपने एक ही समाज कल्याण विभाग को सम्पूर्ण काम सौंप दिया है यह उचित नहीं है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने चाहे हरिजनों को लोन देने की घोषणा की हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन की व्यवस्था कर दी हो पर उनको कुछ भी लोन नहीं मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन बैंक वालों पर दबाव डालें कि वह इन लोगों को ऋण आदि देने में मदद करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कई राज्यों में शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये कॉर्पोरेशन्स बनाये हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर भी शिडयूल्ड कास्ट्स लोगों के लिये कॉर्पोरेशन बनाया जाय। उसकी घोषणा आज मन्त्री महोदय जब अपना जवाब दें तब करें तो उचित रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने गरीबों को उठाने की बात तो कर दी ? पर कई ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे गरीब हैं पर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने गरीबों के लिये ओल्ड एज पेन्शन कर दी है पर कई ऐसे मामले होते हैं जो कि ओल्ड एज पेन्शन में तो नहीं आते हैं पर क्योंकि उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये उनको राज्य सरकार से पेन्शन मिलनी चाहिये आप जानते होंगे और देखते भी होंगे कि कई गरीब घर की जवान औरतें हैं जो या तो विधवा हो गयी हैं या उनके पति ने उनको छोड़ दिया है। उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी ओर हमारी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जो कि उसे देना चाहिये। हालांकि हमारे देवस्थान विभाग से कुछ लोगों को पेन्शन मिलती है पर वह 40 रुपये है। पति और पत्नी दोनों को मिलाकर अधिक से अधिक 60 रुपये ही मिलते हैं। दोनों को 80 रुपये भी नहीं दिये जायं, यह कैसी विडम्बना है। इसकी ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार आपने बजट में 9 लाख रुपये अपंग लोगों, जिसमें अन्धे भी हैं, के लिये रखे हैं। आपने गूंगों और बहरों के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसके अलावा होस्टल्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां जो इन लोगों के लिये होस्टल्स हैं उनके लिये भी आपने 1 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है । उपाध्यक्ष महोदय, इनके होस्टल्स की बहुत भारी दुर्दशा है । मेरा मन्त्री महोदय से यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि जो लोग होस्टल्स में रहते हैं उनकी हालत में सुधार हो ।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने भिक्षा-वृत्ति उन्मूलन कानून बना दिया लेकिन सिर्फ कानून बना देने से ही कानून की पालना नहीं हो जाती है । यह मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन के नाम पर अभी किसी एकाध व्यक्ति को पकड़ लाते हैं । इसके बाद में राज्य सरकार यह नहीं सोचती कि इसके परिवार वालों की हालत क्या होगी । पति को पकड़ लिया तो पत्नी रोती फिरेगी और पत्नी को पकड़ लिया तो उसके बच्चे व उसका पति रोता फिरेगा । तो इसके लिये समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है । मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह एक गम्भीर प्रश्न है, इसको पूरी तरह से हल किया जाना चाहिये । इसके लिये कोई समुचित योजना बनाकर व्यवस्था करने की आवश्यकता है । वैसे तो आपने भिक्षावृत्ति उन्मूलन करने के अन्तर्गत सेवा सदन भी खोले हैं पर उनकी हालत बिलकुल खराब है । मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार आयी, मेरी सरकार आयी है वह इन लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जरूर कार्य करेगी । वैसे जो बजट में योजना प्रस्तुत की गयी है उसके लिये तो जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद की पात्र है पर मैं उम्मीद करता हूं कि वह आने वाले समय में जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान देगी । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठोस और अच्छे काम राज्य सरकार करेगी और आइन्दा आने वाले बजट में इन सब बातों को करेगी जिसके लिये वह धन्यवाद की पात्र होगी ।

वैसे मेरे पास समय कम है । मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि इस सदन में हमारे मुख्य मन्त्रीजी बनास योजना के बारे में कहते रहते थे उसको जल्दी से जल्दी जरूर पूरा किया जाये । जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और यहां पर सभी विधायक आते हैं और रहते हैं उन सभी विधायकों की तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बनास योजना पूरी नहीं हो तब तक विकल्प के रूप में बांडी नदी और ढूंढ़ नदी पर बान्ध बनाने की जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने का प्रयास करें ताकि जयपुर की जनता को पीने के पानी की समस्या नहीं रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह रोज-रोज इनका नाम कैसे साथ आता है ? कोई बैलट निकालते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम तो नियमों से बोल रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : इनके दिमाग में कीड़े हैं ।

एक माननीय सदस्य : सारे कीड़े झड़ जायेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक कवि ने कहा है :

रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सुन्दर बात कही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पानी हमारे जीवन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये पांच करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया है, मैं इसके लिये तो जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देती हूं, पर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33 हजार गांव हैं और उनमें 22 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है और अगर पानी है तो खारी है।

श्री मूलचन्द डागा : खारी नहीं खारा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 'खारी' भी सही है। पहले हिन्दी पढ़िये।

तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार को पीने के पानी की समस्या का हल सर्वोच्च स्तर पर करना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिये सरकार योजना बनाये और उसको तुरन्त लागू करने की व्यवस्था करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये जितनी राशि का प्रावधान किया गया है उसको पूर्ण रूप से खर्च तो करें ही, साथ ही गांव के लोगों की समस्या को हल करने के लिये मैं चाहूंगी कि एक-एक पैसा सुचारु रूप से योजना में लगाया जाय क्योंकि एक तरफ लोग पानी के लिये तरसते हैं और दूसरी ओर हमारा पैसा बेकार चला जाता है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय संस्थान, विश्व बैंक और अन्य बैंकों से इसके लिये पैसा लेकर हमारी सरकार राजस्थान के लिये पूरे जल की व्यवस्था करे जिससे हमारे गांवों को पीने का मीठा पानी मिले। इस ओर आपका ध्यान दिला कर मैं चाहूंगी कि इस प्रकार की घोषणा की जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे पास जितने भी पानी के साधन हैं, वे आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन साधनों का उपयोग करने के लिए सहायता दी जाय। राजस्थान में गांवों में कुएं हैं, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है उसका उपयोग करके इस प्रकार की योजना लागू की जाय कि इस समय जो तालाब और कुए खारी पानी से भरे हुए हैं उनको मीठे पानी में बदला जा सके। उनमें पवन चक्कियां लगा करके अधिक से अधिक उनसे पानी गांवों को दिया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की योजना बना कर कुछ न कुछ कार्य इस सम्बन्ध में किया जाय।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर शहर में गन्दे पानी की समस्या है। जयपुर एक माना हुआ शहर है, मेरे ही क्षेत्र में सारे शहर का पानी गंदगी को लेकर जल महल में पहुंच जाता है। इस ओर पहले भी ध्यान दिलाया था कि जो ट्रीटमेंट प्लान्ट योजना बनी थी उसको पैसे के अभाव में हाथ में नहीं लिया जा रहा है। गंदा पानी नालियों में बहता हुआ जल महल पहुंचता है। रास्ते में अनेक लोग रहते हैं। इस तरह से जन-जन के स्वास्थ्य को असुरक्षित करना कदापि उचित नहीं है। उसके लिये माननीय मंत्री महोदय को योजनाबद्ध तरीके से काम हाथ

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
में लेने की घोषणा करनी चाहिये ताकि इस योजना को हाथ में लिया जावे और जन-जन के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जावे। हमारी योजना ऐसी हो जिससे जन-जन को लाभ पहुंचे। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इसके लिये शीघ्र कदम उठायें।

मेरे ही क्षेत्र में पड़ने वाले गंगा पोल में टंकी बनी हुई है, वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई है, जो जल जयपुर शहर में वितरित किया जाता है, वह रामगढ़ बन्धे से वितरित किया जाता है। अमानी शाह के कुओं से भी पानी आता है। मेरा निवेदन है कि उस टंकी की मुद्दत से सफाई नहीं हुई है जिससे जयपुर वासियों के पेट में कीड़े पैदा होते हैं और उनके कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिये उसकी सफाई होना आवश्यक है जिससे पेट में कीड़े न पड़ें। केवल कीड़ों से ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के जन स्वास्थ्य विभाग में काफी घोटाले हैं। यहां अधिकारी बन कर बैठे हुए हैं उनके बारे में कह कर ज्यादा टाइम न लेकर मंत्री महोदय को तथ्यात्मक जानकारी लिखित में देना चाहूंगी जिससे जानकारी कर गुटबन्दी के आधार पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके लिये उनको दंडित किया जा सके....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मांग पर बोली हूं। दूसरी मांग पर पुनः अवसर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी समय देने में विवश हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो दूसरी मांग पर समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर सोचूंगा। कृपा कर आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और भी महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य उठायेंगे। जिन कट मोशन का रिप्लाई नहीं आवेगा, उनका लिखित में जवाब भेज दिया जावेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे कट मोशन हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको और कट मोशन चाहिये तो डागाजी दे सकते हैं, उन्होंने भी काफी कट मोशन दिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मेम्बर को इस तरह से भाषण अधूरा छोड़ने को कहें, यह तो उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी हो एक साथ बोल दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाज कल्याण विभाग में छात्रावास, महिला सदन की स्कीम बनी हुई है, गरीबों को सहायता की स्कीम बनी हुई है, बच्चों के लिये केन्द्र की योजनायें हैं, उन सब योजनाओं पर जो तीस वर्षों में धनराशि खर्च हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिल कर घोटाले किये हैं। जिस उद्देश्य के लिये पैसा खर्च करना चाहिये उस उद्देश्य के लिये खर्च नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय आगे से इस पर

Page No. 72

(72)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजनाबद्ध तरीके से पैसा खर्च करवायें। जिन अधिकारियों ने पैसा खर्च किया, उन छोटी-छोटी तनख्वाह पाने वालों के पास कारें हैं, उन सबकी जांच आप करवायें और जांच की जानकारी आप सदन को दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगी कि एक कमेटी का गठन किया जाय जो इन सबका मूल्यांकन करे। उसमें जन प्रतिनिधि हों और अन्य लोग हों। निजी छात्रावासों को 85 पर्सेंट अनुदान दिया जाता है लेकिन 95 पर्सेन्ट धनराशि लोग खा जाते हैं। ऐसी योजना से क्या फायदा जिससे दरिद्रनारायण की सेवा न हो और अधिकारियों का पेट भरे। मैं चाहूंगी, निश्चितरूप से माननीय मंत्री महोदय कमेटी की घोषणा करें।

अन्त्योदय की स्कीम बनायी। बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धा अवस्था पेन्शन में 5 रुपये बढ़ाये हैं उसके लिये भी धन्यवाद। हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार मैं चाहूंगी कि जो अपंग हैं, असुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा के लिये भी पेन्शन की योजना की हमारी सरकार घोषणा करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समय हो चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा यह भी निवेदन है कि समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिये। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास बहुत जानकारियां हैं, मैं समय के अभाव में अधिक समय न लेते हुए, यह कहना चाहूंगी कि जो घोटाले हुए हैं उनके लिये मंत्री महोदय जानकारी लें और उसके आधार पर निर्णय लेकर सदन को अवगत करायें। मेरा निवेदन है कि सारे घोटालों की जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य की मांग पर मेरे कट मोशन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

प्रगति विवरणिका, 1976-77 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग राजस्थान की हमको प्राप्ति हुई है। उसके पेज नं 10 पर यह बताया गया है "जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के बाबत विस्तार से जांच वर्ष 1973-74 में की गयी। उक्त जांच के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेय जलस्रोत की जानकारी की गयी एवं ग्राम के भूमिगत जल का रसायनिक विश्लेषण किया गया। उक्त सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 33,305 आबाद ग्रामों में से 24,037 ऐसे ग्राम हैं जहां समुचित रुप से उपयुक्त पेयजल उपलब्ध नहीं है। इन समस्या-ग्रस्त गांवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। प्रथम वर्ग में है, बगैर जलस्रोत के ग्राम, दूसरे वर्ग में हैं खारे पानी के ग्राम (प्रथम श्रेणी), तीसरा वर्ग है, अत्यधिक फ्लोराइडग्रस्त ग्राम, चौथा है नारुग्रस्त ग्राम, पांचवां है खारे पानी के ग्राम (द्वितीय श्रेणी) और छठा है असंतोजनक नल व्यवस्था के ग्राम"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि 73-74 में सर्वे हुआ

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चार महीने लग जाते हैं। इसलिये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर पर यह व्यवस्था करनी चाहिये और यही कोशिश करनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में डीजल सेट्स की रिपेयर की व्यवस्था हो। बिजली के बारे में भी व्यवस्था करनी चाहिये।

अब मैं समाज कल्याण पर .....

श्री उपाध्यक्ष : समय नजदीक आ रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिये मैं इम्पार्टेंट पाइन्ट्स टेक अप कर रहा हूं।

समाज कल्याण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह हमारे लिये, भले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, भले ही जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों, सबके सोचने की बात है कि छुआछूत की समस्या का हल अभी तक हम कर नहीं पाये हैं। अभी तक छुआछूत की बीमारी फैली हुई है। अभी भी ग्रामों के अन्दर, नगरों के अन्दर छुआछूत, भेद-भाव पीने के पानी के लिये बरता जा रहा है। गांवों में जो कुए गवर्नमेंट की ओर से बनाये जाते हैं उनसे भी पानी उनको उपलब्ध नहीं होता है। जो इन्डिविजुअली कुए बनाते हैं उनसे तो पीने का पानी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भी छुआछूत की बीमारी बहुत ही प्रज्वलित है। इसके लिये बहुत ही कार्य करने पड़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अधिक काम करने पड़ेंगे।

हरिजनों के सिर पर मैला उठाने की जो प्रथा है वह हमारे लिये अभिशाप है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिये नगरपालिकाओं को प्रयास करने पड़ेंगे। नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से मदद देनी पड़ेगी। कुछ पहले प्रयास किये गये और कुछ और करने पड़ेंगे और प्रयास करके इस प्रथा को मिटाना पड़ेगा। इसके लिये नगरपालिकाओं को विशेष रूप से मदद देनी होगी।

छात्रावासों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। मैं देखता हूं कि नगरों में जो छात्रावास होते हैं उनको किराये पर भी अच्छा मकान नहीं मिलता है। खराब मकान ही उनको किराये पर मिलता है। अभी भी सवर्ण लोग छात्रावासों के लिये मकान किराये पर नहीं देते। धीरे-धीरे यह कोशिश की जानी चाहिये कि छात्रावासों के लिये मकान राज्य की ओर से बनाये जायं और कुछ जनता भी कन्ट्रीब्यूशन करे। मेरा निवेदन है कि छात्रावासों के मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा उनमें खाने-पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। डाइट अच्छी नहीं मिलती। इसलिये मंहगाई को देखते हुए खाने-पीने के लिये रुपया और बढ़ना चाहिये।

सर्विसेज में जो रोस्टर सिस्टम है, उसका पालन नहीं होता है। रोस्टर सिस्टम का पालन कराने के लिये होम डिपार्टमेंट को सक्रिय होना चाहिये और समाज कल्याण को भी सक्रिय होना चाहिये ताकि रोस्टर सिस्टम का पालन अच्छी तरह से हो।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, समाज कल्याण का प्रगति विवरण अभी तक पेश नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बाद में आ जायगा। कल आ जायगा। आज डिमान्ड है, कल तक आ जायगा। नेक्स्ट डे आ जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : मुस्कान से उत्तर नहीं, काम से उत्तर होना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी विभाग की मांग पेश होती है और उस मांग पर कट मोशन रखे जाते हैं उससे पहले अन्य विभागों का प्रगति विवरण पहुंच जाता है लेकिन समाज कल्याण विभाग का नहीं पहुंचता है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कृपया इसके कारण बताने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में उनसे पूरी जानकारी ले रहा हूं और आपको बता दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : ये रिपोर्ट पेश नहीं करते, काम ही करते हैं ।

आप रिपोर्ट में विश्वास करें और ये काम ही काम में विश्वास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा चल रही है, अब इस समय .....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चर्चा तो चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें कठिनाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो कठिनाई नहीं हुई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसका अर्थ यह होता है कि गवर्नमेंट समाज कल्याण की अवहेलना कर रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग को तो गवर्नमेंट फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उसके द्वारा किये जाने वाले काम भूतपूर्व सरकार के काम हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन्स सांचौर नगरीय जलप्रदाय योजना के बारे में रखा है । सांचौर नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । पहले वहां ग्राम पंचायत की स्कीम थी उसके द्वारा पानी की स्कीम चल रही थी, वह ठीक नहीं थी । अब जो नगरीय जलप्रदाय की योजना रखी है, उसको शीघ्र चालू करवाने की व्यवस्था करें । इसके साथ-साथ, उपाध्यक्षजी, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में पानी की जरूरत है । उसका भी प्रावधान करके उसकी पालना करवा दें ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हरियाला-जाखल स्कीम ली है । इस रीजनल स्कीम में 3-4 गांव लिये हैं आकोली, संगडाना, रतनपुरा, ये पास-पास के गांव हैं और जहां पानी के स्रोत नहीं हैं । चार-पांच गांव और रह गये हैं अतः रिवाइज्ड स्कीम बनाकर, क्योंकि सेपरेट स्कीम बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा, इन गांवों को उसी से जोड़ देना चाहिये । संगडाना में पानी नहीं है और सांकड़-पालड़ी योजना में नागालड़ी, अरणाय, घोणना छूट गये हैं । 3-4 गांव छूट गये हैं । उनको भी इन्क्लूड कर लिया जाय । उसके साथ नई स्कीम लाछीवाद-सुराथ-बांचना की है वह भी सर्वे होकर आई है । पिछले समय में प्राथमिकता में यह छूट गई थी अतः इस साल प्राथमिकता देकर इसका काम शुरू किया जाना चाहिये । उपाध्यक्षजी, इसके अलावा सिलर- अचलपुर स्कीम के जैसना, भवाना, सताना जो छोटे-छोटे गांव हैं, उनमें खारा पानी है । इसकी सेपरेट स्कीम बनायें । पानी कहीं और उपलब्ध नहीं, पानी तो यहीं से मिलेगा इसलिये जो बाकी गांव बचे हुए

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
हैं, रिवाइज्ड स्कीम बनाकर उनको भी लिया जाना चाहिये ।

डूंगरी-सेसावा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था । जिले में सबसे कठिन पानी की समस्या का क्षेत्र है, वहां पानी उपलब्ध नहीं है । वहां बरसात में भी पानी उपलब्ध नहीं होता है और फेमीन पड़ता है तो डूंगरी, सेसावा में टेंकर से पानी सप्लाई किया जाता है । वहां पानी का बिल्कुल अभाव है इसलिये 4-5 गांवों की स्कीम का सर्वे कराकर उसको प्रायोरिटी में लीजिये । इस साल उस स्कीम का इम्पलीमेन्टेशन होना चाहिये ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जो सांचौर की जो स्कीम है वह हाड़ेचा क्षेत्रीय स्कीम से जुड़ी हुई है । मेरा निवेदन है कि उसकी अलग से स्कीम बनायें । अभी पानी का सोर्स वहीं से आता है और आल्टरनेट डेज में पानी गांवों में पहुंचाया जाता है । वह न तो सांचौर के लिये काफी होता है और न वहां के लिये ही काफी होता है इसलिये सांचौर की अलग स्कीम बनाई जाय ।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, मैंने सोशल वेलफेयर की मांग पर तीन कट मोशन्स रखे हैं । सोशल वेलफेयर का जो होस्टल सांचौर में चलता है उस होस्टल के दो कमरे दो साल से वर्षा ज्यादा होने से गिर गये हैं । उस भवन की हालत खस्ता है । मेरा निवेदन है कि उसको ठीक कराया जाय । पहले यह होस्टल चलता था तब छात्रों की संख्या अधिक नहीं थी मगर अब उसमें संख्या बढ़ गई है । माननीय मंत्रीजी को कहते हुए दुःख होता है कि मैंने कई बार इसकी मरम्मत के लिये निवेदन किया लेकिन आज तक एक पैसा भी इसकी मरम्मत के लिये नहीं दिया गया है । 4-5 साल से यह होस्टल चल रहा है । अगर कोई भवन होस्टल के लिये किराये पर भी लेते हैं तो 10-15 हजार रुपये अब तक सरकार किराये के दे देती । शिक्षा विभाग ने भी इसके बारे में आश्वासन दिया था मगर उसने भी पैसा नहीं दिया । उसने पैसा दूसरी जगह लगा दिया । मैं चाहूंगा इस होस्टल की मरम्मत के लिये शीघ्र पैसा दें ताकि होस्टल की मरम्मत की जा सके । 50 लड़के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के वहां रहते हैं । या तो सरकार इसको पूर्णरूप से अपने कब्जे में ले और सारा खर्चा इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के होस्टल का वहन करे और अगर एडेड रखे तो उसके भवन की मरम्मत हेतु पैसा दे । कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डी० ओ० लिखा है, मैंने एक लैटर लिखा है । छात्रों को वहां अन्य कोई बिल्डिंग किराये पर नहीं मिलती है । अभी लड़के बाहर रहते हैं और स्थिति यह है कि 10 लड़के कहीं रहते हैं, 5 लड़के कहीं रहते हैं । उनको कोई किराये का मकान नहीं मिलता, कोई अपना मकान किराये पर देना नहीं चाहता । आपने यह भी कहा कि हमारी बिल्डिंग नहीं है । तो बिल्डिंग तो अब आपको दे दी है । आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते हैं ? मरम्मत कराने से समस्या अपने आप हल हो जायगी । आपके अधिकारियों ने भी इस बारे में लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिप्रेजनटेशन दिया है, इसलिये आपको मरम्मत करवानी चाहिये । मैंने इस छात्रावास की सीटें बढ़ाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उसकी सीटें भी कृपया बढ़ाने की व्यवस्था करें ।

उपाध्यक्षजी, जालोर जिले में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के मुकदमात काफी संख्या में हैं और उनकी पैरवी के लिये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कोई इन्तजाम नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिला जालोर में खेती सम्बन्धी, कब्जे सम्बन्धी कई तरह के मुकदमात चल रहे हैं इसलिये राज्य सरकार कोई वकील मुकर्रर करके उनको कानूनी सहायता मुफ्त प्रदान कराये, जैसी कि सरकार की घोषणायें हैं। आज उनके लिये कोई कानूनी सहायता देने की व्यवस्था नहीं है इसलिये राज्य सरकार पूर्णरूप से इस ओर भी ध्यान दे।

उपाध्यक्षजी, जालोर जिले में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से पिछड़ी जाति के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। उनके लिये आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, उनको किसी प्रकार की कुओं के लिये सब्सिडी नहीं दी गई, हाउसिंग लोन किसी प्रकार का नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर जिले की पूरी उपेक्षा की गई है। अब मैं चाहूंगा, राज्य सरकार पूर्ण ध्यान दे। जो पहले कमियां रह गई हैं, उनको भी पूर्ण करें और अब नई स्कीमों की क्रियान्विति भी शीघ्र करें। जनता सरकार ने हरिजनों के बारे में कई घोषणायें की हैं, वह उन सब घोषणाओं को पूरा करे। लेकिन आप कहते बहुत ज्यादा हैं और करते कम हैं। अगर करें ज्यादा और कहें कम तो मैं समझता हूं आपके लिये ठीक होगा। यह आपकी उपलब्धि होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्दजी डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, भगवान न करे कि इस जलप्रदाय विभाग पर कहीं बड़ा प्रकृति का प्रकोप हो जाय। कारण यह है कि जब से अच्छे-अच्छे गांवों में पनघट का क्लब खत्म कर दिया गया है इन्होंने जब से जाल बिछा दिया है, बड़ी-बड़ी नालियों का और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाना शुरू कर दिया है, जलप्रदाय पर लाखों रुपया खर्च करना शुरू कर दिया है उस दिन से, उपाध्यक्षजी, सारा पनघट का क्लब था वह खत्म हो गया है। ......

श्री नवनीत पालीवाल : किसने किया है यह ?

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर औरतें सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहन कर आती थीं, वहां बैठ कर बातें किया करती थीं और कुओं पर पानी भरती थीं, इन इंजीनियरों ने जहां पानी था वहां भगवान जाने क्यों धनराशि लगाने के लिए पनघट का क्लब खत्म कर दिया है। मैं एक बात कहना चाहता था कि जहां पर एक कुआ हो उस पर आप मशीन लगा दीजिए, सारी औरतें वहां पर आयें और पानी भर लें। ग्रामों में प्रकृति का प्रकोप होता है, गांवों में झगड़े भी होते हैं, पति क्रूर भी होता है, नवनीतजी जैसे सभी नहीं होते, वहां पनघट पर औरतें अपनी आपस की बातें करती हैं, शिकायत करती हैं और अपने दिल की बातें करती हैं। लेकिन आपने वह पनघट का क्लब खत्म कर दिया ......

श्री रघुनन्दन व्यास : यह कट मोशन पर बोल रहे हैं क्या, उपाध्यक्ष महोदय ? वैसे ही समय ले रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। क्या पनघट पर इनका कट मोशन है ?

(श्री ओंकारलाल चोहान)

उस सर्वे के बाद आज तक पेयजल उपलब्ध कराने की कौनसी कार्यवाही की गयी। राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे वेस्टर्न पार्ट्स में मीलों तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि तीन-चार वर्ष में किस-किस जगह कितनी-कितनी योजना पीने के पानी की स्वीकृत की गई और उनको क्रियान्वित किया गया? विशेष कर खारे पानी की समस्या जिस क्षेत्र में है, उसकी आबादी बतायी गई वह है 71,59,000। आज तक आपने वहां मीठा पानी उपलब्ध कराने के बारे में क्या कार्यवाही की? ऐसे ग्रामों को पेयजल क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है?

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हैंड पम्प से पानी उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी है। इसके सम्बन्ध में सर्वे होनी चाहिये। कई गांव राजस्थान में ऐसे हैं जहां पर पेयजल व्यवस्था नहीं है। उस गांवों में हैंड पम्प से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। हैंड पम्प के माध्यम से वहां के लोगों को और ग्रामीण जनता को पानी की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ जगह कोशिश की गयी जैसे बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा और झालावाड़ में कुछ किया गया है। मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान का सर्वे इस संबंध में होना चाहिए था कि किस-किस जगह हैंड पम्प के जरिये से पानी उपलब्ध करा सकते हैं।

मैं यह भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य के अन्दर कई ऐसी नदियां हैं जिनका पानी बेकार जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उस पानी का उपयोग किया जा सके। ऐसी व्यवस्था सुचारु रूप से की जाये और नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाकर उसका उपयोग किया जाये ताकि पेयजल की समस्या हल हो सके।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कई योजनायें अधूरी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। अटरू ग्राम के अन्दर आज भी पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक हिस्से के अन्दर पानी की व्यवस्था है और दूसरे हिस्से के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत के अन्दर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने मंत्री महोदय को भी लिखा है कि जो डिफेक्टिव योजनायें चल रही हैं उन योजनाओं को राज्य सरकार क्यों नहीं अपने हाथ में लेती है जिससे इनकी व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके और ग्रामीण जनता के लिये ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था हो सके। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी अधूरी योजनायें हैं उन सब का रिव्यू होना चाहिए। इस रिपोर्ट में रिव्यू का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हर वर्ष रिपोर्ट सामने आती है, आंकड़े आते हैं लेकिन कहीं भी रिपोर्ट में नहीं आता कि हमने कितनी प्रगति की, कितने पर्सेंट आगे काम किया है, कहां हमारे फेल्योर्स रहे हैं, उन फेल्योर्स को ठीक करने के लिए कौन से कदम उठाये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में स्पष्ट नीति बनायें ताकि हम इसमें तरक्की

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कर सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समाज कल्याण के संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं । राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर मैं मानकर चलता हूं कि आबादी का 5 पर्सेंट विकलांग हैं । विकलांग भी हमारे समाज का एक अंग है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उनको रियायत दी गयी है 2 पर्सेंट या 3 पर्सेंट सर्विसेस में रिजर्वेशन की. मैं समझता हूं कि आज दस साल हो गए उसकी क्रियान्विति नही हुई । उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए । यह उनके साथ अन्याय है । आज जब बेरोजगारी भत्ता हम ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लोगों को देते हैं तो विकलांग लोगों को भी देना चाहिए जिससे विकलांग भी जीवनयापन ठीक तरह से कर सकें । बेरोजगारी भत्ता और सर्विसेस के अन्दर रिजर्वेशन देने के लिए सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के जो होस्टल्स हैं उनकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है । होस्टल्स की दशा अच्छी नहीं है । इतना ही मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, वह स्वयं देखें कि उनकी दशा किस प्रकार से ठीक की जा सकती है । उनकी दशा को ठीक किया जाना चाहिए । वहां जो छात्र पढ़ते हैं वह ठीक प्रकार से होस्टल्स की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं । जितनी मात्रा में उनको चीजें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें ।

अंतिम एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा । एक ट्राइबल सब-प्लान बना । उसकी घोषणा हुई और उस पर कार्य भी हुआ । मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन ट्राइबल सब-प्लान का कार्य क्षेत्र सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ और वह भी कुछ तहसीलों तक ही रहा । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगंज और शाहबाद तहसील हैं जहां सहरिये जाति के लोग रहते हैं । वह क्षेत्र आज तक भी ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत नहीं लिया गया । कई पोकेट्स ऐसी हैं जहां 32 पर्सेंट और 33 पर्सेंट उनकी आबादी है उनको ट्राइबल सब-प्लान में लिया गया है । जब कि किशनगंज और शाहबाद की पापुलेशन 32 पर्सेंट आती है तो क्या वजह है कि आज तक उनको ट्राइबल सब-प्लान में शामिल नहीं किया गया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका सर्वे करायें । राजस्थान में और दूसरी पोकेट्स हैं जहां ट्राइबल जाति के लोग रहते हैं और अधिक संख्या में हैं उन सारी पोकेट्स का ट्राइबल सब-प्लान में समावेश किया जाना चाहिए जिससे उन लोगों का उत्थान हो सके और विकास हो सके ।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के संबंध में अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं ....

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है। मेरे पास सूची है उसमें चौथा नम्बर श्री वृद्धिचन्द्र जैन का है।

श्री रामकरण सिंह : मेरे पास जो सूची है उसमें ओंकारलालजी के बाद मेरा नम्बर है। फिर यह परम्परा रही है कि तीन के बाद चौथा नम्बर मेरा ही रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे आप शंका का समाधान कर लीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लोक स्वास्थ्य ....

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री शंकरलाल : दोनों ही सही हैं। आपका नम्बर समाज कल्याण की सूची में चौथे नम्बर पर है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लोक स्वास्थ्य में मेरा नम्बर पहले है और समाज कल्याण में इनके बाद है।

श्री रामकरण सिंह : समाज कल्याण के नम्बर से ले रहे हैं। उसमें मेरा है पहले।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सेक्रेटरी ने जो सूची दी है उसमें वृद्धिचन्द्र जैन का चौथा नम्बर है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं लोक स्वास्थ्य के संबंध में मेरे विचार प्रस्तुत करूंगा। जो लोक-स्वास्थ्य की समस्या है वह जल की समस्या है ......

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले समाज कल्याण की मांग संख्या 32 ली गई है। उसी आधार पर पहले उस पर बोलना चाहिए। फिर जैसी आपकी व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया इनको बोलने दीजिए। मैं इस बारे में और जानकारी कर लूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जल समस्या के बारे में पहले मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं विशेष तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और कुछ जालोर का हिस्सा और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट–इन क्षेत्रों में यह समस्या बहुत ही भयंकर रूप धारण किए हुए है। और जिले हैं उन जिलों में यह समस्या नहीं है, मैं यह नहीं कहता हूं। उन जिलों में राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को हल करने के लिये प्रयास किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपये खर्च किये गये और पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी 22 करोड़ रुपया खर्च किया गया। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो भाषण दिया था उसमें इस बात पर विशेष बल दिया था कि हम पानी की समस्या को हल करने पर विशेष बल देंगे परन्तु 1977-78 के लिये जो राशि रखी गई है, उसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। उससे पहले भी 8 करोड़ रुपये का लक्ष्य था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कम राशि रखी गई थी। अगर आप इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो 25 करोड़ रुपयें सालाना तक की राशि रखनी पड़ेगी। अगर 25

[redacted]

Page No. 80

(80)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करोड़ रुपया रखते हैं तो भी 300 करोड़ रुपये के बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता । तो इस समस्या को हल करने में 12 वर्ष लग जायेंगे । मैं तो कहता हूं अगर 300 करोड़ रुपये की योजना बनायें और 12 वर्ष में भी आप कामयाब हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी सफलता होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें प्राथमिकता आपको फिक्स करनी पड़ेगी । जिन एरियाज में भयंकर समस्या है उन एरियाज में पीने के पानी की समस्या हल करनी पड़ेगी । खास करें जो रेगिस्तानी एरियाज हैं उनमें यह समस्या आ रही है कि ट्यूब वैल्स कितने वर्षों तक आप चला सकते हैं ? इसकी पूरी तरह से जांच कराइये । ऐसा न हो कि 10 वर्ष ट्यूब वैल्स चलें और यह समस्या फिर पैदा हो जाये । इसके लिये राजस्थान कैनाल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे योजना बनाकर इरिगेशन पर्पज के लिये अगर उसके पानी का उपयोग न कर सकें तो पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये पहले से योजना में प्रावधान रखना होगा ताकि राजस्थान कैनाल से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या का हल निकले । अभी जो स्कीम कार्यान्वित की गई है, उसमें एक बाटरू गांव है वह बहुत लम्बे चौड़े एरिया में फैला हुआ है वहां एक जगह पानी पहुंचाने से यह कह दया जाता है कि उस गांव में पानी पहुंचा दिया गया है । किन्तु एक जगह पानी पहुंचाने से उसी के गांव के लोगों को 10 मील पानी लाने के लिये जाना पड़ता है । कई लोग जा भी नहीं सकते । जो गरीब हैं उनके पास ऊंट नहीं हैं, उनके पास गधे नहीं हैं वे कैसे दस मील जावें । औरतें कैसे दस मील जाकर पानी भरकर वापस घर पहुंचें ! यह इम-पासिबल है, यह नामुमकिन है । जो बड़े गांव हैं उनमें सिर्फ एक स्थान पर पहुंचा दिया गया तो उससे समस्या हल नहीं होगी । जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण पाइन्ट्स हैं वहां पानी पहुंचाना पड़ेगा । दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में एक जगह पानी पहुंचा देने से पानी की समस्या का हल हो सकता है, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में यह स्थिति नहीं है । मैं तो यह कहूंगा कि रेगिस्तानी इलाके में किसी को दो मील से अधिक नहीं जाना पड़े पानी लाने के लिये तभी जाकर हम पानी की व्यवस्था कर सकेंगे । दो मील भी मैं तो कहता हूं काफी है । जयपुर, अलवर में दो मील जाना भी कठिन पड़ता है । रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग, इतने बहादुर हैं कि दो मील भी जा सकते हैं, लेडीज भी जा सकती हैं । अब योजना बनाते समय यह ध्यान रखना है कि किसी को पानी लाने के लिये दो मील से अधिक नहीं जाना पड़े ।

एक बात विशेषकर कहना चाहता हूं जो योजना चल रही है, जितनी भी योजनायें पहले बनी, उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी एक हफ्ते में एक दिन पानी पहुंचे और वह भी एक दिन में एक या दो घंटे पहुंचे तो यह क्या व्यवस्था है । अगर ट्यूब वैल्स की और आवश्यकता हो तो पूरी करनी पड़ेगी । नल-कूप विभाग का इसमें सहयोग नहीं है । इसलिये मैंने यह कट मोशन्स रखे हैं बाड़मेर की ऊडू-पनाउड़ा आदि जितनी भी स्कीमें हैं भूतल जल विभाग उनमें सहयोग दे, उनसे ट्यूब वैल खुदते नहीं । पहले राशि जमा करा दी जाती है तब भी नल कूप नहीं खोदते हैं और उसके कारण स्कीम ठंडी पड़ जाती है और पानी उपलब्ध नहीं होता है ।

दूसरी व्यवस्था जो डीजल सेट्स के रिपेयर्स की है वह ठीक नहीं है । उनको सुधारने के लिये जोधपुर ले जाते हैं तो तीन-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चार महीने लग जाते हैं। इसलिये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर पर यह व्यवस्था करनी चाहिये और यही कोशिश करनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में डीजल सैट्स की रिपेयर की व्यवस्था हो। बिजली के बारे में भी व्यवस्था करनी चाहिये।

अब मैं समाज कल्याण पर .....

श्री उपाध्यक्ष : समय नजदीक आ रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिये मैं इम्पार्टेंट पॉइन्ट्स टेक अप कर रहा हूं।

समाज कल्याण के बारे में सबसे महत्व-पूर्ण चीज है वह हमारे लिये, भले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, भले ही जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों, सबके सोचने की बात है कि छुआछूत की समस्या का हल अभी तक हम कर नहीं पाये हैं। अभी तक छुआछूत की बीमारी फैली हुई है। अभी भी ग्रामों के अन्दर, नगरों के अन्दर छुआछूत, भेद-भाव पीने के पानी के लिये बरता जा रहा है। गांवों में जो कुए गवर्नमेंट की ओर से बनाये जाते हैं उनसे भी पानी उनको उपलब्ध नहीं होता है। जो इन्डिविजुअली कुए बनाते हैं उनसे तो पीने का पानी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भी छुआछूत की बीमारी बहुत ही प्रज्वलित है। इसके लिये बहुत ही कार्य करने पड़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अधिक काम करने पड़ेंगे।

हरिजनों के सिर पर मैला उठाने की जो प्रथा है वह हमारे लिये अभिशाप है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिये नगरपालिकाओं को प्रयास करने पड़ेंगे। नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से मदद देनी पड़ेगी। कुछ पहले प्रयास किये गये और कुछ और करने पड़ेंगे और प्रयास करके इस प्रथा को मिटाना पड़ेगा। इसके लिये नगरपालिकाओं को विशेष रूप से मदद देनी होगी।

छात्रावासों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। मैं देखता हूं कि नगरों में जो छात्रावास होते हैं उनको किराये पर भी अच्छा मकान नहीं मिलता है। खराब मकान ही उनको किराये पर मिलता है। अभी भी सवर्ण लोग छात्रावासों के लिये मकान किराये पर नहीं देते। धीरे-धीरे यह कोशिश की जानी चाहिये कि छात्रावासों के लिये मकान राज्य की ओर से बनाये जायें और कुछ जनता भी कन्ट्री-ब्यूशन करे। मेरा निवेदन है कि छात्रावासों के मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये ••

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा उनमें खाने-पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। डाइट अच्छी नहीं मिलती। इसलिये मंहगाई को देखते हुए खाने-पीने के लिये रुपया और बढ़ना चाहिये।

सर्विसेज में जो रोस्टर सिस्टम है, उसका पालन नहीं होता है। रोस्टर सिस्टम का पालन कराने के लिये होम डिपार्टमेंट को सक्रिय होना चाहिये और समाज कल्याण को भी सक्रिय होना चाहिये ताकि रोस्टर सिस्टम का पालन अच्छी तरह से हो।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, समाज कल्याण का प्रगति विवरण अभी तक पेश नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बाद में आ जायगा। कल आ जायगा। आज डिमाण्ड है, कल तक आ जायगा। नेक्स्ट डे आ जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : मुस्कान से उत्तर नहीं, काम से उत्तर होना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी विभाग की मांग पेश होती है और उस मांग पर कट मोशन रखे जाते हैं उससे पहले अन्य विभागों का प्रगति विवरण पहुंच जाता है लेकिन समाज कल्याण विभाग का नहीं पहुंचता है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कृपया इसके कारण बताने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में उनसे पूरी जानकारी ले रहा हूं और आपको बता दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : ये रिपोर्ट पेश नहीं करते, काम ही करते हैं ।

आप रिपोर्ट में विश्वास करें और ये काम ही काम में विश्वास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा चल रही है, अब इस समय .....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चर्चा तो चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें कठिनाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो कठिनाई नहीं हुई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसका अर्थ यह होता है कि गवर्नमेंट समाज कल्याण की अवहेलना कर रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग को तो गवर्नमेंट फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उसके द्वारा किये जाने वाले काम भूतपूर्व सरकार के काम हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन्स सांचोर नगरीय जलप्रदाय योजना के बारे में रखा है । सांचोर नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । पहले वहां ग्राम पंचायत की स्कीम थी उसके द्वारा पानी की स्कीम चल रही थी, वह ठीक नहीं थी । अब जो नगरीय जलप्रदाय की योजना रखी है, उसको शीघ्र चालू करवाने की व्यवस्था करें । इसके साथ-साथ, उपाध्यक्षजी, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में पानी की जरूरत है । उसका भी प्रावधान करके उसकी पालना करवा दें ।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हरियाला-जाखल स्कीम ली है । इस रीजनल स्कीम में 3-4 गांव लिये हैं आकोली, संगडाना, रतनपुरा, ये पास-पास के गांव हैं और जहां पानी के स्रोत नहीं हैं । चार-पांच गांव और रह गये हैं अतः रिवाइज्ड स्कीम बनाकर, क्योंकि सेपरेट स्कीम बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा, इन गांवों को उसी से जोड़ देना चाहिये । संगडाना में पानी नहीं है और सांकड़-पालड़ी योजना में नागालड़ी, अरणाय, घाणना छूट गये हैं । 3-4 गांव छूट गये हैं । उनको भी इन्क्लूड कर लिया जाय । उसके साथ नई स्कीम लाछीवाद-सुराथ-बांचना की है वह भी सर्वे होकर आई है । पिछले समय में प्राथमिकता में यह छूट गई थी अतः इस साल प्राथमिकता देकर इसका काम शुरू किया जाना चाहिये । उपाध्यक्षजी, इसके अलावा सिलर- अचलपुर स्कीम के जैसना, भवाना, सताना जो छोटे-छोटे गांव हैं, उनमें खारा पानी है । इसकी सेपरेट स्कीम बनायें । पानी कहीं और उपलब्ध नहीं, पानी तो यहीं से मिलेगा इसलिये जो बाकी गांव बचे उन

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

रिवाइज्ड स्कीम बनाकर उनको भी लिया जाना चाहिये।

डूंगरी-सेसावा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। जिले में सबसे कठिन पानी की समस्या का क्षेत्र है, वहां पानी उपलब्ध नहीं है। वहां बरसात में भी पानी उपलब्ध नहीं होता है और फेमीन पड़ता है तो डूगरी, सेसावा में टेंकर से पानी सप्लाई किया जाता है। वहां पानी का बिल्कुल अभाव है इसलिये 4-5 गांवों की स्कीम का सर्वे कराकर उसको प्रायोरिटी में लीजिये। इस साल उस स्कीम का इम्पलीमेन्टेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जो सांचौर की जो स्कीम है वह हाड़ेचा क्षेत्रीय स्कीम से जुड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि उसकी अलग से स्कीम बनायें। अभी पानी का सोर्स वहीं से आता है और आल्टरनेट डेज में पानी गांवों में पहुंचाया जाता है। वह न तो सांचोर के लिये काफी होता है और न वहां के लिये ही काफी होता है इसलिये सांचोर की अलग स्कीम बनाई जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, मैंने सोशल वेलफेयर की मांग पर तीन कट मोशन्स रखे हैं। सोशल वेलफेयर का जो होस्टल सांचौर में चलता है उस होस्टल के दो कमरे दो साल से वर्षा ज्यादा होने से गिर गये हैं। उस भवन की हालत खस्ता है। मेरा निवेदन है कि उसको ठीक कराया जाय। पहले यह होस्टल चलता था तब छात्रों की संख्या अधिक नहीं थी मगर अब उसमें संख्या बढ़ गई है। माननीय मंत्रीजी को कहते हुए दुःख होता है कि मैंने कई बार ... के लिये भी इसकी मरम्मत के लिये नहीं दिया गया है। 4-5 साल से यह होस्टल चल रहा है। अगर कोई भवन होस्टल के लिये किराये पर भी लेते हैं तो 10-15 हजार रुपये अब तक सरकार किराये के दे देती। शिक्षा विभाग ने भी इसके बारे में आश्वासन दिया था मगर उसने भी पैसा नहीं दिया। उसने पैसा दूसरी जगह लगा दिया। मैं चाहूंगा इस होस्टल की मरम्मत के लिये शीघ्र पैसा दें ताकि होस्टल की मरम्मत की जा सके। 50 लड़के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के वहां रहते हैं। या तो सरकार इसको पूर्णरूप से अपने कब्जे में ले और सारा खर्चा इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के होस्टल का वहन करे और अगर एडेड रखे तो उसके भवन की मरम्मत हेतु पैसा दे। कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डी० ओ० लिखा है, मैंने एक लैटर लिखा है। छात्रों को वहां अन्य कोई बिल्डिंग किराये पर नहीं मिलती है। अभी लड़के बाहर रहते हैं और स्थिति यह है कि 10 लड़के कहीं रहते हैं, 5 लड़के कहीं रहते हैं। उनको कोई किराये का मकान नहीं मिलता, कोई अपना मकान किराये पर देना नहीं चाहता। आपने यह भी कहा कि हमारी बिल्डिंग नहीं है। तो बिल्डिंग तो अब आपको दे दी है। आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते हैं? मरम्मत कराने से समस्या अपने आप हल हो जायगी। आपके अधिकारियों ने भी इस बारे में लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिप्रेजनटेशन दिया है, इसलिये आपको मरम्मत करवानी चाहिये। मैंने इस छात्रावास की सीटें बढ़ाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसकी सीटें भी कृपया बढ़ाने की व्यवस्था करें।

Page No. 84

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के मुकदमात काफी संख्या में हैं और उनकी पैरवी के लिये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कोई इन्तजाम नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिला जालोर में खेती सम्बन्धी, कब्जे सम्बन्धी कई तरह के मुकदमात चल रहे हैं इसलिये राज्य सरकार कोई वकील मुकर्रर करके उनको कानूनी सहायता मुफ्त प्रदान करावे, जैसी कि सरकार की घोषणायें हैं। आज उनके लिये कोई कानूनी सहायता देने की व्यवस्था नहीं है इसलिये राज्य सरकार पूर्णरूप से इस ओर भी ध्यान दे।

उपाध्यक्षजी, जालोर जिले में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से पिछड़ी जाति के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। उनके लिये आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, उनको किसी प्रकार की कुओं के लिये सब्सिडी नहीं दी गई, हाउसिंग लोन किसी प्रकार का नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर जिले की पूरी उपेक्षा की गई है। अब मैं चाहूंगा, राज्य सरकार पूर्ण ध्यान दे। जो पहले कमियां रह गई हैं, उनको भी पूर्ण करे और अब नई स्कीमों की क्रियान्विति भी शीघ्र करे। जनता सरकार ने हरिजनों के बारे में कई घोषणायें की हैं, वह उन सब घोषणाओं को पूरा करे। लेकिन आप कहते बहुत ज्यादा हैं और करते कम हैं। अगर करें ज्यादा और कहें कम तो मैं समझता हूं आपके लिये ठीक होगा। यह आपकी उपलब्धि होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्दजी डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, भगवान न करे कि इस जलप्रदाय विभाग पर कहीं बड़ा प्रकृति का प्रकोप हो जाय। कारण यह है कि जब से अच्छे-अच्छे गांवों में पनघट का क्लब खत्म कर दिया गया है इन्होंने जब से जाल बिछा दिया है, बड़ी-बड़ी नालियों का और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाना शुरू कर दिया है, जलप्रदाय पर लाखों रुपया खर्च करना शुरू कर दिया है उस दिन से, उपाध्यक्षजी, सारा पनघट का क्लब था वह खत्म हो गया है। ......

श्री नवनीत पालीवाल : किसने किया है यह ?

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर औरतें सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहन कर आती थीं, वहां बैठ कर बातें किया करती थीं और कुओं पर पानी भरती थीं, इन इंजीनियरों ने जहां पानी था वहां भगवान जाने क्यों धनराशि लगाने के लिए पनघट का क्लब खत्म कर दिया है। मैं एक बात कहना चाहता था कि जहां पर एक कुआ हो उस पर आप मशीन लगा दीजिए, सारी औरतें वहां पर आयें और पानी भर लें। ग्रामों में प्रकृति का प्रकोप होता है, गांवों में झगड़े भी होते है, पति कूर भी होता है, नवनीतजी जैसे सभी नहीं होते, वहां पनघट पर औरतें अपनी आपस की बातें करती हैं, शिकायत करती हैं और अपने दिल की बातें करती हैं। लेकिन आपने वह पनघट का क्लब खत्म कर दिया ......

श्री रघुनन्दन व्यास : यह कट मोशन पर बोल रहे हैं क्या, उपाध्यक्ष महोदय ? वैसे ही समय ले रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। क्या पनघट पर इनका कट मोशन है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कट-मोशन दिया है पनघट क्लब पर।

श्री एच० एन० शर्मा : यह तो सौंदर्य की परिभाषा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने पनघट के क्लब खत्म कर दिए इसलिए मैंने कट-मोशन दिया है और मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इन योजनाओं को बन्द कर दो। जहां गांव अच्छे हैं उन गांवों में केवल एक कुए पर मशीन लगा दो और दूसरे गांवों के लिये अपनी धनराशि को बचाओ। भगवान न जाने कौनसी नालियां बन रही हैं। आपका लाखों रुपया व्यर्थ होता है इस प्रकार से। आप अपनी योजनाओं को संभालिए।

मेरे पाली शहर में पानी होगा लेकिन गांवों में पानी नहीं होगा.....

श्री नवनीत पालीवाल : आपके पाली में तो पानी है।

श्री मूलचन्द डागा : जिनकी आंखों में पानी है उनके यहां पर भी पानी है। जिनके चेहरे पर पानी नहीं उनके क्या पानी होगा।

पाली क्योंकि कलेक्टर का एरिया है इसलिए वहां पर पानी की नई लाइन जायेगी। नवनीतजी पालीवाल क्योंकि नाथद्वारा से आते हैं इसलिए नाथद्वारा में पानी का नया पम्प लगेगा, दो इंच की जगह चार इंच की पाइप लाइन लगाई जायेगी ? लेकिन जहां पर गरीब बस्ती है, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, मजदूरों की बस्ती है ऐसी जगहों पर पानी नहीं जाएगा। इंजीनियर कलेक्टर के नीचे मोहताज हैं। कैसे गांधीजी का स्वप्न पूरा होगा ? गांधीजी कहते थे कि मेरा स्वराज्य ऐसा होगा, जहां गरीबों को वह वस्तु उपलब्ध होगी जो राजा-महाराजाओं को उपलब्ध होती है।

यह समाज कल्याण विभाग क्या है ? इस समाज कल्याण विभाग को भंग कर दो, मेहरबानी करके ताला लगा दो इस समाज कल्याण विभाग को। मेरे खयाल से पहले परीक्षण करके देखो कि किस समाज की रचना करना चाहते हो। कौनसा समाज बनाना चाहते हो। सेठों का समाज ? मेरे दोस्त ऐसी विषमता से समाज को मुक्त करके उस समाज को बनाना चाहते हैं जिसमें मानव मानव के प्रति ऐसे सम्बन्ध स्थापित करे जिसमें गरीब आदमी को भी बराबर का हक हो। जहां पर एक गरीब आदमी भी सौंदर्य का आनन्द ले सके। आप कौनसा समाज चाहते हैं पहले उसका कंसेप्शन तय करो। आप कहते हो कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को प्लाट दे देंगे। ठेका दे दिया अनुसूचित जाति को। मैं गरीब हूं लेकिन अनुसूचित जाति का नहीं हूं तो रह गया। यह समाज कल्याण के नाम हैं। आपका खटीक जाति का होस्टल है, यह अनुसूचित जाति का होस्टल है। इन जातिवाद पर चलने वाले होस्टलों को बन्द कर दो, इन होस्टलों को आग लगा दो, इन होस्टलों को बन्द कर दो। 1977 में ये चीजें चलें, शर्म खाओ। इन लड़कों को भी उन्हीं होस्टलों में रखो जहां पर दूसरे विद्यार्थी रहते हैं। यह भांभी बस्ती, यह भील बस्ती ! ये क्या बस्तियां बना रखी हैं ! जयप्रकाश बाबू ने कहा, क्रान्ति लायेंगे। क्रांति आप ला सकते हो ? नाथद्वारा की मूर्ति को प्रार्थना करो कि वह आपकी नई बातों को सफल करे। आज नया सूरज उगा है तो नई बातें करो और पुरानी बातों को भूल जाओ। इस तरह से न समाज कल्याण हो सकता है, न आपके पास कोई समाज

(श्री मूलचन्द डागा)
कल्याण का कंसेप्शन है क्लियर। मैं अनुसूचित जाति का हूं इसलिए मुझे प्लाट मिलेगा। हैं कौन आप? मैं कमिश्नर हूं लेकिन मैं जाति का अनुसूचित हूं इसलिए प्लाट मिलेगा। अरे भगवान, तेरे चार-चार बेटे कमाने वाले। मैं कौन? जन-जाति का हूं। क्या है तू? मैं इन्जीनियर हूं, फिर भी प्लाट ले लूंगा क्योंकि जनजाति का हूं। यही है समाज कल्याण का मतलब? समाज कल्याण का कंसेप्शन क्लियर होना चाहिये। जो समाज में वीकर सेक्शन है, जो समाज में वीक हैं उनको महत्व दीजिए तभी समाज कल्याण हो सकता है। यह समाज कल्याण नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने यह 163 संस्थायें बना रखी हैं, ये चन्दा देने की संस्थायें हैं जिनमें 51 लाख और 66 हजार रुपया चन्दा दिया गया है। ये संस्थायें क्यों पाल रखी हैं. . . .

श्री शीशराम ओला : आप इनको खत्म कर दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : इशारा कर रहे हैं। जवानी में इशारा कर सकते हो।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह क्या तरीका है कि 51 लाख 66 हजार रुपया दे दिया? ये कौनसी संस्थायें हैं। सिर्फ राजनीतिज्ञ लोगों को अपना संरक्षण देना है, जिनको पनपाना है. . . .

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी, नाम बताइये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे कहता हूं कैलाशजी, जिस तरह से आपने सरपंचों को काट दिया है मूली की तरह से काट दिया है, उसी तरह से इनको भी काट दो एकदम से, यह समाज कल्याण है? भगवान रक्षा करे इस कल्याण की। यहां पर भांभी होस्टल और दो सौ के लिए जगह, लेकिन मीणा आ गया तो नहीं लेंगे, भांभी को लेंगे। मीणा कहां जाएगा? वह राणी में जाएगा? कहां जाएगा मीणा, मैं पूछता हूं? यह जातिवाद पैदा करता है समाज कल्याण विभाग। भगवान रक्षा करे इसकी।

बातें काफी हैं, दस मिनट का समय है। और घण्टी का डर अलग है।

यह सारा का सारा कौनसा कल्याण है? यह समाज कल्याण तो केवल पानी वहीं पर देगा जहां पानी होगा।

श्री महबूब अली : आज आप तैयारी करके नहीं आए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो पूरी तरह से तैयार हूं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर गांव में पानी देना है तो शहरों में जो पानी का ज्यादा खर्चा होता है, बन्द कर दो उनकी योजनाओं को। बन्द कर दो इन सभी को। हजारों गैलन पानी बरबाद कर दिया। आपको क्या मालूम, कैसे पानी आता है। बीकानेर में रहते हो आराम से। आपको क्या मालूम गांव की हालत। कभी मालूम किया है? उदयपुर वाले बाथरूम में नहाते हैं, हजारों गैलन पानी अपने शरीर पर डाल कर बरबाद कर दिया। यह बिल्कुल बेसिकल बात है। हम लोग तीस साल से बहस करते हैं, पानी नहीं है। आंखों में है पानी आपके. . .

श्री औंकारलाल चौहान : पाली में तो पानी है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में तो है लेकिन आप तो पानीदार बनो। अफसोस है कि आपकी आंखों में पानी भी नहीं रहा।

(श्री मूलचन्द डागा)

तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कंसेप्शन है उसको क्लियर करो। इरादा मजबूत हो तो कर सकते हो। बड़े बड़े भाषण देता है आपका बड़ा मुख्य मंत्री, बड़ी जोरदार घोषणायें करता है, गरजता है। लेकिन गरजने के बाद भी निकला क्या? दो करोड़ रुपया खर्च होगा, यह बता दिया और काम खत्म। करने का इरादा हो तो कर लो। उधार ले लो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन्स हैं, जीवन बीमा निगम है, और भी हैं उनसे उधार ले लो। करने को कुछ नहीं, कह दिया बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत है। इरादा है नहीं, काम करने का तरीका है नहीं और केवल बातें करने की आदतें हैं। हमने भी बातें कर लीं और आप भी कर लो कुछ बातें और गरज गरज कर सदन में आश्वासन दे दो, तूफान पैदा कर देंगे। ये जयप्रकाशजी के अनुयायी करेंगे कुछ न कुछ, इनके चेहरे से मालूम पड़ता है, आग बरसती है। ये जनसंघ के लोग मानने वाले नहीं हैं, ये बड़े क्रान्तिकारी लोग हैं, जरूर ये क्रांति करेंगे, नई बातें लायेंगे। इसलिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग समाज कल्याण के लिए पहला काम करो कि इसका सारा कंसेप्शन ही बदल दो।

मेरे पाली में पानी किसको मिलेगा? पाली में फैक्ट्रियों को पानी मिलेगा। अब यह जल प्रदूषण का बोर्ड बना दिया। क्या होगा इस जल प्रदूषण बोर्ड से, भगवान जाने। यह गन्दा पानी कहां जाएगा? गरीब लोगों के मोहल्ले में। नाम लेंगे गरीबों का और लाभ कौन उठायेंगे? बड़े बड़े लोग, फैक्ट्रियों वाले लोग। यह जनता पार्टी का कंसेप्शन है जनता पार्टी एक नई चीज लेकर आये। केवल घिसी पिटी बातों को लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने यह किया और वह किया, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। हम भी चले गये और गड़े मुर्दे उखाड़ते उखाड़ते आप भी चले जाओगे। क्या किया और क्या नहीं किया—इसको भूल जाओ। यह रट लगाना बन्द कर दो और काम करने में लग जाओ। यह विधवाओं वाली बातें हैं। यहां पर विधवाओं की तरह बातें मत करो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब आप लोग कुछ करके उदाहरण दीजिए। तीस साल में जो कुछ करना था कर दिया लेकिन आज तो नया जीवन आया है, नया सूरज उगा है, नई जिन्दगी लेकर आया है, उपाध्यक्ष महोदय, तो आज की तारीख नई है, आज का दिन नया है, समस्यायें नई हैं, सुलझाने का तरीका नया है, सामने बैठने वाले मंत्री भी नये हैं, जवान हैं, कुछ करने की तमन्ना है तो कर दिखाओ। यह नहीं कि भैरोंसिंहजी जो बात कह दें उस पर 'जी हां' कर दिया। 'जी हां', 'जी हां', करने की आदत छोड़ दो। इसलिए मैं एक ही बात...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कहना चाहता हूं कि यह समाज का कल्याण तभी होगा जब आप इसकी फिलोसोफी को पलटोगे।

मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि गांवों में और शहरों में फर्क बहुत है। शहरों की योजनाओं को कम करके गांवों में पैसा लगाओ। ये बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करो और ग्रामों में पीने के पानी की समस्या हल करने का इरादा कर लो। सारी जगह के रिसोर्सेज टैप कर के गांवों में पानी पहुंचाओ। गांव के लोग आशीर्वाद देंगे और कहेंगे, जनता पार्टी भी काम करती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य के बारे में हमारे नए मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि गांवों की पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी । हमें उम्मीद थी कि उसके अनुसार आगे कार्यवाही होगी । उन्होंने घोषणा में यह भी कहा कि बोर्ड का गठन किया जाएगा । वैसे भूतपूर्व सरकार के समय भी इस विधान सभा में एक गैर सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था-ग्रामीण जल समस्या के निवारण हेतु एक बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में । जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, समाचार पत्रों में पढ़ा है, एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसमें एक श्री सोगानी और दूसरे अधिकारी को रखा गया है । क्या इस प्रकार का विचार चल रहा है ?

श्री महबूब अली : बोर्ड के गठन करने की बात है । इसके पहले इसका अध्ययन करने के लिए कमेटी बनी है ।

श्री शंकरलाल : परन्तु जो घोषणा हुई थी, वह बोर्ड के गठन के बारे में हुई थी । जैसा कि, उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य है, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण जिलों के अन्दर यह समस्या विकट है । इस बोर्ड का गठन हो, तो उसमें उन इलाकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए जहां पर कि वास्तव में यह समस्या है । यह भी घोषणा सरकार ने की है कि बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा । जो बोर्ड का गठन किया जाए, अभी तो अध्ययन कमेटी बनी है, उसके अन्दर पश्चिमी राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जो समस्या है, उन इलाकों का प्रतिनिधित्व हो सके और उनकी जानकारी का उपयोग हो सके ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रगति रिपोर्ट हमें मिली है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि आप स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि आपके पास बहुत ही कम साधन हैं । इस कारण आप अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे । आपने स्वयं ने यह माना है । यह प्रगति रिपोर्ट का पृष्ठ 12 है, इसमें लिखा है—

"वर्ष 1977-78 में नई ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत करने के लिए योजना मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1976-77 के अन्त तक स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं में से अब तक 926 ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है।" आगे कहा है—"इस वर्ष बहुत सीमित राशि (6 करोड़ रुपया) आवंटित की गई है अतः इस वर्ष कोई भी नई ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की जा रही है एवं निर्माणाधीन योजनाओं को ही शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है" ।

एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि कोई नई योजना नहीं ली जाएगी, दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि हम गांवों के अन्दर जो पीने के पानी की समस्या है, उसको हल करेंगे । तो आप पहले इसको स्पष्ट करें कि किसी प्रकार की नई योजना चलाएंगे या नहीं इस वर्ष के अन्दर या यह घोषणा घोषणा मात्र

(श्री शंकरलाल)

ही है ? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि धन नहीं है इसलिये नई योजनाएं नहीं ले सकते हं।

इसके अलावा आपने अभी अभी कुछ जिलों से प्राथमिकता के लिए, योजनाओं के बारे में विचार मांगे हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पाली जिले में जो कमेटी है, उसने जो योजना भेजी है, वह 28.57 लाख रुपये की है। मेरे क्षेत्र के गांव मीठी, राठोती, नम्बादा आदि हैं। इनके बारे में प्रस्ताव हमने 10 सितम्बर, 1977 को स्वीकृत कर भेजा है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, आप योजना नहीं ले सकते हैं, दूसरी तरफ आप जिलों से योजना के प्रस्ताव मंगवा रहे हैं। यह जो विरोधाभास है, इसका आप कृपया स्पष्टीकरण करें। क्या आप नई जल प्रदाय योजनाओं को हाथ में लेने की क्षमता रखते हैं ?

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने इस रिपोर्ट में कहा है कि नगरों के अन्दर जहां कि बड़ी बड़ी योजनाओं से गंदे पानी की समस्या फैल गयी है, इसलिये उसके निकास की योजना लेने की बात आपने कही है। जो सदस्य अलग अलग इलाके से आते हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है और यह कहा है कि जहां भी जल प्रदाय योजनाएं बनी हैं, वहां से गंदे पानी के निकास का प्रबन्ध नहीं होता है, तो उससे गंदगी फैलती है और वहां पर एक नयी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी राज्य सरकार जल प्रदाय की योजना स्वीकार करे, वहां साथ साथ गंदे पानी के निकास की भी व्यवस्था करे। जैतारण तहसील में, नम्बार गांव में पानी फैला रहता है। कीचड़ होता है और मच्छर फैलते हैं। इस प्रगति विवरण में लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, "राज्य सरकार के उपलब्ध साधनों के अनुसार राज्य के प्रमुख नगरों में गंदे पानी के निकास के लिये योजनाओं का सर्वेक्षण करना, योजनाओं का निर्माण करना भी विभाग की गतिविधियों में सम्मिलित है"। परन्तु आपने यह नहीं बताया कि कितनी योजनाओं का सर्वेक्षण अब तक आपने कर लिया है, कितनी कार्यान्वित कर ली हैं ? चाहे आप कम योजना हाथ में लें परन्तु जो भी योजना लें उसके साथ साथ गंदे पानी के निकास का भी प्रबन्ध करें तो आपकी जल प्रदाय योजनाओं का काम ठीक होगा।

समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिए हैं। वैसे राज्य के अन्दर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जातियां हैं उनके लिए आपने सुविधाओं की घोषणा की है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अलग से करूंगा कि आपके राज्य में आज किस प्रकार से इनकी अवहेलना की जा रही है। जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है, वह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा है कि आपके समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पिछड़ी हुई जातियां घोषित की गई हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा जो बैकवर्ड जातियां हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी है। केवल आपकी घोषणा मात्र है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अन्दर यह राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए घोषणाएं करे, उनके लिए कुछ प्रावधान रखें, सर्विसेज के अन्दर उनको तरक्की देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है।

(श्री शंकरलाल)
अन्य कई राज्यों के अन्दर इस प्रकार की पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है। हमारे राजस्थान के अन्दर इनकी आबादी तीस प्रतिशत है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुल मिला कर हमारे यहां पर ऐसी 57 जातियां हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन सारी जातियों की लिस्ट है, मैं उसको पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा, यह मंत्री महोदय को दे दूंगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा यह लिस्ट प्रकाशित की गई है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को सुविधाएं देने के लिए एक मण्डल बनाया गया था, वह काम नहीं कर रहा है जब से भीखा भाई उसके सभापति नहीं रहे। आप कई प्रकार के आयोग बिठाते हैं, इन 57 पिछड़ी जातियों का मामला भी महत्वपूर्ण है, एक आयोग या कमीशन इन बैकवर्ड जातियों के लिए भी बनावें। यू.-पी. में इस प्रकार के कमीशन का गठन किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अन्य दूसरे प्रदेशों से भी इस बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, ये हमारे राज्य की करीब तीस प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं। जिन जातियों को पिछड़ी हुई जातियां घोषित किया गया है, उनके लिए आयोग का गठन करें और उनको सुविधाएं देने के लिए आप अग्रसर हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार की निगम बनाने की योजना है जिसका बजट भाषण में भी जिक्र आया था, उसका बजट में जो प्रावधान किया गया है वह तो निश्चय ही स्वागत योग्य है, लेकिन निगम की इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायगा, इस पर माननीय मंत्रीजी अपने विचार प्रगट करें तो अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जल विभाग में योजनाएं जो बनी हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें कटाव की जो समस्या है, वह आइटम उनसे कवर नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि उसका समाधान होना चाहिए, यह मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि...

(2.00 म.प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

इस आइटम को भी इसमें कवर किया जावे।

टोंक जिले में जो रीजनल योजना है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजना पश्चिमी राजस्थान के लिये तो उपयुक्त हो सकती है जहां पर पानी की ज्यादा कमी है, लेकिन टोंक के लिये रीजनल योजना उपयुक्त नहीं है। यहां पर जो अण्डरग्राउन्ड वाटर है वह स्वच्छ होता है। इस योजना की उपयोगिता गांववाइज आंकी जानी चाहिए।

दूसरी बात, रीजनल योजनाओं के अन्तर्गत छोटे गांव बहुत कम कवर होते हैं। कई पंचायतों ने पैसा जमा कराया था लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको वह पैसा वापस दिया जाय या उन योजनाओं को वहां पर पूरा किया जाय। इस प्रगति विवरण से ऐसा

(श्री अजीत सिंह)
मालूम होता है कि उन योजनाओं को समाप्त कर दिया है। इसलिए उन पंचायतों को, जिन्होंने पैसा जमा कराया है, पैसा वापस लौटाने की कृपा करें।

इसके साथ ही बनास योजना के लिए बताया गया है। मेरा निवेदन है कि जब आप सभी शहरों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, पानी को लिफ्ट करने को, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हैं तो गांवों के लिए भी यही उपयुक्त होगा, वहां पर भी आप ऐसी योजना लागू करें। आगे जाकर आपको अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ वगैरह को पानी तो देना पड़ेगा, इसलिए इन तीन शहरों के जो आपने प्रगतिविवरण दिये हैं, इस योजना से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पहले गांवों की योजनाओं को टेक-अप करिये और उसी आधार पर आप तय करें तो ठीक रहेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के मोहल्लों में जो समाज कल्याण विभाग पैसा देता है उसका दुरुपयोग होता है और जिनको वह मिलना चाहिए वह पैसा उनको नहीं मिल पाता है। जो कार्यक्रम बनाकर भेजे जाते हैं और जो प्रस्ताव आते हैं, उनके अनुसार समाज कल्याण विभाग पैसा नहीं लगाता है और दुर्भाग्यवश पूरा पैसा लेप्स हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पैसा समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है उसकी जांच की जानी चाहिए कि वह पैसा जो दिया जाता है उसका उपयोग होता है या नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग के अन्तर्गत समस्त गरीबों को कवर-अप किया जाना चाहिए। एक विशेष जाति को ही लाभ नहीं मिलना चाहिए। गरीब गरीब ही है, इसलिये समस्त गरीबों को भी वही सुविधायें दी जानी चाहिएं। इसी तरह से गरीबों के लिए होस्टल्स भी खुलवाये जाने चाहिएं न कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए ही खोलें। ऐसा नहीं हुआ तो गरीब आदमी उससे वंचित रह जायेंगे।

इसके साथ ही मेरा निवेदन यह है कि समाज कल्याण विभाग के अन्दर एक वकील की नियुक्ति की जानी चाहिए। आज बहुत सारे केसेज कोर्ट में उलझे हुए पड़े हैं, गरीबों के, अनुसूचित जाति वालों के और अनुसूचित जन-जातियों के। उनको न्यायिक जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, इसके लिए एक पैनल बनाया जाना चाहिए। ऐसा भी होता है कि आप जो सलेक्शन करते हैं उसमें योग्य आदमी रह जाते हैं इस तरह से गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से एक वकील को नियुक्त किया जाय, जो गरीबों को न्याय दिला सके। इस प्रकार से यह सारी जो उनकी समस्यायें हैं उनका निराकरण हो जायगा और जो उनके अलाटमेंट के केसेज पड़े हुए हैं, बकाया वगैरह के हैं, वकील उनको देखेगा और टेक-अप करेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याण-सिंहजी।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापतिजी, मेरे से पूर्व वक्ता महोदया ने रहीम की पंक्ति के साथ यह बात कही थी--'बिन पानी सब सून' उसी का उदाहरण है कि बिना पानी के

(83)

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

अजमेर को क्या क्या खोना पड़ा। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पानी के बिना ही अजमेर को राजस्थान की राजधानी का गौरव प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा। राजस्थान के निर्माण के समय इस बात पर जोर दिया गया था कि राजधानी अजमेर को बनाया जाय लेकिन पानी की कमी के कारण यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया। सभापति महोदय, इसी तरह से आज पानी के बगैर वहां के सारे उद्योग धंधों की प्रगति रुकी हुई है। पानी के लिए पिछले तीस वर्षों से अजमेर के नाम से योजना बनती चली आ रही है, राजमहल योजना, बनास योजना, बीसलपुर योजना और अन्य कई योजनाएं। लेकिन आज तक इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई प्रगति नहीं हुई और पानी की समस्या वहां पर आज भी ज्यों की त्यों है। पिछले सात-आठ वर्ष पूर्व भी वहां पर एक सर्वे कराया गया था कि चम्बल का जो पानी यू.पी. को फालतू दिया जाता है उस चम्बल के पानी को पम्प करके इस ओर लाया जाय और बनास में डाला जाय वह चम्बल का पानी डैम के माध्यम से और वह पानी अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद आदि शहरों को सप्लाई किया जाय। परन्तु आज तक उस सर्वे रिपोर्ट का पता नहीं है।

दूसरी बात जो पब्लिक हैल्थ विभाग में पद हैं, वे अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये ही लोगों ने बनाये हैं। जनता के हित के लिए कोई योजनाएं नहीं बनायी जाती हैं, अपने ही हितों के लिए प्लान बनाते हैं। कोई पद बनाया जाय, उसके लिये योजना बनायी जाती है, उसमें जन स्वास्थ्य की कोई बात नहीं होती। इसी तरह से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बनास योजना को शीघ्र लागू करें, ताकि अजमेर में जो जल की समस्या बहुत पुरानी समस्या है उसका शीघ्र निवारण किया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग में जो अनावश्यक खर्च है, उसको कम करके जनता के हित में लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जल की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए जो अनावश्यक खर्च है उसमें कटौती की जानी चाहिए चाहे वह अधिकारियों की हो अथवा कर्मचारियों की हो क्योंकि . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह विभाग व्यापारिक पद्धति से चलता है और उसी तरीके से चलना चाहिए। दूसरे, पानी बहुत कम दिया जाता है, और मीटर चार्जेज के नाम पर पैसा बहुत लिया जाता है, इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। अजमेर में मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट पानी आता है और मिनिमम चार्जेज साढ़े सात रुपये लगते हैं, यह हाल कब तक चलता रहेगा ? मेरा निवेदन है कि जितना पानी दिया जाता है, उतना ही पैसा लिया जाए चाहे 4 रुपये आयें चाहे 5 रुपये आयें। मीटर की व्यवस्था को तत्काल समाप्त करना चाहिए। इस मीटर व्यवस्था के नाम से विभाग में भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। इस समय मीटर रीडर की मर्जी पर उपभोक्ता रहता है। उनका मंथली बांध दिया जाय तो ठीक वरना नोटिस मिलते रहते हैं। मीटर रीडर जो रीडिंग भेज देता है उसके हिसाब से बिल जाएगा। तो आप सबसे पहले मीटर की व्यवस्था बंद करें और उपभोक्ताओं को राहत दें। कैसे भी कीमती मीटर की उपभोक्ता खरीद करे दो माह से ज्यादा कोई

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
मीटर सही नहीं चलता इसलिये मीटर प्रणाली बन्द होनी चाहिये ।

समाज कल्याण के लिए मेरा निवेदन है कि जितने छात्रावास बने हुए हैं आप उनकी जांच करायें और देखें कि उनकी स्थिति क्या है, वहां रहने वाले लड़कों को क्या सुविधायें मिल रही हैं और उन सुविधाओं का सही वितरण हो रहा है या नहीं ।

सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था पर तत्काल पाबंदी लगानी चाहिए । 30 साल तक लाखों रुपयें खर्च करने के बाद भी उन हरिजनों को राहत नहीं मिल पाई । तो यह जो कलंक है उसको शीघ्र से शीघ्र मिटाने की व्यवस्था करें ।

श्री सभापति : श्री रामदेव ।

श्री रामदेव (मूण्डवा) : सभापति महोदय, ये जो जल प्रदाय योजनायें क्रियान्वित होने वाली हैं उनके लिए मेरा कटौती प्रस्ताव है । नागौर तहसील में खास तौर से जहां पानी है वहां बिजली नहीं गई है इसलिए ट्यूब-वैल्स खुदे पड़े हैं । बिजली के अभाव में ट्यूब-वैल्स चालू नहीं हो रहे हैं । अगर ट्यूब-वैल्स को चालू कर दिया जाए तो काफी गांवों में पानी पहुंच सकता है । इसके अलावा नागौर में जो पानी की योजना है, वह 1952 से चल रही है लेकिन आज तक क्रियान्वित नहीं हुई । तो उस योजना को तुरन्त लागू करके अगर काम चलाया जाए तो पानी मिल सकता है ।

इसके अलावा जो सर्वे हुआ है वह गलत हुआ है । सर्वे में लिखा हुआ है कि पानी नहीं है, लेकिन कुए खोदने से सिंचाई हो रही है । जहां लिखा है पानी है वहां खारा निकलता है । तो आप पंचायत समिति, नागौर और मूंडवा में सर्वे करायें । जहां अच्छा पानी है वहां ट्यूब-वैल्स खुदवा कर जल प्रदाय योजनाओं को क्रियान्वित करें तो पड़ौस के गांवों को भी पानी मिल सकता है । पंचायत समिति, नागौर और मूण्डवा में 4-5 ट्यूब-वैल्स खोदे गए हैं, उनमें पानी बहुत है । गंगवाने में पानी बहुत है, वहां की स्कीम भेजी हुई है । रिपोर्ट पानी के लिए अच्छी है लेकिन अभी तक स्कीम चालू नहीं की गई है । उसको चालू करें और जिन गांवों में पानी बिल्कुल नहीं है उनमें पानी दिलाने की व्यवस्था करें ।

रूंड और खजवाने में जो ट्यूब-वैल्स तैयार हैं उनमें पानी बहुत है । ट्यूब-वैल योजना भेजी हुई है कलेक्टर के द्वारा उसको तुरन्त लागू कराया जाए । ट्यूब-वैल्स को चालू करवाकर पड़ौस के गांवों में जहां पानी बिल्कुल नहीं है वहां जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें ।

इस तरह के बहुत से गांव हैं जहां पानी है लेकिन सर्वे गलत है । कुए खोद नहीं सकते और न कुए खोदने की सरकार इजाजत देती है । सर्वे के हिसाब से ट्यूब-वैल्स खोदते हैं तो पानी खारा निकलता है । जिन 5-6 गांवों में कुए खोदे हैं उनके लिए सर्वे में लिखा है कि वहां पानी नहीं है । ग्राम तांतवा और चावंडियां में ट्यूब-वैल्स नहीं खोदे गये हैं । वहां पानी बहुत है । इसलिये ट्यूब-वैल्स खुदवा कर पड़ौस के गांवों की जल प्रदाय योजना में पानी दिया जाए ।

ग्राम डारू, लाला, खोरवा, बावना में पानी बहुत हैं । वहां 3 इंच का पाइप चल रहा है । उस पानी से खेती होती है जबकि विभाग वाले कहते हैं कि पानी नहीं है । नागौर और मूण्डवा के पड़ौसी गांवों में पानी

(श्री रामदेव)

की व्यवस्था नहीं है। कुओं में पानी खतम हो जाता है तो दूर दूर के गांवों में पानी लाने के लिये जाना पड़ता है। इसलिये बजट में ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रावधान करें।

छापरी की योजना पास-शुदा है मेड़ता रोड के लिए लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है, उसे चालू कराया जाए।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, मैंने भी इस मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। राजस्थान देश का बहुत बड़ा प्रान्त है। इस प्रांत में आधे से ज्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहां पानी की विकट समस्या गर्मी के दिनों में बनी रहती है। जिस देश और राज्य में आजादी हो उस देश में जहां की जनता व मवेशी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों वहां वे लोग प्यासे मरें, यह सरकार के लिए लज्जाजनक बात है। पिछली सरकार ने राजस्थान के पूरे शहरों में पानी की व्यवस्था की, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं। गांवों में जहां लोग किसान और ग्रामीण 10-10, 20-20 मील से पानी लाते हैं और अपने मवेशियों को दो-दो दिन के बाद पानी पिलाते हैं, वहां पर राज्य सरकार को युद्ध-स्तर पर और प्राथमिकता के आधार पर जल प्रदाय के काम को हाथ में लेना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने जनता पार्टी की सरकार बनते ही घोषणा की थी कि मैं राजस्थान में पानी की समस्या के समाधान की भरसक कोशिश करूंगा। लेकिन बजट में कोई ऐसी बात नहीं देखी गई जिससे आभास हो सके कि निकट भविष्य में यह सरकार पानी की समस्या का समाधान कर सकेगी।

जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, पानी खारा है या जहां अकाल पड़ता है वहां लाखों रुपये राज्य सरकार को पानी की व्यवस्था के लिए खर्च करने पड़ते हैं। इसलिये जल प्रदाय के कामों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम बनाकर युद्ध-स्तर पर पूरा करना चाहिए। यदि लाखों रुपये एक ही बार खर्च करके पानी की समस्या का समाधान करें तो यह बहुत बड़ा काम राज्य व देश की जनता की भलाई के लिए हो सकेगा।

अब मैं अपने क्षेत्र के लिए सुझाव पेश करूंगा। मैं लूणी क्षेत्र से आता हूं, वहां लूणी नदी बहती है, वहां पानी बिल्कुल खारा है इसलिये वहां के लिये प्राथमिकता के आधार पर स्कीम बननी चाहिए। हमारे यहां खेतरी कलां गांव में 10 टंकियां बनी हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए कि किस इंजीनियर की लापरवाही से किस टेकेदार ने ऐसा किया जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ और जनता के धन का दुरुपयोग हुआ.....

श्री महबूब अली : कौनसा गांव ?

श्री रामसिंह विश्नोई : खेतरी कला।

इंजीनियर ने पैटर्न तय किया ? कम से कम पता तो लगे कि इस इंजीनियर ने बनाया जिस अधिकारी की गलती से जनता के धन का दुरुपयोग हुआ, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें। जहां लूणी नदी बहती है वहां 15-20 गांवों में बिल्कुल खारा पानी है। जोधपुर के लिए जो पानी आता है, उसके लिए वहां टंकी बनी हुई थी। वहां के लिए यदि ऐसी व्यवस्था करें तो वहां की जनता विभाग व सरकार के प्रति आभार प्रकट करेगी।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये आप टंकी बनाते हैं, जहां पर 150-200 घरों की बस्ती हो वहां पर चार-पांच घरों के आस पास टंकी बनानी चाहिये जिससे कि उनको पानी मिल सके। अन्यथा आप टंकियां तो बनाते हैं पर उनमें पानी नहीं आता है क्योंकि बिजली नहीं आने से ट्यूब-वैल नहीं चल सकते हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप पानी देते हैं वह कम से कम एक सप्ताह में दो दिन या 24 घण्टे तक तो दें। अभी वहां पर एक सप्ताह में दो घण्टे ही पानी देते हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में न सिर्फ आदमी ही रहते हैं जानवर भी होते हैं। उनके लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। जब तक आप सप्ताह में दो दिन या 24 घन्टे भी पानी उन टंकियों में से नहीं देंगे तब तक जो होज उन लोगों ने पानी के लिये बना रखे हैं वह भर नहीं सकते। इसी कारण आपकी टंकियां वगैरह बेकार ही पड़ी रहती हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति महोदय, मैंने आज की मांगों पर दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, एक तो लोक स्वास्थ्य की मांग पर दूसरा समाज कल्याण की मांग पर।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले लोक स्वास्थ्य विभाग पर दिये गये कटौती प्रस्ताव पर निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां पर जल प्रदाय योजनायें बनीं, और लागू हुईं, लेकिन वह योजनायें वास्तव में कहां कहां पर कितनी कितनी देर तक चलती हैं या वास्तव में चलती भी हैं या नहीं? इन सभी मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने जिस काम के लिए धन खर्च किया अगर उस काम के लिये उस धन का उपयोग सही रूप से नहीं हो रहा है तो फिर उस धन को खर्च करने से क्या फायदा? अगर उसका सही उपयोग नहीं हुआ है तो क्या कारण है? आज स्थिति ऐसी है कि योजना बनी, टंकी भी बनी, नल भी लग गये लेकिन नलों से पानी नहीं आता है। मतलब यह है कि कोई सदुपयोग उस धन का नहीं हुआ। आज स्थिति ऐसी है उन टंकियों के आस पास चारों तरफ धूल जमी हुई है। अगर आप सही मायने में इसे देखना चाहें तो मैं लोक स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री को यह निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ जालौर और सिरोही एरिया में चलें। आपको कई स्थानों पर टंकियों के आस पास धूल जमी हुई और आस पास कांटे पड़े हुए मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ अक्टूबर के महीने में चलें। मेरा यह निवेदन है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति होती है या नहीं, उसको देखें और चैक करें। सभापति महोदय, जालौर से भवराणी की एक योजना है जो कि पहाड़पुरा तक जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने योजना गांवों को पानी देने के लिये बनायी है तो कम से कम गांव वालों को पानी तो मिलना चाहिये। होता यह है कि कोई नहीं देखता है। आपके जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जालौर और सिरोही में नहीं रहते हैं, वह तो जोधपुर में

(श्री रघुनन्दन व्यास)

मौज करते हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम आप इस ओर ध्यान तो दें। आप यह देखें तो सही कि पानी पहुंच रहा है या नहीं? सभापति महोदय, राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती है तो कम से कम उन योजनाओं का लाभ तो जनता तक पहुंचे। अभी भी पीने के पानी की योजना जालौर और सिरोही में चल रही है और आगे भी चलेगी, मगर अगर इस योजना से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता तो योजना का क्या फायदा?

इसी प्रकार, सभापति महोदय, जालौर में एक भीनमाल का कस्बा है जिसकी आबादी करीब बीस हजार होगी। वहां पर पानी 15 मिनट भी नहीं आता है। इसी प्रकार धनेवाड़ा स्कीम भी पूरी नहीं बनी है। सभापति महोदय, इसी प्रकार सिरोही जिले में आबू पर्वत स्थान है जहां लोग जाते हैं, बहुत ही रमणीक स्थान है, वहां पर पानी की भारी समस्या है। हालांकि राज्य सरकार ने वहां पर अधिकारियों की कमेटी बना रखी है, वन की रक्षा के लिए कमेटी, पानी के लिये कमेटी, सिंचाई के लिये कमेटी। पर इन सभी के बावजूद पानी की वहां बहुत भारी समस्या है। इस समस्या को हल करने की सख्त जरूरत है। इसी प्रकार अन्दोरा और मनादर की आपकी योजनाएं चाहे बनी पर पिछले एक महीने से वहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिला है। इसके अलावा बाड़मेर की योजना कौनसी है, पता नहीं। लेकिन वहां भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां हालांकि डीजल सैट लगे हैं टंकी पर, पर टंकी में पानी नहीं आता है। तो यह सारी अव्यवस्था हो रही है जिस पर माननीय मन्त्रीजी को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की समस्या तो एक मानवीय समस्या है इसलिये यह देखने की बात है कि जहां जहां भी योजनायें बनी हुई हैं वहां पर योजनाओं से पानी लोगों को मिलता है या नहीं? आखिर धन जनता का खर्च किया जाता है तो उसका सदुपयोग तो होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, थोड़ा मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हालांकि समाज कल्याण विभाग की ओर से सिरोही नगर और दूसरे क्षेत्र में छात्रावास बने हुए हैं लेकिन, सभापति महोदय, अगर आप उन छात्रावासों की हालत को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी हालत बहुत ही खराब है। उनमें रहने वाले बच्चों को देखने पर आपको रोना आ जायेगा। आज जालौर और सिरोही में जो छात्रावास हैं उनके लड़कों के लिये राज्य सरकार जो कपड़े, किताबें और अन्य सहूलियत की चीजें देती है, उनको छात्रावास के प्रोक्टर लोग बाजारों में बेच कर पैसा खा जाते हैं। आपने आज सात करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जो पैसा आप उनके निमित्त खर्च करते हैं कम से कम उसका फायदा उन गरीब बच्चों को मिलना ही चाहिये। होता यह है कि उन छात्रावासों के बच्चों के लिये जो आटा मिलता है उसको होस्टल के अधिकारी लोग बाजार में बेच कर पैसा खा जाते हैं। जब हम उन अधिकारियों को वेतन देते हैं तो फिर वह लोग इस प्रकार की हरकतें क्यों करते हैं? मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ में जांच करके एक्शन लिया जाना चाहिये। जो यह धन का दुरुपयोग हो रहा है उसे तुरन्त रोक कर उन बेचारे

(श्री रघुनन्दन व्यास)

गरीब लोगों को उसका फायदा दिलाना चाहिये जिससे कि उनका विकास हो सके। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि इसके लिये विधान सभा सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो कि इन सारे घपलों की जांच करे। आज जितना पैसा हम खर्च करते हैं उतना फायदा उसका होता नहीं है और हमारा पैसा बरबाद होता है।

सभापति महोदय, हमारे भारत के प्रधान मन्त्री जब बम्बई के मुख्य मन्त्री थे तब उन्होंने आबू पर्वत के पास एक निचला घास है वहां पर एक छात्रावास बनवाया था। सभापति महोदय, वह हमारे यहां से करीब 20 मील पड़ता है। वहां पर आने-जाने का कोई साधन अब नहीं रहा है, बस तो क्या साईकल तक नहीं जा सकती है ऐसी खराब हालत हो गयी है। वही जा सकता है जो कि बीस मील पैदल चलने की ताकत रखे। मैं चूंकि 20 मील पैदल चलने की ताकत रखता हूं और घूमता रहता हूं इसलिये मुझे पता है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने पैसा खर्च किया पर अब उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और स्थिति खराब हो रही है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आईन्दा छात्रावासों के जो भी प्रोक्टर रखे जायं वह ऐसे रखे जायं जो कि ईमानदार हों, चरित्रवान हों और निष्पक्ष हों ताकि उन में घपले नहीं हों और उनकी व्यवस्था में सुधार हो।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर जो जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर हैं उनकी हालत यह है कि वह आपस में लड़ते हैं। यह लोग क्या काम कर सकते हैं? आज भी पर्चे बंटे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने दो तीन बार घण्टी बजा दी है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय और लोक स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो मांगें स्वीकार करने जा रहे हैं कृपया उस धन को वहीं खर्च करायें जहां के लिये हो और उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। बस इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने भी लोक स्वास्थ्य की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सभापति महोदय, भीनमाल कस्बा है जहां पर जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना से पानी दिया जाता है। उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बहुत सी बीमारियां उस पानी को पीने की वजह से फैलती हैं, जैसे जोड़ों की बीमारी, पेट की बीमारी और अन्य कई प्रकार के रोग फैलते हैं। इसके लिये कई बार इस सदन में राज्य सरकार का ध्यान पूर्व में भी आकर्षित किया गया है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इससे वहां के लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। गत विधान सभा सत्र में भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई जिस पर विभाग द्वारा सावीदर से जल वितरण की व्यवस्था की मगर अतिवृष्टि के कारण जो नदी से पानी लिये जाने हेतु चैनल बनाई गई थी वह टूट गई। विभाग इस ओर प्रयत्नशील है मगर इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर पूर्ण किया जाय और भीनमाल को सावीदर से ही जल वितरण किया जाय। धनवाड़ा का जो पानी वितरण हो रहा है अविलम्ब रोका जाय।

Page No. 98

95

(श्री सूरजपाल सिंह)

मेरा जो दूसरा सुझाव है वह यह है कि जिन जल प्रदाय योजनाओं पर विद्युत् कनेक्शन हो गये हैं वहां डीजल जनरेटर सैट्स लगे हुए हैं। मगर बिजली की कटौती के कारण बिजली नहीं मिलती और अगर वह कुछ घण्टों के लिए हो तो कोई बात नहीं लेकिन निरन्तर तीन-तीन, चार-चार दिन बन्द रहने पर भी डीजल जनरेटर्स चालू कर जल वितरण नहीं करते—यह जनता के साथ घोर अन्याय है। दासपा में एक बार तीन-चार दिन तक लगातार बिजली की कटौती होने पर मैंने वहां जूनियर इंजीनियर से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया, हमारे पास 95 लीटर डीजल पड़ा है मगर क्योंकि विद्युतीकरण हो गया है अतः डीजल जनरेटर नहीं चला सकते।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विभाग को आदेश दें कि ऐसी परिस्थितियों में डीजल सैट्स चला कर भी जनता को पानी मुहैया करें क्योंकि जैसा कि आप अखबारों में पढ़ते हैं कि यह बिजली की आंख मिचौनी का सिलसिला तो अक्सर ही चालू रहता है।

दूसरा मेरे क्षेत्र की एक जल प्रदाय योजना जिला से प्राथमिकता के आधार पर भेजी गई है। यह योजना है तिलोड़ा-सुराना-देना, बिसाला-कामता आदि की। इस विषय में मेरा निवेदन है कि इन दस गांवों की योजना में दो गांव ऐसे हैं जहां का पानी खारा है और इन दोनों गांवों, बिसाला व मांडकूणा को दासपा जल प्रदाय योजना से जोड़ कर अविलम्ब पानी वितरण की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा नरसाणा, बाली, मंडा, कूका, नाडा, भाडनी आदि गांवों की जल प्रदाय योजनाओं का शीघ्र सर्वेक्षण करवाया जाय तथा पीने का पानी मुहैया करवाया जाय ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा जन स्वास्थ्य विभाग की मांग पर दूषित जल समस्या के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है। जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि फ्लोराइड युक्त पानी पीया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में पीया जाता है। वहां पर आन्त्रशोध, पेट की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, पोलियो की बीमारी होती है जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिये बहुत घातक है। मेरा निवेदन है कि रीजनल स्कीम्स जो चलायी हैं, अच्छी स्कीम चलाई है उनको लागू करने में जल्दी करनी चाहिये। जिन क्षेत्रों में बीमारियां फैल रही हैं और लोग लूले-लंगड़े होते जा रहे हैं उन क्षेत्रों में से प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों को लेना चाहिये जो क्षेत्र सर्वेशुदा हैं, जिनकी सिफारिश पहुंच गयी है। मुझे आशा है उन क्षेत्रों को आप इसके अन्दर इन्क्लूड करेंगे और वहां अच्छा पानी उपलब्ध कराने के लिये योजना बना कर उन कामों को जल्दी पूरा करेंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में धाण रीजनल स्कीम के तहत क्षेत्र हैं। सिरोही जिले की प्लानिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है, 10 ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। इस एक स्कीम से उस इलाके की सारी समस्या हल हो सकती है।

मेरा एक सुझाव है कि जहां-जहां 100-150 परिवारों की बस्तियां हैं वहां पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी योजना न लागू कर सकें तो जो यूनिसेफ की संस्था काम कर रही है, सिरोही जिला और जालौर

(श्री माधोसिंह)
जिले में भी उनका सहयोग लें तो 100-150 परिवार वाले जो गांव हैं वे लाभान्वित होंगे। हर गांव में हैन्ड पम्प लगाये जायं तो काफी कुछ समस्या सोल्व हो सकती है।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मण्डार के अन्दर ठेकेदार और विभाग के बीच में डिस्प्यूट रहने से जिस स्कीम को चालू करके पानी सप्लाई किया जाना था वह स्कीम 10 साल से पड़ी हुई है। मेरा अनुरोध है कि उस ओर ध्यान दें। वहां जनरेटिंग सेट लगे हुए हैं, बिजली आयी हुई है, सिर्फ टंकी से कनेक्शन नहीं हुआ है। उसको करने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

दूसरा, मिनिमम चार्जेज के बारे में निवेदन करूंगा। गांव में मिनिमम चार्जेज लगाये जाते हैं जो प्राइवेट कनेक्शन लिये हुए हैं, उनका मिनिमम चार्ज दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर ज्यादती होती है और पैनल्टी लगायी जाती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह बात ठीक नहीं है गलत बात है। इस प्रकार की गांवों में ज्यादतियां हो रही हैं, उनको रोका जाना चाहिये। मिनिमम चार्जेज लगा दिये, तो दूसरी बात क्या रह जाती है? पैसा पूरा मिल जाता है तो फिर पैनल्टी किस बात की लगायी जाती है? इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें।

समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मकानों की अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के गरीब आदमियों के लिये सरकार ने एक योजना चलायी थी। उस योजना के तहत एक-चौथाई अथवा सौ रुपया व्यक्ति विशेष का होता था और 400 रुपया समाज कल्याण विभाग से मिलता था। इस प्रकार 500 रुपये के शेयर खरीद कर चार हजार का मकान बनाने की योजना थी। वह खटाई में पड़ी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान उपलब्ध कराने के लिये इस योजना को लागू करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड लोग लाभान्वित हो सकें।

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि गांवों में पीने के पानी की योजना को प्राथमिकता दी जाय। उसमें भी जिन गांवों में खारा पानी है, जिन गांवों में ब्रेकिश वाटर है या जिन गांवों में कतई पानी नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाय। मैं उनकी बात का स्वागत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस केटेगरी के बहुत गांव हैं जहां पर खारा पानी पीने को है, या इस तरह का पानी है जिसको पीने से आदमी मर जाते हैं। इस तरह के गांवों की संख्या करीब 10 हजार से ऊपर है। एक-तिहाई गांव हमारे ऐसे हैं जहां पर इस तरह का पानी मिलता है। उन गांवों की पानी की समस्या को राज्य सरकार दो तरह से टेकल कर रही है, एक तो यह है कि ऐसा रिसर्च किया जाय, अनुसंधान किया जाय जिससे जहां पानी में फ्लोराइड नहीं है, सल्फेट नहीं है, नाइट्रेट नहीं है, उस पानी को किस तरह से मीठा किया जा सकता है जिससे इन्सान और जानवर पी सकें। श्रीमन् ७७५ सरकार की

Page No. 100

96

(श्री मथुरादास माथुर)
तरफ से जो पुस्तिका प्रकाशित की गयी है उसमें अनुसंधान का जिक्र तो जरूर हुआ है लेकिन यह जिक्र नहीं है कि यह अनुसंधान कितना कर लिया है। यह अनुसंधान आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है। यह अनुसंधान गुजरात के भावनगर में भी हुआ है। मुझे खेद है कि इस पुस्तिका में यह नहीं बताया गया कि अनुसंधान कितना कर लिया है। मैं आसन के जरिये से राज्य सरकार को और राज्य सरकार के जरिये से मुख्तलिफ विभागों को यह निवेदन करूंगा कि आगे से जब कभी वह अपनी पुस्तिका प्रकाशित करें तो उसमें डिटेल जरूर दें। अनुसंधान किया जा रहा है, इससे हमको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है लेकिन उसमें क्या प्रगति हुई है, किस हद तक रिसर्च करके क्या इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्लोराइड को किसी हद तक कन्ट्रोल कर सकते हैं, उसको लेबोरेटरी में ही कन्ट्रोल कर सकते हैं या गांवों में भी कन्ट्रोल कर सकते हैं? सरकार कुछ भी न दे लेकिन सरकार को पीने का पानी आम लोगों को देना पड़ेगा। यह सरकार का पहला कर्त्तव्य है, इसको हम भी मानते हैं और सभी मानते रहे हैं लेकिन आज तक यह समस्या हल नहीं हो पाई है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिसर्च के क्या डवलपमेंट हुए है वह हमको बताये जायें।

श्रीमन्, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था इसी का अध्ययन करने के लिए। वहां भी डेजर्ट एरिया है, वहां भी खारा पानी है और हमारे यहां भी है। मैं वहां घूमा तो मैंने देखा कि घर घर में छोटे छोटे प्लान्ट लगे हुए थे। जैसे रेफ्रीजरेटर्स या हीटर्स होते हैं उसी तरह से यह प्लान्ट लगे हुए थे। उनकी आर्थिक स्थिति दूसरी है और हमारी दूसरी है। हमारे यहां गांवों में गरीबी है। उस समय उनका 4 रुपये का खर्चा 8 हजार गैलन पर आता था। वह प्लान्ट खारे पानी को कन्वर्ट करके उनको मीठा पानी पीने के लिए देता था। वहां ऐसे कार्पोरेशन हैं जो यही धंधा करते हैं। जो भी दरख्वास्त देता है, उसके घर में बिजली का फिटिंग कर देते हैं, वह छोटी सी मशीन लगा जाते हैं और हर महीने केमिकल भर जाते हैं। चार रुपया प्रति 8 हजार गैलन उनकी रेट आती है। तो मेरा निवेदन यह है कि अपने यहां गांवाई तौर पर ऐसी मशीनें लगाई जायें जिनका खर्चा पंचायतें बरदाश्त करें। यदि खर्चा ज्यादा होता है तो सरकार उनको सब्सिडी दे। आज 20-25 मील से योजना बनाकर पानी लाते हैं उसमें काफी पैसा खर्च होता है। वाटर बोर्ड का डिपार्टमेन्ट कह देता है कि पानी ठीक है। लेकिन ऊपरी सतह तक तो पानी मीठा रहता है और ज्यों ही थोड़ा ऊंडा जाते हैं तो खारा पानी निकल आता है। इस प्रकार लाखों रुपया बेकार चला जाता है। हमारे जो दूसरे तरीके हैं मैं उन तरीकों को गलत नहीं कहता लेकिन सही तरीका यह है कि हम रिसर्च करके करें। जब कि हिन्दुस्तान इस बात का क्लेम करता है कि हम एटामिक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं और उनको पीसफुल पर्पज के लिए काम में ला सकते हैं तो क्या खारे पानी को मीठा पानी बनाकर ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए उपलब्ध नहीं कर सकते? यह मैं नहीं कहता कि हम यह काम नहीं कर सकते लेकिन इसके ऊपर कभी गम्भीरता से गौर नहीं किया गया। डिपार्टमेन्ट की पुस्तिका में सिर्फ यही कहा गया है कि हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन उस रिसर्च के रिजल्ट्स क्या निकले? उस रिसर्च के रिजल्ट को हम कॉमर्शियलाइज करें। अगर हम ऐसा करेंगे

(श्री मथुरादास माथुर)

तो जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और उसका ब्याज देते हैं उस ब्याज की राशि से पंचायतों को सब्सिडी दी जा सकेगी और आपका काम भी पूरा हो जायेगा। इसके ऊपर सरकार विचार करे।

दूसरी बात यह है कि जो आप योजना बनाते हैं इस गांव से उस गांव में पानी ले जाने की उसे क्रियान्वित करने के लिये अण्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को देते हैं। लेकिन ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया वाले दूसरी बात कहते हैं। कई जगह के लिए कहते हैं कि पानी नहीं है लेकिन हम कुआ खोदते हैं तो पानी निकल आता है। इसलिए कोई आथेन्टिक रिपोर्ट सर्वे की होनी चाहिए। पूरे राजस्थान का ज्योलोजिकल सर्वे होकर पानी के ऊपर एक मुकम्मिल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वह रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए जिससे मालूम पड़े कि कहां पानी है और कहां पानी नहीं है। आप रेण्डम सर्वे कराते हैं। यह रेण्डम सर्वे से यहां कामयाबी नहीं हो सकती। यहां आपको डिटेल्ड सर्वे करानी पड़ेगी। इस पर हजारों, लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा तब रिपोर्ट बन सकेगी। यहां पर हमारे एक तिहाई गांव ऐसे बसे हुए हैं इसलिए तवज्जोह देने की आवश्यकता है।

इसी सिलसिले में डीडवाना, जहां का मैं सदस्य हूं, का छोटासा जिक्र मैं कर देता हूं। वहां पर बावड़ी, बिचावा और डावगांव में ऐसा पानी है कि जिसे आदमी तो क्या गाय भी पीती है तो मैंने देखा है कि गाय घूम-घूम कर तीन मिनट में मर जाती है। अगर आप तीनों गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह से, श्रीमन्, मीठड़ी गांव में एक ट्यूब-वैल खोदा गया। बाद में उसको सील कर दिया गया। गांव वालों ने उनसे पूछा कि यह क्यों हुआ? मुझे भी गांव वालों ने बताया कि जो आये थे उन्होंने कहा कि 500 रुपये लाओ। तो अण्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के लोगों ने 500 रुपये मांगे। गांव वालों ने इन्कार कर दिया तो वह नाराज हो गए और कहा कि इसमें तो खारा पानी है। वे उस ट्यूब-वैल को सील कर गये। आप उस कुए को खुदवाएं। अगर 500 रुपये की ही बीमारी है तो मैं दे दूंगा, अपनी जेब से दे दूंगा लेकिन खुदाई तो उसकी करा दें। उससे पानी निकलेगा तो लोगों को पीने के लिए पानी भी मिलेगा और सरकार को लाखों रुपयों का फायदा हो जायेगा।

श्रीमन्, अब मैं दूसरे कट-मोशन का जिक्र करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने बहुत जोरों से घोषणा की और वह इस बात की घोषणा की है कि हम रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड बनाना चाहते हैं। यह भी कहा कि इसके लिए हम चिन्तन कर रहे हैं। चिन्तन किससे करेंगे? आफिसर्स से। राजस्थान सरकार के अन्दर चिन्तन करने के लिए कोई और बुद्धिजीवी है ही नहीं। अगर यह किया तो राजस्थान डूब जायेगा। आप इस पर गौर से सोचिये। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने के बाद तो यह हालत हुई है कि आज बिजली की दरें बढ़ती जा रही हैं। पानी की एक फण्डामेन्टल नेसेसिटी है। आप यह कहते हैं कि हम दूसरे फिसकल सोर्सेज से रुपया लेकर ज्यादा बड़े काम कर सकेंगे और समस्या को हल कर सकेंगे। शायद यही आपकी नीयत है। अगर यही नीयत है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दूसरी कौनसी संस्थायें हैं जो आपको रुपया देने के लिए तैयार हैं? एल. आई. सी. अरबन में तो देती है लेकिन रूरल में नहीं देती

(श्री मथुरादास माथुर)

या फिर वर्ल्ड बैंक देती है। आप किसी से भी पूछ लें अगर कोई यूनिट वायबल होकर रिटर्नएबल है तभी वह रुपया देगी नहीं तो नहीं। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो रुपया लगाये। जो भी रुपया लगाती है वह रिटर्न चाहती है। हर स्कीम का इतना रिटर्न होना चाहिए कि कम से कम उनको 4-5 पर्सेन्ट का इन्ट्रेस्ट तो मिले और उसका इन्सटालमेंट मिल जाये। गांवों की स्कीम का रिटर्न कुछ नहीं है। इसका रिटर्न सिर्फ ह्यूमन सर्विस है। जो गांवों में बसे हुए हैं आप उनको पानी पिलाकर जिन्दा रख सकते हैं। दूसरे किसी काम के लिये तो बोर्ड बनाने का आपको ख्याल आया नहीं, आपको रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड बनाने का ख्याल आया, जहां से आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। आप पीने के पानी का बोर्ड बनाकर इसको इकानामिक यूनिट बनाना चाहते हैं। बिजली का बोर्ड हमने बनाया, उसकी बिजली की दरें बढ़ती जाती हैं, इस कारण गांव में गरीब आदमी आज बिजली के कनेक्शन नहीं लेते हैं। इसी तरह से रूरल वाटर बोर्ड बनाने के बाद पानी की दरें बढ़ती गयीं तो आपका पानी दूध से भी महंगा हो जायेगा और नतीजा यह होगा कि यह बोर्ड आपके लिए व्हाइट एलीफेन्ट हो जायगा इसलिए इस पर आप गम्भीरता से सोचें। मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है, कोई पब्लिक फण्ड देने वाला नहीं है जब तक कि उसका रिटर्न नहीं मिले। मिनिमम रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। इन स्कीमों से, खारे पानी के गांवों में मीठे पानी की स्कीम से रिटर्न मिलना नामुमकिन है। इन्ट्रेस्ट का पैसा न तो पंचायतें ही दे सकेंगी और न आप दे सकेंगे। इसलिए इसको कामर्शियलाइज करने की कोशिश मत करो।

दूसरी हमारे यहां पर एक अजीब बीमारी पैदा हो गई है, वह यह है कि हमारे यहां पर बड़े बड़े शहरों में ओपन सीवेज या अन्डरग्राउण्ड सीवेज के गन्दे पानी को इकट्ठा कर के नगरपालिका उस पानी को बेचती है और फार्मों में लोग इस पानी को खरीदते हैं। उससे सब्जियां पैदा करते हैं और हम सब खाते हैं और कई तरह की बीमारियों से लोग मरते हैं। आज जयपुर के अन्दर, कोटा के अन्दर लोगों के पेट में से कीड़े निकलते हैं। सीवेज के पानी से पैदा की गई सब्जियों के कारण शहरों में इस तरह की बीमारियां फैली हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा सीवेज वाटर को बेचने की जो प्रथा है वह समाप्त हो। आप इसतरह की व्यवस्था करें कि या तो पहले वे वाटर पोल्यूशन प्लांट लगाये या उस वाटर को नहीं बेच सकें। इस वाटर से आप गेहूं की खेती करें तो गेहूं सूखता है और पीसा जाता है परन्तु माडर्न फैशन के अन्दर हम लोग सलाद खाते हैं, सलाद के साथ 20-25 कीड़े खा लें इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सीवेज वाटर है उसके पोल्यूशन के लिये तो आप बोर्ड बनायें तो बात समझ में आ सकती है। उसमें कमर्शियल बात है, जो पानी वेस्ट जाता है वह उपयोग में आयेगा। ह्यूमन सर्विस के लिए रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड बनायें यह कभी समझ में नहीं आ सकता।

श्रीमान्, अब मैं हमारे देश में वाटर पोल्यूशन बोर्ड है, पोल्यूशन बोर्ड ने काम करना शुरू किया है वह ड्रेन वाटर के लिये पोल्यूशन बोर्ड बना है, हवा के लिये नहीं। वह अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मेरा यह निवेदन है कि सीवेज पानी के लिये खास तौर से पोल्यूशन बोर्ड हो, इसकी तरफ आप तवज्जोह दें।

Page No. 103

(99)

(श्री मथुरादास माथुर)

अब मैं निवेदन करूं, हमारे बालोतरा में, जोधपुर में जो पानी कार्मशियल काम में आता है और बेकार पानी उनका निकलता है वह परकोलेट होकर कुओं में जाता है। उस पानी को जानवर पीते हैं, आदमी पीते हैं। इस बारे में सदन में पहले भी चर्चा हुई है। मेरा निवेदन है, जहां इण्डस्ट्री लगें, जहां इण्डस्ट्री लगाने का लाइसेन्स दें उन पर वाटर पोल्यूशन लॉ लागू होना लाजमी है। आज मर्जी आये जहां इण्डस्ट्रीज खोल देते हैं। कोटा की यह बड़ी समस्या है, यह आज तक हल नहीं हुई है। इसलिये कोई भी इण्डस्ट्री की साइट के लिये आप इजाजत दें तो वाटर पोल्यूशन बोर्ड से नो-आब्जक्शन सर्टिफिकेट पहले लें। अकेला आदमी पोल्यूशन प्लाण्ट लगा नहीं सकता। जहां इण्डस्ट्रियल एरिया हो वहां ग्रुप आफ पीपुल प्लांट लगा दें तो वह पानी भी काम में आ जायेगा। इस के बारे में आप सोचें।

श्रीमान्, जोधपुर शहर में करीब तीन लाख की आबादी है। वहां छः महीने के लिये पानी की व्यवस्था है, 20 गैलन पर-कैपिटा। परन्तु वहां की प्राब्लम यह है कि पानी सोर्स जवाई बांध है। जवाई बांध जोधपुर से 100 मील दूर है और कैनाल ओपन है। इस कारण जवाई से 100 क्यूसेक पानी चलता है तो जोधपुर पहुंचते-पहुंचते 40 क्यूसेक रह जाता है। 60 क्यूसेक पानी रास्ते के अन्दर वेस्ट हो जाता है, जमीन में परकोलेट हो जाता है। बड़ा डिस्प्यूट होता है क्योंकि बन्धा इरिगेशन का है। वह कहते हैं 100 क्यूसेक पानी दिया है और जोधपुर वाले कहते हैं कि 40 क्यूसेक पहुंचा है इसलिये 40 का ही पैसा देंगे। खैर, यह राज्य सरकार का आपस का मामला है। लेकिन यह सही है कि 60 परसेंट पानी वेस्ट होता है। जनता पार्टी के नेता अमृत नाहटा ने बयान दिया कि जवाई बांध की स्कीम इरिगेशन स्कीम है। जवाई बांध का पानी जोधपुर नहीं जाने देंगे। ड्रिंकिंग वाटर के लिये जहां से भी होगा पानी ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का बोर्डर नजदीक है। अगर पानी में कुछ डाल देंगे तो जोधपुर वाले सब मर जायेंगे। इसलिये आप पाइप लाइन डाल दें। पाइप लाइन डालने में पांच-सात करोड़ रुपया खर्च होगा। उससे 60 पर्सेन्ट पानी की सेविंग होगी, आप उस पानी को सिंचाई के काम में ले सकते हैं, उससे आपकी अर्निंग हो जायेगी। यह सुझाव पहले भी कई बार दिया है कि पाइप लाइन डाल दें तो जोधपुर की पानी की समस्या हल हो जायेगी।

श्रीमान्, अब जहां तक अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम से संबंधित प्रश्न है, राजस्थान में जितने भी म्युनिसिपल टाउन हैं उन सब में यह वाटर सप्लाई की योजना है। अब आबादी बढ़ती रहती है। गांवों के लोग एम्प्लायमेंट के लिये कस्बों में आते रहते हैं। झुग्गी-झोंपड़ी बसती रहती हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्ले बनते रहते हैं, वहां पीने का पानी नहीं पहुंचता। मुझे याद है कि राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था किसी गांव की या किसी कस्बे की उस वाटर स्कीम को पूरा नहीं समझेंगे जिसके द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों के अन्दर पानी की टूंटी नहीं डाली जाये। फिर भी इस काम के लिये जो पैसा रखा जाता है उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाता। सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट से अलग पैसा सेंक्शन होता है वह डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर करता है। मेरा निवेदन है पाइप

(100)

(श्री मथुरादास माथुर)
लाइन डालने की नई योजनायें जितनी भी बनी हुई हैं सर्वे हो कर पाइप लाइन ले जाने की उनका काम प्रायोरिटी से होना चाहिये। सैकण्ड प्रायोरिटी वहां की होनी चाहिये जहां हैव्स लोग रहते हैं।

तीसरी बात यह है म्युनिसिपैलिटी एरिया में पाइप लाइन डालने का पैसा कौन दे? पाइप लाइन जो लगाते हैं उसका पैसा कौन दे? मैं सोचता था कि वाटर सप्लाई स्कीम जो बन चुकी है इनका कोई बोर्ड बन जाय तो किसी तरह से लोन मिल जायेगा। आखिर घरों में पानी लेने के लिये लोग इच्छुक हैं वे पानी लेकर उसका पैसा भी देंगे। मेरा निवेदन है, राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा कि पानी की दर कितनी रखें और उस पर कितनी सब्सिडी हो। इरिगेशन के लिये राज्य सरकार जब सब्सिडी दे रही है तो पीने के पानी के लिये सब्सिडी क्यों न दे? इसका एक दफा फैसला हो जाना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज का पानी काट देते हैं, अगर एरियर हो जाता है।

यह सब प्राब्लम्स हैं, जिनकी ओर इन कटौती प्रस्तावों के जरिये मैंने आपका ध्यान खींचा है। इस पर आप चिन्तन करें।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापतिजी, जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र की जल समस्या है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। रानीवाड़ा क्षेत्र के कई गांवों में पानी खारा भी है, कहीं कम भी है। कई ऐसे गांव है जहां सर्वे हो गया है और स्कीमें भी बन गई हैं परन्तु अभी तक इन स्कीमों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। रानीवाड़ा क्षेत्र में कूड़ा, मोखातरा, सेवाड़ा, कोटड़ा, हरसवाड़ा, करवाड़ा, सिवाना आदि गांवों का सर्वे कम्पलीट हो चुका है और कागजों में उसका काम चालू बताया गया है। परन्तु अभी तक उन गांवों में कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिन गांवों की सर्वे हो गयी है उनमें जल्दी से जल्दी कार्य करवाने की कृपा फर्मायें।

दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया समाज कल्याण के बारे में। मैं भी उसमें निवेदन करूंगा कि रानीवाड़ा का जो क्षेत्र है, उसमें कोई भी समाज कल्याण का छात्रावास नहीं है। रानीवाड़ा में जो मिडिल स्कूल है उसको माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कई बार मिल चुका हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया परन्तु उसके बावजूद लिस्ट में से न मालूम कैसे रानीवाड़ा का नाम हटा दिया गया। रानीवाड़ा में इस वर्ष एक भी मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र पढ़ रहे हैं, उनको आगे पढ़ने का साधन न होने के कारण स्कूल छोड़ कर घर बैठना पड़ा। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि रानीवाड़ा जिले में मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने का आदेश फर्मावें और साथ ही समाज कल्याण की ओर से छात्रावास खोलने के लिये भी कृपा करें।

दूसरे रानीवाड़ा जालौर जिले में है। रानीवाड़ा में पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, पुलिस थाना है, दूध की डेयरी है, रेलवे स्टेशन आदि भी हैं फिर भी माध्यमिक शाला, क्रमोन्नत नहीं की गई, सो की जाये।

(व्यवधान)

(श्री रतनाराम चौधरी)

माननीय सभापतिजी, जो रानीवाड़ा क्षेत्र है वह जालौर जिले में है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट बोला हूं अभी तो। अन्तरात्मा की बात है मेरी।

सभापति महोदय, मैं दारूबन्दी की बात कहूंगा। यह मेरी अन्तरात्मा की आवाज है, हमारे जालौर जिले में शराबबन्दी लागू की गई है परन्तु उस जिले में खुले आम दारू पीते हैं और दारू बिकती है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कानून को कठोर बनाया जाय और दारू पीने वालों को सख्त सजा दी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के लोग ज्यादा पीते हैं . . .

श्री रतनाराम चौधरी : जो पीते हैं उनको सजा दी जाये और सख्त कानून बनाया जावे। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, . . .

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : वे इसलिये कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा पीते हैं इसलिये इस डिमाण्ड में आ जाता है।

श्री रतनाराम चौधरी : मालवाड़ा में एक बोर्डिंग है जहां, सभापति महोदय, जैन लोगों के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है। मालवाड़ा बोर्डिंग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं। 150 बच्चों का वहां छात्रावास चालू है परन्तु उसमें एडमिशन जैन बच्चों को ही देते हैं। उसमें सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिलाने का भी आदेश फर्मायें।

मान्यवर, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि रानीवाड़ा, जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, में दूध की डेयरी भी है परन्तु उस जगह माध्यमिक स्कूल नहीं है। एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं खुला हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा वहां एक पी०एच०सी० खोला जाय तो बड़ी कृपा होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े क्रान्तिकारी हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इनसे पहले मेरा नम्बर था।

श्री सभापति : माननीय विरोधी दल के नेता को मना लिया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : तो, सभापति महोदय, हम भी दो चार मिलकर टाइम ले लें।

श्री सभापति : ले सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप अलग अलग पार्टी से हैं इसलिये ले नहीं सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल के नेता भी तो बोल लिये।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता को बोलने के लिये कोई समय की पाबन्दी नहीं होती है।

श्री मथुरादास माथुर : विरोध में आओ बोलना हो तो . . .

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : सभापति महोदय, देश को आजादी मिले 30 साल हो गये, फिर भी आज पानी की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। राजस्थान के 33 हजार गांवों में दो हजार गांव ऐसे हैं जहां पानी की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। पिछले 30 साल में जो कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई थी वह सब राजनैतिक आधार पर बनाई थी। जहां से कांग्रेस के लोग चुनकर आते थे राजनैतिक आधार पर उन लोगों के यहां वाटर सप्लाई होती थी लेकिन जहां से विरोधी जीत कर आते थे, उनकी उपेक्षा की गई। आज बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपया टंकों पर खर्च कर दिया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, जो किसान भाई हैं जो अपना खून जलाकर सारे देश को अन्न देते हैं, रोटी देते हैं आज भी वही पुरानी परेशानी में हैं। झालावाड़ जिले में सबसे कम जल प्रदाय योजना चालू की गई है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां सैंकड़ों ग्रामीण भाई बसते हैं, आदिवासी बसते हैं और सहरिये रहते हैं। उस जिले में सबसे बड़ी बीमारी नारू की होती है। वह पानी भी वे लोग आज भी 5-5 मील से लाते हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है।

मैं मेरे क्षेत्र के लिये निवेदन करूं, करीब सन् 67 में मनोहरथाना में ग्रामीण जल प्रदाय योजना चालू की गई थी। वहां पर एक टंकी सन् 67 में बनी थी, वाटर सप्लाई के लिये। जल प्रदाय विभाग के लोगों ने टंकी बनाने का ठेका गलत आदमी को दे दिया। लोगों ने यह शिकायत भी की कि ठेके में टंकी का निर्माण ठीक नहीं हुआ है और बिलकुल गलत ढंग से निर्माण हुआ है, यह टूट जायगी। मैं उस समय विधायक था। मैंने राजस्थान विधान सभा में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका समिति उस याचिका के आधार पर घटना स्थल पर पहुंची थी। जो टंकी सन् 70 में बनी थी वह 75 में टूट गई और आज वाटर सप्लाई करने के लिये वहां कोई टंकी नहीं है। मनोहरथाना में जो आज वाटर सप्लाई की जा रही है वह नदी से की जा रही है और उसी से सारे गांव वालों को पानी पिलाया जा रहा है। उस नदी में, सभापति महोदय, बरसात के दिनों में, हड्डियां, गन्दगी, जानवरों की खालें, सड़ी-गली चीजें सब आती हैं। वह पानी आज उन लोगों को पीने को मिल रहा है।

माननीय दृष्टिकोण से आप सोचिये, यह बहुत गंभीर समस्या है। वाटर सप्लाई की, शुद्ध जल की आपने गारण्टी दी है, राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने इसकी घोषणा की है लेकिन यहां पर

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

मैं आपके सामने ज्वलन्त उदाहरण रख रहा हूं, आप सारी स्थिति का स्वयं निरीक्षण करिये और सन् 70 में बनने वाली टंकी में घोटाला हुआ है। चार साल में वह टंकी टूट गई। वह टंकी चालीस-पचास हजार में नहीं बल्कि तीन लाख रुपयों में बनी थी। वह कैसे टूट गई? किस प्रकार की गारण्टी ठेकेदार को दी गई थी? आपके अधिकारियों ने ठीक तरह से क्यों नहीं देखा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? राष्ट्र का पैसा था, राज्य का पैसा था। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हुआ। जनता के खून पसीने की कमाई का वह पैसा था.....

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस सरकार का पैसा था।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : पैसा तो हमारा था, जनता का पैसा था . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलिये ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इसके अलावा मैं समाज कल्याण के बारे में अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान में समाज कल्याण के नाम पर अलग अलग होस्टल खोले गए ।

श्री सभापति : समाज कल्याण पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : बोलने दें, साहब ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह ब्राह्मण का होस्टल, यह मीणों का होस्टल, यह खटीकों का होस्टल, यह अमुक जाति का होस्टल । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे देश के वयोवृद्ध राज नेता, माननीय जयप्रकाशजी ने संदेश दिया है और हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जातिवाद मिटाना चाहिए, फिर क्या जरूरत है कि अलग अलग जातियों के नाम पर अलग अलग होस्टल्स हों । इस होस्टल में अछूत रहेंगे, इस होस्टल में मीणा रहेंगे, इस होस्टल में ब्राह्मण रहेंगे, इसमें राजपूत रहेंगे । आप बन्द कर दीजिये इन होस्टलों को । जनता पार्टी को इन होस्टलो के सम्बन्ध में बुनियादी निर्णय लेना चाहिए ताकि जो हम चाहते हैं कि अलग अलग जातियां नहीं हों वह उद्देश्य पूरा हो सके । मैं इस बारे में विशेष नहीं कहना चाहता......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जाति प्रथा पर चलने वाले होस्टलों को बन्द कर दें तो यह हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिये, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा । अगर सरकार इस बारे में सोच कर बन्द करने का निर्णय ले तो जातिवाद को मिटाने के लिये बहुत बड़ा कदम हो सकेगा ।

श्री सभापति : माननीय श्री कौशलकिशोर जैन ।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान ने 1974-75 के अन्दर स्विच बोर्ड पैनल को खरीद की । उस समय के अतिरिक्त चीफ इन्जीनियर, उस समय के वित्त मंत्री तथा जल प्रदाय के मंत्री, श्री चन्दनमलजी वैद ने यह टेण्डर हणुत सेल्स कोर्पोरेशन को दिया । एक स्विच बोर्ड की कीमत 1,355) रुपया रखी गई । उसी समय और भी टेण्डर आये थे । 1,100) रुपये में दूसरे का टेण्डर था । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार सौ स्विच बोर्ड पैनल खरीदे गए और इस तरह से एक स्विच बोर्ड पैनल पर दो सौ रुपयों का लाभ लिया । यह हणुत सेल्स कोर्पोरेशन वाले कौन थे ? मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान् चन्दनमलजी वैद जो उस समय मंत्री थे, के निकट सम्बन्धी थे, इसी कारण उनका टेण्डर पास

(श्री कौशलकिशोर जैन)

किया गया। जो टेन्डर पास किया गया, जो चीजें खरीदी गई....

व्यवस्था का प्रश्न
किसी व्यक्ति पर आरोप

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर डिफेमेटरी स्टेटमेन्ट देते हैं, तो रूल 273 के नीचे क्या इन्होंने आपको लिख कर दे दिया है या मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया है? अगर नहीं लिख कर दिया है, तो यह बोल नहीं सकते। वह व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है और उसके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेन्ट 273, के नीचे नहीं दिया जा सकता।

इसमें साफ लिखा है :–

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature...."

श्री कौशलकिशोर जैन : उस समय के अधिकारी, श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं...

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : शांति रखिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : इस स्विच बोर्ड पैनल की खरीद में जो कमियां बताई गई हैं, आठ कमियां हैं....

श्री सभापति : रूल 273 के मुताबिक आप जब तक नोटिस नहीं देते हैं, आपको यह कहना नहीं चाहिए।

श्री अजीतसिंह : यह टेंडर का मामला है जिसमें नाम तो आएगा ही कि किसने दिया था।

श्री मूलचन्द सामरिया : जन स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं लेंगे तो पता कैसे लगेगा कि किसने यह किया था।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उस रिपोर्ट का सम्बन्धित अंश पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : आप नाम नहीं लेकर, मंत्री कह दें, जन स्वास्थ्य मंत्री कह दें।

मांग संख्या 27 व 32 पर अग्रेतर
वाद-विवाद

श्री कौशलकिशोर जैन : "It is advised that though the supply is generally acceptable, but before releasing the balance 10% payment, the firm may be asked to supply materials and documents as desired in para 4 of this letter. A check on whether the short comings, as pointed out in para 5, have been corrected should also be made before accepting the supply."

किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैसे का भुगतान कर दिया गया और इस प्रकार से इस विभाग को साठ हजार का घाटा हुआ।

इसी प्रकार से इसी विभाग में 1-11-75 को दूसरा टेंडर स्वीकार किया गया किन्तु 7 मई, 1977 को आर्डर दिया गया इसी कम्पनी को, हुणुत सेल्स कोर्पोरेशन को तीन सौ पैनल का दूसरा आर्डर दिया गया। मेरा निवेदन है कि जो पहले टेंडर था वह टेंडर

(श्री कौशलकिशोर जैन)

1,235) रुपयों का था लेकिन जो टेंडर पास किया गया वह 1,305) रुपयों का पास किया गया । इस प्रकार 90 हजार रुपयों का घाटा इस विभाग को दिया गया । तर्क यह दिया गया "One adjustable circuit breaker with no volt, coil and combined with an over-current relay".

जो कि कटलर हेमर इंडिया लिमिटेड के बने हुए हैं । जब कि कटलर हेमर इंडिया लिमिटेड कोई यंत्र बनाती ही नहीं है। जब इस प्रकार का यंत्र बना ही नहीं तो यह कैसे जोड़ा गया, यह पूरा जांच का विषय है । मेरा निवेदन है कि बीच के अन्दर 1976 में जब खेतसिहजी मंत्री थे उन्होंने जांच बिठाई, किन्तु वह जांच दबा दी गई । क्यों दबाई गई ? विजयसिहजी इस विभाग के सचिव थे और श्री भंडारीजी डिप्टी सेक्रेट्री थे, इन दोनों ने मिल कर इस सारी जांच को दबा दिया...

व्यवस्था का प्रश्न

किसी व्यक्ति पर आरोप

श्री मूलचन्द डागा : Again allegation ?

श्री सभापति : "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation....."

देखिए, ऐसा है माननीय सदस्य, आप यह कह सकते हैं कि तत्कालीन अमुक विभाग के उप-सचिव ने, सचिव ने, मंत्री ने, भूतपूर्व मंत्री ने किया । आप किसी का नाम न लें कृपा कर ।

श्री कौशलकिशोर जैन : नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह तो सच है।

श्री मदनसिंह दांता : नाम नहीं लिया जायगा, तो दो चार अधिकारी फालतू में फसेंगे ।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करूंगा...

श्री मदनसिंह दांता : डिप्टी सेक्रेट्री कौन थे, सेक्रेट्री कौन थे उनके नाम नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सभापति महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, सुनिये पहले मेरी बात ।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी के रिश्तेदार हैं चन्दनमलजी और भंडारीजी, इसलिए इनको चोट हो रही है ।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुनिये । नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं । हमारे व्यवहार में इन नियमों की पालना होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई डिफेमेटरी या इन्क्रीमिनेटरी वक्तव्य दें तो पहले सूचना स्पीकर को दे दें और सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना दे दें ।

श्री अजीतसिंह : यहां पर नाम तो लेना ही पड़ेगा वरना पता कैसे लगेगा कि किसने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह डिफेमेटरी है या इन्क्रीमिनेटरी, यह मेरे ऊपर छोड़िये, मैं निर्णय करूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपापूर्वक सुनिये । यह तो आपके बोलने का ढंग है । आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं जिसमें न तो किसी व्यक्ति का नाम आए, न डिफेमेटरी और इन्क्रीमिनेटरी बनें । तो मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय सदस्यों से और बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य यहां पर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर और है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता था कि....

श्री सभापति : यह नहीं होगा कि नियमों के खिलाफ बोलने दिया जावे ।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं आपका ध्यान....

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

श्री एच० एन० शर्मा : और कुछ नहीं तो पाइंट ऑफ ऑर्डर ही उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापतिजी, अभी जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि चन्दनमलजी और भंडारीजी मेरे से रिलेटेड हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं it is a reflection on the conduct of a member. यह रिफ्लेक्शन है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर । ये समय का सब से ज्यादा दुरुपयोग करते हैं .....

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने रिफलेक्शन किया है .... ,

मांग संख्या 27 व 32 पर अप्रेत्तर वाद-विवाद

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्य इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्पोरेशन को जो टेंडर दिया गया है, उस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने टिप्पणी दी है, उसके बावजूद भी इस फर्म को टेंडर दिया गया है । जो टेस्टिंग आफिसर थे, उनको जो रिपोर्ट दी थी, वह भी इसके विरोध में थी । आशा है, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि भीलवाड़ा को भेजा

(श्री कौशलकिशोर जैन)

फीडर से, जो भीलवाड़ा से 8 मील की दूरी पर है, एक नहर से जोड़ा गया है। भीलवाड़ा को मेजा फीडर से पानी मिल रहा है। यह नहर पक्की होनी चाहिये, ढकी हुई होनी चाहिए, और पाइप लाइन द्वारा भीलवाड़ा को पानी पहुंचाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से वहां पर एक राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स है। पिछली सरकार ने उसकी चुंगी माफ कर दी और गत दस साल से उसका रिफ्यूजड वाटर भीलवाड़ा के तालाब में जाता है। भीलवाड़ा के व्यक्ति उस तालाब का पानी पीते हैं, उस से स्नान करते हैं। आज वहां पर इस कारण से चर्म रोग फैल रहा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट का जो रिफ्यूजड वाटर है, उसके लिए अलग से नाला बनाया जाये, इसकी तुरन्त व्यवस्था की जावे।

साथ ही, सभापति महोदय, थोड़ा मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, वह वहां पर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने 18-4-77 को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानू राम को इसलिए नौकरी से निकाल दिया, पहले सस्पेण्ड किया, फिर निकाल दिया क्योंकि उसने उनके घर पर बर्तन मांजने से इन्कार कर दिया, घर का काम करने से इन्कार कर दिया। क्या चपरासी इसीलिए है? मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जो चपरासी से अपने घरों पर बर्तन मंजाना चाहते हैं, कपड़े धुलाना चाहते हैं, और अगर चपरासी ये काम नहीं करता है, तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं, ऐसे अधिकारी समाज का क्या कल्याण कर सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने भीलवाड़ा में पौषाहार कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार है। इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापतिजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपने पद पर सवार होते ही दो बातों की घोषणा की थी। इन दो बातों में से एक बात यह भी है, जिस पर आज यहां पर, सदन में विचार हो रहा है, कि राजस्थान के जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, उस समस्या को वे दूर करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। दूसरी समस्या के बारे में आज यहां पर बोलने का प्रसंग नहीं है लेकिन इस समस्या का प्रसंग हर काम के अन्दर रहता है। वह यह है कि राजस्थान से भ्रष्टाचार को उन्होंने विदा कर दिया है। यह दो घोषणाएं उनकी थीं।

मान्यवर, राजस्थान के सामने पीने के पानी की एक अहम् समस्या है। यह वर्षों से बराबर चली आ रही है। मुझे खुशी है, इस बात की कि प्रभारी मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी, कहीं भी जाते हैं, किसी भी गोष्ठी में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में विशेष तौर से कहते हैं। आज हम देखते हैं कि उनकी डिमाण्ड यहां पर डिस्कस हो रही है, परन्तु मुख्य मंत्री,

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो कि प्रभारी मंत्री भी हैं, सदन में उपस्थित नहीं हैं। इस अहम् प्रश्न पर विचार होते समय यह अच्छा होता कि वे यहां पर उपस्थित होते तो हमारे विचारों को भी सुनते।

राजस्थान के 33 हजार गांवों में से उनके कथन के अनुसार आज 20 हजार गांवों में पीने के पानी की समस्या है। इसको वे किस प्रकार से हल करना चाहते हैं, क्या उनका कार्यक्रम है? हमने उनके भाषण सुने हैं। वित्त मंत्री महोदय का भाषण भी सुना है। जो संशोधित बजट पेश किया गया उसमें बताया गया कि कैसे इस समस्या का आप हल करना चाहते हैं। केवल 140 गांव इस समस्या को हल करने के लिये गए हैं जब कि स्वयं मुख्य मंत्री के कथनानुसार आज राजस्थान के 33 हजार गांवों में से 20 हजार गांव ऐसे हैं जहां पर कि पीने के पानी की समस्या है। कहीं पर खारा पानी है, कहीं पर पानी दूर है, कहीं पर पानी में फ्लोराइड है और कहीं पर डिसीज वाटर है। तो पानी की विभिन्न प्रकार की समस्या है। बीस हजार गांवों में से 140 गांव आपने लिए हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार कितने साल में आप इस समस्या को हल कर सकेंगे। संशोधित बजट में आपने 140 गांव लिए हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो आपकी घोषणा है, वह महज घोषणा है। वह सिर्फ वातावरण बनाने के लिए की गई है। जो अहम् समस्या है उसको हल करने के लिए कोई कारगर, व्यवस्थित कदम नहीं उठाया जा रहा है।

आज राजस्थान के अन्दर जो बीस हजार गांव हैं, उनके अन्दर झुंझनू जिले के भी 200 गांव ऐसे हैं, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में भी 200 गांव ऐसे हैं, जिन गांवों के अन्दर जो पानी है वह फ्लोराइड युक्त है, सौ गांवों के अन्दर खारा पानी है। अनेक गांवों में नल योजना चल रही है। उस नल योजना को 6 साल हो गये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी गति से चलती रही राजस्थान की नल योजना, तो जो पीने के पानी की समस्या है, वह दूर नहीं हो सकेगी।

आज कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, जो वाटर की रेट्स हैं कई कस्बों के अन्दर, वह भिन्न-भिन्न हैं। शहरों में कम वाटर रेट ली जा रही है। जो योजना अब ली जा रही है, उनकी रेट्स हाई चार्ज की जा रही हैं। जो पुरानी स्कीम्स हैं उनकी दरें कम हैं। मेरा निवेदन है कि पीने के पानी की रेट्स समान हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर एक ही रेट हो। एक गांव में एक रेट, दूसरे गांव में दूसरी रेट, इस भिन्नता को मिटा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों के अन्दर डिसीज वाटर है, जिन गांवों के अन्दर खारा पानी है, उन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पहले लिया जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान काम राजनैतिक आधार पर किया गया। मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस सरकार ने तो राजनैतिक दृष्टिकोण से इस समस्या को नहीं लिया परन्तु अब इसके पीछे निश्चित रूप से राजनीति है और राजनैतिक आधार पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

यहां घोषणा कर के जनता से केवल वाह-वाही लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

राजनैतिक दृष्टिकोण से भी जनहित होता है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को राजनैतिक आधार पर नहीं लिया जाये। जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में कोई खामी हो, तो उसका संशोधन करें। वह संशोधित हो। तो मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में खारा पानी है, जिन गांवों के अन्दर डिसीज वाटर है, वहां कि यह अहम् समस्या है। ऐसे गांवों को पहले लिया जाना चाहिए। लेकिन एक माननीय सदस्य ने यहां पर ठीक कहा है, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के आधार पर यह काम हो रहा है। प्लानिंग कमेटी के अन्दर अपने अपने क्षेत्र में लोग इन्ट्रेस्ट लेते हैं। पहले जहां हमारा बहुमत था, आज आपका बहुमत है। आप भी अपने इन्ट्रेस्ट के गांवों का पहले चयन करेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण गांव हैं, जहां पर कि यह समस्या गंभीर है वे रह जाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं और आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस समस्या के हल के लिए यह जरूरी है कि इस काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। जो इसका मास्टर प्लान है, उसके हिसाब से उन गांवों को, जो कि डिसीज वाटर से अफेक्टेड हैं, पहले लिया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन गांवों के बारे में मैंने एक एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है। मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में 1971 के अन्दर जांगियासर और डावड़ो पीरसिंह, इन दोनों गांवों के अंदर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को हाथ में लिया गया था। जिन गांवों में वाटर सोर्सेज हैं, उन्हीं गांवों के लिए योजना चालू करने के लिए बनी थी। लेकिन बाद में उन दो गांवों को छोड़ दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि उन दो गांवों के लिए इन्डिपेन्डेन्ट वाटर सप्लाई स्कीम बनायी जायगी और रीजनल स्कीम को टैक्निकल आधार पर उन गांवों में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है इस आधार पर उसको लागू नहीं किया जा सकता लेकिन जो आश्वासन दिया गया है उसको पूरा किया जाना चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के बारे में एक माननीय सदस्य ने यह विचार प्रगट किये कि केवल एक विशेष जाति के आधार पर ही छात्रावास नहीं बनाये जाने चाहिएं, छात्रावास में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग जाति विशेष के उत्थान के लिए नहीं है, समाज का एक ऐसा वर्ग, जो पिछड़ा हुआ है, को ऊपर उठाने के लिए और जो तथाकथित उच्च वर्ग है उसके समान लाने के लिए है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और बैकवर्ड क्लासेज हैं, जब तक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संविधान में इनको संरक्षण देने की बात है तब तक हमको इनके उत्थान के लिये प्रयास करने पड़ेंगे। जो छात्रावास राजस्थान सरकार चला रही है वह बिल्कुल

(श्री रामनारायण चौधरी)

अपर्याप्त हैं। लड़कों को पूरी खुराक वहां पर नहीं दी जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अनुदान की राशि को उस स्तर तक बढ़ाया जाय जिससे उनको दाल-रोटी मिल सके। मकान का किराया, कपड़ा तो जाने दीजिये लेकिन जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, रहन-सहन और स्वास्थ्य के लिए उनके लिए अगर पर्याप्त अनुदान नहीं दिया गया तो वे छात्रावास पूरी तरह से नहीं चल सकेंगे। इससे सरकार की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी और छात्रों में असन्तोष पैदा होगा। इसलिए एक लड़के के ऊपर दोनों टाइम की खुराक पर जितना खर्चा आता है वह पूरा दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हुआ अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री श्योपत-सिंहजी मकासर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार बदली और जनता पार्टी की सरकार आयी। लेकिन कांग्रेसी बदल गये इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अभी हमने डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य के विचार सुने। उन्होंने जो यह जल प्रदाय योजना है उसकी बहुत कटु आलोचना की। उनके अन्य साथियों ने भी जलदाय विभाग की बड़ी आलोचना की। सभापति महोदय, उस समय ये लोग भूल गये कि जिस प्रकार एक आदमी चांद पर थूकता है तो वह थूक चांद पर नहीं पड़ता है, थूकने वाले पर ही पड़ता है। उसी प्रकार से यह आलोचनाएं की जा रही हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मुद्दे इन्होंने उठाये, जनता के प्रति इन्होंने सहानुभूति दिखायी, जनता के कष्टों को रखा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? तीस वर्षों तक आपने राज किया, आप लोगों को पानी नहीं पिला सके। आपने वर्णन किया कि पानी गन्दा है, अच्छा नहीं है.......

श्री मदन सिंह दांता : उस वक्त अमेरिका नहीं गये थे, अब गये हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? जनता पार्टी की सरकार आये दो ढाई महीने हुए हैं। उस पर आप यह पूरी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं ? यह जो सारी दुर्व्यवस्था......

श्री शंकर लाल : सभापति महोदय, आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या मुख्य मन्त्रीजी की तरफ से जवाब दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर बोलिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं भूमिका बना रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि तीस वर्ष तक जनता को जो पानी का कष्ट रहा उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? अगर तीस वर्षों के अन्दर इस समस्या का समाधान करना चाहते तो

(श्री भंवर लाल शर्मा)
इसका बहुत कुछ समाधान निकल सकता था, लेकिन आपने......

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटौती प्रस्तावों के बारे में कहने जा रहे हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा : समापति महोदय, जब आप घंटी बजायेंगे तब मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री शंकर लाल : घंटी बजा दीजिये ।

श्री एम० एन० शर्मा : बोलने तो दीजिये बेचारे को ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप तो यही चाहेंगे कि घंटी बज जाय क्योंकि आपको आलोचना सुनने का अभ्यास नहीं है ।

समापति महोदय, जलदाय विभाग ने राजस्थान में पानी तो नहीं बहाया, लेकिन पैसा जरूर बहाया । इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं । आपके डिपार्टमेन्ट ने विचार किया कि टंकिया बनाई जायं । केवल विचार किया और विचार मात्र से 60,500 टन लोहा खरीदा, पानी पहुंचाने के लिए वह लोहा खरीदा।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जनरल डिबेट नहीं है । मांग के ऊपर जो आपके कटौती प्रस्ताव हैं उन्हीं पर बोलिये ।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह पानी की समस्या क्यों नहीं सुलझी, इतना पैसा बरबाद करने के बाद भी, इन बातों पर सरकार अगर ध्यान दे तो मेरा विश्वास है कि यह समस्या बहुत हद तक सुलझ सकती है । इसलिए यह सब बातें मैं आपके सामने ला रहा हूं ।

श्री शंकर लाल : एक माननीय सदस्य ने कहा, बेचारे को बोलने दीजिये यह बेचारा शब्द...

श्री उपाध्यक्ष : यह उनका कहना गलत है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : उनका मतलब विचार करने से है ।

माननीय समापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है ।

इसी तरह से सात करोड़ का पेमेन्ट लोहा खरीदने के लिए किया गया और उसके रख-रखाव के लिये दस लाख रुपया खर्च किया जा चुका है । अगर यह पैसा इन योजनाओं में लगाया जाता, और जनता को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करते तो यह दुर्दिन आज नहीं आता ।

आज हम जब कच्ची बस्तियों में जाते हैं तो देखते हैं कि उन बस्तियों के लोगों के लिये कोई पब्लिक टैप की व्यवस्था नहीं है । जब भी चुनाव के समय जाते हैं तो वे कहते हैं कि और कुछ नहीं, आप तो नल लगवा दीजिये । आप पानी की सुविधा इनको दे नहीं सके ।

एक माननीय सदस्य : आपको पानी पिला दिया ।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह सरकार तो आपको भी पानी पिला देगी ।

इसलिए, समापति महोदय, जनता बड़ी दुखी हो रही है ।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

इसके साथ ही आपने जब संजय गांधी यहां पधारे तो काफी खर्च किया, वह केवल इस बात पर किया कि यहां पर पानी साफ करने के लिये एक प्लान्ट लगायेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो अच्छा ही किया ।

श्री भंवर लाल शर्मा : उसके लिए न तो स्वीकृति ली गई, न कोई सेंक्शन ली गई, फिर भी आपने 1 लाख 50 हजार रुपया उन पर खर्च किया। 1.50 लाख रुपये खर्च किए और कुल 600 मील कार चलाई । वह किस लिए चलाई ? श्रीमान्, संजय गांधी जयपुर पधार रहे हैं, उसके निमंत्रण-पत्र बांटने के लिए । कार नं० है आर० एल० एफ० 914 । वहां मिट्टी डलवाने के लिये 75,000 रुपये खर्च किए । उद्घाटन पर जो पत्थर लगा, उसकी कीमत केवल 5 हजार रुपये । आपने पानी की टंकी ली उस पर आपने पांच हजार रुपये खर्च किए। यह सारा पैसा सब आपने बेकार के कामों में खर्च किया। जो पैसा पानी सप्लाई में खर्च हो सकता था उसका दुरुपयोग किया । मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे घोटालों की जांच कराये और इस विभाग के बजट में जो पैसा है उसको अच्छी योजनाओं में लगाये ।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह !

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि जो छोटे गांव हैं उनमें वाटर सप्लाई योजनायें बनाकर विभाग पानी सप्लाई कर सकता है । इसके लिए सुझाव है कि जितने भी छोटे गांव हैं उनमें नलकूप लगाये जायं । गांव के बीच में नलकूप बनायें और पांच-दस टूंटियां फिट की जायं ताकि गांव वाले अपनी आवश्यकता का पानी ले सकें । राजस्थान गांवों का प्रदेश है, इसमें छोटी-छोटी ढाणियां हैं। विभाग की योजना के अनुसार दो हजार से कम आबादी वाले गांवों को या ढाणी को वाटर सप्लाई स्कीम में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन तरह के छोटे गांवों के लिए नलकूप की योजना बनाई जाय । उन छोटे-छोटे गांवों के कुओं में खारा पानी है, पानी में फ्लोराइड भी है । इसलिये उनकी जगह पर नलकूप की योजना बनाकर पानी दिया जाए ।

दूसरी बात मुझे खारे पानी के बारे में कहनी है । पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर इलाका रेगिस्तान है जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर का हिस्सा। मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर इन्सान को जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है । पिछली सरकार 30 साल में भी पानी का उचित प्रबंध नहीं कर सकी। झुंझुनू जिले में मंडावा में चले जायं, चूरू जिले में चले जायं जहां भूतपूर्व मन्त्री रह चुके हैं वहां के गांवों में आज तक पानी की समस्या बनी हुई है ।

समाज कल्याण विभाग के बारे में भी मैंने दो कटौती प्रस्ताव दिए हैं। एक है हरिजन बस्तियों में पानी की व्यवस्था के संबंध में । मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि हरिजन बस्तियों की उपेक्षा की जाती है । उदाहरण के लिये मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ़ की बात करता हूं । शहर में 10

(श्री नवरंगसिंह)

साज से पानी की व्यवस्था है लेकिन वहां एक भंगी बस्ती है, जो एक बड़ा मोहल्ला है, वहां के निवासी ज्यादातर नगर की सफाई करते हैं लेकिन आज तक उस बस्ती में पानी का इंतजाम नहीं किया गया। मैंने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र भी माननीय इंजीनियर, मुख्य अभियंता को दिया, उनसे मिला भी लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। यह समाज कल्याण विभाग का दायित्व है कि वह इस तरह के भंगियों के बड़े मोहल्लों में पानी का इन्तजाम करे।

इसी तरह से जो छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनके बारे में और छात्रवृत्ति के बारे में मुझे कहना है। वैसे तो छात्रावासों की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। विभागीय अधिकारी और वहां के वार्डन्स ने मिल कर उस व्यवस्था को बहुत खराब कर रखा है। जितना पैसा प्रति छात्र दिया जाता है वह कम पड़ता है, इसमें भी वार्डन और विभाग के अधिकारियों का हिस्सा होता है, आपस में हिस्सा बांटकर बेचारे छात्र के लिए दो टाइम खाना भी नहीं छोड़ते। कई जगह छात्रों के लिए खाने का भी इन्तजाम नहीं होता है। ऐसे उदाहरण नवलगढ़, सिंघाना, झुंझुनू और सूरजगढ़ के हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सक्षम व्यवस्था बनायें और कम से कम इस बात के लिए ध्यान दें कि जितना पैसा छात्रों के लिए दिया जाता है उसका सही उपयोग हो। जितनी सुविधायें छात्र को मिलनी चाहिए वह आज नहीं मिल रही हैं इसलिये जो हरिजन छात्र अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं वह बेचारे दुविधा में रहते हैं। मैं स्वयं इस विभाग से सम्बन्धित रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि छात्रावास की इस कमी के कारण 15 दिन हरिजन छात्र स्कूल से अनुपस्थित रहता है कि खाने के लिए उसे रोटी नहीं मिलती है। तो मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

इसके अलावा जो छात्रवृत्ति के नियम बने हुए हैं वह बड़े काम्पलीकेटेड हैं। छात्रवृत्ति के लिए एस० डी० ओ० या गजेटेड अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है। एस० डी० ओ०, जगदीशप्रसाद शर्मा, नवलगढ़ के खिलाफ हरिजनों की शिकायत आती है कि प्रमाण-पत्र नहीं देते और यदि देते हैं तो पैसा मांगते हैं। तो यह काम हैड मास्टर पर छोड़िए। वह जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और उन्हें ही छात्र के सारे फार्मों की पूर्ति करनी होती है। आप नए नए काम्पलीकेशन्स पैदा करते हैं इस कारण से छात्र को यदि फार्म मिल भी जाय तो गजेटेड अधिकारी प्रमाण-पत्र नहीं देता है। इसलिए आधे से ज्यादा छात्र फार्म नहीं भर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री रणजीत सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, कांग्रेस की सरकार ने तो मेहता और मेहतर को शामिल नहीं होने दिया लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यह सरकार भी वही कर रही है। मेहता अलग होस्टल में रहेगा और मेहतर अलग होस्टल में रहेगा। क्या कर रहे हैं आप? अगर चाहते हैं कि सब एक हों तो मेहता, मेहतर, मेघवाल, माथुर, महाजन, महाराजा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हिन्दू व मुसलमान सबके बच्चे एक ही छात्रावास में रहें। सचमुच कल्याण चाहते हैं तो यह करें। आप समाज का कल्याण चाहते हैं या समाज का विनाश करना चाहते हैं ? दोनों काम साथ साथ कैसे चलेंगे ? एक तरफ समाज कल्याण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ 28 करोड़ शराब से कमा रहे हैं जो गरीबों की जेब से आता है—

हाय रामई राज ने, या कई सूझी राह।
पूरो करे गरीब ने, दारू पाई तबाह।।

आप गरीबों को दारू पिलाकर उनको तबाह कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज बड़े गौरव के साथ कहा जाता है कि हमने इतने पोषाहार केन्द्र खोल दिये हैं। मैं पूछना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से कि क्या यह उचित है कि आपके बच्चे मांग कर खायें ? क्या आप अपने बच्चों को भिखारी देखना पसन्द करेंगे ?

अरे बालक ये वणासी कंई,
ज्ञानी करो विचार,
अमेरिका का दान की
दूध पकोड़ी खारे।

(हंसमुख)

आप यह क्या कर रहे हैं ? आज जो आप छात्रावासों को चीज सप्लाई करते हैं वह कहां जाती है ? वह तो गायब हो जाती है। आपके समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं उनकी आज यह हालत है कि वहां पर लोग शराब पीते हैं। तो जो अधिकारी खुद छात्रावास में शराब पीते हैं वह समाज का क्या कल्याण करेंगे ?

आप मेहरबानी करके देखिये, आपने जो स्टेनलैस स्टील के बर्तन वहां पर सप्लाई किये थे उनको बेच बेच कर उन लोगों ने शराब पी ली और वहां पर एल्यूमिनियम के बर्तन रख दिये हैं। मैं तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करके इन शराबी अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लें। इसके साथ साथ मैं यह भी, सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि जो मिल्क पाउडर बाहर से आता था, वह कहां है ? कहां है वह सस्ता तेल जो आपको मिलता था ? वह आपने इनके यहां भेजा और इन्होंने वह सब हजम कर लिया। तो मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं नल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैंने कई बार इस सदन में कहा कि मन्त्री महोदय अगर आप नाली नहीं बना सकते हैं तो नल मत लगाइये। अगर नाली नहीं बनी हुई होगी तो वहां पर गन्दगी फैलेगी, मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां फैलेंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चलिये माण्डलगढ़, दीगोद और बिजोलिया। मुझे माफ करेंगे, मेजर साहब, आप के मीम में भी नालियां नहीं बनी हुई होने से वहां पर मच्छर भिनभिनाते हैं। वहां गन्डूलिये कीचड़ में पड़े रहते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप कम से कम नल के साथ नालियां जरूर बनायें। इसके लिये आप चाहें तो पंचायत समितियों को टैक्स लगाने के लिये कह दें। हम टैक्स देना पसन्द करेंगे पर आप कम से कम नालियां जरूर बनावें।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह है नल योजना के बारे में आपने पहले शुरू शुरू में पानी के 6 रुपये लिये और आपने बाद में दस रुपये कर दिये। अभी मुझे एक शिकायत-पत्र मिला है काछोला गांव से जो कि मेरे क्षेत्र में है, वहां आपने 10 की जगह 20 रुपये कर दिये हैं। यह कहां तक उचित है? पहले तो आपने मुर्गी को दाना डाला और फिर झटका कर दिया। सभापति महोदय, एक घन्टे चौबीस घण्टे में नल आता है। वहां नल भी आधा इंच का है। पहले छः रुपये के बजाय आपने दस रुपये कर दिये। अब आप कहते हैं कि आपके यहां पर किरायेदार रहता है इसलिये हम इसके 20 रुपये करते हैं। आप इस तरह से गांवों की जनता को परेशान करते हैं इसलिये हम आपसे कहते हैं कि आप मेहरबानी करके नल योजना वापस ले लें। मेरा निवेदन है कि आप पूरे राजस्थान में एक ही व्यवस्था लागू करें। एक ही रेट पानी की लें।

बस इतना ही मुझे निवेदन करना है। जो थोड़ा बहुत समय मुझे माननीय सभापति महोदय ने दिया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रावत राम (अनुपस्थित)

श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में जिन दो मांगों पर बहस चल रही है उन पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उन कटौती प्रस्तावों की ओर मैं राज्य के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने एक क्रम पुस्तिका सदन के सभी माननीय सदस्यों को दी। उस क्रम पुस्तिका में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो सन् 76-77 में खर्चा किया, जो योजना तैयार की उसके बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा उन योजनाओं का भी उल्लेख किया है जो कि पूरी होने वाली है। उसको मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। उसको पढ़ने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, सभापति महोदय, राजस्थान के जो बड़े बड़े नगर हैं और उनके आस-पास की जो जगह है वहां पर जल योजनायें पूरी हो चुकी हैं। एक दो जगह कोई योजनायें बची हैं तो वह भी जल्दी ही पूरी कर दी जावेगी। लेकिन जिस प्रकार पिछली सरकार ने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया उसी तरह मैं समझता हूं कि यह सरकार भी कोई विशेष ध्यान गांवों की तरफ नहीं दे रही है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर 33 हजार कुल गांव हैं। आपने जो बजट में धनराशि रखी है उससे मैं समझता हूं कि आप बहुत कम गांवों में पेयजल की व्यवस्था में सुधार कर पायेंगे। गांवों के विकास के लिये पेयजल के लिये जितनी अधिक मात्रा में धनराशि रखनी चाहिये उतनी धनराशि नहीं रखी गयी है। यह गांव वालों के साथ सरासर अन्याय है।

सभापति महोदय, मैंने एक कट-मोशन डेरा, कीलपुर, खेड़ाजेरोल तहसील राजगढ़ की पेयजल समस्या के बारे में दिया है। सभापति महोदय, राजगढ़ का एरिया है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स एरिया है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के वक्त भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया का ध्यान नहीं रखा जाता था और अब की बार

(श्री सनरथ लाल)

मैं ऐसा देखने में आया है कि राजगढ़ तहसील, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स् एरिया है, की उपेक्षा की गयी है राजगढ़ की जो सालों से उपेक्षा हो रही है उसे तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता है ।

इसके अलावा जो भी योजनायें आपने बनायीं उनके जो रिजल्ट्स आने चाहिये थे वह रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं । मेरा यह निवेदन है कि आप जो धनराशि खर्च कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स तो कम से कम जनता को मिलने चाहियें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अब थोड़ा समाज कल्याण विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि गरीब लोगों के कल्याग के लिये है । लेकिन आज तक जितने भी निदेशक समाज कल्याग विभाग में आये और जितने भी छोटे-मोटे आफिसर उस डिपार्टमेंट के हैं वह ऐसे हैं जो कि गरीबों का कल्याण करना नहीं चाहते । उनके कार्य करने की प्रणाली ऐसी है जिससे यह महसूस किया जा सकता है कि उन अधिकारियों के दिल व दिमाग में जो पीड़ा गरीब लोगों के प्रति होनी चाहिये वह नहीं है । यही कारण है कि जो धनराशि राज्य सरकार इन गरीब लोगों के उत्थान के लिये रखती है उसका सदुपयोग नहीं होता है । सभापति महोदय, मुझे इस विभाग के अधिकारियों से जिस दरमियान मिलने का व्यक्तिगत मौका मिला और उनके साथ काम करने का भी मौका मिला उस दरमियान मैंने ऐसा देखा कि जो बजट विभाग का है और जिस प्रकार उस बजट का यूटिलाइजेशन होना चाहिये उस तरह से नहीं होता है। यही कारण है कि जितना विकास आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का करना चाहते थे उतना विकास बजट का यूटिलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण नहीं हो सका और इनकी तरक्की नहीं हो सकी ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के बारे में । सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किये जाते हैं उनकी ओर मैं राज्य के मंत्री महोदय का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं । सभापति महोदय, जयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो छात्रावास है उसकी हालत आज बहुत ही खराब है । उसका जो पहले बजट था वह भी कम कर दिया गया है । सिवाय खाने के अब छात्रों को कुछ नहीं दिया जाता है ।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावास के लिये जो चीजें ली जाती हैं उनके टेण्डर इनवाइट किये जाते हैं वह हैड आफिस से ही किये जाते हैं, इकजाई टेण्डर इनवाइट किये जाते हैं। टेण्डर हैड आफिस इनवाइट करे हमें तो कोई दुख नहीं, पर मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि जो गेहूं राशन का 135 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से मिलता है उसकी खरीद 152 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से की गई है । अगर ऐसा किया गया है तो इसकी जांच की जानी चाहिये । इस प्रकार की गड़बड़ियों के कारण धन का दुरुपयोग होता है और गरीब बच्चों का उत्थान नहीं

(श्री समरथ लाल)
हो पाता है। इसके अलावा जयपुर के छात्रावास का जो वार्डन है वह बच्चों के साथ बैठ कर शराब पीता है। ऐसा वातावरण उसके द्वारा बना दिया गया है कि छात्रावास के बच्चों का विकास तो नहीं विनाश जरूर हो सकता है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जब कभी भी सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आरक्षण देने की बात आती है तो माननीय सदस्यों को काफी परेशानी होती है। अगर छात्रावासों को ही देखें तो हर जाति के छात्रावास हैं, खण्डेलवाल छात्रावास, राजपूत छात्रावास, अग्रवाल छात्रावास, पर जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के छात्रावास का सवाल आता है तो लोगों को बुरा लगता है। वह सोचते हैं कि उनको आरक्षण क्यों दिया जाता है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इससे गुमराह नहीं होवें।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदय, आरक्षण का जहां तक मामला है जितनी आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां होनी चाहिएं उतनी नहीं हो रही हैं और न ही प्रमोशन्स भी आरक्षण के मुताबिक हो रहे हैं। इसके अलावा जो रोस्टर सिस्टम आपने जो प्रमोशन का रखा है उसमें ऐसा होता है कि पांचवां छठा नम्बर जब भी रोटेशन में शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी का आता है तो राज्य सरकार के अधिकारी लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले व्यक्ति के नम्बर के पहले तक के अधिकारी या कर्मचारी को प्रमोशन देकर पोस्ट्स समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले व्यक्ति का नम्बर नहीं आता। तो सरकारी लोग इतने चतुर हैं कि चार के बाद पोस्ट समाप्त कर देते हैं क्यों कि वे जानते हैं कि पांचवां, छठा आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आने वाला है। इसलिये जो आरक्षण रखा है उसका फायदा नहीं मिल पाता है। आप जानकारी करके इसको सुधारने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री जगदीशसिंह।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि धौलपुर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के प्रति उत्थान के मामले में विभाग द्वारा हमेशा उपेक्षा बरती गयी है इसलिये मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, धौलपुर में अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास है। उसमें 108 के करीब छात्र हैं। जो छात्रावास बना हुआ है उसके अन्दर खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दो मील दूरी पर बच्चों को खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुस्तकों की भी कमी है। न छात्रावास में कोई लाइब्रेरी है, न वार्डन का इन्तजाम है और न ही सामान की कोई व्यवस्था है। सारे क्षेत्र में एक छात्रावास है। इस इलाके की घोर उपेक्षा की गयी है। इस क्षेत्र की पहले कांग्रेस के राज्य में भी उपेक्षा की जाती रही है मैं आशा करता हूं कि

118

(श्री जगदीशसिंह)
आयन्दा इस ओर ध्यान रखा जावेगा ।

जहां तक पेयजल की समस्या है, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल बिलकुल उपलब्ध ही नहीं है । कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि कुए बने हुए हैं लेकिन फ्लड आ जाने से वे गंदगी से भर गये हैं । 100 गांव तो ऐसे हैं जहां कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है । अधिकारियों को भी इसका निरीक्षण करा दिया गया है । 70 ग्रामों में तो पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है । अभी फ्लड आया, उसके कारण और खराब हालत हो गयी है ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार पेयजल की समस्या को हल करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास खोलेगी ।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि दौसा में पेय जल की व्यवस्था के लिये पानी की टंकी के निर्माण की योजना थी लेकिन वह आज तक नहीं बन पायी है । पाइप लाइन बरसात में बीच हो गयी जिसके कारण पानी नहीं मिल रहा है । टेम्प्रेरी तरीके से पानी की व्यवस्था हो गयी हो ऐसी बात भी नहीं है । पानी की लाइन को दूर से निकालना पड़ेगा वरना बरसात में कभी भी टूट सकती है । करीब 25,000 की बस्ती को प्यासा रहना पड़ सकता है ।

वाटर टेंक की कमी से दौसा में पानी नहीं पहुंचता है । टेंक के लिये ठेका भी दिया गया लेकिन ठेकेदार भाग गया । डिपार्टमेंटल तरीके से उसको पूरा करना चाहिये । इस बरसात के बाद टेंक पूर्ण रूप से निर्मित हो जाना चाहिये । ज्यों ही बरसात खत्म होती है पेयजल की समस्या भयंकर रूप से आ जाती है । इसके अलावा कस्बे में भी मीठे पानी के कुए नहीं हैं ।

काफी समय पूर्व बनास पर बीसलपुर योजना के नाम से जयपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक को पानी देने के लिये एक योजना बनायी गयी थी उस पर 50 लाख रुपया सरकार ने खर्च भी किया और उसको कम्पलीट करके रखा हुआ है लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोगों को आज भी जमवारामगढ़ बांध का पानी पीना पड़ता है । इसका कीड़ों वाला पानी है । इसके पीने से हर व्यक्ति के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण वह बीमार हो जाते हैं । मेरा निवेदन है कि बीसलपुर योजना से जयपुर, ब्यावर, टोंक और अजमेर जैसे शहरों के लिये पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिये और जमुवारामगढ़ के पानी से लोगों को छुटकारा मिलना चाहिये ।

मान्यवर, जहां पर पानी की आवश्यकता हो वहां नेसेसिटी के मुताबिक यह सरकार पानी का प्रबन्ध करेगी, ऐसी मेरी मान्यता है । भूतपूर्व मंत्री ने जो वाह-वाही की बात कही, उसका प्रश्न नहीं है ।

समाज कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर निवेदन करना चाहूंगा । सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के वेतन, भत्ते, मकान किराया, होस्टल का किराया व और बातों पर जो खर्चा

(श्री मूलचन्द सामरिया)

होता है वह कितना है ? उसमें से छात्रवृत्ति और बच्चों के खाने-पीने, कपड़ों की व्यवस्था पर जो खर्चा होता है वह कितना है ? दूसरी बात मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या समाज कल्याण विभाग में पूर्ण रूप से रोस्टर प्रणाली का प्रमोशन आदि के मामलों में पालन होता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट में ही घंटी बजा दी ।

श्री सभापति : 6 मिनट हो गये हैं । मेरा निवेदन यह है कि बोलने वालों की संख्या 60 और है । समय की पाबन्दी तो करनी ही पड़ेगी । एक मिनट और बोल लीजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : सर्वप्रथम तो मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावास और हरिजन छात्रावासों की बहुत खराब स्थिति हैं । अनाथाश्रम के बच्चों के रहने जैसे छात्रावास बने हुए हैं । जिस समय चौहान साहब समाज कल्याण मंत्री थे तब उन्होंने इस सम्बन्ध में कोशिश की थी । शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को सुविधा देने के लिये समाज कल्याण मंत्री को प्रयास करना चाहिये ताकि यह रोज-रोज आलोचना होती है इससे छुटकारा मिल सके ।

आज इस देश में समाजवाद की बात की जाती है लेकिन इन्सान इन्सान का मेला अपने सिर पर ढोता है। यह न सिर्फ सरकार के लिये बल्कि बुद्धिजीवी कहे जाने वाले और समझदार कहे जाने वाले लोगों के लिये, समाजवाद को मानने वाले लोगों के लिये डूब मरने की बात है। इस देश के इन्सान आज भी इस घृणित कार्य को करने के लिये मजबूर हो जाना पड़ता है, फिर हम समाजवाद की बात कैसे करते हैं, यह मेरी समझ के बाहर है ।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा, यह सरकार की नीति है कि पहले हरिजन आदिवासी मोहल्लों में विद्युत के कनेक्शन लगाये जायें लेकिन उनके मोहल्लों में न तो विद्युत के कनेक्शन दिये जाते हैं और न वहां पानी का कनेक्शन दिया जाता है, जहां पानी की पाइप लाइन है और वाटर सप्लाई होती है ।

इसके अलावा सरकार की नीति है कि मन्दिरों-मस्जिदों के पास और हरिजनों के मोहल्लों में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए । लेकिन होता यह है कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं वह मन्दिरों, मस्जिदों के पास और हरिजन और आदिवासी लोगों के मोहल्लों में होती हैं । इस कारण हरिजन अपनी सारी कमाई की शराब पी जाता है । इसलिए समाज कल्याण विभाग इस मुहिम को चलाये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों से दो-तीन फर्लांग दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर राजस्थान का एक प्रमुख नगर है और वह बड़े शहरों में गिना जाता है लेकिन गत तीस वर्षों से ब्यावर हमेशा प्यासा का प्यासा रहा है और आज भी प्यासा है । वहां की जल समस्या इतनी जटिल है कि प्रति व्यक्ति सिर्फ 10

(120)

(श्री उगमराज मेहता)

गैलन पानी ही मिलता है। वहाँ की जन संख्या 80 हजार है लेकिन पानी सिर्फ 10 लाख गैलन मिलता है। इस कारण वहाँ पेयजल की समस्या इतनी जटिल है। वहाँ पेयजल दो स्रोतों से दिया जाता है--एक तो मकरेड़ा से और दूसरा जालिया से। तीसरे सेंदड़ा से पाइप लाइन सरकार द्वारा डाली गयी है और उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया गया है लेकिन वहाँ से पानी मिलना शुरू नहीं हुआ। वह 6 इन्च की पाइप लाइन है जिससे ज्यादा से ज्यादा 60 हजार गैलन पानी मिल सकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सेंदड़ा की जो पाइप लाइन है उसके द्वारा चार कुओं से पानी दिया जाये। साथ ही वह पाइप लाइन कम से कम 15 इंच की की जाये जिससे कि 4 लाख गैलन प्रति दिन पानी ब्यावर की जनता को मिले। साथ ही मेरा सरकार से निवेदन है कि राइट बाँध से पाइप लाइन द्वारा पानी लाया जाये और ब्यावर की पानी की समस्या को हल किया जाये। बनास के ऊपर बाँध बनायें तो उससे जल की पूरी समस्या का निदान होगा।

मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि ब्यावर में इतना गन्दा पानी दिया जा रहा है कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वाटर फिल्ट्रेशन का इन्तजाम किया जाये और फिल्टर्ड पानी देने की व्यवस्था की जाये।

इसके अलावा इस समय जो ब्यावर में पानी दिया जा रहा है वह नगर परिषद द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। गत सरकार ने इसको पी०एच०ई० डिपार्टमेंट को दे दिया था लेकिन अभी तक इस डिपार्टमेंट के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्र ही अपने अन्तर्गत लें और ब्यावर की पानी की समस्या को हल करें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान गाँवों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जिन गाँवों में भी पानी की समस्या है वहाँ भी पेयजल शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाये।

श्री सभापति : श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): माननीय सभापति महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन मैं तीन कटौती प्रस्तावों पर ही बोलूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि सभापति महोदय मुझे पूरा समय देंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिड़ावा क्षेत्र में 55 गाँवों की सूची मैंने सरकार को दी है जिनमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें खास तौर से कुछ गाँव हैं सरोनिया, घरोनिया, रूपाखेड़ी, हुरनावदा, कोटड़ा, टिकटिकिया। इसमें टिकटिकिया गाँव में बहुत चट्टानें हैं। उनमें पानी के लिए ट्यूब वैल की व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि अभी तक हमारे यहां के जन स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार की कोई सूची सरकार को नहीं दी है। और मेरे क्षेत्र पिड़ावा को बिलकुल इग्नोर किया जा रहा है, इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा, सभापति जी, आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कि इस प्रकार की विषमतायें जनता सरकार में नहीं होनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा :

(श्री ईश्वरचन्द्र)

"हमको दो बूंदें मयस्सर हो न पाईं,
और कुछ ओठों से मयखाने लगे हैं।"

डागा साहब शब्द कह रहे थे कि 'पनघट क्लब' बनाई जाये। आप तो जानते हैं, सभापति महोदय, महिलाओं के बारे में इस तरह का भाषण दिया जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं, श्री डागाजी अपने माथे पर मटकी रख कर विधान सभा का चक्कर लगालें फिर वह पनघट की महतता समझेंगे। मैं, सभापति महोदय,यह कह रहा था कि ऐसी मनोवृत्ति कैसे चलेगी। मेरे यहां 55 गांव हैं। वहां महिलायें एक, एक और दो, दो मील से सिर पर पानी की मटकी रखकर लाती हैं। एक तरफ उनको कितनी तकलीफ है और दूसरी तरफ हमारे कांग्रेसी नेता पनघट क्लब चलाना चाहते हैं। यहां पर मानसिक विलास की बातें की जाती हैं यह बड़े दुख की बात है। इसका खण्डन होना चाहिए।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में नल और हैंडपम्प की कोई योजना नहीं है। कांग्रेसी सरकार ने हैण्डपम्प और नल के बारे में जो उपकरण बनाये हुए थे उनको जम्मू-कश्मीर को भेज दिया था। माननीय मंत्री महोदय, सुन लें और उन मशीनों को अपने यहां मंगा लें ताकि राजस्थान में नल और हैंडपम्प की स्कीम लागू हो सके। मेरे क्षेत्र का कहीं कोई इस स्कीम में नाम नहीं है। कई गांव ऐसे हैं कि जहां तुरन्त हैंडपम्प की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है।

अब मैं समाज कल्याण के दो कटौती प्रस्ताव हैं उनमें से एक पर ही बोलूंगा। समाज कल्याण के मंत्री महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह पिड़ावा हरिजन बस्ती का एक बार दौरा कर लें। मैं समझता था कि सिर्फ टण्ड्रा में ही एस्कीमोज होते हैं लेकिन एस्कीमोज पिड़ावा क्षेत्र में भी रहते हैं और वह हैं हरिजन। आप उनके घरों में जायें तो आपको रेंग कर घुसना पड़ेगा। मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि वहां पर मैं अपने पंचायत मंत्रीजी को ले जाऊं। इनको उनके घरों में रेंग कर घुसना पड़े तब कहीं उस दुख-दर्द को यह समझेंगे।

हरिजन कल्याण के नाम पर आप जानते हैं डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि वर्ग संघर्ष से ऊपर वर्ण संघर्ष है। होस्टल माथुर का होता है, राजपूत का होता है और मेहतरों का होता है। इस तरह के होस्टल बनते हैं, इसके पीछे जो बात आती है वह मेरी समझ में यह है कि जब तक आप पिछड़े हुओं को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक इस प्रकार की मनोवृत्ति खत्म नहीं होगी। एक उदाहरण दिया था डागा साहब ने कि एक पिछड़ी जाति का यदि कोई इन्जीनियर हो जाता है तो वह प्लाट मांगता है। इससे डागाजी जैसे आदमी को तकलीफ होती है। मैं कहूंगा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ सुविधा मिल भी जाये तो चेंकने, चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सामाजिक चेतना की बहुत आवश्यकता है। नया दर्शन हमको अपनाना पड़ेगा वरना वर्ण संघर्ष की बात आयेगी। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से चाहूंगा कि कांग्रेस के जो घिसे-पिटे सिद्धान्त हैं उनको समाप्त कर इसके ऊपर नया चिन्तन करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(122)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

कत्ल मत करिये, समापतिजी, मेरे भाषण का। हमारे यहां के हरिजनों की हालत बहुत खराब है। कुछ तो कहने दीजिये उनके बारे में....

अगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिये,
मरे तो लाश पड़ी रह गई कफन के लिये।

समापति महोदय, मैं कितना ही अच्छा भाषण दूं लेकिन आप तो रोकेंगे ही.....

मुझसे ला हासिल है मेरी हसरतों का फैसला,
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह आसन को सम्बोधित करके कहा है क्या ?

श्री सभापति : श्री किशन सिंह भाटी।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : समापति महोदय, संसार के लोग आज न जाने कहां कहां तक पहुंच गये हैं। लोग चन्द्रमा तक पहुंच गये और राजस्थान का सबसे बड़ा इलाका पानी के लिये तरसता है। जिस इलाके से मैं आया हूं वह विश्व का सबसे बड़ा जिला है। उसकी दुहाई कांग्रेस पार्टी देती रही है और अब जनता सरकार भी देती है कि वहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे सके तो कुछ नहीं दे सके। अगर उस इलाके के बारे में, समापतिजी, सोचा जाय तो जैसलमेर में जितनी पानी की कमी है, उतनी कहीं नहीं है। इसमें कहीं कोई मतमेद भी नहीं है। सारे लोग महसूस करेंगे, थार के रेगिस्तान में अगर पानी की कमी है तो वह इस इलाके में है। जैसे हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि सबसे प्रथम प्राथमिकता के आधार पर जल को समस्या की पूर्ति की जायगी, जल की समस्या का समाधान किया जायगा। लेकिन ये आंकड़े पुस्तिका में देखकर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो प्रगति विवरण-पत्र दिया गया है उसमें बताया गया है, वर्ष 77-78 में नई ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत करने के लिये योजना मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है। और इस वर्ष कोई भी नई ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की जायगी एवं निर्माणाधीन योजनाओं को ही पूरा करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

मैं संक्षेप में यह कहूंगा, कांग्रेस ने जो कुछ 30 वर्षों में किया उसने बड़ी भारी गलती की कि जो मनुष्य की आधारभूत समस्या थी, उसको भी हल नहीं किया। हमने इस बारे में कांग्रेस को कोसा है। हम अपने चुनाव क्षेत्र में यह कह कर आये हैं कि कांग्रेस ने पानी के मामले को हिट किया है। सारा इश्यू हमने पानी का बनाया है। कई गांवों में 200-200 वर्ग मील के इलाके में पानी के बहुत कम साधन हैं। वहां ऐसा क्षेत्र है जो फ्लोराइड और चूने के पानी का क्षेत्र है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा पानी पीकर लोग मर जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं। मैं दावा करता हूं, कोई भी माननीय सदस्य या विधान सभा के कोई भी व्यक्ति मेरे साथ वहां चलें और उस पानी को पीयें। ऊंट पर बैठकर चलें और मीलों चलने के बाद कहीं पानी का दर्शन हो, तो यह मेरा दावा है कि वह 300 गज भी नहीं चल सकते। खारे पानी से जुलाब जैसी स्थिति बन जायगी। कांग्रेस सरकार के लिये हम कहते थे कि उसने

(श्री किशन सिंह भाटी)
पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। लेकिन हमारे बजट में आज भी ऐसे इलाकों के लिए पानी की समस्या के समाधान के लिये कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं, जैसा मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देते समय कहा, खारे पानी के क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ नहीं है। 1981 तक खारे पानी के क्षेत्र का पता लगायेंगे। 1981 तक तो जनता पार्टी की सरकार खारे पानी के क्षेत्र का पता लगायेगी यानी आने वाले पांच सालों में तो खारे पानी के क्षेत्र का पता लगेगा तो क्या मैं यह कहूं कि बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों को 20 वर्ष बाद पानी उपलब्ध होगा और 20 वर्ष बाद यह समस्या सुलझेगी ? मैं यह हाई लाइट करना चाहता हूं, हैजार्ड्स टू ह्यूमन हैल्थ जिस पानी को हम कहा करते हैं और जिसको हमने चुनाव में एक मुद्दा बनाया है, उसको तरफ हमारा सीरियस ध्यान नहीं गया, गंभीरता से उस ओर सोचा नहीं गया।

इस विवरण-पत्र को देखकर जो मेरा मत बना, वह यह कि 4-5 करोड़ का मद है। मैं इसे कतई ज्यादा नहीं समझता हूं। जैसलमेर की एक अकेली योजना बनाकर दी जिसमें 370 गांवों को पानी देने की योजना थी वह 8 करोड़ की होती है तो पांच करोड़ सारे राजस्थान के लिये क्या है ? मैं किसी का विरोध तो नहीं करता लेकिन बीकानेर को लें, जयपुर को लें, वहां आपके सामने दूसरी समस्यायें हैं, वहां दूसरे काम्पलीकेशन्स पैदा हो रहे हैं। वहां सीवेज से पानी का मिश्रण हो रहा है। कहीं यह बात हो रही है कि जवाई की नहर आती है उसको कवर कराना चाहिये। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं, जयपुर में लेट्रीन्स में जो पानी यूज करते हैं आपकी लेट्रीन्स से ज्यादा गन्दा पानी वहां गांव वाले पीते हैं। उसका क्या होगा, आप जरा सोचिये ? आप उस पर विचार करें, वहां रोगों से ग्रस्त पानी है, उसको आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं चाहता था मुख्य मंत्रीजी उपस्थित रहते तो बहुत ज्यादा चीजें मेरे इलाके को कहता। केवल छोटी-मोटी चीज आप नोट कर लें। आप नोट कर लीजिये, मुझे गहरा दुख है कि जैसलमेर की उपेक्षा की गई है। उस तरफ कतई ध्यान नहीं रखा गया है और न बजट में किसी तरह का प्रावधान रखा गया है। जो फ्लोराइड के पानी के क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के गांवों को तो आप इसी मौके पर रद्दोबदल करके पानी दीजिये। आपने कहा कि 30 वर्ष में कांग्रेस जो नहीं कर सकी वह हम एक साल में करके दिखायेंगे लेकिन इसके बारे में आपको बजट में भी तो कुछ कहना चाहिये था। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर की जो योजना बनी, जो बाड़मेर के सीमावर्ती जिले के आधार पर बनी है, उसको शीघ्र प्रारम्भ कीजिये। जैसलमेर में योजना प्रारम्भ नहीं कर सकते हैं तो पचासों स्कीम बनायें, आपकी कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। पानी के बारे में हमारा दावा है कि आप बिना उसके किसी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते हैं। विश्व बैंक ने आपको पैसा दे दिया, भारत सरकार दे रही है, बाहर से लाकर दे रहे हैं, बीमा योजना से पैसा लिया जा रहा है फिर भी हमारा रेगिस्तानी इलाका पानी की बूंद के लिये तड़पता है। उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा

(श्री किशन सिंह भाटी)

रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा और मेरा पुरजोर सुझाव है कि आप उस रेगिस्तानी इलाके की ओर सर्वप्रथम ध्यान दीजिये।

जो जैसलमेर की एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें 63-67 ट्यूब-वैल्स हैं, कुछ खेती के नाम से भी हैं किन्तु वहां खेती नहीं होती है। कहीं कोई परीक्षण हो रहा है तो कहीं कोई परीक्षण हो रहा है। उन परीक्षणों को आप बन्द कर दीजिये और सर्वप्रथम पीने के पानी के लिए उनका उपयोग कीजिये। जो 67 ट्यूब-वैल्स हैं उनसे गांवों को जोड़िये जिससे कुछ राहत तो मिल सके। ट्यूब-वैल्स चलाने के लिए डीजल चाहिये। अगर किसी का डीजल सबसे ज्यादा चोरी होता है तो वह जैसलमेर में ट्यूब-वैल्स पर होता है। इस कारण ट्यूब-वैल्स बन्द पड़े रहते हैं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री किशन सिंह भाटी : मेरा समय समाप्त नहीं हुआ है। सभापति महोदय, अभी काफी जिन्दा रहना है। भगवान, अपन में से किसी को समाप्त नहीं करे।

तो मैं ट्यूब-वैल्स के बारे में कह रहा था कि ट्यूब-वैल्स से जैसलमेर के 512 गांवों को जोड़ा जाय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह आपका कमिटमेंट भी है। हम चाहते हैं कि इसी समय इस काम को करें। साल भर में केवल 3-4-5 बार ही ट्यूब-वैल्स चालू रहते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद विधान सभा के चुनावों के समय सभी ट्यूब-वैल्स बन्द कर दिये गये थे मुख्य मंत्रीजी जांच भी करवा रहे हैं लेकिन उस पर इस विभाग के अधिकारियों द्वारा पर्दा डाला जा रहा है। मैं समझता हूं ऐसा बदले की भावना से नहीं किया जाना चाहिये। आज चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, कांग्रेस का हो या जनता पार्टी का हो, पानी मनुष्य की बेसिक नेसेसिटी में आता है। उसके साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। जिसने इस प्रकार का खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री किशन सिंह भाटी : सभापति महोदय, आधा मिनट में समाज कल्याण के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं।

जैसलमेर में समाज कल्याण का होस्टल चल रहा है। आजकल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन उस होस्टलों के छात्रों की संख्या सीमित है जिसे बढ़ाकर दुगना किया जाय। मैं इस संबंध में भाई मनोहर सिंहजी की बात का समर्थन करता हूं कि जाति के आधार पर होस्टल न हों। एक ही होस्टल में सबको एडमिशन दिया जाय। होस्टलों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको भी बन्द किया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान मेरे ग्रामीण और सुरक्षित क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर पेयजल का नितान्त अभाव है।

(श्री हीरालाल आर्य)

मेरे क्षेत्र में 35 गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। लोग नदियों का पानी पीते हैं। मीलों दूर से पानी प्राप्त करने के लिए महिलायें अपने सिर पर बरतन लेकर जाती हैं और नदियों से, जहां पर रास्ते नहीं हैं, पानी ले कर आती हैं। वर्षा के दिनों में पानी लाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। अतः मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जाय। कांग्रेस सरकार ने उस क्षेत्र की उपेक्षा की है। मेरा निवेदन है कि अब जनता सरकार उस क्षेत्र की उपेक्षा न करे और शीघ्र से शीघ्र पेयजल की व्यवस्था करे उस क्षेत्र का पेयजल की दृष्टि से सर्वे हो चुका है। 8-10 गांव इस प्रकार के हैं जहां नल योजना लागू की जा सकती है। लेकिन इस सर्वे की रिपोर्ट को केवल पुस्तक में रखा गया और अभी नल योजना लागू नहीं की गई है। पीपल्दा, सुमेरगंज मण्डी और गैंता ऐसे स्थान हैं जहां के गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके नल योजना के लिए दिया है फिर भी सरकार की उस क्षेत्र के प्रति उपेक्षा रही और किसी स्थान पर नल योजना लागू नहीं की गई। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में शीघ्र पेयजल की व्यवस्था करे।

अब समाज कल्याण के बारे में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उन पर बोलना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का मेरा क्षेत्र है। पोषाहार केन्द्र अब तक शहरों में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा सुरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी पोषाहार केन्द्र चलने चाहिएं ताकि ग्रामीण बच्चों को भूख से बचाया जा सके।

मेरे क्षेत्र में मांगरोल ऐसा स्थान है जो बड़ी घनी आबादी वाला है। आस-पास के गांवों में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिये वहां पर एक समाज कल्याण छात्रावास की व्यवस्था हो तो बड़ा उचित होगा।

इसके साथ ही छात्रावास, होस्टल्स, जो चलते हैं. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी ओर भी समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनमें बर्तन, बिस्तर, आवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है।

छात्रवृत्ति के संबंध में भी मेरा कुछ कटौती प्रस्ताव है जिसके द्वारा छात्रवृत्ति की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो छात्रवृत्ति स्कूलों में मिलती है उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। छात्र समय पर फार्म नहीं भर पाते क्योंकि बहुत सारे छात्रों को मालूम ही नहीं पड़ता कि फार्म आये हैं। इस कारण तारीख निकल जाती है। माननीय मंत्रीजी आप व्यवस्था करें कि कोई भी छात्र न बचे जिसको छात्रवृत्ति न मिले। इसके अलावा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छात्रवृत्ति तीन-चार महीने बाद मिलती है। इस कारण छात्रवृत्ति का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। समय पर छात्रवृत्ति न मिलने से वे पुस्तकें आदि नहीं खरीद सकते, फीस जमा नहीं करा सकते।

एक और निवेदन करूं कि नौकरियों में आपने सुरक्षित स्थान रखे हैं उन पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लेने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। जो रिजर्वेशन होता है उसके

(श्री हीरालाल आर्य)
हिसाब से कोटे की पूर्ति नहीं हो पाती । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनको लेने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। यह कहकर कि उपयुक्त केन्डीडेट नहीं मिला रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था को दूर कीजिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री समापति : इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । बून्दी क्षेत्र में खास तौर से बून्दी नगर में पानी की बड़ी अव्यवस्था है । वहां पर पानी अधिकारियों को तो ठीक समय पर मिलता है । अधिकारियों की एक कालोनी बनी हुई है वहां पर पानी अच्छी तरह से और समय पर उपलब्ध होता है परन्तु अफसोस है कि आम जनता को पानी ठीक समय पर नहीं मिलता । इसकी शिकायतें भी कई बार की गई ।

सन् 73 और सन् 74 के अन्दर हैजे का प्रकोप हुआ । उसका कारण था कि पानी के अन्दर गन्दगी थी और पानी की टंकी साफ नहीं हुई थी । उस कारण 27 व्यक्ति मारे गये। इस वर्ष भी जून और जुलाई में पानी की अव्यवस्था रही । पानी में गन्दगी के कारण 50 व्यक्ति हैजे की बीमारी से पीड़ित हुए परन्तु सरकार ने जल्दी ही कदम उठाया । उसके लिए उचित व्यवस्था की । इस कारण वे लोग अपनी जान बचा पाये । ऐसे मोहल्लों की ओर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पर पानी की अव्यवस्था है। गुरु नानक कालोनी, मोरडीपाड़ा, बालचन्दपाड़ा, बाहरली बून्दी आदि शहर के दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं वहां पर पानी कभी ठीक समय पर नहीं पहुंचता ।

इसी प्रकार जो मेरे क्षेत्र में गांव आते हैं वहां पर बाले की बीमारी होती है । पानी की अव्यवस्था है, पानी गन्दा रहता है इस कारण यह बीमारी फैलती है । ऐसे गांवों के नाम भी बताना चाहूंगा, डाबी, गुढा, राजपुरा बरड़दा डोरा आदि.......

श्री सभापति : इस विषय में आपकी कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है । आपने सिर्फ बून्दी नगर के ऊपर दिया है। उसी तक विचार सीमित रखें ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : बून्दी के अन्दर रणीजी की बावड़ी है वहां पर बाले की बीमारी होती है । 47 लाख रुपये सरकार ने स्वीकृत किये हैं उनको दो भागों में विभक्त किया है, 11 लाख और 36 लाख । मेरा निवेदन है कि 36 लाख जो आने वाले साल में खर्च किया जावेगा और उसके अनुसार काम किया जायेगा, उसमें से दो टंकी इस वर्ष बना दी जाय तो बून्दी में पानी की जो अव्यवस्था है वह हल की जा सकती है । उससे पानी की व्यवस्था भी ठीक होगी साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की टंकी को समय समय पर साफ करते रहें तो बीमारी नहीं होगी ।

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

मेरा एक निवेदन और है। बून्दी क्षेत्र में ही छत्रपुरा, रघुवीरपुरा क्षेत्र क्षेत्रीय योजना में लिये जायें। बड़ना, लाडपुर, तीरथभवानी-पुरा और नमाना को भी इस क्षेत्रीय योजना के साथ जोड़ा जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री निर्मल-कुमार।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) : आदरणीय सभापतिजी, आपके मांध्यम से लोक स्वास्थ्य के विषय पर मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। लोक स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मानव स्वास्थ्य ही लोक स्वास्थ्य है। लोक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिये, उसमें सुधार करने के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं। हवा उसमें से एक है जो प्रकृति से मिलती है परन्तु हमारे यहां के कल-कारखाने उसको गन्दा करते हैं। उसको सुधारने के लिए, उसको साफ करने के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी, लोक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए भोजन की बात आती है। हमारे देश में जितनी मनुष्य को कैलोरीज चाहिए, भोजन चाहिए उतना भोजन इस देश में हम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए लोक स्वास्थ्य गिरा हुआ है...

श्री सभापति : यह तो आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री निर्मलकुमार : उसी से संबंधित है।

तीसरी बात पानी की है जिसके मामले में हम यह चर्चा कर रहे हैं। झालरापाटन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से मैं जीत कर आता हूं, मैं एक टंकी के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। माननीय सभापति महोदय, जब नल योजना लागू की गई, दस वर्ष पहले, तब से वहां एक लोहे की टंकी बनी हुई है। किन्तु उसको ढकने का साधन नहीं है। उसके अन्दर कबूतर मरते रहते हैं और उसमें सड़ते रहते हैं। वही पानी नागरिकों को पिलाया जाता है। दस वर्ष पूर्व बनी हुई टंकी अब छोटी पड़ने लगी है। मेरा मंत्री महोदय को आपके मार्फत निवेदन है कि आप वहां पर सीमेंट की बड़ी टंकी बनाने को व्यवस्था करायें। पानी की कोई कमी नहीं है, कालीसिंध नदी से झालरापाटन और झालावाड़ को पानी दिया जाता है। यदि आप चाहें तो उस नदी से झालावाड़ और झालरापाटन को चौबीसों घण्टे पानी दे सकते हैं।

झालावाड़ जिले में नारू और बाला रोग खराब पानी से बहुत फैलता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिये वहां पर विशेष प्रावधान करें और टंकी की व्यवस्था करें ताकि ग्रामीणों में जो नारू और बाला का रोग फैलता है उससे उनको बचाया जा सके।

झालावाड़ जिले में, हमारे क्षेत्र में कुछ नवीन नल योजनाओं की हमने मांग की है। मंत्री महोदय को मैं विशेष रूप से उनके मैं नाम नोट कराना चाहूंगा। रतलाई, जुनाखेड़ा, डूंगरगांव और मण्डावर, इन स्थानों पर पानी की कमी है। यहां पर लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए नल योजना लागू की जाय तो जनता पर आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

अब समाज कल्याण विभाग के मामले में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। आज सदन में

(श्री निर्मलकुमार)
समाज कल्याण की बात हुई और सभी ने यह कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय का जो पुराना ढांचा था हमारी सरकार भी उसी ढांचे के अनुसार, उसी व्यवस्था के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, समाज कल्याण की बात कहती है। समाज कल्याण समग्र क्रांति के द्वारा होगा। लोकनायक बाबू जयप्रकाशजी ने हमें समग्र क्रान्ति का रास्ता बताया है उससे ही समाज का कल्याण होगा। उसके लिए कुछ बातें करनी होंगी। सबसे पहले तो शराबबन्दी किए बिना, इस पर ध्यान दिए बिना हम समाज कल्याण की बात नहीं कर सकते। इसलिए जो शराब की दुकानें हैं उनको तत्काल बन्द कर देना चाहिये। छुआछूत की जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक इस देश को, इस जाति को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे।

एक और बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे समाज में, हमारे देश में धन का, सोना और चांदी के जेवरातों का प्रचलन बहुत ज्यादा है, समाज में इनका महत्व बहुत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि इस धन के लोभ को समाप्त कर देना चाहिए। यदि धन का लोभ समाप्त कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जितनी दूसरी समस्यायें हैं उनका समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि सोना, चांदी सब व्यक्तियों से ले लेना चाहिए और उनको गारन्टी दे देनी चाहिए कि इसके बदले उनको सारी सुविधायें, सारी फैसिलिटीज देंगे। इसी से देश का और समाज का कल्याण हो सकता है और लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें दे सकते हैं।

एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के मोहल्ले में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो हमारे.....

श्री सभापति : इस विषय पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री निर्मलकुमार : एक मिनट और लूंगा। हरिजनों के मोहल्ले अभी भी अलग से बने हुए हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग ने उनको सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं चाहूंगा कि उनके मोहल्ले अलग से न हों और उनको समाज के बीच में रखा जाय। हमारी जनता सरकार के मंत्री हरिजन मोहल्लों में जाकर रहें तो उनको हरिजनों की समस्याओं को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस सरकार के मंत्री अलग बंगलों में रहते थे उसी तरह से हमारे मंत्री अलग से रहते रहे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्द सहाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री सम्पत राम)
करता हूं कि सदन का समय सदन के सामने विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जब तक आज की मांगें पारित न हो जायं तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया ।

मांग संख्या 32 व 27 पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक स्वास्थ्य मंत्री का जल की कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । तीस वर्ष के प्रशासन के बाद भी अभी माननीय मथुरादास जी माथुर, जो स्वयं उस वक्त सत्ता में बड़ा आधिपत्य जमाए रहे, को जल प्रदाय की शिकायत है । डागाजी तो बाद में आए हैं, माथुर साहब पहले से हैं । माननीय सभापति महोदय, इसका कारण यह है कि जो योजनायें बनती हैं उन योजनाओं का क्षेत्रों में काम होता है तो कुछ रुपया ठेकेदारों के पास चला जाता है, कुछ उच्च अधिकारियों के पास चला जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. और पुलिस के ऐसे महकमे हैं जिनके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं आया है । योजना बनेगी दो करोड़ की और उसकी प्रेक्टिकल क्रियान्विति में पचास लाख खर्च होता है और बाकी डेढ़ करोड़ में से कुछ तो ठेकेदार के पास चला जाता है और कुछ उच्च अधिकारियों के पास, इंजीनियरों के पास, उनकी पोकेट में चला जाता है । इसलिए तीस वर्षों के बाद आज भी यह शिकायत है कि फलां गांव में इतनी कमी है, फलां गांव में इतनी कमी है । जिस जगह नल योजना लागू हो गई, वहां पानी नहीं मिलता है । जहां पर नल योजना नहीं है, अभी माननीय सदस्यों ने बतलाया कि उसका सर्वे हो चुका है किन्तु अभी काम शुरू नहीं हुआ है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगापुर में नल योजना शुरू हुए दस वर्ष हो चुके हैं लेकिन कभी आधा घण्टा, कभी पौन घण्टा पानी आता है । कभी मोटर जल जाती है तो कभी पाइप लाइन टूट जाती है । जिन जगहों का सर्वे हो चुका है, जहां पर मकान बन चुका है, पाइप पड़े हुए हैं वहां पानी नहीं आ रहा है । नाम के लिए एक चौकीदार को रख दिया । 1972 की पाइप लाइन की योजना है लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला है । मेरा निवेदन है कि इस तरह से योजना शुरू करें उसमें सारे पैसे का पूरा उपयोग हो और उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाय । सिर्फ लोग बागों को चकमा देने के लिए मकान बना दिया जावे, हैडक्वार्टर पर एक मिस्त्री रख दें या टूंटी लगादें और पानी नहीं आवे तो कोई फायदा नहीं है । इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के मुख्य मंत्री महोदय ने यह प्रतिज्ञा की है कि हम बहुत जल्दी शीघ्रतिशीघ्र राजस्थान में सबसे पहले, युद्धस्तर पर पीने के पानी की समस्या को हल करेंगे । इस तरह से काम करने से तो समाधान होता नजर नहीं आता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अभी तक कमी रही है उन कमियों पर गौर किया जावे ।

मेरा निवेदन है कि कभी चीफ इंजीनियर कुछ स्थानों पर जाते हैं लेकिन वह अपने ही क्षेत्र में जाते हैं ।

(श्री गोविन्द सहाय)
कांग्रेस शासन में मंत्रियों ने ही सवाई माधोपुर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया बल्कि उच्च अधिकारियों ने भी सवाई माधोपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह की परेशानी है। ये अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं। चीफ इंजीनियर महोदय से पूछा जाय कि वे बीकानेर कितनी बार गए, जोधपुर कितनी बार गए और सवाई माधोपुर कितनी बार गए? वे अपने अपने जिलों के अन्दर, अपने इलाकों के अन्दर जाते हैं जिससे वहां पर तो काम होता है लेकिन दूसरे जिलों में काम नहीं होता है। दूसरे जो कर्मचारी हैं वे भी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। यह स्थिति आज भी मौजूद है।

मेरा निवेदन है कि कुछ दिन पहले वाटर वर्क्स की एक समस्या सामने आई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक कम्पनी को साठ लाख का ठेका दिया गया जिसमें 15 लाख का घोटाला हुआ है। यह वाटर वर्क्स कम्पनी का टेंडर इसलिए मंजूर किया गया क्यों कि वह संजय गांधी का दोस्त था। दो दिनों में साठ लाख का टेंडर स्वीकार हो गया। कई विषयों पर माननीय सदस्य कितने भी चिल्लाते रहें कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाय। इस तरह से पहले तो टेंडर मंजूर किया गया और अब चीफ इंजीनियर साहब को फुर्सत नहीं है इंक्वायरियों से.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : इस विषय पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय : पेयजल की समस्या को हल करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कर्मचारियों के बिना, समय पर काम नहीं करने के कारण भी पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो आर्डर दिए जाते हैं उन आर्डरों की जांच की जाय कि उनके अन्दर कितना घोटाला है। उसके कारण चीफ इंजीनियर का ध्यान हमारे इलाके की ओर नहीं गया है। इंक्वायरियों को दबाने में भी उनका समय बड़ा व्यय होता है इसलिये इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सवाई माधोपुर जिले की ओर आपके चीफ इन्जीनियर का ध्यान नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर पर पहले योजना थी। वहां नल व्यवस्था करने के बारे में कहा गया था। सपोटरा का पैसा सात वर्ष से जमा है लेकिन आज तक वहां पर योजना शुरू नहीं हुई है। इस तरह की जो कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दें। ठेकेदारों को आर्डर देने में जो घोटाला है, उसकी भी जांच करायी जाए। योजना मन्जूर हो जाती है, तो पैसा नहीं होता है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री गोविन्द सहाय : समाज कल्याण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा....."

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय : धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रंमजी!

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया। यह बात सही है कि कांग्रेस तीस साल के अन्दर जनता को पानी नहीं पिला सकी और इसी का कारण है कि जनता ने कांग्रेस को पानी पिला दिया है। 'जनता ने इन कांग्रेस वालों को पानी पिला दिया है परन्तु इससे काम होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज सुबह माननीय डागा साहब ने और कांग्रेस के दूसरे महानुभावों ने भी कहा कि इस समाज कल्याण विभाग को भंग करदो, इसको खत्म कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह विभाग बनाया किसने था ? किसने इसको कायम किया था ? किसने इसका कानून बनाया था ? सभापति महोदय, कांग्रेस के गुर्गे इस विभाग के माध्यम से पलते थे......

श्री सभापति : आप अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें वरना आपका समय वैसे ही निकल जाएगा।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समाज कल्याण विभाग को इन कांग्रेस वालों ने निकृष्ट, निकम्मा और स्वार्थी बना दिया है। इस विभाग के माध्यम से इनके गुर्गों को लाखों रुपया खिलाया गया है। सब अधिकारियों को बेईमान, भ्रष्ट बनाने वाले ये कांग्रेस वाले हैं। हकीकत में यह जो विभाग आज मौजूद है, इसके अन्दर रहने वाले नौकरों का कल्याण हो गया। उनकी बिल्डिंग बन गई। पेन्ट, कोट, टाई, नेकटाई पहिन कर ये लोग आज अप-टू-डेट हो गये हैं परन्तु, सभापति महोदय, तीस साल में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का कल्याण नहीं हुआ। इनकी भी आपने अलग अलग जातियां बना दीं। आजादी के पहिले इन कांग्रेसियों ने हिन्दु-मुसलमान को लड़ाया और आजादी के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और सवर्णों को लड़ा कर अपना उल्लू सीधा किया और तीस साल तक यहां की जनता पर शासन करते रहे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि नल योजना का सवाल है, पीने का पानी पिलाने का सवाल है, इसमें इस विभाग ने भी कोई प्रगति नहीं की है। काम को ठीक ढंग से नहीं किया है। जितना पैसा खर्च किया, उतना काम नहीं किया। योजनाओं को ठीक ढंग से चलाया नहीं गया। जहां चाहा वहां पर योजना बना दी। ऑफिसर ने चाहा, वहां पर योजना शुरू कर दी। मिनिस्टर ने चाहा, वहाँ पर योजना शुरू हो गयी, परन्तु जहां जनता की भावनाएं थीं, जहां पर दरअसल पानी की योजना की जरूरत थी, वहा पर योजना नहीं बनी। जहां पर पानी खराब था, उस जगह पर इस विभाग ने योजना नहीं चलाई। मैं यह निवेदन करता हूं और चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि भिनाय के अन्दर जो योजना चल रही है, वहां पर एक समय, सुबह पानी दिया जाता है और दस रुपया महीने का ले रहे हैं।

बांदरवाड़ा गांव की योजना है। वह

(श्री रतनलाल वर्मा)

चौराहे की योजना नहीं है। गांव के लिए योजना बनायी है। लेकिन नल चौराहे पर फिट हो रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि बिना बाप के बेटे कैसे पैदा कर देते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बांदरवाड़ा का चौराहा है, जिससे आप भी गुजरते हैं, वहां की योजना नहीं बनी है। वहां के लिये योजना बनाने की ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। अभी तो यह हो सकता है क्यों कि कार्य चल रहा है वरना काम हो जाने के बाद यह समस्या की समस्या रह जायेगी।

सभापति महोदय, भिनाय के अन्दर एक छात्रावास है उस छात्रावास में 30 छात्र हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो तीस छात्र हैं, उनको जहां भी हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं, वहां पर छात्रावास बना कर दूसरे बच्चों के साथ रखा जाए। छात्रावासों में दूसरे निर्धन बच्चों को भी रखा जाए तो समाज का कल्याण होगा। भील, मेहतर, सभी जातियों के गरीब बच्चों को एक साथ रखा जाये तो ये बच्चे भी समाज के अन्दर रह सकेंगे और पढ़ सकेंगे। आज तक यह कार्य नहीं किया गया। फिर कैसे समाज के कल्याण की बात करते हैं, हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि तीस साल के अन्दर कौन से कांग्रेसी ने हरिजन की लड़की के साथ शादी की है? किसी मेहतर की लड़की के साथ विवाह किया है? सिर्फ जातिवाद फैलाया। लोगों को लड़ा कर अपना उल्लू सीधा किया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे। मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कहूंगा। मैं सम्पूर्ण राजस्थान की बात कहता हूं। यह जो जातिवाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का फैलाया है, इसको समाज से समाप्त किया जाए। जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन हैं, उनको भी ऊंचा उठाया जाए।

श्री सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 40 हजार रुपये की भिनाय नल योजना के लिए स्वीकृति दी गई। पेमेन्ट मन्जूर हो गया। आज पांच साल हो गये लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं यह चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि पैसा मंजूर हो गया किन्तु काम नहीं हुआ। नौकरशाही की यह नादिरशाही कांग्रेस के जमाने में थी परन्तु जनता पार्टी नौकरशाही की नादिरशाही को नहीं चलने देगी। हम इसकी आवाज बुलन्द करेंगे। हम सही और सच्चा काम कराने वाले हैं। हम विभागों के सामने धरना देंगे और शान्ति के साथ जनता के हित के काम करवाएंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : आधा मिनट।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नौकरशाही पर अंकुश समय रहते नहीं लगाया तो वैसा ही जन आन्दोलन होगा जैसा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हमने कांग्रेस के खिलाफ

(श्री रतनलाल वर्मा)
किया था। सही ढंग से काम करें, नहीं तो इसका जिम्मा सरकार का होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तशरीफ रखें।

श्री रतनलाल वर्मा : हम ठीक ढंग से काम करेंगे।

(व्यवधान)

आप शांत रहिए। हम अपने आप निबट लेंगे। हम सब जानते हैं। देख लेना, सामने आ जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रास्ते में लड़ेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : बाहर भी निबटने को तैयार हैं। हम सब तरह से तैयार हैं।

(4.49 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सम्मानीय सभापति महोदय, आज कई सम्मानीय सदस्य इस सदन में बोले हैं। धौलपुर क्षेत्र में भी पानी की समस्या है। सारे राजस्थान में यह समस्या है। उदयपुर डिवीजन में भी पीने के पानी की समस्या है। जहां पर बाढ़ की स्थिति है, जहां पर हर साल बाढ़ आती रहती है, वहां पर भी पानी की समस्या है। जयपुर में भी पानी की समस्या है। जोधपुर में भी पानी की समस्या है। सब के सब क्षेत्रों में यह समस्या बतायी गयी है। यह जो योजना बनायी गयी है, यह भी प्रत्येक क्षेत्र के लिए है, करोडों रुपयों की है। परन्तु क्या सीमित साधनों के अन्दर, केवल आदर्शवादी योजना को लेकर, हम व्यवहारिक रूप से इस समस्या को हल कर सकेंगे ? यह स्थिति देखने की है और इस पर विचार करना है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कुछ नगरों की जो विशेष समस्याएं हैं उन पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि गांवों में आज वर्षों से और शताब्दियों से पानी लेने के कोई साधन नहीं हैं। क्या कभी उन पर ठीक तरह से गौर किया गया है ? क्या कभी उन पर विचार किया गया है ? इसलिए इन योजनाओं पर अलग से विचार किया जाय तो क्या यह उचित नहीं होगा ? इस बात का मौलिक चिन्तन न तो हमारे अधिकारियों ने किया और न विचारकों ने ही किया। मैं दूरस्थ क्षेत्रों में भी गया हूं जहां पर बहुत बड़े-बड़े तालाब बने हुए हैं। वे खराब हालत में हैं। अगर पानी नहीं आता है तब तो दूसरी बात है अन्यथा किसी समय यदि अच्छी बरसात हो जाती है उस समय उसको ठीक प्रकार से रखा जाय तो कुछ समय तक पानी की समस्या हल हो सकती है। राजस्थान में नागौर क्षेत्र में और दूसरे एरिया में अच्छे तालाब और नाडियां बनी हुई हैं। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है इसलिये बरसात का पानी ग्राउन्ड के ऊपर पानी का मुख्य स्रोत है। उसका किस तरह गांवों में अधिक से अधिक उपयोग किया जाय, इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर तालाबों को पानी की व्यवस्था के लिये व्यवस्थित किया गया है ? इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई कि उनमें रसायन डालकर पानी को साफ रखा जाय। इस पर कोई गौर और

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

विचार नहीं किया गया। सरकार ने पानी की समस्या का समाधान करने की ऐसी कोशिश नहीं की जिससे कि कम से कम जो बड़े-बड़े तालाब हैं उनमें आठ-दस महीने तो पानी अच्छी तरह से ठहर सके। किसी ने इस पर मौलिक चिन्तन नहीं किया। बहुत कम विचार इस सम्बन्ध में किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ जब जल प्रदाय योजनाओं पर करोड़ों की राशि लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ गांवों में लोग आज भी तालाबों का पानी पीते हैं। हमारी सरकार की यह नीति है कि हर क्षेत्र के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले तो जो हमारे सीमित साधन हैं उनसे इस समस्या का ठीक प्रकार से समाधान कैसे हो सकता है, इस बारे में चिन्तन करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि इस विभाग की अच्छी अनुसंधानशाला होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि तालाब और नाडियों की व्यवस्था किस प्रकार ठीक हो, उनके पानी का ठीक प्रकार से कैसे उपयोग किया जा सकता है। मनुष्यों को और जानवरों को उचित मात्रा में स्वच्छ पानी मिल सके, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है।

आपने कई कुओं पर नलकूप लगा दिये हैं मगर वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। मशीनें खराब हो जाती हैं, लेकिन उनकी और कोई ध्यान नहीं देता है। इस अव्यवस्था को दूर करना पड़ेगा। कई जगहों पर, अभी माननीय सदस्यों ने कहा, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, बाढ़ से और अतिवृष्टि से।

इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करूं नागौर क्षेत्र के बारे में कि वहां पर भी एक टंकी बनाई गई थी लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अभी जयपुर के माननीय सदस्य बता रहे थे कि यहां पर पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। यहां की टंकियों में वोर्म्स हैं इसलिये इसको पीने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस अव्यवस्था को दूर करना चाहिए। इससे लाखों रुपयों का नुकसान होता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में एक कहावत है, एक कुए का पानी पीकर, तेरे कुए का पानी पीऊं तो मृत्यु के सिवाय और कुछ होने वाला नहीं है। जहां के पानी को पीने से आदमी मर जाते हैं, तो ऐसे स्थानों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मगर आज तक जहां के कहने वाले और सुनने वाले अधिक हैं वहां की योजनाओं को तो राजनैतिक आधार पर प्राथमिकता देकर ले लिया गया है, मगर जहां पर पानी की नीड है, दस-दस, पांच-पांच मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा मैं यह निवेदन करूं कि......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लेना चाहूंगा।

पृथ्वी पर जो जल है, जो भूजल है, कई वैज्ञानिकों ने यह मत प्रगट किया है कि आने वाले वर्षों में इसका उपयोग किया

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

जाता रहा तो वह धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है। रामपुरा से जोधपुर के लिए जो पानी लाने की बात है, उसको तय करना चाहिए। इससे जोधपुर की पानी की समस्या हल हो जायगी और खेती के काम में जो पानी आता है उसकी प्राब्लम भी सोल्व हो जायगी। जो दूसरी योजनाएं हैं उनकी भी यही स्थिति है। आने वाले वर्षों में आप इस ओर ध्यान दें कि साधन को देखते हुए और खर्चे को दृष्टिगत रखते हुए विलेज ओरियेन्टेड स्कीम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : माननीय सभापतिजी, अजमेर में आनासागर झील एक ऐतिहासिक महत्व की झील है। मालूम नहीं किस इन्जीनियर के दिमाग की यह देन है। आज उसके चारों ओर बस्तियां बसाई जा रही हैं। एक बात तो यह है कि आनासागर से कुछ दूर पुष्कर उर्स विश्राम स्थल है। मेले के लोग वहां ठहरते हैं। बरसात में जो पानी आता है उसके कारण 1975 में जो पशु मेला लगा उसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब वहां पर एक महावीर कॉलोनी बसाई जा रही है, वैशाली नगर की योजना भी थी। अब दस लाख रुपये की एक बांध बनाने की योजना है। नगर के बीच के तालाब को पाटा जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आनासागर के लिए यह सपना देखा गया था कि वैशाली नगर आदि बस्तियां बनाकर आनासागर को बम्बई के मेरिन ड्राइव की तरह से बनाया जायगा। लेकिन जो महावीर कालोनी बनाई गई है उसका मलबा सारा आनासागर में डाला जाता है। इस कारण उसके बाद में जो मकान बने हैं, उनमें भी उस मलबे की बदबू आती है। इस प्रकार मेरिन ड्राइव का सपना अब काफूर होता दिखाई पड़ता है।

आनासागर का पानी 14-15 फीट गहरा रहता है। इसको फिल्टर करके अजमेर में पानी की पूर्ति की जा सकती थी। अभी यह समाचार आया था कि आनासागर का पानी शहर को सप्लाई किया जायेगा तो एक तूफान मच गया। ऐसा पानी नहीं दिया जाय। मैं चाहूंगा कि अजमेर से 70 मील दूर जो बनास की नदी से पानी लाने की योजना है उस पर बांध बंधवाना है उसको जल्दी से लागू किया जाय। अजमेर से वहां तक सात पम्प स्टेशनों का निरीक्षण करके मैं आया हूं। दो वर्षों से तो बरसात ठीक हो रही है लेकिन वहां पर पानी बहुत कम है। वहां पर 39 नलकूप बनाये गये हैं, लेकिन उनमें से 12 ही चालू हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि चाहे केन्द्रीय सरकार से चाहे और कहीं से ऋण लेकर इस बनास के बांध को सफल बनाया जाय नहीं तो आगे चलकर अजमेर जिले में पानी का ज्यादा अभाव हो जायगा और लोगों को प्यासा मरने की नौबत आ जायगी। अजमेर की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है लेकिन केवल 60 लाख गैलन पानी मिलता है। बनास से, कुओं से, पुष्कर से और रेलवे से जो पानी मिलता है वह सब मिलाकर 60 लाख गैलन याने 20 गैलन प्रति व्यक्ति मिल रहा है। पानी की कमी इन दिनों भी है। यदि अगली साल बरसात कम हुई तो

(श्री नवलराय बच्चाणी)
और परेशानी होगी ।

श्री सभापति : अपना भाषण पढ़िये नहीं ।

श्री नवलराय बच्चाणी : तो सरकार इस ओर ध्यान देकर अजमेर जिले की पानी की समस्या को हल कराए । जो आनासागर के चारों ओर कालोनियां बन रही हैं उनमें आगे चलकर मलबे की बदबू आएगी इसलिये उसकी ओर विशेष ध्यान दें । आनासागर में जहां पानी बहुत कम है वहां कमल के बीज डाले जायं ताकि पानी की बदबू को काफी दूर किया जा सके ।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्द सिंह ।

श्री गोविन्द सिंह (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, मेरे दो तीन कटौती प्रस्ताव हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र में करीब 315 गांव हैं जिनमें से केवल 5 गांवों में पेयजल की व्यवस्था भूतपूर्व सरकार ने की। उस क्षेत्र की जनता ने सौभाग्य समझा कि हमारे यहां का प्रतिनिधि मंत्री बना है, शायद पेयजल की समस्या का हल होगा परन्तु भूतपूर्व मंत्री, श्री देवपुरा भी इस कमी को दूर नहीं कर पाए । जो गांव अरावली पर्वत मालाओं में बसे हुए हैं, वे अभी भी पानी की भयंकर समस्या से ग्रस्त हैं । प्रमुख गांव हैं भीलवाड़ा व मजेरा जहां पीने के पानी की वर्षों पुरानी बावड़ी बनी हुई है उससे ही गांव के लोग पीने का पानी लाते हैं जिस कारण अधिकांश लोग नारू की बीमारी से ग्रस्त हैं । यह ऐसी बीमारी है कि एक बार होने पर 6-6 महीने तक व्यक्ति का पिंड नहीं छूटता है । इन गांवों में जो ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने सर्वे किया उसको ध्यान में रख कर जल्दी से जल्दी पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए । मुझे यह भी जानकारी मिली थी कि 4 प्रमुख गांवों में नलकूप लगाये गए हैं परन्तु उन पर ढक्कन लग गए और पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है । ये हैं आमेट, सरदारगढ़, केलवाड़ा, पुरीछेड । आखिर जिस कार्य के लिए नलकूप बनाए गए हैं, जो उनसे पानी निकला है उसका उपयोग जनहित में किया जाए । भीलवाड़ा की आबादी 1971 में दो हजार थी परन्तु अब आबादी बढ़ गई है।इसलिए योजना के अन्तर्गत पानी की समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रावधान रखा गया था वह अपर्याप्त है । सन् 1971 के बाद अब 1977 चल रहा है । हम कैसे मान सकते हैं कि एक वर्ष का बालक जो कपड़ा पहनता है, यदि वह 7 वर्ष का हो जाय तो भी वह वही कपड़ा पहनेगा ? उसकी आबादी काफी बढ़ चुकी है । भीलवाड़ा गांव में 1973-74 में आबादी दो हजार से ऊपर दिखाई गई है । प्रमुख गांव हैं मजेरा व भीलवाड़ा ये दो प्रमुख गांव अरावली पर्वत शृंखलाओं पर बसे हुए हैं । समुद्र स्तर से 25,00 फीट की ऊंचाई पर है । इस कठिनाई को ध्यान में रखकर तत्काल उन गांवों के पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए ।

दूसरा आमेट तहसील में जो आगरिया गांव है इस गांव के लिए कहावत है कि वहां कोई अपनी लड़की बिहाना पसंद नहीं करता क्योंकि 150 फीट ऊंची पहाड़ी को पार करके पानी लाना पड़ता है । इतनी दूर से वहां की महिलायें अपने घरों के लिये पानी लाती हैं । सचमुच उनको काफी

(137)

(श्री गोविन्द सिंह) :

श्रम करना पड़ता है। इसकारण से उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। सौभाग्य से उसी गांव में पहाड़ियों के अन्दर संगमरमर की 200 खानें हैं जहां मजदूर मजदूरी के लिए जाते हैं। परन्तु जितना समय पानी लाने में उनका नष्ट होता है, उनकी शक्ति का ह्रास होता है उसको देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि इतने बड़े गांव में तत्काल पेयजल की समस्या का समाधान किया जाय।

वहां जो छोटे छोटे गांव हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं उनको मांगलों के नाम से संबोधित किया जाता है। 3-4 मांग बनाकर पूरी बस्ती मानी गई है....

श्री समापति : आप मांग संख्या 32 पर बोलें नहीं तो वह रह जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह : समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो पोषाहार केन्द्र बने हुए हैं वहां समय पर सामग्री पहुंच नहीं पाती। एक इन्सपेक्टर 18 तहसीलों की चैकिंग नहीं कर पाता है। कभी कभी तो साल भर बीत जाता है। आप पता लगायें कि जो केन्द्र चल रहे हैं वहां जितनी सामग्री जाती है वह रजिस्टर में दिखाई जाती है या नहीं? आप ऐसी व्यवस्था करें कि विभाग द्वारा जो पोषाहार केन्द्रों को सामान दिया जाता है, उसका सही उपयोग हो।

श्री समापति : माननीय श्री दाऊ दयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक स्वास्थ्य और समाज कल्याण की मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्तावों के समर्थन में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चौमू कस्बे की आबादी 40,000 है। वहां पेयजल की समस्या है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कटौती प्रस्ताव पर बोले रहे हैं या इनके समर्थन में?

श्री समापति : उनके कटौती प्रस्ताव हैं।

मैं एक बात सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। कुल बोलने वाले 88 माननीय सदस्य हैं और आपका 43वां नम्बर है। इसलिए उचित यही होगा कि बीच में व्यवधान न हों ताकि समय का अच्छा उपयोग हो सके।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : चौमू कस्बे की 40,000 आबादी है। वहां पर पेयजल की समस्या है। सुबह केवल दो घण्टे पानी देने की व्यवस्था है। जहां तक रींगस रोड का सवाल है, पिछले दो महीने से प्रति दिन 15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं पहुंचा। दो-दो दिन लगातार रींगस रोड पर पानी नहीं पहुंचता। इस कारण लोग कुएं से पानी लाने की व्यवस्था करते हैं। मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और वर्तमान में जो पेयजल की व्यवस्था है, उसके मेन्टीनेन्स के बारे में खास तौर से ध्यान दें। साथ ही जो नई पेयजल की व्यवस्था की जाय उसको भी देखें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले के कई गांवों में, जहां जहां पेयजल की व्यवस्था की गई है, मैंने देखा है कि या तो मुख्य बाजार में या खास तौर से बीच में

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

जो पैसे वाले पाइप लाइन का पैसा दे सकते हैं उनको कनेक्शन्स दिए जाते हैं। जो सार्वजनिक नल लगाए जाने चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों के अन्दर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जहां पेयजल की व्यवस्था की जाय वहाँ यह आवश्यक करें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को निश्चित रूप से यह सुविधा दी जाय। सभापति महोदय, मैं इसी मामले में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सुविधा देने के लिये जो योजनाएं शुरू की जाती हैं और जिनके पैसे समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाते हैं। उनकी बाद में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट दी जाती है। वह यह सर्टिफाई करते हैं, हां, जो योजना शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये शुरू की गयी थी उसमें इतने पैसे खर्च हुए। जैसा कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें बहुत घोटाले होते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र चौमू में वार्ड नम्बर 19 है उसके अन्दर नल योजना शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये शुरू की गयी थी लेकिन वहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मिल कर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के मोहल्ले में नल न लगा कर एक मुसलमान के घर में नल लगा दिया। राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष जो थे उनके प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। इस प्रकार समाज कल्याण विभाग के धन का दुरुपयोग जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उनके खिलाफ में जांच करके सख्त कार्यवाही करें।

ठीक इसी तरह, सभापति महोदय, हमारे यहां छात्रावासों की कमी है, फिर भी समाज कल्याण विभाग वाले और छात्रावास खोलते नहीं हैं। इसके साथ ही जहां जहां भी छात्रावास खुले हुए हैं वहां पर बहुत भारी मात्रा में घोटाले हुए हैं। जो छात्रावास में व्यवस्था होनी चाहिये वह प्रोपर व्यवस्था नहीं है। दूसरे जो भी छात्रावास जहां भी खोले जाते हैं वह राजनैतिक आधार पर खोले जाते हैं। अगर राजनैतिक प्रभाव नहीं है तो समाज कल्याण विभाग कोई भी छात्रावास नहीं खोलेगा। सभापति महोदय, मैं आपको मेरे ही क्षेत्र कालाडेरा का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां पर एक कालेज है। उसमें करीब 250 लड़के होंगे। इतने लड़के उसमें पढ़ते हैं पर उनके लिये कोई छात्रावास नहीं है। पिछले पांच साल से हम राज्य सरकार से आग्रह करते आ रहे हैं पर कोई सुनवाई उन गरीब छात्रों के लिये छात्रावास खोलने के लिये नहीं हुई। अभी वर्तमान सरकार के मन्त्री महोदय के पास वहां के लोगों ने प्रस्ताव भेजा, मैं भी उनसे मिला पर आज तक मन्त्री महोदय ने कोई विचार नहीं किया। मेरे पहले कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखे कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिये कोई छात्रावास नहीं हो वहां पर आप इन लड़कों को सवर्ण जाति के लड़कों के छात्रावास में उन्हीं के साथ रखने की व्यवस्था करें। मेरा भी मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
कालाडेरा में जो सहरिया कालेज है, उस कालेज के ट्रस्ट ने यह प्रस्ताव दिया है, जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन है, आप जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के खाने-पीने वगैरह के लिये धनराशि देते हैं वह धनराशि आप सहरिया एजूकेशन ट्रस्ट को दे दें। वह उनको छात्रावास में रखना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं इसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं ? आज उस प्रस्ताव को आये भी एक महीना हो गया है पर अभी तक राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। एक तरफ तो आप छुआछूत की बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं दूसरी तरफ आप इस तरह से समाज कल्याण के काम का जो प्रस्ताव विचाराधीन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : आपका, माननीय सदस्य, इस संबंध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : समाज कल्याण के बारे में।

श्री सभापति : समाज कल्याण, की मांग पर छात्रावास के संबंध में चर्चा करने के लिये कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं अभी आधा मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : इसी तरह आधा-आधा मिनट करके रात के 12 बजे तक का समय हो जाता है। आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं अभी मेरा सैन्टेन्स तो पूरा कर लू।

श्री सभापति : हां कर लीजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह है कि अगर आप कालाडेरा में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिये छात्रावास बना कर नहीं दे सकें तो जो कालाडेरा में सहरिया एजूकेशन ट्रस्ट के कालेज में छात्रावास सवर्णों का बना हुआ है उसी में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिये रिजर्वेशन रख दें। जिस प्रकार दूसरी जगह रिजर्वेशन आपने कर रखा है उसी प्रकार रिजर्वेशन आप उस छात्रावास में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिये रख दें। जो आप शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रों के लिये बोर्डिंग लोजिंग के पैसे देते हैं वह वहां पर जमा करा दें। इस प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का विकास हो सकेगा।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, आज सदन में जो मांगें चल रही हैं उन पर मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। सभापति महोदय, जोधपुर में आज पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। उसने अभी से विकट रूप धारण कर लिया है। आज जो पानी का प्रबन्ध गांवों में करने की बात की जा रही है उसकी हमें बहुत खुशी है। इसके साथ मैं यह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो यह कहा जाता है कि शहरों के अन्दर पेयजल की समस्या को हल किया जा रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 30 वर्षों से पता नहीं किन कारणों से कांग्रेस के राज्य में हमेशा जोधपुर की

(श्री माधोसिंह कछवाह)

अवहेलना ही होती रही है। वहां के नागरिकों को आज पैसे देते हुए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, कांग्रेस के राज्य में तो जोधपुर की यह हालत थी कि कांग्रेस ने पानी की दुकान खोली पर हमें पानी नहीं मिला। सभापति महोदय, अभी जब चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव के दौरान गांवों में गया। वहां पर मैंने पानी की बात कही तो एक बुढ़िया ने यह लफ्ज कहे कि बेटा यहां पर चाय की दुकान तो है पर पानी की दुकान यहां पर नहीं है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जोधपुर जैसे बड़े शहर में पानी की भारी समस्या देखनी पड़ रही है। वैसे जोधपुर में जो पानी आता है वह रामपुरा स्कीम से आता है पर सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उस पानी में इतना अधिक नाईट्रेट मिला हुआ होता है कि जिससे उस पानी को पीने से बहुत बीमारियां फैलती हैं। वैसे आप जानते हैं कि नाईट्रेट से बीमारियां फैलती हैं वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। सभापति महोदय, हमारे यहां जो यह योजना है उससे कांग्रेस पार्टी की सरकार में दो करोड़ रुपये का राज्य सरकार को नुकसान हुआ। इसका कारण है कि जोधपुर में जो पानी आता है वह सारा एक खुली कैनाल का पानी है जो कि हेमावास के बान्ध से जोधपुर आता है वाया सुमेरपुर। ओपन कैनाल होने के कारण 60 पर्सेन्ट पानी बरबाद हो जाता है। जो पानी बरबाद होता है, उसकी कीमत करीब 9-10 लाख रुपये होगी, पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसी पानी को यूटिलाइज खेती के काम में किया जाय तो राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये की आय हो सकती है। इस सम्बन्ध में अभी अधिक कह कर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कभी दूसरी और प्रक्रिया के माध्यम से सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि अब यह दो करोड़ रुपये का किस प्रकार से नुकसान हो जाता है? सभापति महोदय, जिस ढंग से हेमावास से पानी जोधपुर आता है उसके बजाय अगर हम पाइप लाइन के माध्यम से लायें तो सिर्फ 8-10 करोड़ रुपये खर्च से ही सारी व्यवस्था हो सकती है और जो नुकसान हो रहा है वह समाप्त हो सकता है। आज से चार-पांच साल पहले अगर आप पाइप लाइन डालते तो दो करोड़ रुपये में ही काम चल जाता पर अब अगर आप पांच-दस साल बाद डालेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सभापति महोदय, खुली कैनाल के स्थान पर पाइप लाइन डालना इसलिये अनिवार्य है कि जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर मिलिटरी का हैडक्वार्टर है, वहां कई फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और दूसरे उद्योग लगे हैं। जोधपुर में पानी की जरूरत रहती है इसलिये यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार जोधपुर की जल समस्या के बारे में विशेष रूप से ध्यान दे।

सभापति महोदय, मुझे आपकी घंटी का ख्याल रहता है। रात को भी घंटी का ध्यान आता रहता है। मैं अभी समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप जब खड़े होते हैं तो मुझे भय रहता है।

श्री माधोसिंह कछवाह : सभापति महोदय, मैं थोड़ा समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे नाम तो समाज कल्याण बहुत अच्छा है, लेकिन समाज कल्याण विभाग में जिस प्रकार के आपने अधिकारी लगा रखे हैं उनसे समाज का कल्याण नहीं होता है क्योंकि उनमें समाज

(श्री माधोसिंह कछवाह)

कल्याण की भावना ही नहीं होती है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस बारे में जिस प्रकार से सुधार हो सके सुधार करें। इसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है।

सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर कई जगह पर पोषाहार केन्द्र खुले हुए हैं किन्तु करीब 200 बच्चों को पोषाहार दिया जाता है तो जोधपुर में कोई ऐसा स्कूल नहीं कि जिसमें 200 से कम छात्रों की संख्या हो। जोधपुर में हजारों बच्चे हैं। सभी केन्द्रों को पोषाहार मिलता हैं। वह बच्चों को नहीं मिलता है। यदि उनका निरीक्षण ठीक ढंग से किया जाय तो आपको यह मालूम हो जायगा कि उनको कभी ठीक प्रकार से पोषाहार नहीं दिया जाता है। खुद की उदर पूर्ति के लिये साठ-गांठ से जो अधिकारी होते हैं उनमें बांट लिया जाता है।

समाज कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं उन सबके प्रति विभाग उदासीन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है

अब मैं आगे बढ़ूं या बैठ जांऊ ? आपकी घंटी का डर है।

श्री सभापति : अधिकारी समाज का कल्याण न करके अपना कल्याण कर रहे हैं, यही आप कहना चाहते है ?

श्री माधोसिंह कछवाह : चाहता तो नहीं था किन्तु आपका संकेत पाकर मैं यहीं इसको बन्द कर देता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामकिशोर जी मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, सिकराय क्षेत्र में जो जल प्रदाय की योजना अभी चालू है उनमें पूरी तरह से अव्यवस्था है, या तो समय पर पानी नहीं मिलता है या जो पानी मिलता है वह बहुत कम मिलता है, या बहुत कम समय के लिये मिलता है। इस तरह बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। इससे जनता में बड़ा असंतोष है। जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे पूछा जाता है तो कोई भी संतोषप्रद उत्तर नहीं देते हैं और उत्तर देने में आनाकानी करते रहते हैं। सिकराय तहसील में जहां योजनायें लागू की गई हैं जलप्रदाय की, वहां पर कहीं भी नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण कस्बों के अन्दर पानी भरा रहता है और तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। मेरा अनुरोध है कि जहां नयी स्कीम बनाई जाय वहां नालियों के काम को भी जलप्रदाय विभाग करे। इसके अलावा नयी स्कीम्स के अन्दर ज्यादा से ज्यादा गांवों को कवर अप किया जाय। 250 गांव हैं मेरे क्षेत्र में उनमें से केवल 4 कस्बों में ही स्कीम लागू की गई है।

समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। रोस्टर सिस्टम सरकार अपना रही है उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो कोटा रिजर्वेशन का तय किया गया है उसको इस विभाग में पूरा किया जाय। समाज कल्याण विभाग में स्टेट सर्विसेज के 17 कर्मचारी हैं उनमें से एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है। सबोर्डिनेट सर्विसेज में 368 हैं जिनमें से 24 कर्मचारी ही शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रालयिक स्टाफ के 294 कर्मचारियों में से 3 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस स्कीम को लागू करने से पहले निर्धारित कोटे को पूरा किया जाय। उन व्यक्तियों को पहले लाभ मिलना चाहिये जिनको नहीं मिला है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

सिकराय में परिवार कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ है इसलिये योजनाएं अधर में झूल रही हैं। समाज कल्याण के रूप में काम नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी है। समाज कल्याण के छात्रावासों में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उसमें उन्हीं के बच्चों को स्थान मिलता है। गरीब वर्ग के लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है।

मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय समाज कल्याण विभाग ने सन् 76-77 में कुल कितना माल खरीदा है इसकी पूरी जांच करायी जानी चाहिये। आपको कई भंयकर घोटाले मिलेंगे। आपको चाहिये कि दोषी लोगों के खिलाफ आप जांच करके सख्त कार्यवाही करें।

इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। धन्यवाद!

श्री सभापति : माननीय श्री हरिशकुमार शर्मा!

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंजमंडी) : माननीय सभापति महोदय, मेहनत और परिश्रम से थके लोग बिना पीने के पानी के बड़ी ही दयनीय अवस्था में हैं। लोग सोच रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार आयी है अवश्य ही उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। अतः मेरा निवेदन है कि एक्सलरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत रामगंजमंडी में क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनायें लागू करके उस क्षेत्र की प्यासी जनता को प्यास बुझाने के लिये शुद्ध पानी मुहैया किया जाय। श्रीमन्, रामगंज-मंडी की तहसील लाडपुरा में आने वाले गांव पेयजल से वंचित हैं। वह क्षेत्र कोटा जिला का रेगिस्तान कहलाता है। उन गांवों की हजारों की जनसंख्या है और उनमें लगभग दो लाख पशु हैं। वह पथरीला क्षेत्र है जिसमें कुए भी नहीं खुद सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ स्पष्ट बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री हरिशकुमार शर्मा : मेरे क्षेत्र में आने वाले जो गांव हैं उनमें तीन-तीन फीट नीचे गढों में पानी है। तीन फीट नीचे उतर कर लोगों को पानी लाना पड़ता है। लोगों को डर रहता है कि गिरकर कहीं मृत्यु न हो जाय। इस क्षेत्र के प्रमुख गांव हैं : रथ कांकरा, बंधा, धर्मपुरा‌ल, रामपुर, बावड़ीखेड़ा, श्याम-पुरा, कोलान पचपाड़, रनवयाखेड़ी, सारनपुर, हनौतिया, मन्डाना, कसार, माडलिया, हीरा-पुर, पृथ्वीपुरा, किशनपुरा, ढानी, जामुनिया, आंवलीरोकड़ी, दौलतगंज, बोराबास, अखावा, चांद बावड़ी, किशनपुरा, जसपुरा, केशवपुरा, मउडीगढ़, रांवठा, गिरधरपुरा। इन गांवों से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्र जल-विहीन है। गड्ढों व नालों का पानी पीने से, इस क्षेत्र के निवासी नारू, बाला तथा अन्य भयावह बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इन बीमारियों से अनेक पशु हर वर्ष बेमौत मर जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि उस क्षेत्र में बगैर पानी के न तो लोगों के जीवन में आनन्द है और न ही उनके होठों पर मुस्कराहट।

जब मैं चुनाव प्रचार के सिलसिले में उन गांवों में गया तो मुझे लोगों के द्वारा कहा गया कि हमारे पहले के लोगों ने खून पीया है, हमको कम से कम पीने का पानी तो उप-लब्ध कराओ। मैंने उनसे वायदा किया था कि यदि पानी न आया इन गांवों में तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र दे दूंगा। इसलिये मैं आप से भीख मांगता हूं कि कृपया आप उस क्षेत्र में पानी उपलब्ध करायें। मेरी बात को ध्यान में रखते हुए एक्सलरेटेड प्रोग्राम के

(श्री हरिशकुमार शर्मा)

अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या वाले उस क्षेत्र में चम्बल से लिफ्ट द्वारा सरलतापूर्वक जल दिया जा सकता है। इस हेतु हम उस क्षेत्र में दो मूल इकाई बना सकते हैं। प्रथम रथ कांकरा, द्वितीय गोरावास। दोनों इकाइयों पर लिफ्ट द्वारा चम्बल नदी के पानी को ऊपर खींचकर वहीं रीजनल फिल्टर प्लान्ट के जरिये उसे साफ करके पाइप लाइन द्वारा आसपास के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है।

गांव वालों की ओर से पैसा इकट्ठा करके दिया हुआ है। पानी की टंकी बनी हुई है। यदि पानी न मिले तो जिन्दगी कैसे चल सकती है, कार्य कैसे हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि लोग नालों और गड्ढों का पानी पीते रहते हैं और जिन्दगी का ढर्रा चलाते रहते हैं। मानवता के लिये उनको पानी देना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय शर्माजी, मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ जोर से बोलें। मेरे कान में भी नहीं पड़ रहा है।

श्री हरिशकुमार शर्मा : मैं समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। रामगंजमंडी छात्रावास पर विकास अधिकारी ने छापा मारा। माननीय सभापति महोदय, छात्रावास के निरीक्षक ने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, रामगंजमंडी का समाज कल्याण अधिकारी छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता रहा। दो-दो साल तक बच्चे ठोकरें खाते रहे। झूठे बरतन बच्चों से साफ करवाता रहा। वह व्यक्ति भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार होना चाहिये था लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। बच्चों का खून पीने वाला साबित हुआ।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे कोटा जिले में 11 छात्रावास हैं। अटरू के छात्रावास पर छापा पड़ा, मालारोड के छात्रावास की जांच हुई। यहां के निदेशक भी उसमें मिले हुए हैं मालारोड छत्रावास में जो लड़के हैं उन्होंने कहा है कि हमारे यहां गड़बड़ें हुई हैं, पैसा खाया जा रहा है। मुझे आज कहते हुए दुख होता है कि यहां के निदेशक और कोटा जिला के समाज कल्याण अधिकारी सब मिले हुए हैं और छात्रावासों के हिस्से का माल खाते हैं। यह बातें अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के ध्यान में लाई गई हैं लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हो रही है। समाज कल्याण विभाग, कोटा ने आदेश प्रसारित कर दिये कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी उसकी जांच नहीं कर सकते। जब कि आदेश स्पष्ट हैं कि उनको जांच करने का अधिकार राज्य सरकार ने दे रखा है, तो उसकी अवहेलना करने की उसने पहल कैसे की, हिम्मत कैसे की?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में पानी पहुंचायें, पानी दिया जाये और जो ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ भारत रक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : अन्तरात्मा की पुकार है।

श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैंने 'लोक स्वास्थ्य और

(श्री करतारसिंह)
समाज कल्याण की मांगों पर सात कटौती प्रस्ताव दिये हैं । इससे पूर्व कि मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ करूं मैं सर्वप्रथम मुख्य मंत्री महोदय, श्री शेखावतजी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता देकर बजट में 5 करोड़ रुपयों का एडीशनल प्रावधान रखा है । राजस्थान के 65 प्रतिशत गांवों में आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं खारा पानी है और कहीं दूषित पानी है । मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देने के साथ माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं और उन्हें सचेत भी करता हूं कि जो आप नई योजनाएं प्रारम्भ करें लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के संबंध में आपने भेदभाव की नीति अपनाई और राजनैतिक दबाव में आकर काम किया उस तरह से जलप्रदाय योजनाओं में न करें । जिस एरिया में पानी की वास्तव में कमी है और जहां खारा पानी है वहां पीने का पानी उपलब्ध करायें ।

मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आते हुए सर्वप्रथम मेरे इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में माननीय मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है वहीं 17-18 गांव सांभर झील के करीब बसे हुए हैं । सांभर झील का पानी खारा है इस कारण उसके आस-पास के गांवों सिनोदिया, आदुझाग का भी पानी खारा है । स्थिति यह है कि वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । इसके लिए हमने जिला योजना कमेटी से तारीख 29-8-77 को रीजनल स्कीम का प्रस्ताव भी भेजा है । मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम खारे पानी के जो गांव हैं उनको प्राथमिकता देकर जो मेरे क्षेत्र के इन गांवों की रीजनल स्कीम बनाई है उसको क्रियान्वित करें ।

मेरा क्षेत्र किशनगढ़ नामक एक बड़ा कस्बा है । और किशनगढ़ में पानी की समस्या बहुत ही विकट है । वहां औद्योगिक दृष्टि से उन्नति नहीं हुई है, इसका मेन कारण यह है कि वहां पानी की उपलब्धि में अत्यधिक कमी है. . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह सदन की मेज पर क्या रखा गया ?

श्री हरिशकुमार शर्मा : रोटियां, आटा सड़ा हुआ ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसी परम्परा नहीं रही है कि रोटियां और आटा यहां रखा जाये । इसका सदन से क्या ताल्लुक ?

श्री हरिशकुमार शर्मा : इसकी जांच तो हो ।

श्री सभापति : जांच ऐसे नहीं होती । माननीय सदस्य, इसको उठा लें । इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

श्री करतारसिंह : माननीय सभापतिजी, किशनगढ़ नगर की जो समस्या है वह अजमेर जिले के साथ जुड़ी हुई है । राजमहल योजना कई वर्षों से अटकी हुई है । इस योजना से न केवल अजमेर को ही बल्कि किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद और छोटे-मोटे कस्बे हैं, उन सब को लाभ मिलेगा. . . .

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, एक सवाल है । अगर कहीं पर इस तरह

Page No. 149

(149)

(श्री मथुरादास माथुर)

की रोटी होस्टल में मिलती है और माननीय सदस्य अपनी तकरीर के समय उसका नमूना सदन में पेश करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री सभापति : इसका क्या सबूत है कि यह होस्टल से आई ?

श्री हरिशकुमार शर्मा : यह सीलबन्द है। अतिरिक्त जिला अधिकारी के दस्तखत हैं और दो वार्ड मेम्बर के भी दस्तखत हैं।

श्री सभापति : आपको भाषण देते हुए कहना चाहिए था कि वहां से लाया हूं और उसको सदन की टेबल पर रखता हूं। तरीका यह होना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, नये सदस्य हैं। इनको पता नहीं था कि उस समय करना चाहिए था। अब कर देंगे।

श्री हरिशकुमार शर्मा : मेरा निवेदन अब स्वीकार कर लिया जाये।

श्री सभापति : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कि जब भी कोई वस्तु या कागज सदन की टेबल पर रखें, या रखने का इरादा हो तो माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान अपनी इच्छा प्रकट करें कि मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, यह पहला ही तो अवसर था।

श्री सभापति : जरा ठहरिये। मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

कोई भी चीज रखें तो उससे पहले माननीय सदस्य आसन की अनुमति प्राप्त करें। फिर कहें कि मैं आसन की अनुमति से यह सदन की मेज पर रखता हूं। यह परम्परा है।

श्री हरिशकुमार शर्मा : मैं क्षमा चाहता हूं और आपसे अनुमति लेने के लिए दरख्वास्त करता हूं। मैं सदन की मेज पर इन्हें रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : Allowed.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा।

श्री करतारसिंह!

श्री करतारसिंह : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र किशनगढ़ की जो पानी की समस्या है उसके बारे में आपके समक्ष विचार रख रहा था और मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि किशनगढ़ में पानी की कमी है। इसी तरह से अजमेर में भी रात-दिन पानी की समस्या है। वहां मुश्किल से आधा घंटे या एक घंटे पानी मिलता है। राजमहल की योजना पेन्डिंग पड़ी है उसको सरकार इसी वर्ष लागू करे ताकि ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद और अजमेर, केकड़ी आदि कस्बों में पानी की समस्या नहीं रहे।

इसके साथ ही मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण पेयजल योजना हेतु जो नियम हैं उनमें दोष हैं। वर्तमान में 1971 की सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर दो हजार की आबादी के गांवों को आप सलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए निवेदन है कि आज कई गांव ऐसे हैं जिनकी सेन्सस के बाद 2,500 और 3,000 की आबादी हो गयी है। अगर आप 1971 की सेन्सस को मानते हैं तो फिर 1,500 की आबादी वाले गांवों को लें जिससे ज्यादा से ज्यादा गांवों को फायदा हो सके।

(श्री करतारसिंह)

गांवों में नलकूप बेकार पड़े हैं। मैंने जिला अधिकारियों से बात की है। वह टालमटोल कर देते हैं और कहते हैं कि जन स्वास्थ्य विभाग वाले करेंगे और जन स्वास्थ्य विभाग वाले कहते हैं कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड वाले करेंगे। उनके सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें। साथ ही खारा पानी जहां है उनको आप योजना को प्रायोरिटी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसके साथ ही समाज कल्याण की मांग है उसके ऊपर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। समाज कल्याण में कई योजनायें चलती हैं जैसे पोषाहार, बालबाड़ी के कार्यक्रम इत्यादि। इन कार्यक्रमों द्वारा ठोस रचनात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाये तो आपके अधिकारी गांवों में जाकर केन्द्रों को देखने तक की तकलीफ नहीं करते हैं। वे बीच में दूसरी संस्थाओं को डाल देते हैं और उनके माध्यम से कार्यक्रम चलाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। तिलोनिया गांव के अन्दर एक समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था है। उसको समाज कल्याण विभाग की तरफ से हजारों रुपयों का अनुदान दिया जाता है। बालबाड़ी कार्यक्रम के लिए देते हैं, पोषाहार के लिए देते हैं और सिलाई केन्द्र के लिए देते हैं। वास्तव में देखा जाये तो वहां ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपके अधिकारी समय समय पर वहां जाते हैं और निदेशक की पत्नी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारिणी रह चुकी हैं, के प्रभाव में आकर विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को . . . .

श्री सभापति : आसन को एड्रेस कीजिए। मंत्री को नहीं।

श्री करतारसिंह : उनकी आवभगत में लग जाती है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाये। इस संस्था के खिलाफ मेरे जो आरोप हैं उनकी जांच कर पूरी कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय गोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सभापति महोदय, मेरे भी दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला तहसील खण्डार. . . .

श्री सभापति : आपका एक कटौती प्रस्ताव है।

श्री चुन्नीलाल : इसमें दो गांवों का दिया है।

तो, माननीय सभापति महोदय, करीब 5-6 हजार की पापूलेशन है बावेर गांव की। उस ग्राम के अन्दर पानी का संकट है। वहां पर तालाब है, तालाब के आस-पास छोटी छोटी बावड़िया बना रखी हैं, उससे लोग पानी लेते हैं। उनमें पानी का अभाव हो जाता है तो पूरे गांव में एक कुआ है। हरिजन परिवारों को उस कुए से पानी नहीं लेने देते। तीस परिवार हैं मेहतरों के उनको किसी भी कुए पर चढ़ने नहीं देते। इस संबंध में जिलाधीश को भी लिखा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये उस गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये नल योजना को प्राथमिकता दी जाये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है कि पीने के पानी की समस्या को तत्काल दूर

(श्री बुलीलाल)

किया जावेगा। मुख्य मंत्री महोदय को एक लैटर लिखा था। उसका जवाब आया कि पैसे के अभाव के कारण ग्राम बावेर की योजना पूरी नहीं की जा सकती। बावेर के गांव वालों ने 3,500 रुपये जमा भी कर रखे हैं। मेरी पहली मांग यह है कि गांव बावेर में नल योजना चालू की जाये।

तहसील सवाई माधोपुर के अन्दर 700 गांवों के अन्दर नल योजना का प्रोग्राम चालू किया गया। जहां नल लगाये गये वह बड़े सीमित दायरे में लगाये गये हैं। सारे गांव में और घरों में कनेक्शन देने के लिये गांव वालों ने सरकार से बार-बार मांग की है। मेरा निवेदन है कि घरों में कनेक्शन देने चाहिये। अगर घरों में कनेक्शन देते हैं, तो कम से कम सरकार को भी आय होगी और गांव वालों की समस्या का भी हल हो जाएगा।

श्रीमान् सभापति महोदय, यही अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी दोनों मांगें ग्रामीण नल योजना के संबंध में पूरी की जायें। मुझे इतना ही अर्ज करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हजारी मल।

श्री हजारी मल (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान चूरू जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक ऐसा जिला है जिसमें अधिकतर गांवों में खारा व बिराया पानी है। उस पानी को पीने के कारण हर साल हजारों पशु मर जाते हैं। इतने पशुधन का नुकसान हो जाता है जो अपूर्णीय होता है। गांवों में खास तौर से पशुओं का दूध सूख जाता है जिससे करोड़ों रुपये की क्षति काश्तकारों को उठानी पड़ती है। यही नहीं, जिन गांवों के अन्दर पानी खारा है वहां के लोग आधा पानी खारा और आधा पानी बरसात का, जो इकट्ठा करते हैं, मिलाकर पीते हैं। उसके बावजूद लोगों को दस्त लग जाते हैं, टट्टियां लग जाती हैं। जिनके पास ऊंट नहीं हैं वे लोग पांच-पांच मील से पानी लाकर पीते हैं। इस समस्या का समाधान करने का कुछ प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश इस जिले के एक ऐसे व्यक्ति इस जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे कि जिन्होंने इस प्रदेश में अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये ऐसी योजनाओं को शामिल किया जो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये नहीं बल्कि उनके राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए थीं। जन स्वास्थ्य अधिकारी भी इसमें शामिल थे उन्होंने मंत्री महोदय की इच्छा के मुताबिक योजनायें बनाकर दीं, चाहे वह ठीक हों या न हों। इसमें एक अधिकारी नहीं बल्कि जूनियर इन्जीनियर से लेकर मुख्य अभियन्ता तक शामिल थे। इसके फलस्वरूप समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक भी ऐसी योजना नहीं है जो ठीक से गांव को पानी दे सके। किसी भी गांव को ठीक ढंग से पानी नहीं मिलता। अधिकतर योजनायें मीठे पानी वाले गांवों के लिये बनी हैं। खारे पानी वाले गांवों को छुआ तक नहीं।

बजट में जो पेयजल के लिए राशि रखी गई है वह नगण्य है। इससे पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

(श्री हजारी मल)

मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा आश्वासन तो दिया है मगर बजट में राशि अधिक रखें तो उस आश्वासन की पूर्ति हो सकती है। मेरा सुझाव है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के घोटाले किये हैं, गलत योजनायें प्रस्तावित की हैं, मंत्रियों की मंशा पूरी करने के लिये, यदि वे अधिकारी बने रहे तो चाहे कितना ही धन खर्च कर दिया जावे, वे योजनाओं को सफल नहीं होने देंगे। उन अधिकारियों के खिलाफ इस बात की जांच की जावे कि उन्होंने मंत्रियों की मंशा पूरी करने के लिये क्यों इस प्रकार की गलत योजनायें बनायीं जिनसे लाखों रुपया खर्च होते हुए भी लाभ नहीं मिला? आगे भी ये अधिकारी उन पुराने मंत्रियों की बात को मानकर जिन गांवों के अन्दर पानी की समस्या नहीं है, उन गांवों की योजनाओं को प्रस्तावित कर देंगे। इसलिये उन अधिकारियों को इस विभाग से अलग करके दूसरे अधिकारियों को रखा जावे ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। उन अधिकारियों के संस्कार ऐसे बन गये हैं, खास तौर से इस विभाग के मुख्य अभियंता के लिये मैं कहूंगा कि वे इस सारी स्थिति के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझ कर इस प्रकार की योजनायें बनाई जो लोगों के हित में नहीं हो सकतीं और राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिये प्रस्तावित की गई थीं। योजना में 6-7 गांवों को शामिल कर लिया उनमें से 3 गांवों को पानी मिलता है और चार गांव ऐसे ही पड़े हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान कैनाल से जिन गांवों को पानी दिया जा सकता है उनको उपलब्ध कराया जावे। जो डीजल पम्प्स पर आधारित जल योजनायें हैं वह बिल्कुल असफल रही हैं। न कोई टैक्निकल अधिकारी है, न कोई व्यवस्था है। इस प्रकार की जो योजनायें जहां चल रही हैं वहां बिजली दी जाये ताकि योजना ठीक प्रकार से चलाई जा सके।

नलकूप की जो योजना है वह दो हजार वाली आबादी के लिये है। उसमें संशोधन करके 500 आबादी वाले गांवों को भी उसमें शामिल किया जावे और वहां योजना चालू की जावे ताकि पानी की समस्या का समाधान किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा दूसरे कुओं को बोर कराया जावे।

बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री हनवन्तसिंह।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले भाषण में यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान में पेयजल की समस्या को जल्दी ही निपटा दिया जायगा लेकिन जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी है वह अत्यन्त ही मन्द है। इससे आने वाले काफी सालों तक पानी की समस्या का समाधान होना मुश्किल लग रहा है। मैं आपका ध्यान मेरे पाली जिले की ओर ले जाना चाहूंगा। पाली जिले के लिए एक तो थोड़ा बजट अलाट होता है इस समस्या को निपटाने के लिये और जो कुछ होता है उसके अधिकतम भाग का दुरुपयोग हो जाता है।

(श्री हनवन्तसिंह)

हमारे यहां ढोला से गूदोज योजना स्वीकृत हुई थी। उसके लिये चार-पांच लाख रुपया सेंक्शन हुआ था। बिना किसी आधार पर, तकनीकी अक्षमता के कारण, उन पाइपों में लीकेज हो गया और टंकी टूट गई। इस प्रकार सारा सरकार का पैसा व्यर्थ चला गया। उस चार-पांच लाख रुपये के दुरुपयोग के लिए दोषी किसको ठहराया जाय? मैं आपसे मांग करूंगा कि इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

इस बार पाली जिलाधीश कार्यवाहक महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कई गांवों के पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिये प्रपोजल बनाये गये थे। मेरे क्षेत्र के अन्दर दो गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 हजार है। उनके नाम कहीं पर नहीं दिखे और 500 के या 200 की आबादी के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं उनके नाम उसमें दे दिये गये हैं। उसमें पाली प्रापर है, जैतारण है, लेकिन सेवाड़ी व बीसलपुर नहीं है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव वालों को बड़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, उन दो बड़े गांवों के अन्दर लोगों और मवेशियों के पीने की पानी की समस्या बड़ी विकट है। अगर पाली जिले में कहीं के भी प्रपोजल को सेंक्शन किया जाय, तो सबसे पहले उन दो गांवों सेवाड़ी व बीसलपुर को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है वह आया नहीं है, मैं चाहूंगा आप उस पर भी इजाजत दें बोलने की। वह है समाज कल्याण होस्टल के बारे में है ...

श्री सभापति : आप पेयजल के संबंध में ही बोलिये।

श्री हनवन्तसिंह : मैंने, समाज कल्याण के बारे में भी कटौती प्रस्ताव दिया था।

श्री सभापति : आसन को सहयोग दें, कृपया बिराजिये।

आप अपने कटौती प्रस्ताव को निपटाना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री हनवन्तसिंह : इसीलिये तो जल्दी निपटाया है।

श्री सभापति : इसीलिये आपको खाना खाने को जल्दी मिलेगा।

श्री हनवन्तसिंह : तो, मैं आपके द्वारा पुनः एक बार सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र के 31 ट्राइबल मेजोरिटी एरिया में भी यही पेयजल की समस्या है, जिसको सुलझाने में सरकार ज्यादा सहयोग देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सभापति : Thank you.

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मेरे लोक स्वास्थ्य की मांग के ऊपर तीन कटौती प्रस्ताव हैं। सर्वप्रथम मैं उनियारा नगरपालिका की जो योजना चल रही है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब वहां पर ट्यूब-वैल लगाये थे वह नदी के सतह पर लगाये गये थे तब उस नदी में पानी मीठा था। अब पानी कुओं का सेलाईन हो गया है। जो इस वक्त पानी मिल रहा है वह पानी खारा है। विभाग ने निजी कुआं लेकर दुबारा पानी सप्लाई

(श्री दिग्विजयसिंह)

करना शुरू किया है। तो अब उस क्षेत्र में आधे गांवों को तो मीठा पानी सप्लाई किया जा रहा है और आधे गांवों को खारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, यदि आप वह कुआ विभाग को हैंड-ओवर करवा दें, तो उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में सारे गांवों को मीठा पानी मिल सकेगा।

दूसरा इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भूतपूर्व मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि उनियारा में वाटर सप्लाई के तहत ओवर-हैड टैंक का निर्माण करा दिया जायगा। जहां तक मुझे याद है अभी तक वह निर्माण कार्य नहीं किया गया है। यह कह दिया गया है कि टैंक बनाने के लिये पत्थर नहीं हैं जिससे वह टैंक खड़ा हो सके। टैक्निकली आप इसको एग्जामिन करवा लें। मेरा सुझाव है कि आर.सी.सी. का बेस बनवा लें। उस पर ओवर-हैड टैंक बनवा दिया जाय तो मैं समझता हूं 8-10 हजार आबादी वाले गांव के लिये ठीक होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का और राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहताहूं कि आप ग्रामवासियों से चन्दा या अंशदान लेते हैं, स्कीम के अनुसार, वह भी आपके विभाग में 4-5 वर्ष तक पड़ा रहता है। उस राशि पर आपका कोई ध्यान नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर फलौदी और नगर मेरी कान्स्टीट्यूएंसी के कस्बे हैं। वहां के पैसे आपके विभाग में काफी वर्षों से जमा हैं। उस पैसे को लेकर भी किसी भी जगह काम चालू नहीं किया गया है। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया उस ओर भी ध्यान दीजिये। अगर आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ग्रामवासियों की वह रकम मय ब्याज के लौटा दीजिये ताकि यह मालूम हो जाय कि आप सक्षम नहीं हैं।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। हालांकि कटौती प्रस्ताव नहीं है, लेकिन समय है मेरा।

आपने जो ढाई हजार आबादी का प्रतिबन्ध लगा रखा है कि ढाई हजार की आबादी वाले गांव को प्राथमिकता देंगे, नल योजना के सम्बन्ध में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने नसबन्दी कर दी। अब नसबन्दी करने के बाद जनसंख्या बढ़ेगी कहां से? आपका मतलब है जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो गांव के लोगों को पानी नहीं दिया जायगा? इसलिए ढाई हजार की जनसंख्या का जो प्रतिबंध है उसको तुरन्त हटायें। जहां के लिए राशि का आवटंन हुआ है चाहे वहां की कितनी ही आबादी हो, 200 की हो, 500 की हो, क्योंकि पानी की एक जटिल समस्या है और पानी मुहैया करना आवश्यक है इसलिये उस गांव को भी इन्क्लूड करें और ढाई हजार की जनसंख्या वाला जो प्रतिबन्ध है उसको हटायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मणीराम।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज।

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीगण और सदस्यगण....

श्री माधोसिंह कछवाह : यह पब्लिक मीटिंग नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को एड्रेस करिये केवल। सदन के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करने की आवश्यकता नहीं है। अब बोलिये आप।

श्री अब्दुल अजीज : प्रावधान तो नहीं है, लेकिन मैं बोल गया।

सभापति महोदय, मकराना क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जोरदार इलाका पीने के पानी के मसले को लेकर अगर है, तो वह कच्छपुरा के आस-पास के गांव हैं। बागपट्टी के नाम से मशहूर है वह इलाका। उस इलाके में जो पानी मिलता है उसमें फ्लोराइड मिलता है। उससे गुजिश्ता सरकार भी चिंतित हो गई थी। उस समस्या को बहुत महत्वपूर्ण समस्या समझ कर मरकजी सरकार से एक खास योजना पास करवा कर हमारे पुराने नेताओं ने उस बागपट्टी योजना को लागू किया। नागौर जिले के वे नेता बधाई के पात्र हैं। बागपट्टी योजना को लागू करने में सरकारी कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। गरीबों पर यह बीमारी अर्से से बरपा होती चली आ रही थी, उस बीमारी से कमर झुक जाने की और दूसरी तरह की बीमारियां होती थीं। वहां की बच्चियों की शादी-विवाह के लिए बड़ी तकलीफ होती है। उस इलाके के लिए पानी की जो योजना बनाई, उसके लिए मैं गुजिश्ता सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव के दौरान उस इलाके का दौरा किया तो मैंने देखा कि वहां पर जो टंकियां बनी हुई हैं इस समय उनमें पानी को डी-फ्लोराइड करने की व्यवस्था नहीं है। जो इंजीनियर लोग वहां पर लगे हुए हैं क्षेत्र के ए०ई०-एन० वगैरह, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने बताया कि अभी फ्लोराइड की मात्रा इन कुओं में बढ़ गई है। इसलिए, मेरा अर्ज करना है कि इसको डी-फ्लोराइड करने के लिए लेटेस्ट जो भी फार्मूला है, चाहे फिटकरी के माध्यम से हो या और दूसरे तरीके से हो, उसको काम में लेना चाहिए। सरकार को इस विषय में विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। यह अच्छी बात है कि जनता पार्टी की सरकार ने खास तौर से पेयजल की व्यवस्था के लिए ध्यान देने की बात कही है। ध्यान दे रही है और आगे भी देगी, ऐसा मुख्य मंत्री ने कहा है। लेकिन यह सब कहने की बातें हैं। कहां तक लागू कर पायेंगे, कहां तक इसमें राजनीति घुसेगी, उसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारी वर्ग खुले दिमाग से अवाम तक पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था करेगा, ऐसी कामना करता हूं।

खास तौर से पेयजल विभाग के लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पानी की पाइप लाइन जा रही है उसके पास के गांवों को बहुत ही कम खर्चे में पानी की व्यवस्था हो सकती है। मेरे इलाके में दो ट्यूब-वैल चालू हैं, दो और चालू होने वाले हैं तो उनकी अगर पाइप लाइन किसी गांव के पास से जा रही है तो उसको तत्काल पानी दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मकराना शहर में पीने के पानी की समस्या भी जरा जटिल है। जिस ठेकेदार को कांट्रेक्ट दिया गया था मैं समझता हूं कि

(श्री अब्दुल अजीज)

बहुत बड़ी, एक तरह से कहिये, उसने बद-अमनी की, उसने एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं किया जिससे जगह-जगह पाइप लाइन टूट गई। हर रोज कीचड़ चारों ओर फैलता रहता है। इसमें पेयजल विभाग के इंजीनियर्स को जरा ध्यान रखना चाहिए चूंकि कस्बों में नगरपालिकायें होती हैं और नगरपालिकाओं में छोटे-छोटे डिस्प्यूट आपस में होते हैं। जिस तरह से राजनैतिक आधार पर यहां पर अपनी बात करते हैं उसी तरह से नगर-पालिकाओं में भी अपने-अपने वार्ड में काम करने की बात होती है। लेकिन यह दायित्व इंजीनियर्स और विभाग का होता है कि हर वार्ड में लोगों के लिए पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। खास तौर से रामसर ग्राम में रेगरों की बस्ती में पाइप लाइन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। रेगरों की बस्ती में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, कृपया इस ओर ध्यान दें।

इसी प्रकार बोरावड़ मालदार लोगों का मोहल्ला है। वहां के नागरिकों को पानी पहुंच जाता है लेकिन जो हरिजन हैं वे आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। जनता सरकार आने के बाद तीन-चार महीने के बाद इस बात को कहा है। मैंने जिलाधीश को पत्र भी लिखा। जिलाधीश की चिट्ठी मेरे भी पास आई है जिसमें उन्होंने इजहार किया है कि एक्स. ई. एन. से मिल कर जल्दी ही व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। जो गरीब लोग हैं, हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करें। हम यहां पर जो बात करते हैं, मैं नहीं जानता कि सदन में कहते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव है या अलग से रिप्रेजेण्टेशन देते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। अलग से मंत्री महोदय के पास जाकर रिप्रेजेण्टेशन दें वह ज्यादा महत्व रखता है। या सदन में जो बात हम यहां उठाते हैं उसका ज्यादा महत्व है। मैं समझता हूं कि जो बातें हम सदन में उठाते हैं उनके अनुसार गवर्नमेंट चलती है। आप मुझे समझाने की कृपा करेंगे कि कौनसी बात इफेक्टिव है। हमें यह समझाया जाता है कि जो कुछ बोलते है उस पर सरकार चलेगी लेकिन मुझे तीन महीने के थोड़े से अनुभव से पता लगा कि शायद जो कुछ हम बात करते हैं उस पर अमल नहीं होता है। जो लोग मंत्री महोदय के घरों पर पहुंच सकते हैं, सीधा सम्बन्ध रख सकते हैं वे ज्यादा जल्दी काम करवा सकते हैं। अगर ऐसा है, सरकार अगर इस तरह से करती है तो मैं समझता हूं कि वह मंत्री महोदय के लिए....

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आप कृपा करके मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। मेहरबानी करके आसन की बात को सुनिए। जो आप कह रहे हैं उसकी भावना का आदर करता हूं और सब लोग आदर करते हैं। लेकिन अपने कटौती प्रस्ताव तक ही अपने विचार सीमित रखिये।

श्री अब्दुल अजीज : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : जरा सुनिए। आपको आठ मिनट हो गए हैं। अब दो मिनट और।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आठ मिनट तक तो नहीं बोला, साहब। खैर, आपने जो व्यवस्था दी है उसको स्वीकार करना चाहूंगा।

जो मैंने विचार रखे हैं, उनके बारे में मंत्री महोदय कृपया जानकारी दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : इस समय तो व्यवस्था की बात है, जानकारी तो गवर्नमेंट के जवाब में मिलेगी।

श्री मथुरादास माथुर : आपके माध्यम से मिलेगी।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्री विजयेन्द्रपालसिंह।

कृपया हिन्दी में बोलने का कष्ट करें।

(विराम)

इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ?

(विराम)

हमें लाभान्वित करिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : अंग्रेजी में अलाउ कर दीजिए साहब।

श्री माधव सिंह (सोजत) : राजस्थानी में बोलने से क्या एतराज है, साहब ? आल इंडिया रेडियो पर भी राजस्थानी न्यूज देते हैं शाम को।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर-सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, मैं अभी मेरे क्षेत्र का दौरा करने गया था तो मुझे समाचार मिला था कि वहां पर हैजा फैल गया है। मैंने वहां अधिकारियों से बातचीत की उससे पता लगा कि कुओं का पानी उथला होने के कारण उसमें इस प्रकार के कीड़े हो गए, कि जिससे कई गांवों में हैजा फैल गया।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थानी में भाषण

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य बोलने वाले थे। उनको क्यों रुकावट है आसन की ओर से ? वह किसी भी भाषा में बोलना चाहते हों, उसमें बोल सकते हैं। हिन्दी में बोलें तो आपको एतराज नहीं। अगर वे राजस्थानी में बोलना चाहते हैं तो क्या एतराज है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह एक बार प्रश्न उठा था और उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इसका रिकार्डिंग स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है।

(व्यवधान)

आप जरा सुनिए। लेकिन फिर भी उस वक्त मैं आसन पर था और उन्हें बोलने दिया गया। फिर भी सदन अगर चाहता है, तो उसके लिए हमको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। आसन को कोई कठिनाई नहीं है, चाहे उसका रिकार्डिंग ठीक हो या नहीं। दुरुस्ती के लिए वह माननीय सदस्य के पास जाएगा और उनको अवसर मिलेगा उसको करेक्ट करने का।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्थानी भाषा में हो या मारवाड़ी में हो, मैंने खुद ने यहां पर जवाब दिया है। माननीय सदस्या, लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने यहां पर राजस्थानी भाषा में प्रस्ताव रखा था और मैंने राजस्थानी में ही सरकार की तरफ से जवाब दिया था। राजस्थान में अगर राजस्थानी भाषा को इज्जत नहीं देंगे, तो कहां पर देंगे ? यह बात कहें कि उसका रिकार्डिंग ठीक नहीं हो सकता तो आप टेप रिकार्डिंग करवा लीजिए। मान-

(श्री मथुरादास माथुर)

नीय सदस्य राजस्थानी में बोलते हैं तो उनका स्वागत है। अगर वे बोलेंगे तो उनको देख कर दूसरे भी बोलेंगे। राजस्थानी भाषा को राजस्थान में इज्जत नहीं देंगे तो कहां देंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर यह बात है कि राजस्थानी भाषा में रिकार्ड करने वाले ठीक तरह से रिकार्ड नहीं कर सकेंगे तो टेप रिकार्डिंग का इन्तजाम किया जाना चाहिए। अगर अभी इन्तजाम नहीं है तो फिर इन्तजाम कर दें, रिपोर्ट दुरुस्त होने को चली जायेगी, लेकिन उन्हें बोलने दिया जावे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सभापति महोदय, पहले इस विषय पर डिबेट हो जाए कि राजस्थानी भाषा है भी या नहीं? मैं यह नहीं कहता कि मैं राजस्थानी के विरोध में हूं।

श्री सभापति : इस वक्त तो डिबेट को आगे चलने दीजिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठेठ तक साफ बोलते हैं, फिर भाषा भी है या नहीं यह क्यों कहते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपके विचारों का आदर करता हूं। यह भी कहा था कि अगर रिपोर्टर्स को कठिनाई होती है तब भी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि जो रिपोर्टिंग होती है, उसकी दुरुस्ती वे कर सकते हैं, उसकी दुरुस्ती करने का उनको अधिकार है। इसलिए यह कठिनाई उपस्थित नहीं हो सकती। आप जब भी चाहें अपने विचार रख सकते हैं बाद में या पहले। सदन चाहता है और जैसी भावना प्रतीत होती है, आसन उसके बीच में नहीं आता है।

आप बोलिए।

मांग संख्या 27 व 32 पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सूचना मिलने के बाद मैं मेरे क्षेत्र में गया और देखा कि वहां पर हैजा फैला हुआ है। कई मौतें हो गई हैं। गांव के काफी लोग बीमार हैं। पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि कुए का पानी उथला होने के कारण कीड़े पड़ गए हैं। उस पानी से यह बीमारी फैली है। यदि इस प्रकार से कुए के पानी के उथले होने के कारण बीमारी फैले तो यह महामारी भयंकर फैली हुई है, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में तो उसका अध्ययन किया जाय। वहां बीमारी को दूर करने के लिए हैन्ड पम्प की व्यवस्था की जाय। मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस काम के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु, सभापति महोदय, मुझे डर है कि उसका समुचित उपयोग भी होगा या नहीं होगा? वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट की जो स्थिति है, उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इस पांच करोड़ की राशि में से एक करोड़ राशि का भी उपयोग, सदुपयोग नहीं हो सकेगा। पिछले रिकार्ड को देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट के चीफ इन्जीनियर ने पैसे का दुरुपयोग किया है। नियमों को ताक में रख कर केवल एक फर्म को फायदा देने के लिए वे आउट आफ दी वे जाकर काम करते हैं। मैं इसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार टेन्डर लेने में गड़बड़ी की है। फिर भी उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, विज्ञापन नम्बर 234, दिनांक 18-1-75 द्वारा एस. ई., सिटी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जयपुर ने टेन्डर मांगे। सब से कम एग्रो इन्जीनियरिंग का था। उसके पम्प की एफीशिएन्सी 78 प्रतिशत थी किन्तु उससे 14 हजार रुपये ज्यादा का टेन्डर स्वीकार किया गया, जिसकी एफीशिएन्सी 72 प्रतिशत थी। पांच साल में 14 हजार रुपये की बिजली का ज्यादा व्यय हुआ। एक नहीं अनेक इस प्रकार के टेण्डर थे। लोएस्ट टेन्डर को छोड़ कर के केवल ग्रीव्ज काटन को ही पसन्द किया गया। फिर यह जो एडवर्टाइजमेन्ट दिया जाता है, यह क्यों दिया जाता है?

एक और उदाहरण है, जोधपुर के एस. ई. ने टेण्डर काल किए। 7 फर्मों ने कोटेशन दिए। ग्रीव्ज काटन का टेन्डर विलम्ब से आया। वह नहीं खोला गया। कम्परेटिव स्टेटमेन्ट तैयार किया गया। ग्रीव्ज काटन का विलम्ब से आने के कारण लिफाफा नहीं खोला गया और साथ में भेज दिया गया। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा जब कम्परेटिव स्टेटमेन्ट तैयार किया गया था, टेन्डर सब के सामने खोले गए थे, जो टेन्डर विलम्ब से आया था जिसको खोला नहीं गया था, लेकिन फिर भी उस कोटेशन को ही क्यों स्वीकार किया गया और उसको ही क्यों आर्डर दिया गया, यह समझ में नहीं आता है। पिछले चार साल में 110 पम्प उनसे खरीदे गए। एक पम्प पर लगभग 14 हजार का अन्तर आता है। यह आश्चर्य का विषय है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट के हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट आउट आफ दी वे जाकर यह अनियमित कार्यवाही करते हैं तो नीचे की स्थिति क्या होगी? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसकी जांच होगी तो मालूम होगा कि टेन्डर में कितनी अनियमितताएं हैं, एफीशिएन्सी में कमी है, दूसरे टेन्डर में पैसा कम है, उसको आर्डर न देते हुए ग्रीव्ज काटन को ही क्यों चीफ इन्जीनियर ने आर्डर दिए? इसका कारण यह है कि वहां पर जो सेल्समेन है, वह उनका रिश्तेदार है। तो इस पांच करोड़ का क्या होने वाला है? इसमें से कितने करोड़ का उपयोग हो पाएगा या उपयोग नहीं होगा? क्या इसी तरह से यह हैजे की बीमारी फैलती रहेगी? इसकी इन्क्वायरी हुई थी। गवंनर साहब ने सी. एम. को लिखा। सी. एम. ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी को लिखकर दे दिया। सेक्रेटरी ने वह इन्क्वायरी जांच कराई उन्हीं के डिपार्टमेंट के अकाउन्ट्स आफिसर से। जहां पर इस प्रकार की अनियमितता हुई हो, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं होती है तो इस डिपार्टमेन्ट का कौन धणी है? जिस डिपार्टमेंट का जन स्वास्थ्य से सम्बन्ध है, जिसका पीने के पानी से सम्बन्ध है, उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले की जांच की जाय। मेरे पास ऐसे पचास उदाहरण हैं। आउट आफ दी वे जाकर के टेन्डर स्वीकार किए गए हैं। एक ही फर्म को लगातार दिए गए हैं। पिछली बार भी यह आरोप लगाया था, सदन में प्रश्न के जरिए। मंत्री महोदय ने सारी जानकारी छिपाने की कोशिश की थी।

इसी प्रकार झुंझुनू के एक्स. ई. एन. ने चुनावों के दिनों में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए एक ढालमिया की ढाणी में पम्प लगा दिया। सभापति महोदय, वहां पर कुए में पानी नहीं है, बिजली नहीं है फिर भी पाइप फिट कर दिए गए। पम्प पहुंच गये जब कि सेंक्शन उसकी नहीं दी गई है। वहां पर पम्प

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पहुंचा दिये गये हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाएं। इस प्रकार की राजनीति में पड़ कर सरकार के पैसे का दुरुपयोग यह विभाग करता है, यह आश्चर्य की बात है। प्रश्न उठाया गया तो उसका उत्तर गोलमाल मिला। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। लेकिन एस.ई. और एक्स.ई.एन. के खिलाफ जांच होती है तो चीफ इन्जीनियर उसको दबा कर बैठ जाते हैं। आपके डाइरेक्टोरेट में, चीफ इन्जीनियर के दफ्तर में, आपके सेक्रेटेरियेट में अभी भी बदबू आ रही है। इसको छिपाने की कोशिश नहीं की जाए। अगर ऐसा किया गया, तो आपके जो अच्छे काम हैं, उनके लिये भी आपको यश नहीं मिलेगा। यह बदबू आपके अच्छे काम को भी खा जाएगी। मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि यह जो टेन्डरों की अनियमितता हुई है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उसके अन्दर तुरन्त कार्यवाही की जाए वरना यह छूत की बीमारी नीचे तक पहुंच जाएगी।

मैं इसके साथ ही पंचायती राज मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा समाज कल्याण विभाग के लिए कि वे चीर-फाड़ के एक्सपर्ट हैं। पंचायती राज में उन्होंने उचित ढंग से चीर-फाड़ की है ....

श्री सभापति : संक्षेप में, जल्दी कह दीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : घंटी दबाने की नौबत नहीं आएगी।

श्री सभापति : मैं घंटी दबाना नहीं चाहता।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : समाज कल्याण विभाग में भी भ्रष्टाचार है। यह विभाग भी पी.डब्ल्यू.डी. और सिंचाई विभाग से कम नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सफाई आपने पंचायती राज की शुरू की है, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु उसी प्रकार की चीरा-फाड़ी समाज कल्याण विभाग में करें। समाज कल्याण विभाग के नारीशालाओं से अपहरण की हुई नारी निकाली गई हैं। कोटा के समाज कल्याण विभाग के नारीशाला से कोर्ट द्वारा सौंपी गई एक नारी को अतिरिक्त जिलाधीश निकाल कर ले गए। समाज कल्याण विभाग मौन रहा। लिख कर दिया। उस नारी को निकाल कर ले गए। बाद में उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं मालूम है। नारीशाला की यह स्थिति है। एस.डी.ओ., अतिरिक्त जिलाधीश आउट आफ दी वे नारीशाला से नारी को निकाल कर ले जावें, यह लज्जाजनक बात है।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने घंटी नहीं बजाई। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, पेयजल की समस्या एक बहुत ही महत्व की समस्या है, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रथम बजट भाषण में स्वीकार किया है। अच्छा होता कि जब पेयजल की समस्या पर विचार हो रहा है तो उससे सम्बन्धित मंत्री महोदय यहां उपस्थित होते। जो समस्याएं हम रखना चाहते हैं, यदि सम्बन्धित मंत्री महोदय यहां होते तो उन पर गम्भीरता से विचार हो सकता था, और उन समस्याओं का निदान किस प्रकार

(श्री बिरदमल सिंघवी)

से किया जाय इसके विषय में जवाब देते समय विचार कर सकते थे।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जोधपुर की जल समस्या पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जोधपुर की जल समस्या इतनी इम्पार्टेन्ट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि कहा नहीं जा सकता कि चार लाख लोगों का क्या होगा। इस साल वर्षा अच्छी हुई लेकिन फिर भी जल समस्या आती है। जोधपुर में पानी की बहुत कमी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की आबादी को गिनते समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि चार लाख की आबादी भी राजस्थान की ही है। इस आबादी को छोड़ दिया गया। वास्तव में जोधपुर की जल समस्या के लिए हमको बहुत ही गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, beg, borrow or steal, से धन जुटाना पड़ेगा, कहीं से धन जुटाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है। जोधपुर में जल समस्या बहुत गम्भीर है आज नल फुस-फुस कर रह जाते हैं। सतयुग में नल और दमयन्ती का जोड़ा था। लेकिन आज हमारी दमयन्तियां घड़ा लेकर नलों पर पहुंचती हैं तो नल केवल फुस-फुस कर के रह जाते हैं और खाली घड़ा लेकर दमयन्तियों को लौटना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति आज जोधपुर में हो रही है। हम चाहते हैं कि उनके नल अच्छे बनें, और सतयुगी नल बनें।

श्रीमन्, जोधपुर की समस्या का एक हल हो सकता है। जो रामपुरा की योजना थी उससे काफी पानी आया है। लेकिन वह भी एक टेम्प्रेरी योजना है, उससे टेम्प्रेरी रिलीफ मिला है। अगर यह पूछा जाय कि क्या उसमें पीने योग्य पानी है तो यह सलाह दी जायगी कि अब उसमें पीने योग्य पानी नहीं रहा। एक दो साल में तो पीने योग्य पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। उस समय कहां से व्यवस्था हो सकेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए अभी से योजना बनानी पड़ेगी ताकि उसको सप्लीमेन्ट किया जा सके। आज जवाई बांध से 85 क्यूसेक पानी बहता है और जोधपुर में केवल 22 क्यूसेक पानी पहुंचता है। 63 क्यूसेक पानी रास्ते में वेस्ट हो जाता है, उसकी चोरी होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हम दूसरी योजनाओं को, चाहे भवन निर्माण की हो या दूसरी योजनाएं हों, छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमको पानी देना पड़ेगा। यह जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। सारी योजनाओं को छोड़कर पहले पानी मुहैय्या कराना पड़ेगा। कोई भी योजना कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है मगर पानी की योजना को हम नहीं रोक सकते। हमको पाइप से पानी लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि इसमें आठ-दस करोड़ का खर्चा हो सकता है। हमारे यहां मिलिटरी है उसको भी पानी सप्लाई किया जाता है। उससे हमको दो करोड़ रुपया मिल सकता है। इण्डस्ट्रीज से भी एडवान्स लिया जा सकता है। कुछ और भी सोर्सेज हैं, जैसे इन्श्योरेन्स से पैसा लिया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक से कोशिश की जा सकती है। इस कमी को पूरा कर के किसी भी प्रकार से पानी की व्यवस्था करें। पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो Penny wise, pound foolish. अर्थात् इतना पानी वेस्ट होता है, इससे खेती को भी नुकसान होता है। इसलिए एक बार पैसा लगेगा, हमेशा की चोरी मिट जायगी और लोगों को सहूलियत हो जायगी। मेरा निवेदन है कि जो जल के दूसरे स्रोत हैं जैसे बख्तसागर, बालसमन्द उनसे भी पानी आता

(श्री बिरदमल सिंघवी)

है। वे भी कम एरिया में है, उनमें भी पानी खत्म हो रहा है। उनके आस-पास लोगों ने मकान बना लिये हैं। कायलाना वगैरह में वर्षा होने से पानी उनमें आता है लेकिन इस वर्ष तो बहुत कम पानी आया है। क्योंकि आस-पास में मकान बन गये हैं इसलिये वह भी पूरे नहीं भर पाये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केचमेन्ट एरिया का ध्यान कर के इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय....

श्री बिरदमल सिंघवी : श्रीमन्, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह पूर्व वक्ताओं ने भी रखी है। डोली के पास पानी है उसे लाने का प्लान क्रियान्वित किया जाय और, जो बेल्ट है उससे पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात यह है कि नाइट्रेट को मिटाने के लिये रिसर्च की जाय। किस प्रकार से हम नाइट्रेट को कम कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। विदेशों में तो समुद्र के खारे पानी को भी मीठा और पीने योग्य बनाया जा रहा है। हमें भी यहां पर नाइट्रेट को मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो खारा पानी है उसके खारेपन को मिटाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि जोधपुर की पानी की समस्या बहुत विकट है। समय पर इसको हल नहीं किया गया तो इस साल तो वर्षा ठीक हुई लेकिन भविष्य में कम होगी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि चार लाख लोगों के लिए समस्या हो जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री बसीलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुखलाल सैंगवा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में बोलते हुए सब माननीय सदस्यों ने कहा कि उसमें काफी भ्रष्टाचार है। मैं इस विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कुछ डिपार्टमेन्ट्स के लिए कहा था कि उन्हें वाइन्ड-अप कर दिया जायगा। समाज कल्याण विभाग में ऐसी क्या बात है कि इसको रखना जरूरी है? इसमें काफी भ्रष्टाचार है, इसकी काफी शिकायतें आती हैं। इसकी योजनाओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। आज जब हम श्री भैरोंसिहजी के कुशल नेतृत्व में अन्त्योदय के युग में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या यह संभव नहीं है, क्या यह उचित नहीं होगा कि समाज कल्याण विभाग

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

को अन्त्योदय विभाग में बदल दिया जाय और उसकी जो योजनाएं हैं वह उस में शामिल कर ली जायं ? आखिर समाज कल्याण विभाग मूल तौर पर जो काम कर रहा है, वही काम और वही भावना क्या अन्त्योदय की स्कीम में शामिल नहीं है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाय। आज एक विभाग काम कर रहा है, इसलिये उसको रखा जाय, यह जरूरी नहीं है। अन्त्योदय की योजना एक महत्व की योजना है, यह गरीबों को ऊंचा उठाने की योजना है, शोषित लोगों को ऊपर उठाने की योजना है, कमजोर तबकों को ऊपर लाने की योजना है। इसलिय इस योजना की ओर ध्यान देना चाहिए और समाज कल्याण की जो प्रवृत्तियां हैं, जो आवश्यक योजनाएं हैं जिनको उपयोगी समझा जाय उनको अन्त्योदय की योजना में शामिल किया जा सकता है। इस तरह से जो यह भ्रष्टाचार का केन्द्र है वह मिट जाएगा और एक सम्मिलित तरीके से हम पिछड़े और शोषित गरीब लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे। इस विभाग के बजट की योजनाओं को नए विभाग को सौंपा जा सकता है। इस विभाग को इसकी सारी स्कीमों को देखने का मौका मिले।

समाज कल्याण विभाग में काफी प्रवृत्तियां चलती हैं। मुख्य मंत्री करुणा सागर हैं, दयालु हैं, वित्त मंत्री ने काफी स्कीम्स रखी हैं जिनके जरिए बूढ़ों को ओल्ड एज पेन्शन दी जा रही है और अन्त्योदय योजना के जरिए गरीब लोगों की मदद की जा रही है। जब नैनवा कांड पर चर्चा हुई उस समय श्री भैरवलाल कालाबादल व श्रीमती नारंगी देवी ने प्रश्न उठाया था कि जो लड़का मर गया है उसकी 5 बहनें हैं, उनकी शादी की व्यवस्था गृह मंत्री करें। खास तौर से पिछड़ी जाति में एक समस्या है, गरीब लड़कियों की शादी करने में काफी पैसा खर्च होता है। जब तक हम इतने प्रगतिशील न हो जायं कि सिर्फ माला पहनाकर विवाह कर सकें, सिविल मैरिज कर सकें तब तक समाज कल्याण विभाग को यह काम करना चाहिये। वह अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किया जाए या मौजूदा स्वरूप में किया जाय, एक काम यह किया जा सकता है कि ऐसी निर्धन लड़कियों, जिनके मां, बाप उनका विवाह करने में सक्षम नहीं हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस संबंध में आपके कोई कटौती प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा प्रस्ताव इतना काम्प्रिहेंसिव है....

श्री सभापति : जो आपका समाज कल्याण के संबंध में कटौती प्रस्ताव है वह है : 'समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं मनमानेपन पर चर्चा के लिए'।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं मनमानेपन पर अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति : आसन को सुनिये। दूसरा है 'समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं घोटालों पर चर्चा के लिए'। तो इन पर ही आप बोलने की कृपा करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : 'मनमानेपन' शब्द का अर्थ क्या है ? इसकी व्याख्या करने के लिए अलग से समय दिया जाए तो मैं व्याख्या कर दूंगा। फिलहाल मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रवृत्तियां मनमाने

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

तरीके से चलाई जाती हैं, जो, प्रवृत्तियां चलाई जानी चाहिए थीं उनका पाजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट इसमें जाता है। जो प्रवृत्तियां चलाना चाहें वे नहीं चल पायें तो जो कुछ किया जा रहा है इसको आपाधापी कहेंगे, मनमानी कहेंगे। मैंने कटौती प्रस्ताव देते समय सीमित प्रस्ताव नहीं दिया है जिसके आधार पर निश्चित तरीके से कुछ बोल सकूं। मनमाने तरीके से जो धन खर्च किया जा रहा है उसके बजाय ऐसी व्यवस्था की जाए जो भारत में चिरकाल से चली आ रही है, वह है गरीब कन्याओं की शादी की। राजस्थान में घनश्याम दास बिड़ला मौजूद हैं, रघुसिन्हा उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी जब फाइनेन्स कमिश्नर थे उनकी पुत्री की शादी रघुसिन्हा ने करवाई तो और कन्याओं की शादी में के० के० बिड़ला, रघुसिन्हा को धन क्यों नहीं दे सकते? समाज कल्याण विभाग को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो प्रवृत्ति गरीब कन्याओं को गृहणी बनाने की है उसको भी वह देखे। इसलिए जिन लड़कियों की शादी मां, बाप नहीं कर सकते उन लड़कियों की शादी की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की प्रवृत्तियों में शामिल की जाय। के० के० बिड़ला को रघुसिन्हा के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी, श्री मुखर्जी की सिफारिश करवाकर अप्रोच करें तो पर्याप्त धन मिल सकता है।

यहां जलदाय के लिए काफी वाद-विवाद हुआ। माननीय सिंघवी साहब ने कहा कि जो इन्चार्ज मंत्री हैं उनको मौजूद रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री ने शपथ ग्रहण करते समय यह कहा था कि पीने के पानी को प्राथमिकता देंगे, अगर वह स्वयं सदस्यों के विचारों को सुनते, तो जिस समस्या का समाधान करना है उसको और अच्छी तरह से समझने में उनको सहायता मिलती। इस पर जो बहस हुई है उसका जवाब मुख्य मंत्रीजी जब आ जायं तब वह स्वयं दें। जो कुछ यहां चर्चा हो रही है इससे स्पष्ट है कि इस काम को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस समय वह स्वयं उपस्थित होते तो इस चर्चा के आधार पर हमको उनको भी सुनने का मौका मिलता।

श्री सभापति : मंत्री परिषद् के जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे सदन की इस भावना को मुख्य मंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेहता साहब को शराबबंदी के लिए शिकायत रहती है। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि जयपुर में बड़ा कारण शराब पीने का यह भी है कि यहां पानी में कीड़े हैं। मेरे दोस्त हैं मेहताजी, मैंने उससे प्रण लिया, उसने वायदा किया कि शराब नहीं पीऊंगा। रात हुई, वह सोये। सुबह हुई, मैं उनसे मिला तो उनसे पूछा कि कल तुमने शराब पी? उन्होंने बड़ा ही मुंह लटका कर दोषी भावना से कहा, हां पी। उन्होंने कहा कि पानी में इतने कीड़े हैं कि दिन भर ध्यान नहीं रहा। रात को जब लेटा तो सब कीड़े ऊपर चढ़ कर गले तक आ गए और कहने लगे, पाओ पाओ। हमेशा यह होता है शराब से न तो कीड़े पेट में. . . .

श्री सभापति : तो क्या दारू पीने से कीड़े मर जाते हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मरते नहीं तो बेहोश जरूर हो जाते हैं ।

आप सीवेज लाइन और पाइप लाइन को देखें । दोनों साथ साथ-लगी हुई हैं । 10-12 घंटे पानी की लाइन बंद रहती है, लेकिन सीवेज लाइन चलती रहती है। उसके मल-मूत्र के कीड़े पानी की लाइन में जाते हैं । फिर पाइप लाइन में पानी आता है। ऊंज हो-हो कर पानी सीवेज लाइन से पाइप लाइन में जाता है और उसके साथ कीड़े मिलकर सब के शरीर में जाते हैं । उन लोगों के शरीर में भी जाते हैं जो राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रशासन करते हैं । इसलिए जलदाय विभाग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बात पर चर्चा के लिए अधिक समय होना चाहिए ।

माननीय मथुरादास माथुर ने यहां सब्जियों की बात कही थी । उन्होंने कहा था सीवेज के गन्दे पानी से यहां गोबी पैदा होती है । जो-जो आदमी गोबी खा रहा है कम से कम 20 प्रतिशत आयु कम कर रहा है । तो जन स्वास्थ्य विभाग यहां कुल मिला कर जहर बांट रहा है, मौत बांट रहा है, महरबानी करके इस विभाग की व्यवस्था में सुधार करें ।

अब जलदाय विभाग के घोटाले का एक केस श्रीमान् के सामने मैं रखता हूं । यह तो आपकी जानकारी में है कि पुराने वित्त मंत्री, चंदन मल वैद पराजित हुए लेकिन वह क्यों हार गए इस बात की शायद किसी को जानकारी नहीं । उन्होंने बहुत चेष्टा कर के एक योजना स्वीकृत करवाई थी, रावतसर साहुवा योजना, उसके लिये 96 लाख रुपये की स्वीकृति हुई जिसमें 57 किलो मीटर पानी की लाइन डालनी थी जब कि जलदाय के चीफ इन्जीनियर व सिंचाई के चीफ इन्जीनियर का कहना था कि राजस्थान कैनाल से लिफ्ट सिस्टम से पानी लाकर लोगों को ज्यादा इकानामीकल तरीके से पानी पिलाया जा सकता है । लेकिन चुनाव जीतने की दृष्टि से 96 लाख रुपये की स्कीम सैंक्शन करा ली । उसके लिए तय हुआ कि आर० सी० सी० के पाइप्स लगाये जायं । भारत सरकार का कहना था कि एसबेस्टोस सीमेन्ट पाइप्स लगाये जायं । फिर भी अपने स्वार्थवश यह स्कीम सैंक्शन हुई । 130 फीट प्रेशर के लिए आर० सी० सी० पाइप्स खरीदे गए । टेन्डर्स काल किए गए । तीन कम्पनियों ने टेन्डर्स दिए जिनमें लोएस्ट टेन्डर कोहली कास्टे स्पन का था । दूसरे नम्बर पर मैसर्स स्पन पाइप कन्सट्रक्शन कम्पनी, बड़ौदा का टेन्डर था । लेकिन इन सब कम कीमत के टेन्डर्स को छोड़कर जिस कम्पनी को सप्लाई आर्डर दिया गया उसका नाम है मैसर्स स्पन कन्सट्रक्शन कम्पनी, बम्बई । जिसको 160/- रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिया गया, लोएस्ट को नहीं दिया गया । यह आर्डर सिर्फ पाइप्स के लिए ही नहीं दिया गया । साथ में जमीन में डालने के लिए आर्डर लोकल ठेकेदार को दिया गया । बिना टेन्डर मांगे उसी कंम्पनी को आर्डर दिया गया, वही कम्पनी वहां पर पाइप लाइन डालेगी । यह आर्डर 25-3-76 को दिया गया ।

सभापति महोदय, और आज की तारीख तक उस कम्पनी ने पाइप लाइन नहीं डाली । जिस कम्पनी को तजुर्बेकार और अच्छी कम्पनी बताया था, जिसने अपने आपको समर्थ बताया था उस कम्पनी ने 25-3-76

(62)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

को आर्डर 96 लाख रुपये के पाइप सप्लाई के लिये थे, उसने एक भी पाइप सप्लाई नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब पाइप ही नहीं आया तो पाइप लाइन कैसे डाली जा सकती थी। इस प्रकार वह 96 लाख रुपया लेप्स हो गया, सभापति महोदय, इस कम्पनी को किसने आर्डर दिया उसके लिये तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष देना नहीं चाहता, पर आपके माध्यम से जलदाय विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे क्या कारण रहे कि जिससे यह 96 लाख रुपये लेप्स हो गये और जिस स्कीम के लिये वह पैसे खर्च होने थे उसमें खर्च नहीं होकर, किसी दूसरी जगह काम आये ? इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस सारे केस की जांच करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसमें एक बात और एड करवाना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज सदन में अभी भंवरलालजी शर्मा ने कहा कि जब श्री संजय गान्धी की विजिट जयपुर हुई तो ट्रीटमेंट प्लान्ट...

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, अभी समाप्त करता हूं। थोड़ा समय तो बात-चीत में ही चला जाता है।

श्री सभापति : बात यह है कि आसन पर फिर यह इलजाम आता है कि किसी माननीय सदस्य को ज्यादा समय दिया जाता है बोलने का तो किसी को कम समय दिया जाता है। तो आप हमें सहयोग करें, आसन को सहयोग करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, आपने जो भावना व्यक्त की है उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

सिर्फ एक सैन्टेन्स समाज कल्याण मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जयपुर में जो रेसक्यू होम है उसमें से कितनी लड़कियों को आज दिन तक किन-किन अधिकारियों के घर पर नौकरी करने के लिये भेजा गया ? वह वहां से नौकरियां छोड़ कर किन-किन परिस्थितियों में वहां से गयीं ? इसकी जांच कराने की कृपा करें। अगर आप इसकी जांच करवा लें तो आपको पता लग जायेगा कि यह जो सफेदपोश लोग हैं इनके क्या कारनामे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर समाज कल्याण मंत्री और जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूं कि जयपुर के समाज की और जयपुर के शहर की, दोनों की सफाई हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इससे जनता का, समाज का और लोक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कल्याण आप कर सकेंगे।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री हरजी राम बुरड़क ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लालशंकर ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुरेशकुमार ।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि आज प्रश्नकाल के समय मैंने सदन का ज्यादा समय ले लिया था । अब मैं प्रायश्चित स्वरूप अपनी बात सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए संक्षेप में ही निवेदन करूंगा । मैं समझता हूं कि आज का जो मेरा भाषण है वह विधान सभा में आज दिन तक जो भाषण दिये गये हैं उन सभी भाषणों में सबसे संक्षेप में होगा ।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर, भरतपुर में कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। सारा शहर गंदगी से सटा है । जिससे वहां की जनता को काफी तकलीफ रहती है। आज से तीन साल पहले एक योजना राज्य सरकार ने बनायी थी । उस योजना का तखमीना करीब 45 लाख रुपये का बनाया गया था पर उस योजना के लिये आवश्यक रकम नहीं मिलने के कारण वह योजना पेयजल की पूरी नहीं हो सकी । उसके बाद में अब एक ड्रेनेज की स्कीम बनी है वह करीब 90 लाख रुपये की है । इस तखमीने के अनुसार अगर यह योजना पूरी हो गयी, तो भरतपुर में जनता को सुविधा होगी । अगर यह स्कीम पूरी नहीं हुई, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में यह योजना करोड़ रुपये से ऊपर की हो जायेगी । तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आप कोई स्कीम बनाते हैं और उसके लिये रुपया सैंक्शन नहीं करते हैं, तो उससे क्या फायदा ? मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन जीवन बीमा निगम है वह धनराशि ऋण पर देता है । आप जीवन बीमा निगम के ऋण देने के नियमों में यह संशोधन करा दें कि जीवन बीमा निगम स्वायत्त शासन संस्थाओं को ड्रेनेज के लिए भी ऋण दे सकता है । इसी प्रकार ड्रेनेज के लिये ऋण अगर जीवन बीमा निगम से दिलवा दें तो हम ऋण लेने को तैयार हैं ताकि हम भरतपुर में ड्रेनेज सिस्टम को लागू कर दें । सभापति महोदय, हमारे भरतपुर में पेयजल की काफी कमी है । जो पानी आता है वह खराब है । उसके लिये मेरा निवेदन है कि फिल्टर प्लान्ट लगाया जाय ताकि लोगों को जो भी पानी मिले वह शुद्ध मिले ।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो मैंने निवेदन किया है उसकी ओर मंत्री महोदय विशेष ध्यान देंगे । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कटौती के जो प्रस्ताव हैं वह मेरे ख्याल से करीब एक-एक दर्जन से ज्यादा हैं । उस हिसाब से आप समय लेने का कष्ट न करें । जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके हों उन पर ही आप बोलें । बाकी के आपके जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके जवाब माननीय मंत्री महोदय आपको लिखित में भेज देंगे ।

164

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसमें जो खास-खास मेरी मांगे हैं और जो भ्रष्टाचार के एक दो मामले हैं उन्हीं के बारे में मैं निवेदन करूंगा। बाकी मेरे जो सुझाव हैं उनके लिये मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नोट करते जायें....।

श्री सभापति : आप तो कहते जाइये। नोट मंत्री महोदय करें या नहीं करें, वह उन पर छोड़िये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर राज्य सरकार ने जितनी भी नल योजनायें लागू की हैं उनसे हमारे यहां गन्दगी बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने नल योजना तो बना दी पर उनके साथ आपने कोई गटर योजना और नालियों की योजना नहीं बनायी है। नालियों की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। कोई भी योजना आप चालू करें उसके पहले जरूरी है कि आप क्या क्राइटेरिया रखते हैं। मेरा निवेदन है कि आपको आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाएं बनानी चाहिये। अगर कहीं पर पानी खारा है, गन्दा है, या पानी की कमी है, तो ऐसे इलाकों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी ने अपने पद की शपथ ली उस वक्त उन्होंने यह घोषणा की कि मेरी सरकार जनता को पीने के लिये पानी मुहैया करेगी। यह मेरी सरकार का प्रथम कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें। मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जहां-जहां भी पीने के पानी के कुए नहीं हैं वहां कुए बनवाये जायं और जो कुए अधूरे पड़े हैं उन्हें तुरन्त पूरा कराया जाना चाहिये। राज्य सरकार को पहले खर्च कर के उन अधूरे कुओं को पूरा करना चाहिये। थोड़े पैसों में ही अधूरे कुए पूरे बन जायेंगे और लोगों को पीने का पानी भी मिल सकेगा। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जिस क्षेत्र के जिन-जिन मोहल्लों में नल नहीं लगे हुए हैं उन मोहल्लों में नल पहुंचाये जाने चाहियें जिससे कि उस क्षेत्र के अन्दर सब मोहल्लों को पानी मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां राज्य सरकार मनुष्यों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करती है वहां उस को पशुओं के लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में ज्ञानगढ़, चीताम्बा नाम के दो बड़े कस्बे हैं, उनकी तीन-तीन हजार से अधिक आबादी है। वहां पर पिछले तीस सालों में कोई जल योजना नहीं बनायी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां जल योजना चालू करने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नदी है। आप वहां पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पानी की टंकियां बना कर पीने के पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय, भीलवाड़ा में जिलाधीश के आफिस के पास ही पीने के पानी की टंकी आज से करीब दो साल पहले से बनी हुई है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस टंकी से आज दिन तक कहीं पानी की सप्लाई नहीं हुई। इसका कारण यह है कि जिलाधीश कार्यालय से निहाल मेडिकल स्टोर तक की पाइप लाइन में शीशा नहीं लगाया गया है अतः वह टंकी बेकार पड़ी है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर जो असिस्टेन्ट इंजीनियर और एक्स. ई. एन. थे उन्होंने और ठेकेदार ने मिल कर यह सब गड़बड़ की है। यही कारण है कि करीब तीन लाख रुपये का खर्च वहां पर किया गया, जनता के खून-पसीने की कमाई की वह राशि बेकार ही पड़ी है मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस सारे केस की जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दें और साथ ही उस टंकी को काम में लेने की व्यवस्था भी करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो भी छात्रावास चल रहे हैं उस में बोर्डिंग-लोजिंग की जो व्यवस्था है वह बहुत ही खराब है। उन में सुधार करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने लाखों रुपये प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर खर्च किये हैं उसमें बहुत से घोटाले हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इनकी जांच करायी जाये और जो दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इन घोटालों के बारे में सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

इसके साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से चित्तौड़गढ़ स्थित गाड़िया लोहार छात्रावास बनाया गया था पर अब उस छात्रावास में एक मिडिल स्कूल चल रहा है। जो वहां के प्रभावशाली कांग्रेस के नेता लोग हैं उन्होंने उस छात्रावास में एकाधिकार कर रखा था। उन्होंने उस छात्रावास की भूमि पर प्लाट काट कर जमीन को बेच दिया है और छात्रावास को एक कोने में डाल दिया है। सभापति महोदय, एक प्रबन्ध कमेटी बनी हुई है उस छात्रावास के लिये।

उस कमेटी के द्वारा हजारों लाखों रुपयों के प्लाट बेच दिये गये। पैसा कमेटी के लोग खा गये। जनता ने मांग की तो तत्कालीन कलेक्टर, श्री जे० पी० अरोड़ा ने जांच-पड़ताल प्रारम्भ की तो उन्होंने उनका स्थानान्तरण करवा दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी जांच कर के संबंधित दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय।

इसके साथ ही आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने यह घोषणा की है कि हम पीने के पानी की समस्या को, जल संकट को हमारा राज्य आने पर दूर करेंगे। हम जनता पार्टी के विधायकों

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का यह प्रयत्न होना चाहिये कि इस संकट को दूर करवायें । जो कांग्रेस सरकार के समय में अव्यवस्था चल रही थी, जो मनस्थिति चल रही थी उस मनस्थिति को ठीक करने का जनता ने कदम उठाया है और हमें यहां चुन कर भेजा है । हम जनता के सहयोगी तब ही होंगे जब कि पीने के पानी की उनको सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे ।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में विभिन्न जगह पानी की अलग-अलग रेट्स ली जाती हैं । जैसे उदयपुर शहर और भीलवाड़ा का उदाहरण है । भीलवाड़ा जिले में 10 रुपया लिया जा रहा है ।

अपने कटौती प्रस्तावों पर अपनी बात कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ कि पीने के पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए नल योजना लागू की जाय, अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद !

श्री सभापति : माननीय श्री माधवसिंह ।

श्री माधवसिंह (सोजत) : पहले तो सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह जानकारी चाहूंगा कि वाटर वर्क्स पर जो रिपोर्ट दी है वह फाइनल ही है या उसमें कोई और चेन्ज करने जा रहे हैं ? पहले शहरों के लिये बहुत बड़ी-बड़ी स्कीम्स बनायी गयीं ।

श्री सभापति : वे जब उत्तर दें तब सुन लीजियेगा ।

श्री माधवसिंह : कुछ वर्षों पहले गांवों में पीने के पानी की सुविधा के लिये गांव वालों की मदद से गांव-गांव में बीच में, टंकियां बनवाई गई, कहीं मोटर से, तो कहीं बैलों से पानी निकाला गया अब वह बेकार पड़ी हैं । तहसील सोजत में गांव खारीया वीव से पांच-छः गांवों को पानी देने के लिये स्कीम बनी जो आज चालू है । यह पानी किसी भी स्टेन्डर्ड से पीने लायक नहीं है । अब इसे किसी दूसरे सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा । तो फिर यह पैसा क्यों वेस्ट किया गया ?

सोजत सिटी को पानी देने के लिये गांव मांडल में दो ट्यूब-वेल खोदे गये तथा पाइप लाइनें लगाई गई । अब यह कह रहे हैं कि सूटेबल नहीं है । तो पहले ट्यूब-वेल क्यों खोदे गये और पाइप लाइन क्यों फिट की गयी ? इसलिये जो भी स्कीम बनायें, वह ऐसी बनायें कि उसको चेन्ज न करना पड़े और पैसा वेस्ट न जाय ।

बिजली बोर्ड और आपके डिपार्टमेंट का समन्वय नहीं है । गांवों में लोग इस आशा में बैठे रहते हैं कि पानी आवेगा । लेकिन न मोटर आपकी चलती है और न पानी पहुंचता है । उनको वापस जाना पड़ता है । आपका भरोसा करने के कारण ही उनको इतनी तकलीफ होती है कि न पानी का स्टोक कर पाते हैं और न कुछ । उनको बड़ी दिक्कत होती है । दूसरी पशुपालकों को दिक्कत है । जहां से पाइप लाइन निकलती है वहां पशुपालक खोद कर छेद कर देते हैं । इससे उनकी तो समस्या हल हो जाती है लेकिन पानी का प्रेशर डाउन हो जाता है और पानी पहुंचने में डिफिकल्टी होती है । तीन चार दिन उसको ठीक करने में लग जाते हैं । इससे गांव वालों की क्या हालत होती होगी आप अन्दाज करिये । इसके लिये

(श्री माधवसिंह)

जरूरत पड़े तो कानून बनाया जाय या गेंग लगाइये। साथ ही हौज बना कर पशुपालकों को पानी दीजिये ताकि वे पशुओं को पानी पिला सकें और जो पानी वेस्ट हो रहा है वह न हो।

जहां पर भी नल योजना लागू हुई है वहां काफी गंदगी फैल गयी है। मारवाड़ी एरिया में मलेरिया कोई समझता ही नहीं लेकिन मच्छरों की अब कोई गिनती ही नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं जिससे कि वह नालियां बना सके। आप लोन दीजिये या सब्सिडी दीजिये ताकि ग्राम पंचायत नालियां बना कर पानी बाहर निकालने की व्यवस्था कर सके। सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी के लिये सर्क्यूलर इश्यू कर दिया कि खराब गन्दे पानी को खेती-बाड़ी के काम में नहीं लें। इससे यह पानी आस-पास के गड्ढों में इकट्ठा हो रहा है, गन्दगी फैलती है और म्यूनिसिपेलिटी की इनकम कम हुई है। इसलिये आप सीवेज प्लांट लगायें या और किसी काम में लें। अगर साग-सब्जी के लिये मना हो तो इससे गेहूं की खेती करने दें। ताकि गन्दगी न फैले और फालतू पैसा जा रहा है वह बन्द हो सके।

दो तीन स्कीमें हैं जिनमें कुछ गांव छूट गये हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऊपर से पर्मिशन मांगनी पड़ती है। इसलिये उसको ही अधिकार दे दिये जायं कि आस-पास दो तीन किलोमीटर पर कोई गांव छूट गया हो, तो उसको कवर-अप कर ले।

जहां तक समाज कल्याण विभाग की बात है जितनी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को आगे बढ़ाने की बात हुई है उसमें सिर्फ कुछ तबकों को ही फायदा हुआ है। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल गयी और कुछ छात्रों को छात्रावास में प्रवेश मिल गया। परन्तु अधिकतर समाज को ऊपर लाने के लिये कुछ नहीं किया गया है। जो उनके सामाजिक कस्टम्स हैं उनके अन्दर कोई चेन्ज नहीं हुआ है। शादी-विवाह में हजारों आदमी खाना खाते हैं। चाहे पैसा कहीं से वह लेकर आये, साहूकार से लाये या कहीं से लाये शादी-विवाह में भोज होते हैं, मृत्यु भोज होते हैं और हजारों आदमियों को खाना खिलाया जाता है। न सरकार की ओर से रुकावट है और न गांव के आदमियों की ओर से रुकावट है। जब तक यह फिजूल खर्चा शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का बन्द नहीं कर पायेंगे, तब तक इस तबके को ऊपर लाना भी चाहेंगे तो वह संभव नहीं होगा।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव छात्रावासों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलने के बारे में है। उसी तक आप सीमित रहें।

श्री माधवसिंह : मैं सोचता था कि यह बात दूसरे माननीय सदस्य कह देंगे लेकिन किसी ने कही नहीं, इसलिये कह दी।

जहां तक छात्रावास का सवाल है, छात्रावासों में वार्डन्स होते हैं। लेकिन छात्रों और वार्डनों का आपस में जो प्रेम होना चाहिये वह नहीं है। ऊंची जाति वाले वहां वार्डन बन कर पहुंच जाते हैं इसलिये वहां भी छुआछूत पनपाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वहां का वातावरण है वह जेल जैसा वातावरण है। इसलिये किसी शिड्यूल्ड कास्ट वाले आदमी को ही वार्डन बनाना चाहिये क्योंकि होस्टल में वातावरण वैसा ही रहता है जैसा कि वार्डन

(श्री माधवसिंह)

रखने की कोशिश करता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वह फ्री बैठा रहता है। इसलिये वार्डन की पोस्ट हटा कर स्कूल के मास्टर को ही अपाइन्ट करें। इससे पैसे की भी बचत हो सकती है, स्टूडेन्ट की भावना बदलेगी और जिनमें आपसी प्रेम होगा वे ही वहां रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली जाकर आप चेक-अप करिये, वार्डन का लड़कों के प्रति कैसा बर्ताव है यह लड़कों से पूछिये तो पता चलेगा।

श्री सभापति : क्या माननीय श्री रामकरण सिंहजी बोल चुके हैं ?

श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती श्यामाकुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द।

श्री गुलाबचन्द (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, 'समाज कल्याण' वास्तव में अपने आप में एक अच्छा लगने वाला शब्द है लेकिन वास्तव में समाज का कल्याण, समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं हुआ, केवल कुछ विशेष व्यक्तियों का अवश्य कल्याण इसके माध्यम से हुआ है। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार की चारों ओर से बू आती है। 16 अप्रैल, 1974 के दिन इस विभाग से संबंधित एक व्यक्ति श्री नारायण लाल के घर पर छापा मारा गया। रेलमगरा तहसील में समाज कल्याण के होस्टल में जो सामग्री विद्यार्थियों को दी जाती है वह सामग्री उसके घर से पकड़ी गयी। 25 हजार रुपये का सामान उसके घर से बरामद किया गया। उस सामान की बरामदगी करने के समय राजसमन्द पुलिस स्टेशन के अधिकारी, श्री मोहनसिंह भाटी और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी, श्री प्रेम नारायणजी एवं पटवारी आदि मौजूद थे। उस व्यक्ति के घर से सामान बरामद किया गया और उसका पर्चा मौका बना कर दिया जिसमें लगभग विद्यार्थियों के ताले, विद्यार्थियों के कम्बल, विद्यार्थियों के साबुन की 45 बार-ऐसा विधिवत वर्णन किया हुआ है। 33 आइटम पर्चे मौके......

व्यवस्था

मुद्रित या लिखित अंश का पठन

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान रूल्स ऑफ प्रासीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असैम्बली के रूल 269 की तरफ दिलाता हूं। उसमें यह है :

"Whilst the House is sitting, a member—

(I) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;"

इसलिए इसमें जो लिखा है उसके अनुसार आप बोलें लेकिन पढ़ें नहीं।

मांग संख्या 27 व 32 पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री गुलाबचन्द : इस प्रकार पर्वा मौका बनने के बाद भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1974 की घटना है और सारी इन्क्वायरी हो गई है, सारा रिकार्ड बन गया, बयान हो गये उसके पश्चात् भी आज तक उसका कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका एक कटौती प्रस्ताव है ।

श्री गुलाबचन्द : जी हां, वह इसी पर है ।

श्री सभापति : कोर्ट ऑफ लॉ का रिलेवन्सी कानून तो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि आप स्वयं वकील हैं । आपका जो प्रस्ताव है उसी पर अपने भाषण को सीमित रखें तो लाभ होगा ।

श्री गुलाबचन्द : यह सारा काण्ड होस्टल की सामग्री से ही संबंधित है । जनता पार्टी का शासन आने के बाद और मंत्रिमण्डल बनने के लगभग दो माह बाद मेरी इच्छा इस मामले को सदन के समक्ष रखने की हुई है । शायद कांग्रेस सरकार ने इसको दबाये रखा और अपने लोगों को बचाने की कोशिश की । मुझे आशा थी कि जनता पार्टी का शासन इस प्रकार के व्यक्तियों को अवश्य सजा देगा लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लगातार दस बार जाने के बाद भी और मंत्री महोदय से आदेश होने के बाद भी आज तक कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया ।

इसी प्रकार से दूसरे अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार हैं जिन्होंने 10 हजार के बिल बनाये । उनकी जांच हुई और आडिट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उनको केवल 2 हजार तक की सामग्री खरीदने का अधिकार है लेकिन उन्होंने सीमा से बाहर निकल कर 10,770 रुपये की दरियां, चद्दरें आदि सामग्री खरीदी । यह सब कुछ होने के बाद भी उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । यहां तक कि श्री अरविन्द कुमार ने होस्टल के सामान, कम्बल, तकिये, गद्दे आदि सारी सामग्री जलाने के आदेश दिये कि यह पुराने हो गये हैं इसलिए इनको जला दिया जाये । लेकिन सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि उस सामग्री को जलाया नहीं गया और उसको दूसरे होस्टल में भेजकर 1 लाख के नये सामान की खरीद बताकर घोटाला किया । उसने वह और उसके दूसरे साथी शरीक थे । इस प्रकार की घटना होने के बाद भी मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह व्यक्ति आज भी हमारे सामने अधिकारी बनकर बैठा है । आज भी वह अधिकारी के पद पर काम कर रहा है । समाज कल्याण विभाग लोगों को ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया है लेकिन ऐसे व्यक्तियों को शर्म नहीं है । उनको कांग्रेस सरकार ने ही शरण नहीं दी बल्कि मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के समाज कल्याण मंत्री को बार-बार रिपोर्ट की लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोर्ट में कोई चालान पेश नहीं हुआ । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को आपने पनाह दी है और सहयोग दिया है । आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खींच कर निकाल देंगे लेकिन मुझे

(श्री गुलाबचन्द)
लगता है कि आप भ्रष्टाचार को आंख से ओझल रखना चाहते हैं, दूर करना नहीं चाहते हैं। इस तरह आप भ्रष्टाचार को देश से समाप्त नहीं कर सकेंगे।

इसी प्रकार का घोटाला हमारे यहां उदयपुर में हो रहा है। अभी हमें जनता पार्टी के कुछ लोग मिले उन्होंने बताया कि दो हजार रुपये प्रति दिन केवल नालियों में फेंके जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस प्रकार का.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सामान तैयार किया जा रहा है जिसे बालकें पकाकर नाली में फेंक दिया करते हैं। 2 हजार रुपया प्रति दिन वहां बरबाद किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में 60 हजार रुपये प्रति माह से हम कितने ही परिवारों को ऊंचा उठा सकते हैं। यह पैसा जो भी वे रहे हैं और जो भी सामान तैयार कर रहे हैं उसके लिए जहां 10 आदमी काम करते हैं वहां 40 आदमियों को तनख्वाह चुकाई जा रही है। इस पैसे को समाज कल्याण विभाग के अधिकारी बट लेते हैं......

श्री सभापति : पुलिस की डिमाण्ड के समय बोल लें।

श्री गुलाबचन्द : मुझे बड़ा आश्चर्य है इस विभाग की सारी गतिविधियां देख कर। श्री सोहनलाल त्रिवेदी, 130 रुपये की ग्रेड में नौकर थे लेकिन एक वर्ष में उनको तीन प्रमोशन मिले और एक क्लर्क से ऑफिसर बनकर उदयपुर में बैठे हुए हैं। इस तरह से प्रमोशन देने का कोई आधार तो होना चाहिए। एक ओर भ्रष्टाचार के मामले में उसकी जांच हो रही है और दूसरी तरफ एक साल में तीन प्रमोशन मिलते हैं। मैं बार-बार आग्रह करता हूं समाज कल्याण मंत्रीजी से कि इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्तियों को तुरन्त बाहर फेंक देना चाहिए ताकि आने वाले व्यक्तियों को भी सबक मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमने घोषणा की है कि हम नाक से निकलवा लेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उसका चालान पेश नहीं हुआ। मैं बार-बार कहता हूं कि उसका तुरन्त चालान पेश होना चाहिए और दोनों व्यक्ति जेल में बन्द होने चाहिये।

श्री सभापति : क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा ?

श्री नरपतराम बरवड़।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : आदरणीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि समाज कल्याण का अध्यक्ष केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का ही होना चाहिए। ऐसा महसूस हुआ है और सब जानते ही हैं कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ऐसा वातावरण हो गया है कि वापस राठौड़ी राज्य आ गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ जिस तरह से राठौड़ी राज्य में अत्याचार हुआ करते थे वही जुल्म अब वापस होने लग गये हैं। ऐसी सूरत में समाज कल्याण का अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति और जन-जाति का नहीं हुआ तो पूरे विभाग के अन्दर जितनी

(श्री नरपतराम बरवड़)
की गतिविधियां हैं उनको उच्च जाति वाले कतई नहीं समझ सकेंगे......

श्री माधोसिंह (सरदारपुरा) : क्या माननीय सदस्य राठौड़ी जुल्मों का कोई उदाहरण पेश करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री नरपतराम बरवड़ : क्या मुझे, सभापति महोदय, आप उदाहरण पेश करने की इजाजत देंगे ? 5–4 उदाहरण दूंगा।

श्री सभापति : जैसा उचित समझें करें लेकिन अपना भाषण जारी रखें।

श्री नरपतराम बरवड़ : परसों 18 तारीख की रात को 10 बजे तीनारा के अन्दर भूतपूर्व जागीरदार मुकन सिंह, मंगल सिंह और उनके तीन भाई मुकनाराम मेघवाल के खेत ख.रोदारा पर गये। उसकी ढाणी को तबाह कर दिया और 118 बीघा फसल नष्ट कर दी। मूंग तथा बाजरा को 3 ट्रैक्टर में डालकर ले गये।

पीलवा गांव के अन्दर तारीख 9-8-77 को सूरजराम मेघवाल के खेत पर जबरन घास काटने के लिये कहा। उसके मना करने पर जागीरदार गुमानसिंह, चेनसिंह, भगवान सिंह ने मारपीट की और जबरदस्ती कस्सी खोस ली।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उनका जवाब नहीं दें। वह तो उन्होंने व्यवधान डालने के लिये पूछा है। आप तो इस विषय तक सीमित रहें कि समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष पिछड़ी जाति में से होना चाहिये।

श्री नरपतराम बरवड़ : इसी प्रकार आये दिन घटनायें होती आई है। समाज कल्याण जैसे विभाग के लिये मैं यह उचित समझता हूं कि इस विभाग का अध्यक्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ही होना चाहिये ताकि गरीबों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हितों को समझ सके अन्यथा दूसरा आदमी नहीं समझ सकेगा और जो बजट इसमें रखा गया है वह बिलकुल निरर्थक चला जायेगा।

जनता पार्टी के मैनीफेस्टो के अन्दर यह बताया गया था A new deal for scheduled caste and tribe with special machinery to guarantee their rights and interest. परन्तु लगता ऐसा है कि जब तक समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष को पिछड़ी जाति का नहीं रखते हैं तब तक किसी बात की गारन्टी नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों के साथ अत्याचार बराबर होते हैं। इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे कम से कम रिजर्वड सीट से आये हैं और अपने समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम से कम समझें। समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या जन-जाति का रखें और समाज कल्याण विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ खोलें जिसके जरिये शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की रक्षा हो सके व उनका कल्याण हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण विषय के ऊपर

172

(श्री गंगासहाय)

बोलना चाहता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अधिक नहीं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समाज कल्याण विभाग जिनके लिये बनाया गया है उन्हीं की जाति का इसका अध्यक्ष होना चाहिये। हरियाणा और पंजाब में समाज कल्याण विभाग में समस्त कर्मचारी छोटे से बड़े तक पिछड़ी जाति के लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो केवल ढकोसला मात्र रहेगा, समाज कल्याण नहीं होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सचमुच में दलित वर्ग का कल्याण करना है तो इस विभाग के अन्दर जो पद हैं, चाहें छोटे हों, चाहे बड़े, सब पदों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही रखें अन्यथा यह विभाग बन्द कर देना चाहिये इससे कोई लाभ नहीं होगा। छुआछूत वही, भेदभाव वही बरता जाता है। इन जातियों के किसी व्यक्ति को अगर किसी अधिकारी के पास लगाया भी जाता है चाहे डाइरेक्टर हो या डिप्टी-डाइरेक्टर तो उनसे केवल बेगारी का काम लिया जाता है।

साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि कल्याण किन लोगों का किया गया है। एक उदाहरण छोटा सा दूं। राज्य बीमा विभाग में एमर्जेन्सी के दौरान शिड्यूल्ड कास्ट्स के दो लोगों के साथ घोर अन्याय किया गया। छोटी सी कोई गलती होगी जिसके कारण उन दोनों के दो-दो साल के इन्क्रीमेन्ट्स हमेशा के लिये रोक दिये। उसी तरह के जो दूसरे दोषी कर्मचारी थे उन सबको बहाल कर दिया। बार-बार रिप्रेजेन्टेशन देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाये। जो भी अधिकारी दोषी पाया जाये उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, आज समाज कल्याण विभाग और जलप्रदाय विभाग पर हाउस में चर्चा हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं समाज कल्याण विभाग के बारे में, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के बारे में हमारे माननीय सदस्य जो सुझाव देते हैं उन सुझावों पर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पिछले समय गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर बहस के वक्त भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री तो बहुत बिजी रहते हैं लेकिन केबिनेट स्तर के मंत्री समाज कल्याण विभाग जैसे कार्य के लिये नहीं हैं। आदिवासी और हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी जमीन के झगड़े हैं लेकिन सदन में न राजस्व मंत्री हैं, न फाइनेंस मंत्रीजी हैं। इसलिये आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पहले जिन माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन्हें आप मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें।

समाज कल्याण विभाग में करप्शन और भ्रष्टाचार दोनों चीजें हैं। मैंने पिछले समय में भी इस सदन में कई सुझावों के साथ इस पर प्रकाश डाला था। अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्ग का भारत सरकार का जो कमीशन है वह कमीशन हर साल अपनी रिपोर्ट द्वारा

177

(श्री नाथूराम)

सुझाव देता है। लेकिन जैसे पिछली सरकार ने गलतियां की हैं वैसे ही जनता पार्टी की सरकार भी गलतियां कर रही है। उस कमीशन की जो रिपोर्ट है वह हर साल बजट सत्र के अन्दर पेश होनी चाहिये। लेकिन दो-तीन साल से रिपोर्ट बजट के सत्र में पेश नहीं करते हैं। बल्कि आखरी दिन वह रिपोर्ट पेश करते हैं। इस कारण कमीशन अपनी रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग सम्बन्धी जो सुझाव देता है, पिछड़े वर्ग के उत्थान के बारे में सुझाव देता है उस पर सदन में चर्चा नहीं होती है। अनुसूचित जाति और जन-जाति के सदस्यों के अलावा हमारे कई ऐसे सदस्य हैं जिनको अनुभव है वे सुझाव देते हैं। लेकिन वह रिपोर्ट सदन में पेश करने की ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। इसलिए समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कमीशन की रिपोर्ट है वह कम से कम हाउस में पहले रखनी चाहिये ताकि माननीय सदस्य कुछ सुझाव दे सकें।

सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी के नाम पर, हरिजनों के नाम पर कई परिवार पल रहे हैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये वही छात्रावासों की स्थिति करीब-करीब सब जिलों में है। मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर बहस के वक्त जो निवेदन किया था कि......

(7-30 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

छात्रावासों के लाखों के घोटाले हैं। जो छात्रावास चल रहे हैं उनमें खाद्य सामग्री नहीं दी जाती है। वह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिये दी जाती है लेकिन उससे कई लोग अपने पेट भरते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम छात्रावासों की स्थानीय विधायकों को साथ में रखकर जांच होनी चाहिये और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोटा आदिवासी, हरिजनों के लिये सर्विसेज में रखा गया है उसकी समाज कल्याण विभाग पालना नहीं कर रहा है।

दूसरे विभागों की बात तो दूर है, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने जवाब में बताया कि समाज कल्याण विभाग में उच्च पदों पर क्या किसी आदिवासी भाई को या हरिजन भाई को लाने की कोशिश की ?

इसी तरह और भी घोटाले हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं इसकी जांच होनी चाहिये। हरिजनों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर दस साल में जितने अत्याचार हुये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये। आप आदिवासी और हरिजनों की पैरवी करते हैं लेकिन उनकी भलाई का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिये सभी घोटालों की जांच होनी चाहिये और सरकार द्वारा सख्त कदम उठाना चाहिये। नहीं तो मैं यह कहूंगा पिछली सरकार में और इस सरकार में कोई अन्तर नहीं है।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र में 'ए' श्रेणी के छात्रावास चल रहे हैं वे 'ए' श्रेणी के छात्रावास नाम मात्र के छात्रावास हैं। छात्रावास का भवन भी समाज कल्याण विभाग से नहीं बना है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरे निवास पर 'ए' श्रेणी का छात्रावास चल रहा है लेकिन बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। मैंने कई बार मांग की है फिर भी लाखों रुपया इधर-उधर खर्च कर रहे हैं लेकिन छात्रावास भवन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। 'ए' श्रेणी का छात्रावास है लेकिन उसमें अव्यवस्थाएं हैं। तो आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि छात्रावासों में जो घोटाले हैं, कई लोग उनके द्वारा अपना पेट पालते हैं इसलिये सरकार उनकी जांच करे। कई माननीय सदस्यों ने जांच के लिये सुझाव दिये हैं और कहा है कि इस विभाग को बन्द कर देना चाहिये। मैं उनसे कहता हूं कि इस विभाग को क्यों बन्द किया जाय ? बन्द करने से क्या लाभ होगा ? अव्यवस्था को सुधारा जाय। आज दूसरे प्रान्तों में क्या व्यवस्था है उसको भी देखें। जो स्वार्थी लोग मनमाना अपना फायदा उठा रहे हैं उनको सजा देनी चाहिये। सरकार को इसके लिये विशेष व्यवस्था करनी चाहिये, यह मैं मांग करता हूं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो रकम का वितरण होता है उसका कोई सही उपयोग नहीं करता है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जांच होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे अफसोस है कि शासन दल में वे ही लोग बैठे हैं ? जो केवल विभाग से सम्बन्ध रखते हैं। केबिनेट मंत्री केवल इस विभाग के बैठे हैं। अब राजस्व मंत्री जी पधारे हैं लेकिन किसी को इन्ट्रेस्ट नहीं है, इसलिये नहीं बैठे हैं कि टाइम लगेगा। जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनको अधिक समय दीजिये। मुझे सख्त अफसोस है जो पिछड़ी जाति के माननीय सदस्य हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। वे अनुपस्थित हैं। वे अपने क्षेत्र के लोगों को धोखा देते हैं। उनको दिलचस्पी होती तो वे यहां मौजूद रहते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने बाल विकास योजना के लिये राजस्थान सरकार को राशि दी है और राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति, गुढ़ा को वे योजना दी है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय मैंने इस पर प्रकाश डाला था लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। मैं यह कहूंगा जो हमारी जनता पार्टी की सरकार है वह भी पिछली सरकार के समान गलती कर रही है.....

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है।

श्री नाथूराम : समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारी जरूर बैठे हैं नोट कर लेते हैं लेकिन जांच नहीं करते हैं।

मैंने मांग की थी कि इस लाखों रुपयों के प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है ? गरीब जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बच्चे पर भारत सरकार लगभग 100 रुपया देती है लेकिन

(श्री माथूराम)

5-10 रुपया भी उस पर खर्च नहीं होता है और जो अधिकारी हैं उनका पेट भरता है, उस पैसे से अपने परिवार को पालते हैं। लड़के लड़कियों का हॉस्टल बना कर बैठे हैं और दो-दो गाड़ियां और लाखों का प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं लेकिन उसकी कुछ भी जांच नहीं करते हैं। मैंने डाइरेक्टर साहब से बात की, हाउस में भी प्रकाश डाला, पिछले समय में मैंने भूतपूर्व प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा था, एन्टी-करप्शन को लिखा था लेकिन अभी उस भ्रष्ट को नहीं हटाया। मैं कहूंगा, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि नहीं हटाने का मतलब है कि भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार में कोई दूसरा अधिकारी नहीं मिलता है? क्यों उस अधिकारी को बैठा रखा है? क्यों उच्च अधिकारी भी उसको रखना चाहते हैं? 120 महिला कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं सही बताता हूं कि सरकार जांच कराये तो मैं खुद तैयार हूं लेकिन सरकार जांच नहीं कराती है। 120 महिला कार्यकर्ता है जिन्होंने जोधपुर में मण्डोर में ट्रेनिंग ली थी। उनमें से कई महिला कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया और अनट्रेन्ड को रखा है। अनट्रेन्ड को रखने का मतलब क्या है? करप्शन फैला रहे हैं और भयंकर करप्शन फैला रहे हैं। इतना करप्शन फैला रहे हैं फिर भी हमारे समाज कल्याण अधिकारी अन्धे हो गये हैं, बिलकुल अन्धे हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लैटर लिखा है उसके जवाब में भारत सरकार से भी लैटर आया है फिर भी उस अधिकारी की जांच नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि के द्वारा जांच होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां से कई लड़कियां करप्शन के मारे छोड़-छोड़ कर चली गईं। मैं बताता हूं, भगवती कर के एक बच्ची थी। उसको करप्शन के लिये उदयपुर ले गये। उस लड़की का पता नहीं खत्म हो गई या क्या हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आरोप लगाया है और यह मांग की.....

श्री सम्पत राम : कौन अधिकारी है, जिनकी शिकायत है।

श्री माथूराम : तेजपाल रोकड़िया है। मैंने मांग की है कि इस अधिकारी की जांच होनी चाहिये। आपके डाइरेक्टर जानते हैं, समाज कल्याण के सब अधिकारी जानते हैं। गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय भी मैंने इसे हाउस में रखा था। फिर जांच नहीं करने का क्या कारण है? क्यों इसे अभी तक रख रखा है? मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्री हाउस में जवाब दें नहीं तो त्याग-पत्र इस विभाग से देवें। उसको रखने का मतलब क्या है? समाज कल्याण मंत्रीजी खुद शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो वे कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपके बड़े-बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। भारत सरकार ने एक ही प्रोजेक्ट दिया है उसमें करप्शन क्यों? यह मैं पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह के कई घोटाले हैं। जो गरीब महिलायें हैं उनको कोई सामग्री नहीं मिलती है, नाम रजिस्टर में जरूर लिख रखे हैं। 120 सेन्टर चल रहे हैं लेकिन गरीब महिलाओं को सामग्री नहीं मिलती है, उन दुर्बल पिछड़ी

176

(श्री नाथूराम)
जाति के बच्चों को कोई सामग्री नहीं मिलती है और गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है। लगभग 10 नर्स और डॉक्टर लोग हैं। मेरा निवेदन है कि उस प्रोजेक्ट की जांच की जाय और जांच में समाज कल्याण अधिकारी को नहीं लिया जाय, यह भी मैं कहूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एन्टी-करप्शन के किसी ईमानदार अधिकारी को भेजना चाहिये जांच के लिये। मैं पास में रहने को तैयार हूं। उस प्रोजेक्ट में लाखों रुपया खर्च हुआ है और उन गरीब दुर्बल बच्चों को, उन गरीब महिलाओं को उससे क्या फायदा मिला है, इसकी सरकार जांच करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रोजेक्ट की....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय ले चुके हैं।

श्री नाथूराम : हर सेन्टर की जांच होनी चाहिये। मुख्य मंत्री को हाउस में यह घोषणा करनी चाहिये।

और भी कई घोटाले हुये हैं लेकिन अब समय का अभाव है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय की पाबन्दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय सदस्य जो सुझाव देते हैं और अधिकारीगण यहां बैठते हैं लेकिन उन सुझावों पर पालन क्यों नहीं करते हैं? यह माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं इस का वह जवाब दें। पिछले समय में भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे। हमारा सदन सर्वोपरि है तो जो माननीय सदस्य महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, उनका पालन नहीं कराने का क्या मतलब है, मंत्रीजी इसका जवाब दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो समय दिया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समाज कल्याण की मांग के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव दिया है उस पर थोड़े विचार रखना चाहता हूं। यह जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुविधायें एस. टी. और एस. सी. के छात्रों को दी जाती है, यह सुविधा की बात हमारे वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण से पूरी तरह से कवर नहीं होती। वित्त मंत्रीजी ने यह बात कही है कि राजस्थान के अन्दर जो गरीब हैं और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत, 56.30 प्रतिशत है। मेरे ख्याल से यह अनुपात राजस्थान में एस. टी. और एस. सी. के लोगों का नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में 56.30 प्रतिशत लोग अभाव की रेखा से नीचे जीते हैं तो यह जो सुविधा एस. सी. और एस. टी. छात्रों को होस्टल्स की, अध्ययन की दे रहे हैं वह केवल अर्थाभाव के कारण जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको दे रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि अन्य धनहीन लोगों को नहीं दी जावे? मैं आपके माध्यम से,

(श्री हरिसिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब आप स्वयं यह बात मानते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर एस. सी. और एस. टी. के अलावा भी ऐसा तबका है जिसको समाज कल्याण से सहायता मिलना जरूरी है तो मेरा सुझाव है आपके माध्यम से, प्रभारी मंत्रीजी नोट कर लें कि वित्त मंत्रीजी ने जो कुछ बजट भाषण में कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं 56.30 प्रतिशत चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों या नहीं हों, समाज कल्याण विभाग से जो छात्रों को एस. सी. और एस. टी. के छात्रों को सहायता मिलती है, वही सहायता उनको भी मिलनी चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे है।

दूसरी बात मैं इसके साथ ही यह भी अर्ज करना चाहता हूं, पिछली बार भी बहुत से लोगों ने सुझाव दिया था कि राजस्थान में जो होस्टल चलते हैं एस.सी. और एस. टी. के वे दोनों होस्टल अलग-अलग चलते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था तो प्रधान मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी होस्टल यहां पर हैं उनको एस.टी. और एस.सी. के रूप में नहीं रखा जाय। उनके अन्दर सभी छात्रों को मिले-जुले रूप में रखा जाय, चाहे छात्र एस.टी. के हों या एस.सी. के हों। इससे जातीय भावना टूटेगी।

दूसरी बात होस्टल्स व्यवस्था के संदर्भ में कहना चाहता हूं। वहां की जो स्थिति है, खाने की, आवास की, बच्चों के वस्त्रों की, बिस्तरों की, बर्तनों की, वह बड़ी सोचनीय है। पिछली सरकार ने यह दयनीय स्थिति बनाई थी और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी इस स्थिति को बनाये रखा और होस्टल चलाये। यह पिछली सरकार के प्रतीक हैं। समाज कल्याण विभाग के होस्टल बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे होस्टल्स समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनमें रहने की, वहां के बालक-बालिकाओं के भोजन की, बिस्तर की वही सुविधायें मिलनी चाहियें जो सुविधायें अन्य होस्टल्स में मिलती हैं। इसी से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समाज के अन्दर जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जिसको हम दलित वर्ग मानते हैं उसके छात्र और छात्रायें ऐसा महसूस नहीं करें कि अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले में हीन हैं। इस भाव से वे ग्रस्त नहीं रहें।

इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जिला अलवर में एस.सी. और एस.टी. के जो होस्टल्स हैं उन एस.टी. और एस.सी. के होस्टल्स में संख्या एस.टी. की ज्यादा है और एस. सी. के होस्टल्स कम हैं जब कि एस.सी. के छात्र-छात्रायें ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि अलवर जिले के अन्दर एस.सी. और एस.टी. के जो होस्टल्स खुले हुए हैं वे आवश्यकता अनुरूप नहीं हैं। जब एस.टी. के छात्रों से ज्यादा छात्र एस. सी. के पढ़ रहे हैं, तो एस.टी. के होस्टल्स से कम ए.सी. के होस्टल होने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कम से कम इन होस्टल्स की संख्या बच्चों की संख्या को देखते हुए बढ़ाने का प्रयत्न करें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल (उदयपुर ग्रामीण) : बोल रहा हूं, सर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नाथूरामजी ने समाज कल्याण विभाग पर जो आरोप लगाये हैं उनका समर्थन करते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो विधायक यहां पर हैं, उनकी एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो तत्काल मौके पर पहुंच कर अच्छी तरह से जांच करके वहां की सारी जानकारी लें। मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो समाज कल्याण पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं भी समाज कल्याण विभाग में नौकरी कर चुका हूं, काफी अनुभव है मुझे इस बात का। विद्यार्थी भी रहा हूं, मैं जानता हूं कि क्या-क्या यातनायें विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही हैं। वे इस प्रकार हैं : छात्रवृत्तियां जो समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरित की जाती हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां हैं, उसके वितरण में वास्तव में काफी व्यवधान है। छात्रवृत्तियों की वितरण व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा होती है। लम्बे समय तक, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर तक भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। माननीय उपाध्यक्षजी, इन पिछड़े हुए वर्ग के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को सामने रखते हुए उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती हैं। भारत सरकार की तरफ से भी यह व्यवस्था है कि कालेज में जो छात्र पढ़ते हैं उनसे कालेज में फीस नहीं लेंगे लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तनख्वाह मिलती है उसी प्रकार से हर माह छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने घोषणा भी की थी लेकिन लगभग दो ढाई महीने हो गए उस बात को, अभी तक राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। एक बात बड़े खेद के साथ निवेदन करनी पड़ती है कि इमर्जेन्सी के दरमियान में अपने आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हिमायती कहलाने वाली भूतपूर्व सरकार ने भी जो अतिरिक्त छात्रवृत्ति सन् 1967 से मिलती थी उसको तत्काल बन्द कर दिया था। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से हम लोग मिले हैं। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जन-जाति के विद्यार्थी भी माननीय मंत्रीजी से मुलाकात कर चुके हैं परन्तु समझ में नहीं आता, माननीय मंत्रीजी क्यों मौन हैं। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल निर्णय करना चाहिए और जो छात्रवृत्ति मिलती थी वह उनको पुनः मिलनी चाहिए।

विशेष छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निवेदन है कि जो समाज कल्याण विभाग द्वारा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें अंकों का प्रतिशत बंधा हुआ है। पचास प्रतिशत अंक का न्यूनतम प्रतिशत रखा गया है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अंक 49 और कुछ पर्सेन्ट है। मैंने उदयपुर से एक विशेष मामला निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भेजा है जिसमें 49.5 प्रतिशत अंक है। बीमारी की वजह से ऐसी स्थिति बन गई लेकिन बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है, सर, कि अभी तक मेरे पास उत्तर नहीं आया है।

दूसरी ओर छात्रावासों में जो व्यवस्था है, जो स्केल निर्धारित किए गए हैं, जब छात्रावास शुरू हुए तब से ये स्केल शुरू किए गए थे। इन स्केल्स में विशेष भोजन का

(श्री मन्नालाल)
प्रावधान भी है। मूल्य वृद्धि के आधार पर, महंगाई के आधार पर इसमें वृद्धि होनी चाहिए जो अभी तक नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम और लेखन सामग्री के लिये समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो विद्यार्थियों को निर्धारित राशि दी जाती है, उस राशि का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कक्षा के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाय।

मैं मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, सर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उदयपुर के कन्या छात्रावास के अन्दर कड़वे आटे की रोटियां दी गई। मैंने उप-निदेशक को पत्र भी लिखा, उनको जानकारी दी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कर्मचारियों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक की दो ग्रेड हैं। जो किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होते हैं। उनको तो ऊंची ग्रेड में लगा दिया जाता है, द्वितीय श्रेणी में लगा दिया जाता है लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं है उनको उस ग्रेड में नियुक्ति नहीं दी जाती है।

इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। वहां पर 28 प्रतिशत जो नियुक्ति होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी है, उपाध्यक्ष महोदय,.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि जो पदोन्नतियां हुई हैं उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ ही जो डी.पी.सी. बिठाई है उसमें भी उन्हीं लोगों को लिया गया। समाज कल्याण विभाग के ऊंचे-ऊंचे पद हैं उन पदों पर भी उन्हीं लोगों को लगाया गया है जो अधिकारियों के मिलने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों को प्रशासनिक सेवा में नहीं लिया गया है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो योग्य कर्मचारी एस.सी. व एस.टी के हों और हैं, उनकी पदोन्नति की जानी चाहिए।

इसके अलावा महिला छात्रावासों में पुरुष को छात्राधिकारी लगाया गया है। वहां पर जवान लड़कियां रहती हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है यह सहज ही कल्पना करने योग्य बात है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इन छात्रावासों में जो पुरुष कार्य कर रहे हैं उनके स्थान पर तत्काल महिलाओं की नियुक्ति करें और जो स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति की भी व्यवस्था करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय क्रान्ति हो गई परन्तु आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति बाकी है। सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति समाज कल्याण के अनेक कार्यक्रमों द्वारा की जा सकती है। समाज कल्याण मात्र हरिजनों पर दया करने के लिये नहीं है। समाज कल्याण अनुसूचित जाति और जन-जाति को मात्र भीख देने के लिए नहीं है। समाज कल्याण राष्ट्र की आवश्यकता है। समाज कल्याण समाज की जरूरत है। कौन चाहेगा कि समाज का कोई

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सा भी भाग कमजोर रहे ? कोई सा भी देश का नागरिक,या वर्ग कमजोर रहे? लेकिन आज तक जो कांग्रेस ने कहा, आज तक कांग्रेस ने हमारे मानस में जो चीज बिठाने की कोशिश की, वह यह है कि जैसे उन्होंने हरिजनों पर दया की है। वह यह है कि जैसे उन्होंने अनुसूचित जाति और जन-जाति को दान दिया है। हरिजनों को जो कुछ मिला है, वह जैसे उनकी कृपा से मिला है। हमने उन्हें आज तक यह नहीं कहा कि वे भी समाज के अंग हैं। अगर वे कमजोर रह गए तो सम्पूर्ण समाज कमजोर होगा। अतः उन को शक्तिशाली बनाना है, इस राष्ट्र के लिए और इस समाज के लिए यह अति आवश्यक है। इसलिए समाज कल्याण इस राष्ट्र की, इस समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाज कल्याण पर कट-मोशन मैंने इसी रूप में दिया है। मैंने कहा है, इसके पीछे सरकार की क्या भावना है ? क्या समाज कल्याण के पीछे भावना मात्र मत प्राप्त करना ही है ? लेकिन समाज कल्याण द्वारा कांग्रेस ने मत प्राप्त करने की राजनीति ही खेली और आज तक अनुसूचित जाति, जन-जाति के दिमाग में यह बनाये रखा कि तुम मात्र कांग्रेस के द्वारा पाले गये हो, पोसे गए हो, बड़े किए गए हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम राष्ट्र की आवश्यकता हो, इसलिए तुम्हारे पर खर्चा किया जा रहा है। यह नहीं समझाया गया। श्रीमान्, तीस वर्षों तक हमारा यह मानस, गुलामी का मानस बनाया गया। मैं सरकार को कहूंगा कि हमें इससे उभारे। इस घेरे से बाहर निकाले और हरिजनों को आकर के कहे कि किसी भी विचारधारा को मान सकते हो, किसी भी राजकीय पक्ष में बैठ सकते हो लेकिन तुम समाज के अंग हो। तुम्हें ऊपर आना है। तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्चा किया जा रहा है, समाज का धन जो तुम्हें दिया जा रहा है, वह तुम पर दया करने के लिए नहीं बल्कि इस समाज को मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। यह कहना होगा तभी इस वर्ग का मानस बदलेगा। और तभी सम्पूर्ण समाज का कल्याण हो सकेगा, नहीं तो नहीं।

श्रीमन्, उधर से कई बातें हुईं, अनेक बातें कही गईं। दो-तीन उदाहरण भी दिए गए कि हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 30 वर्षों के बाद मात्र थोड़ासा शासन बदल जाए, मात्र राजकीय परिवर्तन आ जाए, और सम्पूर्ण समाज में यह कहने को खड़े हो जाना पड़े कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो तीस वर्षों तक आपने क्या किया ? कैसा समाज आपने दिया है ? कैसी अवस्था आपने दी है ? हम को ऐसा समाज तैयार कर के दिया है। तीस वर्षों के अन्दर क्यों उस मानस को नहीं बदल सके। उस समाज को तैयार नहीं कर सके जिसमें हरिजनों पर अत्याचार न हो। यह शर्म आने की बात है। उन्होंने समाज को नहीं बदला। यह भावना पैदा नहीं कर सके कि हरिजन भी हमारे समाज का एक अंग है। इसकी महती जरूरत है। ये अत्याचार हुए, इसका भागीदार कौन है ? यह अत्याचारी मानस कहां पल रहा था ? तीस वर्षों के निकम्मे शासन ने यह मानस नहीं बदला। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाज कल्याण आवश्यक है, अगर समाज कल्याण समाज की जरूरत है, तो हमें, श्रीमन्, मानस को बदलना होगा। आज हरिजनों की बस्तियां गांव के बाहर हैं। हरिजन गांव के बाहर बसे हुए हैं। गांव के अन्दर कहीं पर भी बसे हुए नहीं हैं। 30 वर्षों के अन्दर कांग्रेस ने हरिजनों को गांव के अन्दर नहीं बसाया है।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या हरिजन आज भी कुओं पर पानी भर सकते हैं? कितने ही उदाहरण, श्रीमन्, कांग्रेस के सदस्यों ने यहां पर पेश किए। फलां गांव में हरिजनों को पानी भरने के लिए कुए पर नहीं आने दिया आदि तो आज इसके लिए सम्पूर्ण समाज के मानस को बदलने की आवश्यकता है। मात्र राजनीति का लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह दोष यहां पर भी है, वहां भी है। यह दोष सम्पूर्ण समाज के अन्दर व्याप्त है। इसलिए मेहरबानी कर के इन अत्याचारों की बात को लेकर, राठौड़ी के उदाहरण दे कर, इस समाज को आप दो भागों में विभाजित मत कीजिये। जिस वर्ग के लिए आप कहते हैं कि वह अत्याचार कर रहा है, उसको समझाना होगा, और कहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, राजकीय पूंजी बनाने के लिए इस बात को आगे मत बढ़ाओ। उस वर्ग को कहिए, ये भी इस देश के लोग हैं, ये भी इस राष्ट्र के लोग हैं, हमारे समाज के अंग हैं। हमारी संस्कृति को सीने से चिपकाये हुए हैं। इनको समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः आवश्यकता है, जरूरत है, हम सब लोगों को, राजकीय दृष्टिकोण चाहे जैसा भी रखते हों, समाज के अन्दर परिवर्तन लाना चाहिए, समाज के मानस के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए। श्रीमन्, कई बातें हैं। सभी मायने में कल्याण का 'क' गांव तक नहीं पहुंचा है। किसी न किसी रूप में वहां पर छुआछूत व्याप्त है। ऊंच-नीच की भावना व्याप्त है। आज भी इधर बैठे हुए जागीरदार, इधर बैठे हुए कांग्रेस के जागीरदार, जब अपने गांव में जाते हैं, अभी उन्होंने हरिजनों के विषय में बहुत कुछ कहा था, परन्तु उस समय गांव का हरिजन उन्हें आज भी झुक कर नमस्कार करता है। हरिजन को सीने से लगा कर उन्होंने कभी उसे यह नहीं कहा कि तुम हमारे बराबर हो। लेकिन ये राजनैतिक पूंजी बनाने की बात सोचते हैं, अत्याचार की ऐसी घटनाओं से लाभ लेना चाहते हैं। मेहरबानी करके इससे लाभ न लें। यह राष्ट्र का कलंक है। यह कलंक आपके जिम्मे है अतः मेहरबानी कर के इसे मत उछालो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और समाज के मानस को बदलने में सहयोग दें। समाज कल्याण के द्वारा हम चाहेंगे कि ऐसे पिछड़े हुए वर्ग को, कमजोर वर्ग को, जो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, उसे भी समाज में अवसर प्राप्त हो। वह दूसरे, जो समाज के अन्दर हैं, बराबर हो। समाज कल्याण के पीछे यही भावना है कि कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टिकोण से और अवसर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बराबर के पलड़े में आवे। वह वर्ग भी सम्पूर्ण समाज में उठा हुआ मालूम पड़े। इस राज्य की किसी सड़क पर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको कोई भूखा, नंगा नहीं मिले, गरीब भिखारी न मिले। राज्य में छुआछूत की भावना समाप्त हो जाए, उस प्रकार का समाज बनाने के अन्दर मैं चाहता हूं कि सभी राजनैतिक पक्ष सहयोग दें और हरिजनों के नाम पर मेहरबानी करके अपनी राजनैतिक पूंजी न बढ़ावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य नारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

कुमारी पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय सदस्यगण और उपाध्यक्ष महोदय, मूं सबां पेलीं आपने आ बात अर्ज करूं हूं के आज सदन की मेज पर दो रोटियां पड़ी हैं उणने आज मंत्री महोदय साम रा आरोगे तो आपने रिपोर्ट मिल सके है कि इतरी बढ़िया और स्वादिष्ट रोटियां हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे क्षमा करिये, मैं बीच में इन्ट्रप्ट कर रहा हूं। खाली मंत्री महोदय ने ही मत अरोगाओ, डाइरेक्टर साहब और दूसरा भी इने अरोगे तो ठीक रेवेला।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दूजी बात आ है, सभी सदस्या अर्ज कर चुक्या है मैं बीने एक बार औरी दोहरावा की कोशिश करूंला। नल योजना के मांय जो ड्रेनेज सिस्टम है वह ठीक नहीं दियो जा रियो है। आज गांवां मांही जठे-जठे जल योजना कायम हुई उठे नालियां री सुविधा कोनी है। ई बात पर मंत्री महोदय गौर करसें तो जो गन्दगी गांवों में फैल्योड़ी है वा मिटनी चावे जीसूं मलेरिया और दूजी बीमारियां में फर्क आ सकेला।

मैं एक बात और अर्ज करबो चाहूं हूं। अबार जैसलमेर का सदस्य फरमायो कि उठे जल की ज्यादा जरूरत है, नल योजना कायम करने की, तो जठे भी बहुत सारा गांवां में जल योजना लागू करनी है, मारो कहबा को मतलब या है कि प्रायोरिटी बणाणी चाहिए प्रायोरिटी रे हिसाब सूं एक लिस्ट बणणी चाहिये और ऊण हिसाब से काम होवो चाहिये। या बात जरूरी कोने के सब डिस्ट्रिक्ट में बराबर शेयर हो।

इतनी ही अर्ज करूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय मंत्री महोदय, लोक स्वास्थ्य उत्तर देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बड़ी कृपा होगी, आज उत्तर नहीं हो। 9 बजने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है अभी तो आठ बज रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कल सुबह पर रखिये तो बड़ा अच्छा रहेगा, हम चाहते हैं कि सुनें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आसन पर जब मेजर साहब बिराजमान थे उस समय मैंने प्रश्न उठाया था कि पानी का जहां तक प्रश्न है, जलदाय विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी के अन्तर्गत है। इस पर सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव आये और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, वह मुख्य मंत्री महोदय नहीं सुन सके, यह एक पक्ष हुआ। जो भी सुझाव आये हैं, उन पर मुख्य मंत्रीजी के क्या विचार हैं, जन स्वास्थ्य विभाग पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का उत्तर आना चाहिए। आसन पर जो मौजूद थे उनके द्वारा कहा गया था कि इस भावना को मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचा दें। आप इसको रिवर्स करेंगे। प्रश्न यह है कि सभापतिजी कोई और बात कहें और उपाध्यक्ष महोदय दूसरी बात, यह कार्यवाही असंगत है।

श्री भंवरलाल ऐरन : मेरी गुजारिश है कि मांगों पर मत ले लिये जायं और मंत्री महोदय का उत्तर कल हो जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, अधिकतर वहां पर जन-जातियों और आदिम जातियों के लोग रहते हैं। डूंगरों पर और पहाड़ों पर बे बसे हुए

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

हैं। उन लोगों के पास पीने को पानी की सुविधा पर्याप्त नहीं है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जब मंत्री महोदय समाज कल्याण के विषय में बोल रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसका ध्यान रखें कि जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर पानी नजदीक से पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। कटौती प्रस्ताव पर बहस नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : हमारा निवेदन है कि 15, 20 और 25 सदस्य ही सारे समय अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको गैर जिम्मेदार समझा जाय। यह स्पष्ट बात है, हमारा ही प्रश्न नहीं है, जितने भी यहां कर्मचारी हैं, बाहर से भी लोग आये हुए हैं, यह सब लोग कहां जायेंगे? इसलिए यह तरीका ठीक नहीं है, यह मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय सुबह बोलें। जब इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है और इतने आरोप लगाये गये हैं तो मंत्रीजी लल्लो-चप्पो करेंगे यह ठीक नहीं है। हम कांग्रेस वालों की तरह से चुप नहीं रहेंगे, हम इस बात को बरदास्त नहीं कर सकते। जो लोग हमारी छाती पर बैठ कर चार-पांच सौ रुपये ले जाते हैं हम उनके भ्रष्टाचार को बरदाश्त नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन कर दूं कि जो डिपार्टमेण्ट के अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं हमको ढपोलशंकर समझते हैं। हम इस बुराई को मिटाना चाहते हैं। हमको गरीबों को राहत देनी पड़ेगी। समाज कल्याण विभाग जो है यह कोई इन × × × को पालने के लिए नहीं है, इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे। यह स्पष्ट बात है। यह सरकारी नौकरों का सदन नहीं है, यह पूरी राजस्थान की जनता का सदन है।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी बिराजिये, मुझे भी बोलने दीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हम इसको कभी बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे निवेदन करना है . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह कैसे अन्दाज लगा लिया कि मंत्री महोदय भ्रष्टाचार को बरदाश्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेहताजी बिराजिये, वाद-विवाद मत करिये। वर्माजी बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने मेरी भावना रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि आप कहते बहुत हैं और सुनते कम हैं। सुनिये भी उतना ही। जहां तक आपने इस सम्बन्ध में विचार रखे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि . . . .

श्री किशनसिंह भाटी : उनकी भावना की आप कद्र करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल का कार्यक्रम काफी बिजी है। जो कुछ प्रस्ताव इस संबंध में पेश हुआ है उस पर कल चर्चा संभव हैं। जो मांग आज मंत्री महोदय ने प्रस्तुत की है, जहां तक जन स्वास्थ्य का संबंध है, वह आज स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। जिन्होंने मांग रखी है वह स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, कोई कानूनी बाधा नहीं है, न ही व्यवस्था के

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

विपरीत है। सभापति महोदय ने जो आश्वासन दिया था कि वह सदन की भावनाओं को मुख्य मंत्री तक पहुंचा देंगे। भावना वहां पहुंच गई है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं आकर उत्तर दें। कल दूसरी मांगों के संबंध में जब वह उत्तर देंगे तो जो भी आपकी आशंका है उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन जब तक कल की कार्यवाही आरंभ न हो, जो उपस्थित मंत्री हैं वही अपना वक्तव्य दे दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इजाजत हो तो..

श्री माधो सिंह : इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, बीच में इन्ट्रप्शन क्यों किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : जब हम 11-11 बजे रात को बैठ सकते हैं, अभी तो 8। बजे हैं। कल ज्यादा बैठेंगे, इससे क्या फायदा? आज समय बचा है उसका उपयोग होने दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रश्न यह नहीं है कि 11 बजे तक हम नहीं बैठेंगे। प्रश्न यह है कि सभापति महोदय ने मेरी प्रार्थना पर कि माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उत्तर दें, राज्य मंत्री से कहा था कि आप इस बात को मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें। जब तक मुख्य मंत्री के पास बात पहुंचेगी तब तक उत्तर आ चुका होगा। इसलिए भावना पहुंचाने का सवाल नहीं था। प्रश्न यह था कि सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसके संदर्भ में मुख्य मंत्री स्वयं उत्तर दें। मैं जहां तक जानता हूं, दो राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। आसन की तरफ से व्यवस्था होने के बाद कोई संपर्क मुख्य मंत्री से अभी तक नहीं हुआ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। इसलिए न तो भावना उनके पास पहुंची है, न मुख्य मंत्री का उत्तर आया है, न आसन ने जो कुछ कहा, उसका पालन हुआ। देरी और जल्दी का पाइंट नहीं है। जब सब लोगों ने इस तरह की भावना प्रकट की है तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुख्य मंत्री का उत्तर आए, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक अधिकार की बात है, मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं या नहीं, इस बारे में व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर दे सकते हैं। आज उत्तर देने को तैयार हैं। मुख्य मंत्री के इन्सट्रक्शन्स के अनुसार वक्तव्य तैयार किया है, वह देने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इस उत्तर को मुख्य मंत्री द्वारा ही दिलाया जाए। मैं चाहूंगा कि सदन के कल के बिजनेस को देखते हुए आज उत्तर होना उपयुक्त रहेगा। कम से कम जन स्वास्थ्य की मांग के संबंध में अपना उत्तर दे दें और समाज कल्याण की मांग पर उत्तर को कल तक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है।

श्री रतनलाल शर्मा : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये, एक दो लाख नहीं, करोड़ों रुपये का जहां घोटाला हुआ है, सदन में इस तरह की बात हुई है। मुख्य मंत्री उनसे परिचित हैं। राज्य मंत्री नए हैं और राजस्थान का दौरा कर के हालात को नहीं देखा है.....

श्री सम्पतराम(मंत्री, संसदीय मामलात) : उपाध्यक्षजी, यह तो ठीक है कि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जहां तक जल व्यवस्था का इंतजाम करने और पी. एच. ई. विभाग का सवाल है, मुख्य मंत्री ने कई बार इस सदन में और बाहर भी स्थिति स्पष्ट की है कि करीब 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उसकी निश्चित योजना बनेगी, उस

185

(श्री सम्पतराम)
पर प्रकाश डाल दिया है। जब योजना सामने आएगी उस पर विचार हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि चर्चा कर ली जाए। यदि कल पर छोड़ेंगे तो कल एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है जिसके लिए माननीय सदस्यों को चिंता थी और सरकार भी चिंतित है वह है महंगाई पर वक्तव्य। तो कल एक घंटे से ज्यादा उसमें समय ले लेंगे। उसके बाद सदन का समय इतना नहीं रहेगा जिससे सारे कार्यक्रम को पूरा कर सकें।

हो सकता है समाज कल्याण के संबंध में थोड़ी बहुत ऐसी बातें हैं, मुख्य मंत्री होते तो अच्छा था, फिर भी जो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा हो जाएगी। उसके बाद अगर मुख्य मंत्री से कहा जाए तो स्टेटमेंट दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस संबंध में जो विधान सभा सचिवालय से बुलेटिन जारी हुआ है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि मांगों पर मतदान उसी दिन होगा जिस दिन मांगें विचारार्थ ली जायेंगी। मैं सम्बन्धित अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं : "उपरोक्त मांगों के संबंध में परिचालन किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रत्येक मांग पर उसी दिन मतदान होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : हम भाषण सुनने के आदी नहीं हैं। जो हमारी स्थिति है वह आपके सामने है। हम बदनाम नहीं होना चाहते, जनता ने हमको चुनकर भेजा है। कल वह हमें ××× गरीब लोग जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है वे क्या सोचेंगे ? हम बेईमान हों, हम साझेदार हों तब ऐसा करें।

××× अभिव्यक्ति माननीय आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री अपना उत्तर दे दें।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : उपाध्यक्षजी, सदन में जो वातावरण हो रहा है उससे मुझे तो कम से कम निराशा हुई। मुख्य मंत्री जाते समय कह कर गए थे कि तुम सदन में जवाब दे देना। जहां तक अधिकार का प्रश्न है, मैं समझता हूं, मैं इस विभाग का काम संभालता हूं। लेकिन जहां तक समय का प्रश्न है सदन के माननीय सदस्य बहुत जल्दी जाना चाहते हैं। 10 या 11 बजे तक बैठना नहीं चाहते। यदि सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी कटौती प्रस्तावों का उत्तर दिया जाये तो बहुत समय लगेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कटौती प्रस्तावों के जो उत्तर मैंने तैयार किए हैं वे मैं इन्डिविजुअल सदस्यों के पास भेजने की व्यवस्था कर दूंगा जिससे उनको संतोष हो जाए।

दूसरी बात, यह जो विभाग है इसके अंदर पानी का मसला महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री और जनता पार्टी की सरकार इसकी गंभीरता को महसूस करती है कि पानी का मसला हर कीमत पर हल किया जाए। लेकिन इस समस्या की जो विशालता है, पिछले 30 साल में, जो कुछ काम हुए हैं, जितना पैसा इस पर खर्च हुआ है और आज हम जो खर्च करने जा रहे हैं उसका यदि आप अवलोकन करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछला सरकार के मुकाबले इस सरकार की नीयत इस समस्या को हल करने के अंदर बहुत साफ है। मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आर्थिक कठिनाइयां होने के बावजूद, प्लान के अंदर पैसा न होने के बावजूद, हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि

(श्री महबूब अली)
एक्सलरेटेड प्रोग्राम के तहत भारत सरकार से 5 करोड़ मिलने वाले हैं। वह योजना स्वीकृत कर दी गई है और दो करोड़ की नई योजनायें हम इसी साल शुरू करना चाहते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 55 लाख रुपये अर्बन सेक्टर में रखे गए हैं और इसी मद में इन एस. टी. एण्ड एस. सी. बस्ती के लिये 58 लाख रुपये रखे गए हैं। इसी तरह से 40 लाख रुपये ट्राइबल एरियाज के लिए रखे गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डाउन ट्राडन हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोग हैं उनको यह सरकार अधिक से अधिक सबसे पहले प्राथमिकता से लाभ पहुंचाना चाहती है, पानी पहुंचाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी की योजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रश्न है, प्राथमिकता किस योजना को दी जाय, विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा उसके लिये प्राथमिकता बिलकुल निर्धारित की हुई है। जहां पर पानी के स्रोत नहीं हैं, जहां पर खारा पानी है, जहां पानी में फ्लोराइड अधिक हो वहां पर राज्य सरकार पीने के पानी की समस्या को वरीयता देती है। इसकी बेसिक इन्स्टीट्यूशन्स बनी हुई हैं। हमारे यहां पर गाइड लाइन बनी हुई है जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज जो बनी हुई हैं और विभिन्न जिलों में जो नार्म्स दिये हुए हैं उनके अनुसार वह प्रोयोरिटी पर विचार करती है। उसी के आधार पर फण्ड्स का एलोकेशन होता है। जहां तक प्राथमिकता का प्रश्न है सरकार इस प्रश्न पर बहुत ही एम्फेसिस देती है। राज्य सरकार की तरफ से मैं यह निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ छः महीने का ही परिवर्तित बजट पेश किया गया है। इस बार की बात को छोड़िये। अगले साल के बजट में आप देखना, उसमें करोड़ों रुपयों का बजट होगा और उसमें बहुत जोरों से एम्फेसिस किया जायेगा। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पेय-जल की समस्या की फिक्र न केवल आपको ही है बल्कि राज्य सरकार भी इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों को मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार यहां जल निगम बनाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। जिस प्रकार दूसरे स्टेट्स में जल निगम बनाया गया है उसमें किस प्रकार से काम हो रहा है उसके अध्ययन के लिये हमारे यहां से एक टीम महाराष्ट्र गयी है जहां पर कि जल निगम बनाया गया है। वह टीम जब अपना अध्ययन करके आयेगी तो अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे यहां पर निगम बनाने का विचार किया जायेगा। राज्य सरकार इसमें जो भी योजना इकानामिकल और वायबल होगी उसको हाथ में लेगी। इसके साथ ही जल निगम को जिन दूसरी फाइनेंन्सिग एजेन्सी से पैसा मिल सकता है उस पैसे को लेकर उस पैसे से जल निगम की योजनाओं को चालू किया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वरना हमारे राज्य के बजट से इतनी धनराशि खर्च नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि अगर दूसरी फाइनेन्सिग एजेन्सीज से पैसा नहीं लें तो हमारे यहां पर अगले 30-35 साल हम पेय-जल की समस्या का हल नहीं कर पायेंगे।

(श्री महबूब अली)
राज्य सरकार पेयजल की समस्या को बहुत ही गम्भीर मानती है और मैं राज्य सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के प्रति राज्य सरकार जागरूक है और किसी भी कीमत पर कहीं भी राज्य सरकार की तरफ से कोताही नहीं रखी जायेगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को नगरपालिकाओं में कनवर्ट कर दिया है और वहां पर जो जलदाय योजनायें हैं वहां पर पहले पानी की रेट अलग थी और नगरपालिकाओं के क्षेत्र में हमारी सरकार की पानी की रेट और है। उसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपका इस बारे में कटौती प्रस्ताव है तो आपको मंत्री महोदय द्वारा लिखित में उत्तर मिल जायेगा।

श्री महबूब अली : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई स्कीम ली जाती है तो पहले जल स्रोत को देखकर कि उसमें कितना पानी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह तो एक्सपेरीमेंट बेसिस पर किया जाता है। आज राज्य सरकार के सामने एक भीषण समस्या है कि कम से कम जनता को पीने का पानी तो मुहैया कराया जाय। जहां तक प्राथमिकता देने का प्रश्न है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा था, जब कोई स्कीम सेंक्शन करते हैं उसके पहले जल स्रोत को लोकेट करते हैं। उसके बाद में जहां जल लोकेट किया जाता है वहां पर ट्यूब-वैल बनाये जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्कीम के शुरू होने पर ट्यूब-वैल में पानी खारा निकल आता है। जो भूतल में पानी बताया जाता है, वह एक्सपर्ट लोग बताते हैं। वह भी एक्जेक्ट तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे साधन नहीं हैं कि जिससे हम साइन्टिफिक तरीके से पता लगा सकें कि यहां पर पानी निकलेगा और मीठा निकलेगा। वह तो अप्रोक्समेट स्थान बताते हैं। जब कहीं पर पानी खारा निकल आता है या पानी नहीं निकलता है तो दूसरी जगह जल स्रोत जहां होता है वहां पर काम शुरू किया जाता है और पुरानी स्कीम को बन्द किया जाता है। वहां पर ही या उसके ही आस-पास कोई योजना फिर से शुरू करते हैं। दूसरी जगह पानी को लोकेट किया जाता है पहले तो हम दोनों ही काम साथ करते हैं। पर अब इसमें सुधार करने का विचार हो रहा है। आप लोगों ने जो भावना सदन के सामने रखी है उस पर राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। मैं राज्य सरकार की तरफ से यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में 179 नगरों में पेयजल की समस्या को हल कर दिया गया है। अब एक दो जगह और रह गई है जिनकी योजनायें विचाराधीन हैं। इसके साथ ही हमारे यहां जो शहर हैं उनमें से 40 शहरों की योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। उनमें से इस साल में 21 योजना पूरी की जा चुकेगी और 19 योजनायें बाकी रहेंगी। अभी आपसे हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार बहुत ही द्रुतगति से इस ओर काम कर रही है। आप थोड़ा हमें मौका दें काम करने के लिए।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस मांग को पारित करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने यह कहा कि जहां-जहां पर पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है या फ्लोराइड है या पानी खारा है वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं । अब आगे क्या होगा वह अभी तक की बात से पता नहीं चल सकता ।

श्री महबूब अली : मैंने अपनी सरकार की बात कही है । पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, यह दूसरी बात है । लेकिन अब मैं यह स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब भूल कर भी प्रायोरिटी बेसिस के खिलाफ में कोई काम नहीं होगा । सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पर ही काम होगा ।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे डूंगरपुर-बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी हैं वह अलग-अलग बस्तियों में रहते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां पर नल योजना हैन्ड पम्प योजना चालू की जाय । दूसरे हमारे यहां पर नारू रोग बहुत होता है जिससे हर साल सैंकड़ों आदमी पीड़ित रहते हैं । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे यहां पर ट्राइबल एरिया में जो भी रुपया खर्च करें नल योजना के लिये किया जाय व अलग-अलग आबादी में हैन्ड पम्प लगाये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कटौती प्रस्ताव इस पर होंगे तो आपको इस संबंध में मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर लिखित में मिल जायेंगे । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री नाथूराम : मैंने तो निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतने लोगों के जवाब दिये जा रहे हैं । मेरे भी प्रश्न का जवाब दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

अब समाज कल्याण मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्र शब्दों में आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे, अपने विचार रखे और उसके दौरान कई बातें मेरे ध्यान में लाई गई । यह उचित भी है । समाज कल्याण विभाग के बारे में आपने जो जानकारी दी, जो सूचनायें सदन के सामने रखीं वैसे मुझे यह तो पता था कि इसमें गड़बड़ियां हैं पर मुझे इतना पता नहीं था । मैं नहीं सोचता था कि इसमें इस सीमा तक गड़बड़ियां हो सकती हैं ।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर आरोप लगाये और भ्रष्टाचार के संबंध में भी आरोप लगाये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीस साल से समाज कल्याण विभाग एक ऐसा महकमा रहा जो कि हमेशा से ही उपेक्षित रहा । कांग्रेस शासन में उपे-

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्षित रहने के कारण हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग को बहुत महत्व देते हुए सबसे पहले अपने पास इस समाज कल्याण विभाग को रखा। यही बात अपने आप में एक सबूत पेश करती है कि जनता पार्टी की सरकार नये ढंग से समाज कल्याण विभाग में कार्य करने का विचार रखती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, ने अभी पिछली 18 तारीख को ही मुझे आदेश दिये हैं कि अधिकारिक रूप से राजकीय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के कार्य में मैं उनका सहयोग करूं। इस विभाग को मेरे पास आये हुए शायद पूरा महीना भी नहीं हो पाया है।

इसके बारे में जितनी चर्चा हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी नये तरीके से सारी समस्याओं को देखना चाहती है। जो विरोधी बेंच की तरफ से भाषण हुए कटौती प्रस्तावों को लेकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्य, श्री मूलचन्दजी डागा का नाम लेकर कहना चाहता हूं कि उन्होंने फन्डामेन्टल आधार पर समाज कल्याण विभाग की प्रणाली पर प्रहार किया। कांग्रेस सरकार ने तीस वर्ष तक काम किया, समाज कल्याण का कार्य चलाया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उत्थान की बात कही, जरायम पेशा जातियों के उत्थान की बात कही, घुमक्कड़ जातियों के उत्थान की बात कही, उसके लिए उन्होंने फन्डामेन्टल आधार पर यह सुझाव दिया कि कार्य प्रणाली जो चल रही है वह गलत चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि 30 वर्ष के बाद समस्या कहां खड़ी है? अनुसूचित जाति और जन-जाति और अन्य जातियां हैं उनमें शिक्षा का स्तर कहां है? क्या कारण है कि आज तक उनकी यह स्थिति क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं अच्छी स्थिति उनकी बनी? क्या कारण है कि तीस वर्ष के कांग्रेस के शासन के बाद भी गांवों में छुआछूत की बात की जाती है? क्या कारण है कि हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची है? क्या कारण है कि हरिजन बस्ती में आज तक पानी नहीं पहुंचा है? क्या कारण है कि आज तक 30 वर्ष के कांग्रेस के शासन में भी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया है? इस प्रणाली में सुधार क्यों नहीं हुआ है? मैं माफ़ी चाहता हूं, चूंकि जनता पार्टी को छः महीने का बजट पेश करना था उसको फन्डामेन्टल्स पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। एक मुक्तधारा चल रही थी, उसको प्रयत्न करके सदन के सामने रख दिया गया। पुनर्विचार के लिये यह आवश्यक है कि समाज का जो ऐसा तबका है, जिसे अछूत वर्ग कहा जाता है या जिस वर्ग को आदिवासी वर्ग कहा जाता है, जो वनवासी वर्ग कहलाता है, या जो घुमक्कड़ जातियां कहलाती हैं, जो जरायम पेशा जातियां हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ बातें कही गयी हैं, उन्होंने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने राजनैतिक दुकानदारी 30 वर्ष तक उन लोगों के उत्थान के नाम पर चलायी है। इसको स्वयं माननीय मूलचन्दजी डागा ने स्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी स्पष्ट बातें आज सदन में हुई हैं उनके आधार पर प्रश्न यह है कि यह समस्या सदियों से चली आ रही है, छुआछूत की समस्या सदियों से चली आ रही है, जरायम पेशा की समस्या, घुमक्कड़ जातियों की समस्या सदियों से चली आ रही है, और अलग-अलग ये समाज के संस्कारों को लिये

(190)

(श्री कैलाश मेघवाल)

हुए है, आदिवासियों की समस्या रही है, उन सारी समस्याओं को एक ही दृष्टि से देखना चाहते हैं या उसके लिये वैज्ञानिक आधार खोजना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज शास्त्रियों ने दर्शन दिया, मनोवैज्ञानिकों ने दर्शन दिया, लेकिन जब तक इस सम्बन्ध में स्पेशलाइजेशन का प्रयत्न नहीं किया जावेगा यह सब व्यर्थ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल्चरेलाइजेशन प्रक्रिया जिसे कहते हैं, संस्कृति की प्रक्रिया जिसे कहते हैं, तो जहां संस्कारों का आदान-प्रदान होना चाहिये वहां उनके प्रति अनादर की प्रवृत्ति क्यों पैदा हुई है? कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में अनुसूचित जाति और जन-जाति का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया। जनता पार्टी के सदस्य के नाते, एक मंत्री के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि आज इतिहासज्ञ धोखा खा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 30 वर्ष के शासन में इन जातियों के साथ धोखा किया है, वह एक ऐतिहासिक धोखा है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या को गहरे तल में जाकर नहीं सोचा गया, उसका कोई वैज्ञानिक आधार तैयार नहीं किया गया। 30 वर्ष में क्या हुआ? अलग-अलग पड़े हुए हैं लोग, हरिजन। हरिजन का पड़ोसी हरिजन, भील है या मेघवाल है। क्या संस्कार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिये? वे ही पैत्रिक संस्कार चलते आ रहे हैं। सारे आंकड़े उठा कर देखिये, समाज कल्याण विभाग की जितनी जानकारी मैं कर पाया हूं मुझे बतायें कि क्यों ये नयी कौलोनीज बसी हैं? तीस वर्ष में राजस्थान में बहुत विकास हुआ है। सारे विकास की प्रक्रिया को देखिये। नयी कौलोनीज बसी हैं। कहां है राजपूत का मकान, कहां है महाजन का मकान, कहां है हरिजन का मकान? कहां है मेघवाल माली का मकान? क्यों इस प्रकार की अलग-अलग कोलोनीज बसाने के लिये कांग्रेस ने कार्य किया? तीस साल तक उन्होंने यह केवल इसलिये किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उनको वोट मिलते रहें, गुलाम वोट उनके बने रहें। तीस साल तक कांग्रेस की सरकार लोगों को धोखा देती रही। अब जब कि हुकूमत निकल रही है तो राजनीति चला रहे हैं, छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी कह रही हैं कि हरिजन और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाले कांग्रेस बन्धु यह देखें कि जो अकाल राहत के नाम पर कार्य हुए हैं उनके लिए जनता पार्टी की सरकार ने 23 अधिकारियों को निलम्बित किया है। उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भी अधिकारी हैं। लाखों-करोड़ों रुपया उनके नाम पर निकला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाडोलिया लोहार का प्रश्न सामने आया। मैं माफी चाहता हूं, कम से कम समाज कल्याण विभाग की मांगों पर सब ही माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने अंकित किया है, किसी को नहीं छोड़ा है, मैं हर एक का जवाब दे सकता हूं लेकिन मुझे बातें याद आ रही हैं। अभी व्यवस्था दी गयी थी और मुझसे पहले बोलने वाले माननीय राज्य मंत्रीजी ने कहा है कि कटौती प्रस्तावों का लिखित जवाब भेज दिया जावेगा। माननीय सदस्यों की भी मैं भावना देख रहा हूं। वे जल्दी जाने के मूड में हैं। इसलिये मैं लम्बा भाषण देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

हमें यह सोचना पड़ेगा कि हरिजन का समाज में क्या महत्व है। आज कई बातों को लेकर आलोचना प्रक्रिया अपनायी गयी। अनुसूचित जाति और जन-जाति, घुमक्कड़ जातियों और जरायम पेशा जातियों की बात आती है, गाडोलिया लोहारों की बात आती है तो हो-हल्ला मचाया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू ने गाडोलिया लोहारों को चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करवाया। उनको बसाने के लिये लाखों रुपया खर्च हुआ। लाखों की इमारतें बना दी गयीं। माननीय सदस्य सब ही जानते हैं कि 1954 और 55 से आज तक गाडोलिया लोहार उसी प्रकार चलते जा रहे हैं और कहीं नहीं रुके हैं। लाखों रुपये का राजनैतिक घोटाला किया। घोटालाबाजी करने की इस बात को कौन झुठला सकता है। शाहबाद की स्थिति बतायी। न केवल अभी जनता पार्टी के सदस्यों ने बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विधान सभा में कहा है कि लाखों रुपये बेकार गये। सहरियों को बसाने के लिये योजना बनी। माननीय सदस्य, जो वहां से आये हैं, ज्यादा इसको जानते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कांग्रेसी बिलकुल भाग गये शाहबाद छोड़ कर।

श्री कैलाश मेघवाल : ये उठाये गये प्रश्न हैं। माननीय श्री गुलाबचन्द जी कटारिया मेरे मित्र हैं। मैं निवेदन कर दूं कि उन्होंने एक सीमा तक आरोप लगाया। उनका आरोप लगाना वाजिब है। इसलिये वाजिब है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप बन गये हों तो ही पत्रावली रखी जाती है। श्री अनिलकुमार और श्री नारायण यादव के बारे में पत्रावली की चर्चा की। यह बात सही है कि जनता पार्टी के शासन में आने के बाद वह पत्रावली पुनः खोली गयी है और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजी है। तथ्य मेरे पास हैं। उनकी पत्रावली खोली गयी और आज की स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने की स्वीकृति चाही है। स्वीकृति पर चर्चा होकर इसमें दो बयानों की कमी पड़ रही है उसको पूरा करने के लिये पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास वापस गयी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आये हुए माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह दो बयान पूरे आने के बाद जो स्वीकृति राज्य सरकार से चाही जायेगी उस स्वीकृति को देने में कोई देरी नहीं की जायेगी। वह अधिकारी चाहे जिस पद पर हो उसको नहीं बख्शेंगे और उसको अदालत के सुपुर्द करेंगे।

दूसरी बात, माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी ने गढ़ी के बारे में कही। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पोषाहार कार्यक्रम के बारे में कई तरह के आरोप आये हैं और उन आरोपों में सत्यता है इस बात में मैं किसी प्रकार की शंका नहीं करता। पोषाहार कार्यक्रम जो चल रहे हैं वह तीन एजेन्सीज के द्वारा चलते हैं एक तो एजेन्सी केयर है, दूसरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और तीसरी एजेन्सी है इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट प्रोग्राम। इनके अन्तर्गत गढ़ी में कार्यक्रम चल रहा है। पोषाहार कार्यक्रम में, यह सच है; माननीय सदस्यों ने जैसा कहा कि यह सारा पोषाहार बाजार में बिकता है यहां पशुओं को खिलाया जाता है। इस तरह की शिकायतें न केवल आपके द्वारा की गईं बल्कि विभाग में भी ऐसी शिकायतें पाई गयी हैं। जब से मैंने इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग का काम संभाला है मेरे सामने भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत भ्रष्टाचार की आयेगी उसके बारे में निश्चित तौर से कार्यवाही की जायेगी। उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है, जैसा कि इन दिनों जब से विधान सभा चल रही है 4-5 तारीख के बाद जो विभागीय कार्य हैं मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट करना चाहता हूं कि पत्र देखने का भी अवसर नहीं मिलता क्योंकि 11 बजे तो यहां से ही जाने का अवसर मिलता है। तो यह कुछ ढिलाई का कारण हो सकता है। अगर यह ढिलाई का कारण है तो फिर यह मानवीय बात है लेकिन किसी भी तरह से आरोपों को बरदाश्त नहीं किया जायेगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं . . . .

श्री **नाथूराम** (बागीदोरा) : अधिकारी का ट्रान्सफर क्यों नहीं होता ?

श्री **रतनलाल वर्मा** : मंत्री महोदय पर कोई शंका नहीं है और हमें उन पर पूर्ण विश्वास है।

श्री **नाथूराम** : उपाध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी के ट्रान्सफर के बारे में मैंने दो माह से कोशिश की तो उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं होता ?

श्री **कैलाश मेघवाल** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि गढ़ी की जांच रिपोर्ट तैयार होकर आ गयी है और अब मुझे उसे देखना है।

श्री **नाथूराम** : उसको हटाने में क्या ऐतराज है ?

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : तबादला क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री **नाथूराम** : आपके द्वारा देरी नहीं हो रही है लेकिन पिछले दिनों देरी हुई है। उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं होता ?

श्री **श्रवणलाल** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से आपने पंचायत विभाग के अन्दर सरपंचों के खिलाफ जो भी शिकायत आई तो उनको मौखिक हलफनामा के आधार पर सस्पैण्ड करने का तरीका अपनाया है क्या इसी प्रकार से आपके सामने अगर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के बारे में शिकायत करके हलफनामा पेश किया जाये तो अधिकारी को सस्पैन्ड करने की प्रक्रिया अपनायेंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : इसको ज्यादा विवाद में न लें।

श्री **कैलाश मेघवाल** : मैं उस स्थिति में विस्तार से जाऊं उसके बजाय मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य के नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार, जैसा अभी कहा गया, दो अधिकारियों को मैंने निलम्बित किया है। जिनके खिलाफ प्राइमाफेसी आरोप आ चुके थे और जिनके बारे में मैं संतुष्ट था कि कार्यवाही की जानी चाहिए थी उनको सस्पेण्ड किया है। इस तरह की शिकायत आयी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्राइमाफेसी सन्तुष्ट होने के बाद जिस अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं उसको निलम्बित किया जाना चाहिए तो उसको निश्चित रूप से निलम्बित किया जायेगा।

तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपके द्वारा निवेदन करना चाहता था कि छात्रावासों की भी समस्यायें हैं। यह सच है और मैं मुनासिब चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रावास की जो प्रणाली रही है उसके कारण इन छात्रावासों में पढ़ने वाले बालकों को आज बेकार फिरना पड़ रहा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान में बहुत गम्भीर प्रश्न है। हम कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अभी ऊपर नहीं आये हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का पढ़ा-लिखा आदमी सड़कों पर बेकार फिर रहा है तो आम भावना पैदा हो रही है कि पढ़ने-लिखने के बाद भी क्या हो जायेगा ? तो आज की तारीख में इसका क्या कारण है ? इसकी तह में जाने की कोशिश की जाये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की शिक्षा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बालकों को इन छात्रावासों में रहने के बाद मिल रही है और जो तीस साल से कांग्रेस शासन देता रहा है उसके कारण आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बालक स्कूल में अलग से पहचाना जाता है। उस होस्टल से आने वाला विद्यार्थी है उसकी जैसी वेशभूषा है और रहन-सहन है उससे वह पहचाना जाता है। एक एम. जी.डी. में पढ़ने वाला बालक है उससे हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुकाबला करवाना ही है तो समानता की शिक्षा देने की बात पर हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए जनता पार्टी पुनर्विचार कर रही है कि विद्यार्थी ऐसे तैयार हों जैसे कि दूसरी जाति के विद्यार्थी हैं वह तैयार होते हैं। इस ढंग से उनको तैयार किया जायेगा ताकि वह विद्यार्थी आम विद्यार्थियों के सामने तुलनात्मक दृष्टि से मुकाबले में खड़ा हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले तीस सालों में इस बारे में कतई नहीं सोचा गया। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हेय भावना होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी अनुसूचित जाति और जन-जाति के साथ कोई मेहरबानी के आधार पर काम नहीं करेगी। समाज का जो एक तबका सदियों से पीड़ित रहा है, शोषित रहा है उसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए उसका अधिकार मानते हुए उसको आगे लायेंगे, यह विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के बारे में बहुत गम्भीरता से सोच रहे हैं कि इनकी व्यवस्था को कैसे सुधारा जाये। इस संबंध में मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई है। इस बारे में वह स्वयं चिन्तित हैं। इसके लिए एक साथ बैठकर सर्वमान्य हल निकालेंगे।

पी.एम.टी. का प्रश्न भी उठाया गया। यह सच है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों को पिछले सालों में जब कि 30 परसेंट के आधार पर पी.एम.टी. में प्रवेश दिया जाता था, उस समय के आंकड़े हैं और आज के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जैसा कि कल इस सदन के सामने बयान दिया है, वह स्वयं इस प्रश्न पर केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायणजी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि आप मेडिकल कौंसिल ऑफ इन्डिया का जो नियम बनाया हुआ है उसके अन्दर रियायत दिलायें

(श्री कैलाश मेघवाल)
क्योंकि यह नियम रहता है तो अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्र कम से कम पी.एम.टी. में प्रवेश पा सकेंगे।

एक प्रश्न और रखा गया था आपातकालीन स्थिति में छात्रवृत्ति के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्थिति इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार बहुत गम्भीरता से उस प्रश्न पर विचार करेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार जो छात्रवृत्ति देती है उस छात्रवृत्ति के नियमों में एक नियम है जिसके कारण गतिरोध कहां पैदा हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन से मुझे कुछ नहीं छिपाना है, जो स्थिति है वह सदन के सामने रखनी चाहिए। तो एक नियम है केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति देने का कि केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति जो छात्र लेते हैं वह छात्र और कोई भी दूसरी छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। किसी मेरिट के हिसाब से छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, यह नियम है। वहां प्रारम्भ से यह नियम था। चूंकि केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्ति कम थी, राजस्थान सरकार ने उस सम्बन्ध में कुछ जोर देना प्रारम्भ किया और एडिशनल देना प्रारम्भ किया तो उसके बाद ऑडिट आब्जेक्शन्स हुए। उधर केन्द्रीय सरकार ने अपनी छात्रवृत्तियों की दरों का पुनर्निवारण किया, छात्रवृत्ति की दरें बढ़ा दीं। इस कारण जो हम राजस्थान की ओर से छात्रवृत्ति दे रहे थे वह बन्द हुई है। उस पर राज्य सरकार पूर्ण विचार कर रही है। केन्द्रीय सरकार को लिखने को एक सारा केस तैयार कर लिया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने कल ही चर्चा की थी। उन्होंने कहा है कि वे वापस आ जायं तो केन्द्रीय सरकार को लिखना है। हम जितनी भी मदद केन्द्र से छात्रवृत्ति में करवा सकते हैं, हम करवायेंगे।

समाज कल्याण विभाग के बारे में एक यह स्थिति है कि कानूनी सहायता शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी जानी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार का इस सम्बन्ध में जो प्रावधान था उसके अनुसार समाज कल्याण विभाग में एक वकील हुआ करता था उस वकील को जो तनख्वाह दी जाती थी या जो अलाउंस दिया जाता था वह इतना कम था कि कोई भी अच्छा वकील उसको स्वीकार नहीं करता था। केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कानूनी सहायता देंगे, उनके केस की पैरवी करने के लिये एक वकील देंगे, वह केवल इसलिये था कि किसी को ओब्लाइज करना था। फिर उस कार्य को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद लीगल एड के प्रश्न को एक बवन्डर के नाम से खड़ा किया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, बवन्डर शब्द का उपयोग कर रहा हूं माफी चाहूंगा लेकिन निवेदन करूंगा, लीगल एड के नाम से सैशन जज के साथ एक कमेटी बनाकर पहले रकम उनके डिस्पोजल पर रखी गई, पांच सौ, हजार रुपया। सारे गरीब वर्ग को सहयोग देना चाहते हैं, इस रकम से किसको देंगे, समझ में नहीं आता। वकीलों की कितनी फीस है, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं पर केवल बवण्डरबाजी के आधार पर किया गया। राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जैसे मुख्य मंत्रीजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि कोई फार्मूला निकालना चाहते हैं ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राज्य सरकार अधिक से अधिक सहयोग दे सके। मैं निवेदन करना

(श्री कैलाश मेघवाल)
चाहता हूं कि जो सारा समाज कल्याण विभाग है, माननीय उपाध्यक्षजी, 30 साल से जिस ढंग से चल रहा है उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है। नीति के पुनर्विचार की आवश्यकता है। सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं कि केवल छः महीने का बजट है उसी आधार पर कुछ आड़ा-टेढ़ा करके बजट पेश किया गया है। सारी चिन्ताओं के आधार पर एक सर्वोच्च कमेटी बनेगी। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अलग से एक सब-कमेटी बना देंगे और जितने भी विधायक हैं चाहे जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के, सब पार्टियों के मिल कर एक मानवीय आधार पर मतभेद भुलाकर यह जो पिछड़ा वर्ग है इसको ऊपर उठाने के लिये नीतियां तय करेंगे जिसके आधार पर वह मुख्य धारा में आ सकें। यह विचार कर रहे हैं।

कट-मोशन्स जितने भी हैं सब नोट कर लिये हैं। उनके जवाब भेज दूंगा। इसी निवेदन के साथ प्रार्थना करूंगा कि मांग को स्वीकार किया जाये।

मांग संख्या 27 व 32 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27—लोक स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,26,71,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 समाज कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,08,91,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 21-9-77 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.55 बजे बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

(196)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

Appendix 'A'

REC SCHEME OF VILLAGES OF JHALRAPATAN OF DISTRICT JHALAWAR

Localities proposed to be electrified under Jhalrapatan Rural Electrification Corporation Scheme.

S.No.	Name of the localities	Tehsil	S.N.	Name of the localities	Tehsil
1.	Kundikhera	Pachpahar	1.	Bhanwarsi	Jhalrapatan
2.	Kharpa	,,	2.	Bangari	,,
3.	Hatuniya	,,	3.	Kishanpura	,,
4.	Morda	,,	4.	Piplod	,,
5.	Analkheri	,,	5.	Chandiya Kheri	,,
6.	Lolra	,,	6.	Jarel	,,
7.	Mahooriya	,,	7.	Dhablikalan	,,
8.	Jaswantpura	,,	8.	Tolkhera	,,
9.	Sarod	,,	9.	Bondal	,,
10.	Ranayara	,,	10.	Beenda	,,
11.	Gangapura	,,	11.	Boli	,,
12.	Lasuriya	,,	12.	Nayapura	,,
13.	Bishaiya	,,	13.	Badweli	,,
14.	Guradi	,,	14.	Badewala	,,
15.	Semlibhakta	,,	15.	Haripura	,,
16.	Bakani	,,	16.	Panwasa	,,
17.	Chorkheri	,,	17.	Toongni	,,
18.	Anwalikhurd	,,	18.	Khajoorkhurd	,,
19.	Mehdiyakheri	,,	19.	Dayabhao	,, *
20.	Khoriya	,,	20.	Kuwabhao	,, *
21.	Tal	,,	21.	Prithvipura	,,
22.	Dhablikhurd	Jhalrapatan	22.	Choonabhati	,,
23.	Nalkheri	,,	23.	Gordhanpura	,,
24.	Gadari	,,	24.	Kodiya	,,
25.	Ralayata	,,	25.	Gadiyakhurd	,,
26.	Kalandikhurd	,,	26.	Jheetapura	,,
27.	Ralayati	,,	27.	Talwariya	,,
28.	Gordhan Niwas	,,	28.	Kherla	,,
29.	Nimoda	,,	29.	Manpura	,,
30.	Undal	,,	30.	Dhabli	,,
31.	Salriya	,,	31.	Peeplygugran	,,
32.	Karmakheri	,,	32.	Gagiyamer	,,
33.	Kalakot	,,	33.	Mohammadpura	,,
34.	Samli	,,	34.	Khajoorikalan	,,
35.	Teetri	,,	35.	Kanwarpura	,,
36.	Teetwas	,,	36.	Kher Khera	,,
37.	Saranga Khera	,,	37.	Ananda	,,
			38.	Doongargaon	,,
			39.	Barodiya	,,
			40.	Jhirmiya	,,
			41.	Sahipura	,,

* These villages are yet to be electrified.

Appendix 'B'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

List of the villages included in REC Scheme, P. S. Bakani, District Jhalawar

S.No.	Name of the village	S.No.	Name of the village
1.	Keralgaon	41.	Umariya*
2.	Garwara	42.	Soori
3.	Norukheri	43.	Narainpura (Kherdanta)
4.	Koli	44.	Rankra
5.	Kheriya	45.	Panchankheri*
6.	Sanwalpura	46.	Beheri Khurd*
7.	Ratlai	47.	Beheri Kalan
8.	Gopalpura	48.	Bindkhera*
9.	Deodungari	49.	Padlya
10.	Dudhalya	50.	Patri Khera*
11.	Char Dungari	51.	Bhalta*
12.	Rajpura	52.	Punyakheri
13.	Peeplya Nagga	53.	Molkya Khurd
14.	Banskheri	54.	Molkya Kalan
15.	Deonagar*	55.	Shivpura
16.	Khachrod	56.	Napanya Dalla
17.	Motipura	57.	Ratya Doongari
18.	Bhumdra	58.	Brahhmpura
19.	Kotraghata	59.	Jagpura
20.	Maheshpura	60.	Khatkar
21.	Surajpura	61.	Ummedpura
22.	Naner	62.	Motipura
23.	Lodakhera	63.	Reejon
24.	Damkpura (Kishoripura)	64.	Lalya Kheri
25.	Moyakheri	65.	Jeetapura
26.	Neukheri	66.	Soori
27.	Baday	67.	Kotara
28.	Kotra Radi	68.	Gadagaon
29.	Badkhera Kalan	69.	Napanya Gujran
30.	Badkhera Khurd	70.	Koli
31.	Amjhar Khurd	71.	Dewar
32.	Kankariya	72.	Kishanpura
33.	Rampuriya	73.	Bhanpura
34.	Modi	74.	Dinyakheri
35.	Kushalpura	75.	Rajpura
36.	Borjhari	76.	Parlya
37.	Agariya	77.	Barkheri
38.	Daulatpura	78.	Jhoomki
39.	Nrisinghpura	79.	Bagwara
40.	Amarpura	80.	Ramniwas

* These villages are yet to be electrified.

परिशिष्ट 2

(सदन में समयाभाव के कारण नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

आर० एस० ई० बी० के कर्मचारियों को निशुल्क आवास सुविधा

281. **श्री एच० एन० शर्मा** (बेंगू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सिंचाई एवं विद्युत् मण्डल की ऐसी कोई सरकारी आवासी कॉलोनी रावतभाटा में है जहां पर आर० एस० ई० बी० कर्मचारियों को आवास सुविधा निशुल्क है तथा राणा प्रताप सागर बांध के कर्मचारियों से साढ़े सात प्रतिशत किराया लिया जाता है ? अगर हां, तो कर्मचारी-वर्ग के साथ ये भेदभाव सरकार क्यों अपना रही है ?

(2) सरकार निकट भविष्य में क्या इस दोहरी नीति को समाप्त करने के लिये प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों से नियमानुसार किराया राजस्थान सिविल सर्विसेज (डिटरमीनेशन एण्ड रिकवरी आफ रेन्ट आफ रेजीडेन्शिल अकोमोडेशन) रूल्स, 1958 के नियम 18 (2) के तहत लिया जाता है । राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल एक स्वशासित संस्था है व अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अधिक सुविधा देती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। अतः भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(2) सरकार इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर शीघ्र ही निर्णय लेगी ।

पंचायत बासड़ी के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

282. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री शंकर, सरपंच, पंचायत बासड़ी की शिकायतों की जांच कब-कब हुई ? उनकी कार्यवाही किस कार्यालय में रोक रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि धारा 16 (4) के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही विकास एवं पंचायत विभाग में या अन्य जगह कब से क्यों रोक रखी है ?

(3) क्या यह सत्य है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी कार्यालय में सब्जी मण्डी की दुकानों की स्वीकृति एवं नीलामी की पत्रावली व निर्माण कार्य जांच; किराया जांच, पशु मेला शिकायत, विशेष आडिट शिकायत, निर्माण का मूल्यांकन कराने, चार्ज न देने के बाबत की पत्रावली कई वर्षों से पड़ी है ? यदि हां, तो अब कब तक राज्य सरकार इस पर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) श्री शंकर लाल, पूर्व कार्य

(पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री)

बाहक सरपंच, बासड़ी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच 17-3-74 से 20-3-74 तक पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा तथा दिनांक 20-5-74 को उप-जिलाधीश, कोटपूतली द्वारा की गई थी। दोनों जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही जारी है।

(2) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 16 (4) के अन्तर्गत सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है। केवल उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के अन्तर्गत प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई पत्रावलियां बन्द नहीं पड़ी हैं। केवल इन मामलों की जांच जिलास्तर पर की जा रही है। जांच सम्पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार संभव होगी।

ग्राम रणोदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1283. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र, सांचोर में ग्राम रणोदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर के अन्तर्गत, एक उप-केन्द्र खोला गया था ? अगर हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उप-केन्द्र ग्राम रणोदर में किसी राज्य कर्मचारी की भी पोस्टिंग की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं किसकी ?

(3) क्या यह भी सही है कि वास्तव में ग्राम रणोदर में कोई उप-केन्द्र कार्यशील नहीं रहा एवं किसी राज्य कर्मचारी ने वहां जाकर ड्यूटी जोइन करके कार्य नहीं किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिस राज्य कर्मचारी की ग्राम रणोदर उप-केन्द्र के नाम से पोस्टिंग की गई थी उसने बिना काम किये ही काफी महीनों की तनख्वाह उठाली ? अगर हां, तो किसने एवं कितने महीनों की किस प्रकार तनख्वाह उठाई एवं उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(5) क्या इस बारे में राज्य सरकार कोई जांच करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक जांच करवाकर दोषी राज्य अधिकारी को कानूनी सजा दिलवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

निदेशालय के आदेश दिनांक 15-10-76 के अनुसार अलवर में 77 में खोला गया।

(2) जी हां।

सुश्री अम्मी, पी० के० आर० प्रसविका को लगाया गया, जिसने दिनांक 27-1-77 को ड्यूटी जोइन की।

(3) जी हां।

सुश्री अम्मी पी० के० आर० प्रसविका ने दिनांक 27-1-77 को ड्यूटी जोइन कर ली थी और 10-3-77 तक कार्य किया

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(5) जी हां।

अतिरिक्त जांच कराई जा कर दोषी अधिकारी को सजा दी जावेगी।

अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

284 डॉ० गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति साथ-साथ दी जाती थी? यदि हां, तो यह कब से आरम्भ की गई तथा अब क्यों बन्द कर दी गई।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1974-75 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के कालेजस्तर के छात्रों को केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति साथ-साथ दी जाती थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल के आरम्भ से ही दी जा रही है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छात्रवृत्ति वर्ष 1967-68 से प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 1975-76 से बन्द कर दी गई। वर्ष 1974-75 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा काफी बढ़ा दी जाने, महालेखाकार, राजस्थान द्वारा नियमों के अन्तर्गत एक ही छात्र को दो छात्रवृत्तियां देने पर अंकेक्षण आपत्तियां करने व योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार के निर्देश के कारणों से अतिरिक्त छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई है।

अधीक्षण अभियन्ता, जवाहर सागर एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कोटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

285. श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधीक्षण अभियन्ता, श्री डाडा जवाहर सागर बांध एवं श्री यशपाल भाटिया, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कोटा के भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के प्रमाणों की क्या जांच करवाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो क्या परिणाम आये?

(2) क्या यह सही है कि श्री यशपाल भाटिया की पदोन्नति की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार उपरोक्त अधिकारियों को उनके पदों से हटा कर जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) श्री डी. एन. डाडा, अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध एक शिकायत हाल ही में प्राप्त हुई है, जिसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री यशपाल भाटिया के विरुद्ध विभागीय जांच का मामला गलत भुगतान किये जाने का कार्मिक विभाग के विचाराधीन है उस पर अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं। इन अधिकारियों के स्थानान्तरण का मामला सरकार के विचाराधीन है।

महिला बन्दियों के प्रशिक्षण की योजना

286. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार महिला बन्दियों के प्रशिक्षण की किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

(2) महिला बन्दियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(3) महिला वन्दियों को पुरुष बन्दियों की तरह खुले शिविरों में रखने की सुविधा दिये जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(4) महिला बन्दियों के साथ जो छोटे बच्चे कारागृह में रहते हैं उनके सामाजिक सम्पर्क और शिक्षा की क्या व्यवस्था है ? इन बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कारागृह में कोई कार्यक्रम है अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अभी इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) पुनर्वास की दृष्टि से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु वर्ष 1952-53 में अलग से एक महिला बंदी कक्ष की स्थापना की। अब एक अलग महिला सुधारगृह, जयपुर में निर्माणाधीन है।

महिला बंदियों को निम्नलिखित कार्य सिखाये जाते हैं ताकि वे रिहा होने के पश्चात् जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो सकें:—

(1) निवार बुनाई कार्य, अम्बर चर्खे पर सूत कातने का कार्य व नत्थी डोरा बनाना।

(2) विभिन्न कपड़ों की कटाई, छंटाई व सिलाई कार्य। सिलाई मशीन से कार्य करने की विधि।

(3) कसीदाकारी व क्रोशिया-कार्य।

(4) बुनाई कार्य–मौजे स्वेटर, जर्सी, दस्ताने, शाल, आदि, आदि।

उक्त कार्यों के अलावा महिला बंदियों को विभिन्न प्रकार का भोजन, विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं विभिन्न प्रकार के अचार बनाने का कार्य सिखाने के साथ-साथ मातृ एवं शिशु कल्याण शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था है।

मानसिक विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की है। पढ़ने में रुचि रखने वाली महिला बंदियों को परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं हैं।

(3) इस संबंध में अन्य महिला बंदियों को पुरुषों के समान खुले शिविर में रखना उनकी सुरक्षा की दृष्टि में हितकर नहीं है। नया महिला सुधार गृह निर्मित

(कारागृह मंत्री)
होने पर उन्हें अधिक खुला वातावरण मिल सकेगा ।

(4) 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनकी बंदी माताओं के साथ रखने की व्यवस्था है । 4 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों को उनके परिवार को भेज दिया जाता है । जिन बच्चों को परिवार वाले लेने नहीं आते हैं उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिशु-गृह में भेज दिया जाता है ।

रेल्वे स्टेशन, रतनगढ़ से नगर के दक्षिणी भाग में निरापद मार्ग का अभाव

287. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार इस तथ्य से परिचित है कि रतनगढ़ रेल्वे जंक्शन से नगर के दक्षिणी भाग के नागरिकों और अवस्थित देहातों के निवासियों के लिए नगर के मुख्य भाग तक पहुंचने के लिये कोई निरापद मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा नगर की दक्षिण-वर्ती आबादी को निरापद मार्ग उपलब्ध करवाने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार के पी० डब्ल्यू० डी० से केन्द्रीय सरकार के रेल्वे विभाग ने प्रतिशत हिस्सा राशि की मांग प्रस्तुत करके अण्डर-ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने का निश्चय व्यक्त किया था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस कार्य को प्रारम्भ करवाने के लिये अपने हिस्से आने वाली धनराशि का जिम्मा लेने के लिए तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका क्षेत्र में होने के कारण इसका दायित्व नगरपालिका पर है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार

288. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार व प्रसार के लिये राज्य में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) क्या उस समय की सामग्री अब भी बची हुई है ? यदि हां, तो कितनी है और उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(1) आपातकाल के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार हेतु इस विभाग द्वारा 6,51,428 की राशि का व्यय किया गया ।

(2) उस समय प्रकाशित प्रकाशनों की 5,648 प्रतियां बची हुई हैं जिन्हें भण्डार में रखा हुआ है ।

विद्युत मण्डल में अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति

289. श्री रावत राम आर्य (सुजानगढ़):

(श्री रावत राम आर्य)

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा मई, 1975 से अब तक कितने सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल ने पदोन्नति करते समय उक्त नियमों का पालन किया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कितने लोगों को प्रमोशन किया गया और वे कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(1) 1975 से अब तक 80 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है। नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां । पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था है व 16 प्रतिशत पदोन्नति अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये रिजर्व (सुरक्षित) है ।

(3) जी हां । पदोन्नति करते समय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। मण्डल के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति का केवल एक ही सहायक अभियन्ता जोन ऑफ कन्सीडरेशन में आता था जिनको अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था ।

APPENDIX 'A'

S. No.	Name of Asstt. Engineer	S.No.	Name of Asstt. Engineer
1.	Sh. Laxman Ramnani	41.	Sh. K.C. Mishra
2.	,, S.M. Bhandari	42.	,, I.P. Airan
3.	,, Z.J. Satarwala	43.	,, P.C. Jain
4.	,, R.K. Kulshrestha	44.	,, P. Zutshi
5.	,, K.L. Narang	45.	,, P.L. Sharma
6.	,, S.C. Binayaka	46.	,, K.L. Vyas
7.	,, S.S. Ramdeo	47.	,, J.K. Mot
8.	,, R.L. Bhatia	48.	,, S.K. Khanna
9.	,, P.C. Patni	49.	,, B.S. Meal
10.	,, N.S. Dhil on	50.	,, B.P. Singh
11.	,, J.C. Vyas	51.	,, P.C. Garg
12.	,, R.M. Gupta	52.	,, S.N. Singhal
13.	,, S.K. Sharma	53.	,, Kafil Ahmed
14.	,, Tara Singh	54.	,, D.P. Rana
15.	,, S.P. Madan	55.	,, Surendra Kumar
16.	,, N.K. Godha	56.	,, M.C. Upadhyaya
17.	,, V.K. Kasliwal	57.	,, C.S. Sharma
18.	,, S.C. Jain	58.	,, P.C. Mathur
19.	,, D.L. Kothari	59.	,, D.P. Sharma
20.	,, S.K. Bishnoi	60	,, C.K. Chaturvedi
21.	,, K.H. Vangani	61.	,, S.P. Santosh
22.	,, Anil Kumar Vedi	62.	,, P.C. Vai
23.	,, I.C. Ghere	63.	,, S.C. Shringi
24.	,, Ram Swaroop Saini	64.	,, C.P. Gupta
25.	,, Sultan Singh	65.	,, H.C. Jain
26.	,, C.R. Naraindas	66.	,, S.D. Mehta
27.	,, Raj Kumar Gupta	67.	,, P.L. Rewari
28.	,, P.K. Dwivedi	68.	,, R.C. Mathur
29.	,, D.R. Bishnoi	69.	,, R.S. Goyal
30.	,, Damodar P. Sharma	70.	,, Raja Ram Yadav
31.	,, P.S. Shekhawat	71.	,, G.K. Khamea
32	,, Govind Saran Agarwal	72.	,, Het Ram Punia
33.	,, Haribansh Singh	73.	,, M.C. Bohra
34.	,, Ramesh Bahadur	74.	,, V.K. Kansal
35.	,, V.K. Mittal	75.	,, Ghanshyam Gupta
36.	,, B.D. Gupta	76.	,, D.K. Jain
37.	,, V.K. Lumb	77.	,, K.M. Agarwal
38.	,, R.S. Agarwal	78.	,, P.C. Govil
39.	,, D.C. Johari	79.	,, G.L. Vyas
40.	,, B.M. Sanadya	80.	,, S.S. Jain

धौलपुर-सेंपऊ रोड पर पुल का निर्माण

290. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर-सेंपऊ रोड पर जो पार्वती नदी का पुल निर्माणाधीन है उसका निर्माण कार्य कब से चल रहा है ? अब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका उसके क्या कारण हैं ?

(2) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) उक्त पुल पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

उत्तर

(1) इस पुल का निर्माण कार्य 26-11-70 से प्रारम्भ हुआ था। पुल के नीवों के लिये बनाये जाने वाले कुओं के टेढ़े हो जाने के कारण कार्य रोक देना पड़ा।

(2) कार्य को फिर से प्रारम्भ कराये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं और लगभग 2½ वर्ष में कार्य पूरा होने की सम्भावना है।

(3) इस कार्य पर कुल 8.37 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

भीलवाड़ा जिले का माइका उद्योग

291. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के माइका उद्योग में 1960 में 7,500 व्यक्ति नियोजित थे तथा 8,000 टन अभ्रक प्रति माह का खनन होता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि देश में अभ्रक उत्पादन का 27% अभ्रक राजस्थान में 1960 में निकलता था ?

(3) उस समय अर्थात् 1960 में भीलवाड़ा जिले में कितनी अभ्रक खानों में खनन चल रहा था ? क्या यह सही है कि इस समय केवल 6 खानें कार्यरत हैं ?

(4) क्या यह सही है कि अभ्रक का उत्पादन घट कर इस वर्ष 50 टन प्रति माह रह गया है ?

(5) क्या यह सही है कि अभी भी 2 करोड़ रुपया का अभ्रक भीलवाड़ा के गोदामों में पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या अभ्रक विपणन नियम (एम० आई०टी०सी०ओ०) राजस्थान से अभ्रक खरीदने में सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा ?

(7) क्या यह सही है कि अभ्रक सलाहकार समिति में राजस्थान का कोई भी एम०पी० सदस्य नहीं है जब कि बिहार और आंध्र के प्रतिनिधि हैं ?

(8) क्या यह सही है कि 11 अगस्त को दिल्ली में अभ्रक सलाहकार समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि निगम द्वारा निर्यात हेतु अभ्रक के सैम्पल में राजस्थान का अभ्रक नहीं था ?

(9) क्या यह सही है कि राजस्थान से अभ्रक का निर्यात 40 साल से हो रहा है ?

(खनिज मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । वार्षिक अभ्रक का उत्पादन लगभग 6,256 टन हुआ था ।

(2) जी हां ।

(3) सन् 1959-60 में 120 खानों में खनन चल रहा था । वर्तमान में जनवरी से जून, 77 तक 20 खाने कार्यरत हैं ।

(4) जी नहीं । इस वर्ष (1977) जनवरी से जून तक प्रति माह औसत उत्पादन 63 टन है ।

(5) राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स की सूचना के अनुसार राज्य के गोदामों में डेढ़ से दो करोड़ रुपये का अभ्रक वेस्ट जो सभी किस्मों का जिसमें कट, कूड़, वेस्ट आदि शामिल हैं, पड़ा है । माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा अभ्रक नहीं खरीदा गया है ।

(6) माइका ट्रेडिंग द्वारा अभ्रक नहीं खरीदा गया है ।

(7) जी हां ।

(8) जी हां । चेयरमेन द्वारा 11 अगस्त, 1976 की अभ्रक सलाहकार समिति की बैठक में इस बात का उल्लेख किया गया था ।

(9) जी हां ।

शिक्षक संघ द्वारा बीकानेर में आयोजित जलसा

292. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान के शिक्षक संघ द्वारा बीकानेर में आयोजित जलसे में शिक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । यह मामला राज्य सरकार के विचारणीय है ।

भवानी मण्डी कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एप्रोच रोड का निर्माण

293. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में एप्रोच रोड्स बनाने की योजना राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना में पिड़ावा क्षेत्र में एक भी सड़क निर्माण का प्रस्ताव मण्डी समिति भवानी मण्डी द्वारा नहीं भेजा गया है ?

(3) अगर हां, तो राज्य सरकार इस बारे में पिड़ावा ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विपणन बोर्ड को भेजे जाते हैं एवं बोर्ड ही स्वीकृति देने हेतु सक्षम है । इस संदर्भ में राज्य सरकार

(कृषि मंत्री)
ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं विपणन बोर्ड को यह राय अवश्य दी है कि हर एक क्षेत्र में एक मास्टर प्लान के अनुसार इन एप्रोच सड़कों का कार्य होना चाहिये।

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जो विचाराधीन हैं। अस्तु निर्णय हो जाने के उपरान्त पिड़ावा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

खानपुर तहसील की जलप्रदाय योजना

294. श्री भैरव लाल (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर तहसील के किन-किन ग्रामों में जलप्रदाय योजना चालू करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि करड़वास ग्राम की जनसंख्या एवं पशु संख्या को देखते हुये वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। इस ग्राम की कठिनाई को दूर करने का क्या राज्य सरकार सर्वे कराकर कोई रिपोर्ट मंगाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार के त्वरित कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। योजना मद में नई योजनाओं की स्वीकृति के बावत वर्ष 1977-78 के लिए जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं धनराशि की उपलब्धि के अनुसार योजनायें स्वीकृत की जा सकेंगी।

(2) ग्राम करनावास में प्राप्त-कारी के अनुसार पीने योग्य जल उपलब्ध है किन्तु नारू रोग पाया जाता है। उक्त ग्राम के लिये गत वित्तीय वर्ष में हैण्ड-पम्प योजना स्वीकृत की गई है।

प्रश्न 1 की सूची

त्वरित कार्यक्रम के तहत तहसील खानपुर में हैण्ड-पम्प योजना की स्वीकृति हेतु विचाराधीन ग्रामों की सूची:—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आबादी
1.	हिसार	560
2.	बोहरा	546
3.	शारखण्डिया	603
4.	ढोण्डी	448
5.	मिवारा	409
6.	बोरड़ा	356
7.	भूमरी	459
8.	अकबाद खुर्द	440
9.	अंबाला	405
10.	अकोड़िया	856

सीमावर्ती बाड़मेर जिले की सड़कों की सुरक्षा

295. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती बाड़मेर जिले को निम्नलिखित सड़कों को देश की सुरक्षा के लिये सुरक्षा सड़कों में लेना

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इनके बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं:–

1. बाड़मेर से हरसाणी वाया बैसाला।
2. चोहटन से गांधव वाया बाखासर।
3. बाड़मेर से जोधपुर वाया बायतू।

या

बाड़मेर से जोधपुर वाया सिणधरी।

4. रामसर से मिराव।
5. रामसर से चोहटन।

(2) क्या राज्य सरकार ने जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर सीमावर्ती जिलों के लिये भी नई सुरक्षा सड़कों के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजे हैं ?

(3) उन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये तथा उसकी प्रगति क्या है ?

उत्तर

(1) इसका सम्बन्ध भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिलाड़ा तहसील के ग्रामों में अतिवृष्टि व कातरे से नुकसान

296. श्री रामसिंह बिश्नोई (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बिलाड़ा तहसील के ग्रामों में अतिवृष्टि व कातरे के कारण खरीफ की फसलों में कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष भी बिलाड़ा तहसील के ग्रामों में खरीफ की फसलों में 60 से 70 प्रतिशत नुकसान हुआ था ? अगर हां, तो राज्य सरकार पिछले वर्ष व इस वर्ष में अतिवृष्टि व कातरे के नुकसान को देखते हुए बीगोड़ी और रेवेन्यू वसूलियां आदि स्थगित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस वर्ष बिलाड़ा तहसील के ग्रामों में अतिवृष्टि से लगभग 15 प्रतिशत एवं कातरे के कारण लगभग 6 प्रतिशत नुकसान हुआ।

(2) पिछले वर्ष बिलाड़ा तहसील के ग्रामों में अतिवृष्टि से 41 से 44 प्रतिशत नुकसान खरीफ की फसलों को हुआ। कातरा कीट से नहीं। पिछले वर्ष वसूली माफ या स्थगित नहीं की गई थी। इस वर्ष फसलों के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधीशों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भू-राजस्व एवं तकावी वसूली को स्थगित करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

भीलवाड़ा के अभ्रक उद्योग

297. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में केन्द्रित अभ्रक उद्योग वर्तमान में संकट की अवस्था में चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार के प्रतिष्ठान 'मिटको' (माइका ट्रेडिंग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कम्पनी) को जब से अभ्रक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर एकाधिकार प्रदान किया है, तब से भीलवाड़ा जिले का अभ्रक उद्योग निरन्तर पतन की ओर बढ़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से भीलवाड़ा जिले के हजारों मजदूर व छोटे व्यापारी जो इस उद्योग में लगे हुए थे, बेरोजगार हो गये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस उद्योग को पुनर्जीवित करने और मजदूरों व छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने और उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने को कोई योजना पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह आंशिक रूप से सत्य है। अभ्रक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बाद भीलवाड़ा जिले का अभ्रक उद्योग निरन्तर गिर रहा था लेकिन मिटको ने अभ्रक नं. 5 एवं उससे नीचे की श्रेणी को एकाधिकारी से अलग कर व्यापारियों को यह छूट दी कि वे इस माल को स्वयं सीधे निर्यात कर सकते हैं, इस छूट से अब भीलवाड़ा जिले के अभ्रक उद्योग को कुछ राहत मिली ।

(3) यह सही नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है ।

(4) राज्य सरकार इसके लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है । मिटको व केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से पत्र–व्यवहार जारी है ।

अजमेर शहर की पेय जल वितरण व्यवस्था

298. श्री कल्याणसिंह (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था को ठीक करने का अभियान चल रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ? इस वर्ष इस मद में कितने लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में पेयजल वितरण को ठीक तरह से चलाने के लिए दो ओवर-हैड टैंक्स की प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कब हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ओवर-हैड टैंक्स की निविदा स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उनका कार्य कब तक प्रारम्भ हो कर पूर्ण होगा ?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर, किशनगढ़ व ब्यावर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनास नदी पर बांध बनाने व बनास नदी से अजमेर तक दूसरी पाइप लाइन डालने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरी होगी ?

उत्तर

(1) जी हां । धनराशि की उपलब्धि के अनुसार योजना का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्ण होने की आशा है । इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के मद से 46 लाख रु. का प्रावधान है एवं

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में 61 लाख रुपये प्राप्त होने की आशा है ।

(2) जी हां । टैंक का प्रावधान मूल योजना में ही है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28-9-75 को एवं तकनीकी स्वीकृति दिनांक 9-1-76 को ली गई थी ।

(3) जी नहीं ।

(4) बनास नदी से अजमेर, किशनगढ एवं ब्यावर तक पाइप लाइन डालने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है । बनास नदी पर बांध का डिजाइन तैयार किया जा रहा है जिसके उपरान्त उसकी भी स्वीकृति ली जावेगी । योजना का कार्य छठी पंच-वर्षीय योजनाकाल तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

नगर सुधार न्यास, पाली की मीटिंग

299. श्री **मूलचन्द** डागा (पाली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली नगर सुधार न्यास की मीटिंग पिछले तीन महीने में कब-कब हुई जिसमें स्थानीय विधायक को निमंत्रित किया हो ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है की राज्य सरकार ने ऐसी आज्ञा जारी की है जिसके कारण नगर सुधार न्यास, पाली की मीटिंग में विधायक को निमंत्रित नहीं किया जाता ? यदि हां, तो कारणों सहित उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) गत तीन माह से कोई बैठक नहीं हुई, अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । विधायकों को न बुलाने के कोई आदेश नहीं दिए । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नई कार की खरीद

300. श्री **रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने सन् 1976-77 में नई कार की खरीद की है ? यदि हां, तो कार किस कम्पनी से और किस प्रयोजन के लिये खरीदी गई थी ?

उत्तर

जी हां । सन् 1976-77 में सात नई एम्बेसेडर कारें 5 मैसर्स वेस्टर्न इण्डियन स्टेट्स मोटर्स व 2 मैसर्स रावत एन्टरप्राइजेज प्रा०लि०, जयपुर से मण्डल के कार्यों के लिये खरीदी गई ।

अटरू-कवाई, जिला कोटा रोड

301. श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अटरू-कवाई, जिला कोटा रोड वर्षा ऋतु में बिल्कुल बंद हो जाती है और जनता को इससे बेहद परे-शानी उठानी पड़ती है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस रोड को ठीक करने का विचार रखती है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत सायला, जिला जालोर के सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

303. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत सायला, जिला जालोर के खिलाफ सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण मय शिकायतों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने पंचायत की सम्पत्ति को अपने पद का दुरुपयोग करके हड़प लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

(3) इस सम्बन्ध में अब और क्या कार्यवाही कब तक करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जांच रिपोर्ट विभाग में दिनांक 8-8-77 को प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(शिकायत-पत्र की प्रतिलिपि)

अ. शा. पत्रांक 354, दिनांक 24-6-74 पंचायत समिति, सायला

आदरणीय श्री शंकरन् साहब,

मैं आपका ध्यान इस अ. शा. पत्र की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंच, ग्राम पंचायत, सायला अपने पद के दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान पंचायत समिति के आदेशों की अवहेलना करना तो एक मामूली बात ही समझती हैं। वह कानून को ताक में रख हाल ही ग्राम पंचायत के निधि से 21,000/- रुपये स्वयं ने व्यय किये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपने कार्यकाल में जो अनियमितता की है उनमें से कुछ आपके ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग के लिये उपस्थित हूं:—

(1) पंचायत ने हाल ही में एक जमीन 21,000/-रु. में खरीद की है व उनके बदले कई गुणा ज्यादा जमीन दी तथा इस राशि का न तो बजट में प्रावधान रखा न प्लान बनाया न पंचायत समिति में स्वीकृति ली है, जो कि राज्यपाल, पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य)

नियम, सन् 1961 के नियम 304 के (1) व (2) के विरुद्ध है। पंचायत समिति ने उक्त काम रोकने के लिये स्थाई समिति प्रशासन की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। विकास अधिकारी ने इस प्रस्ताव की अनुपालना में से आदेश क्रमांक 77-79, दि० 30-1-74 पंचायत जिला प्रशासन व निदेशक, सामुदायिक विकास को भेजकर पंचायत ने कार्य बन्द नहीं कर 10,000/- का भुगतान और किया है। इस प्रकार के कार्य पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये तो अन्य पंचायतों पर प्रशासनिक असर समाप्त हो जायेगा व अन्याय होगा।

(2) ग्राम पंचायत की दुकानें व भवन अपने वार्ड पंच व कुछ स्वार्थी तत्व जिनको बिना निलामी देकर माहवारी 400/- का नुकसान किया जा रहा है जिसके पंचायत समिति ने अपने पत्रांक.............. दिनांक........... में राज्य सरकार, जिलाधीश से इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सूचना भेजी पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा सोचा जाना अनुचित नहीं होगा कि जिला प्रशासन व विकास अधिकारी या तो सरपंच के प्रभाव में आ गये हैं या इन्हें कुछ एक कारनामों को दबाने के लिए दिया गया है। विकास अधिकारी, जोशी का इस समिति के दो साल के कार्य में ग्राम पंचायत, सायला ही नहीं, वरन् कोई भी पंचायत का निरीक्षण तक नहीं किया है इनका नतीजा उक्त है।

ग्राम पंचायत, सायला बजट बनाकर समय पर भेजना, खरीद की विशेष स्वीकृति भेजना तथा कार्यवाही की प्रति कभी भी नियमानुसार भज रही है जिससे उनके द्वारा अपनाई गई गतिविधियों का पता नहीं चलता व निरीक्षण अधिकारी करते नहीं जो कितना अनियमित है।

ग्राम पंचायत के सरपंच धनाढ्य हैं। धन के प्रभाव में ऑडिट करा लेते हैं। परन्तु अनुपालना आज तक नहीं की जाती है। यानि आदेशों की अवहेलना की जाती है।

ग्राम पंचायत सरपंच अपने ही रिश्तेदारों या प्रभावशाली व्यक्ति जो भी हैं उनको 3,000/- का व 4,000/- का प्लोट 310/- या 211/- में ही दिया गया है जो कि आर्थिक हानि हैं। अगर पूरी रकम लेकर दिया है तो अन्य के होती है। तो बाकी जेब में रखकर जमा कम किये गये होंगे। जांच से पता लग सकता है। एक जांच जो ए०डी०डी०ओ० साहब के यहां से आई जिसकी जांच इस समिति में मैंने उसकी जांच प्रतिवेदन आपको प्रेषित है।

इस पंचायत ने पुश्तेनी हक के मामले में जो चाहे एक माह से अतिक्रमण हो या दो साल से बाडा हो 4-4 हजार की जमीन 11/- में देदी जाती हैं। आर्थिक नुकसान पंचायत को बड़ा भारी दिया जाता है साथ ही ग्रामीण जनता में प्रजातन्त्र के प्रति रोग पैदा करता है।

अन्त में मेरा आपसे निवेदन है कि आप ग्राम पंचायत के विरुद्ध जो भी शिकायतें हुई उनकी निष्पक्ष जांच करावें। इससे पूर्व सरपंच, उप-सरपंच को राजस्थान पंचायत अधिनियम

सन् 1953 की धारा 17(4) (4 का) के तहत कार्यवाही के अन्तर्गत हटाया जावे वरना कुछ भी कार्यवाही होना मुझे प्रतीत नहीं होता।

शुभ कामना सहित प्रेषित है।

भवदीय,
ह. मूलसिंह,
प्रधान,
पंचायत समिति, सायला, जिला जालोर।

श्रीमान् के. वी. शंकरन् महोदय,
आई. ए. एस.
निदेशक,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बिलाड़ा तहसील में चूने का पत्थर

304. **श्री राम नारायण** (बिलाड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा तहसील के बोरुन्दा, हरियाढाणा, रणसी गांव में चूने का पत्थर निकलता है? यदि हां, इस क्षेत्र में कितनी क्षमता है?

(2) क्या यह भी सही है कि चूने के पत्थर में सीमेन्ट की मात्रा अत्यधिक है?

(3) सीमेन्ट की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या राज्य सरकार लघु उद्योग इस क्षेत्र में लगाने का विचार रखती है?

(4) क्या इस क्षेत्र की खानों तक सड़क निर्माण का कार्य सम्भव है।

उत्तर

(1) जी हां।

इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में विभाग द्वारा भू-सर्वेक्षण किया गया। रामपुरिया, बागासनि तथा करोना ग्राम के पास भू-सर्वेक्षण द्वारा 14 मिलियन टन उच्च श्रेणी के चूने के पत्थर के भंडार सिद्ध किये गये।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

जालोर व सिरोही जिले के बांध

305. **श्री रघुनन्दन व्यास:** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर व सिरोही जिले में कुल कितने बांध हैं तथा कितने बांध अधूरे हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन बांधों के नीचे सिंचित रकबा अलग-अलग बांध के हिसाब से कितना-कितना है? क्या इन बांधों के नाम पर

(श्री रघुनन्दन व्यास)

जमीन को कमान्ड एरिया माना गया है चाहे वह असिंचित ही हो ? यदि हां, तो ऐसी जमीन पर क्या-क्या टैक्स लगाये गये हैं और उस जमीन पर काबिज खातेदारी प्राप्त लोगों के खातेदारी अधिकारों को क्या समाप्त किया गया है और क्या जमीन का आवंटन, बेचान भी रोका गया है ? यदि हां, तो जो जमीन बांध के पानी से सिंचित नहीं होती उस पर टैक्स का क्या औचित्य है ?

(3) क्या सिरोही तहसील में ओडा बांध के नीचे गांव होने के कारण असिंचित भूमि पर कर लगाया गया है ? यदि हां, तो वह कुल कितना है और उसका क्या औचित्य है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस टैक्स को कब समाप्त करेगी ?

उत्तर

(1) सिचाई विभाग के अन्तर्गत जालौर व सिरोही जिलों में क्रमशः 54 तथा 27 सिचाई कार्य हैं। अधूरे बांधों की संख्या क्रमशः 8 व 7 है। सूचियां संलग्न हैं।

(2) समस्त सिचाई कार्यों के नीचे का सिंचित क्षेत्र संलग्न सूची में प्रत्येक कार्य के आगे दर्शा दिया गया है। जिला जालौर के 17 बांधों पर कमाण्ड क्षेत्र हैं जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा पानी लगने पर बोई गई जिन्स के अनुसार सिंचाई शुल्क लगाया जाता है। जालौर जिले के 37 बांध पेय काश्त के बान्ध हैं। इन बांधों में पानी भरने से लाभान्वित होने वाली भूमि पर सेवज की दर के अनुसार सिंचाई शुल्क लिया जाता है।

सिंचाई विभाग की जानकारी के अनुसार खातेदारी प्राप्त लोगों के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया गया है।

इन भूमियों पर अन्य टैक्स भूमियों का आवंटन बेचान आदि का सिंचाई विभाग से सम्बन्ध नहीं है बान्ध के पानी से सिंचित न होने वाली भूमि पर सिंचाई शुल्क नहीं लगाया जाता है व ऐसी भूमि पर अन्य टैक्स से सिंचाई विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

(3) असिंचित भूमि पर किसी प्रकार का सिंचाई शुल्क नहीं लगाया जाता है। अन्य किसी प्रकार के टैक्स से सिंचाई विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

जिला जालौर के 54 सिचाई कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	सिंचाई: सिंचित क्षेत्र (फ्लो इरिगेशन)	सिंचाई: जल पलावन (पेटा काश्त)	योग एकड़ों में
1	2	3	4	5	6
1.	पाल टैन्क	भीनमाल	80	50	130
2.	शंकर	सांचोर	256	72	328

1	2	3	4	5	6
3.	सिलबासन	भिनमाल	96	6	102
4.	भिनमाल फीडर	,,	1680	..	1680
5.	टोरवारा	जालोर	110	45	155
6.	कालापुरा	,,	800	127	927
7.	भंवरदा	,,	400	110	510
8.	बांवली कैनाल	अहोर	340	..	340
9.	बड़गांव नाला	भीनमाल	1200	..	1200
10.	चावरचा	अहोर	105	60	165
11.	पुनक काला	सांचोर	84	80	164
12.	सादिया	,,	107	321	428
13.	रानीवाड़ा	भीनमाल	125	40	165
14.	मुरतसालिया	,,	45	100	145
15.	लाखावास	,,	88	45	133
16.	नैनोल	सांचोर	..	450	450
17.	सरनाऊ	,,	..	615	615
18.	गंडाव	,,	..	298	298
19.	पामना	,,	..	900	900
20.	जाजूसन	,,	..	455	455
21.	झाकरा	,,	..	600	600
22.	दूधवा	,,	..	2275	2275
23.	सूथरी	,,	..	1010	1010
24.	सूराचन्द	,,	..	600	600
25.	होटीगांव	,,	..	1100	1100
26.	मालासर	,,	..	202	202
27.	चितलवाना	,,	..	1612	1612
28.	रतनपुरा	,,	..	1185	1185
29.	गलिफा	,,	..	1195	1195
30.	केसूरी	,,	..	1960	1960
31.	सूआ की खाल	,,	..	455	455
32.	खैंजवाली	,,	..	582	582
33.	टैंची	,,	..	505	505
34.	आलरा	,,	..	40	40
35.	बाटधारा	,,	..	50	50

1	2	3	4	5	6
36.	लाछीवारा	साँचोर	..	185	185
37.	वनवानवारा	भीनमाल	..	25	25
38.	खेजड़ावाली 2	साचोर	..	480	480
39.	सूराचन्द 2	,,	..	320	320
40.	बड़ा भउजी	भीनमाल	..	150	150
41.	वणरना	,,	..	100	100
42.	वोड़ा	सांचोर	..	130	130
43.	शंकर 2	,,	..	110	110
44.	इसरोल	,,	..	60	60
45.	करड़ा	भीनमाल	..	60	60
46.	पुर	सांचोर	..	66	66
47.	काबुली की ढाणी	,,	..	52	52
48.	बन्द हर	भीनमाल	..	80	80
49.	मौखा	अहोर	..	100	100
50.	बटेरा	भीनमाल	..	52	52
51.	पलाड़ी	सांचोर	..	82	82
52.	खारवारा	भीनमाल	..	80	80
53.	बीठन	जालौर	1705	..	1705
54.	बांबली	,,	8000	..	8000

जिला सिरोही के 25 सिंचाई कार्यों की सूची

क्र. सं.	जिला	बान्धों के नाम जो पूर्ण हैं	काबिल-काश्त सिंचित कमाण्ड क्षेत्र एकड़ों में (सी. सी. ए.)	जो क्षेत्र सिंचित होता है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
	सिरोही				
1.		वेस्ट बनास	19644	13300	
2.		ओरा	11881	9070	
3.		भान्ता	2588	1913	
4.		टोकरा	2649	1915	

		4	5	6
		2369	1360	
		1729	1640	
	...दरा	1559	802	
	लुनेरी	1059	651	
	केर	960	736	
10.	सरूपसागर	1436	990	
11.	जुबली	570	615	
12.	गोडाना	537	396	
13.	अखेलाव	528	743	
14.	मानसरोवर	281	अखेलाव व मानसरोवर की सम्मिलित सिंचाई।	
15.	काना कौकर	245	243	
16.	मण्डोवरी	360	360	
17.	चन्डेलाव	396	396	
18.	बुटरी	1913	1201	
19.	माण्डवाड़ा	550	539	
20.	धुरबाना	365	163	
21.	चंडवाल	327	139	
22.	तवरी	100	66	
23.	मण्डार नाला 5	2338	1117	
24.	पालड़ी (करनसागर)	354	150	
25.	गिरवर	918	650	
26.	आमलारी	..	100	
27.	बालदा	..	94	

जिला सिरोही एवं जालौर के अधूरे कार्यों की सूची

1. जिला सिरोही अकाल राहत कार्य:—

क्र०सं० नाम बांध

1. अंणोर

2. करजीथरा
3. पंच देवल

2. जिला सिरोही कैश कार्यों के अन्तर्गत अधूरे कार्य:—
   1. केराल फ्लड प्रोटेक्शन कार्य
   2. पिचवानिजां का नाका
   3. जेटवाड़ा ऐनिकट
   4. रूपेला बांध

3. जिला जालौर कैश कार्यों के अन्तर्गत अधूरे कार्य:—
   1. राजनवाड़ी
   2. तखानिया
   3. चैंकला
   4. मेटाला
   5. महेशपुरा कैनाल
   6. कोलर
   7. करवाड़ा
   8. बांखला धनजी

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 273 का विवरण)

नर से सम्बन्धित पांच ग्रामों का वर्षवार वितरित एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण

क्र० सं०	नाम ग्राम	सी०सी०ए०	वार्षिक क्षेत्र / सघन	1971-72 (2028)		1972-73 (2029)		1973-74 (2030)		1974-75 (2081)		1975-76 (2032)		1976-77 (2033)	
				वितरित	सिंचित	वितरित	सिंचित	वितरित	सिंचित	वितरित	सिंचित	वितरित	सिंचित	वितरित	सिंचित
1.	पादरली	4954	2150	372	128	—	—	1819	1684	5	5	2051	1152	2030	944
2.	भुम्बा	1867	810	192	37	—	—	668	386	1	1	694	121	721	127
3.	चान्दराई	3143	1364	458	13	—	—	1346	402	—	—	1465	413	1422	415
4.	जोड़ा	2157	946	245	70	—	—	841	349	—	—	943	89	911	148
5.	बिठुड़ा	2837	1232	223	—	—	—	1010	38	—	—	1168	16	1096	22

नोट:—1—सन् 1972-73 में जवाई बांध में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होने से किसी भी ग्राम में सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया।

2—सन् 1974-75 में जवाई बांध में बिल्कुल कम पानी उपलब्ध होने से सिर्फ सेवज क्षेत्र में एक गांव को सिंचाई हेतु पानी दिया गया।

(220)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 278 की सूची)

(बयाना, जिला भरतपुर से तालचिड़ी तक की सड़क पर किया गया व्यय)

वर्ष	व्यय (योजना)	व्यय (सी. आर. एफ.)
1963-64	24,229.00	33,102.00
1964-65	27,853.00	22,869.00
1965-66	43,563.00	42,909.00
1966-67	50,793.00	30,741.00
1967-68	70,712.00	51,751.00
1968-69	16,817.00	28,036.00
1969-70	38,232.00	14,873.00
1970-71	47,223.00	..
1971-72	30,163.00	..
1972-73	2,330.00	..
1973-74	1,12,516.00	..
1974-75	34,091.00	..
1975-76	74,316.00	..
1976-77	39,260.00	..
4/77 से 7/77 तक	25,448.00	..
योग ..	6,37,546.00	2,24,281.00